

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 यथा अद्यतन संशोधित को निरसित एवं प्रतिस्थापित करने हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमि हो :-

अध्याय - I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** – (i) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 कहलाएगा।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहां पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 (बिहार अधिनियम XIII , 1952) या बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल अधिनियम, 1922 (बिहार अधिनियम VII,1922) या कैंन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।
 - (iii) यह राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. **परिभाषाएं** – जब तक कि कोई बात, विषय अथवा संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो, इस अधिनियम में,
- (क) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित जिला परिषद् का अध्यक्ष;
 - (ख) “पिछड़े वर्गों” से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम- 1991” (बिहार अधिनियम सं0-3, 1992) की अनुसूची -1 में विनिर्दिष्ट पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की सूची ;
 - (ग) “प्रखंड” से अभिप्रेत है किसी जिला का वह स्थानीय क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार प्रखंड के रूप में गठित करे;
 - (घ) “प्रखंड विकास पदाधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी;
 - (ङ) “मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
 - (च) “आयोग” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के साथ पठित अनुच्छेद 243-य क के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग;

- (छ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है प्रमंडलीय आयुक्त या ऐसा कोई पदाधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
- (ज) "फौजदारी मुकदमा" से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय किसी अपराध से संबंधित आपराधिक कार्यवाही;
- (झ) "जिला" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा जिला के रूप में अधिसूचित जिला;
- (ञ) "जिला दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी जिले का जिला दंडाधिकारी और इसमें वह अन्य पदाधिकारी शामिल है जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला दंडाधिकारी के सभी कार्यों या किसी कार्य के निष्पादन के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो;
- (ट) "जिला पंचायत राज पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी जिले का जिला पंचायत राज पदाधिकारी और इसमें वह अन्य पदाधिकारी शामिल है जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी के सभी कार्यों या किसी कार्य के निष्पादन के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो;
- (ठ) "कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है किसी पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी;
- (ड) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ;
- (ढ) "ग्राम कचहरी" से तात्पर्य है उस अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ग्राम कचहरी;
- (ण) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ,
- (त) "सदस्य, राजस्व पर्षद" से अभिप्रेत है सदस्य, राजस्व पर्षद या ऐसा अन्य पदाधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सदस्य, राजस्व पर्षद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया गया हो और इसमें अपर सदस्य, राजस्व पर्षद भी सम्मिलित है ;
- (थ) "ग्राम पंचायत का सदस्य" से अभिप्रेत है उस पंचायत का निर्वाचित सदस्य;
- (द) "मुखिया" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया;
- (ध) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन गठित स्वशासी -संस्था;

- (न) "मुंसिफ"— ग्राम पंचायत के संदर्भ में मुंसिफ से अभिप्रेत है ऐसा मुंसिफ जिसे ऐसे क्षेत्र में जहाँ ऐसी पंचायत गठित है, स्थानीय क्षेत्राधिकार हो तथा इसमें लघु वाद न्यायालय भी सम्मिलित है ;
- (प) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राज्य अथवा जिला गजट में प्रकाशित अधिसूचना;
- (फ) "ग्राम कचहरी का पंच" से अभिप्रेत है उस ग्राम कचहरी का निर्वाचित पंच;
- (ब) "पंचायत" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वशासी संस्था;
- (भ) "पंचायत क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी पंचायत का क्षेत्रीय भाग;
- (म) "पंचायत समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक प्रखंड के लिए गठित पंचायत समिति;
- (य) "पंचायत सचिव" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी ग्राम पंचायत का सचिव;
- (क क) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों या विनियमों या अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन विहित;
- (क ख) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के किसी या सभी प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एतद्धीन जारी अधिसूचना या बनाई गई नियमावली या विनियमावली या किये गये आदेश द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी;
- (क ग) "जनसंख्या" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिससे संबंधित आंकड़े प्रकाशित किये जा चुके हों, के आधार पर यथा अभिनिश्चित जनसंख्या;
- (क घ) "प्रमुख" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन पंचायत समिति का निर्वाचित प्रमुख;
- (क ङ) "सरपंच" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन ग्राम कचहरी का निर्वाचित सरपंच;
- (क च) "स्थायी समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी जिला परिषद् या किसी पंचायत समिति या किसी ग्राम पंचायत द्वारा गठित स्थायी समिति;
- (क छ) "अनुमंडल दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अनुमंडल का अनुमंडल दंडाधिकारी और इसके अन्तर्गत शामिल कोई अन्य पदाधिकारी है, जिसे इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो ;
- (क ज) "वाद" से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय वाद;

- (क झ) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी जिला परिषद् का निर्वाचित उपाध्यक्ष ;
- (क ज) "उपमुखिया" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित उप-मुखिया;
- (क ट) "उप-प्रमुख" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी पंचायत समिति का निर्वाचित उप-प्रमुख;
- (क ठ) "उप-सरपंच" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी ग्राम कचहरी का निर्वाचित उप-सरपंच
- (क ड) "ग्राम" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र, जो जिले के राजस्व अभिलेख में विशिष्ट एवं पृथक ग्राम के रूप में अभिलिखित, परिभाषित एवं सर्वेक्षित हो;
- (क ढ) "जिला परिषद्" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित किसी जिले का जिला परिषद् ;

अध्याय - II

ग्राम सभा

3. **बैठक की अवधि**— ग्राम सभा की बैठक समय-समय पर होगी किन्तु किन्हीं दो बैठकों के बीच का अन्तराल तीन महीने से अधिक का नहीं होगा।

4. **बैठकों का आयोजन**—(1) ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय में चिपका दी जायेगी और इसे डुगडुगी पिटवा कर अथवा यथाविहित प्रचार के अन्य माध्यमों से जनता की जानकारी में लाया जाएगा।

(2) ग्राम सभा की बैठक के आयोजन और संचालन की प्रक्रिया वही होगी जो विहित की जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन यथानिर्दिष्ट अन्तराल पर नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करने का दायित्व मुखिया का होगा। यदि वह यथा विनिर्दिष्ट रीति से बैठक का आयोजन नहीं कर पाता हो तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जानकारी में इस तथ्य के लाये जाने पर वह ऐसी बैठक का आयोजन कर सकेगा। कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्थान पर किसी सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

5. **गणपूर्ति (कोरम)** — (1) किसी बैठक की गणपूर्ति (कोरम) ग्राम सभा के कुल सदस्यों के बीसवें भाग से पूरी होगी।

(2) किसी बैठक के लिए नियत समय पर यदि गणपूर्ति (कोरम) नहीं होती हो, अथवा यदि बैठक आरम्भ हो जाये और गणपूर्ति की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाये तो ऐसी स्थिति में पीठासीन प्राधिकारी एक घंटा तक प्रतीक्षा करेगा और यदि उस अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती हो तो पीठासीन प्राधिकारी उस बैठक को अगले दिन अथवा आने वाले किसी ऐसे दिन को ऐसे समय के लिए, जो उसके द्वारा निर्धारित किया जायगा, स्थगित कर देगा। गणपूर्ति की कमी के चलते स्थगित ऐसी बैठक में यदि निर्धारित विषय पर विचार नहीं हो सका हो तो स्थगित बैठक के बाद की बैठक अथवा बैठकों के समक्ष उसे रखा और निष्पादित किया जायेगा जिसके लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के चालीसवें भाग से पूरी होगी।

6. पीठासीन पदाधिकारी— ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उप —मुखिया करेगा।

7. विचारणीय विषय—ग्राम सभा निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी:—

- (क) ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन और इसके संबंध में दी गई पिछली अंकेक्षण टिप्पणी और उसके उत्तर, यदि कोई हों;
- (ख) अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट,
- (ग) ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों के संबंध में पूर्ववर्ती वर्ष का प्रतिवेदन और चालू वर्ष के दौरान शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम,
- (घ) निगरानी समिति के प्रतिवेदन।

8. संकल्प— इस अधिनियम के अधीन ग्राम सभा को सुपुर्द विषयों से संबंधित किसी संकल्प को ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा।

9. कृत्य— ग्राम सभा निम्नांकित कृत्यों का संपादन करेगी:—

- (क) गाँव से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना;
- (ख) गाँव के विकास स्कीमों का कार्यान्वयन करने के लिए लाभान्वित होने वालों की पहचान करना ;

परन्तु यदि समुचित समय के भीतर ग्राम सभा लाभान्वित होने वालों की पहचान करने में विफल रहती हो , तो ग्राम पंचायत ऐसे लाभान्वितों की पहचान करेगी;

- (ग) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए नकद या जिन्स में या दोनों रूपों में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमदान का सहयोग प्राप्त करना;
- (घ) गाँव के भीतर जन शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सभी तरह के सहयोग देना;
- (ङ) गाँव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना;

- (च) ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया और सदस्यों से किसी विशिष्ट क्रियाकलाप , स्कीम, आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना,
- (छ) निगरानी समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में विचार-विमर्श करना एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना ।
- (ज) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें।

10. निगरानी समिति – ग्राम पंचायत के कार्यो, स्कीमों और अन्य कार्य-कलापों, जो उस ग्राम से संबंधित हों, का पर्यवेक्षण करने और उनसे संबंधित रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा एक या अधिक निगरानी समितियां भी गठित कर सकेगी, जिसमें वैसे व्यक्ति रहेंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हों।

अध्याय - III

ग्राम पंचायत

11. **ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा**—(1) सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्याधीन जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना निकालकर किसी स्थानीय क्षेत्र को, जिसमें कोई गाँव या निकटस्थ गाँव के समूह या उसका कोई भाग होगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकेगा जिसके क्षेत्र की जनसंख्या, यथा संभव सात हजार के निकटतम होगी,

परन्तु जिला दंडाधिकारी संबद्ध ग्राम पंचायत से परामर्श कर अधिसूचना द्वारा किसी भी समय उस ग्राम पंचायत में किसी गाँव या उसके किसी भाग को शामिल या उससे अलग कर सकेगा और ग्राम पंचायत के नाम को बदल सकेगा।

(2) यदि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो वह उप धारा (1) के अधीन घोषित किसी ग्राम पंचायत की वैधिकता एवं औचित्य का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इस निमित्त संगत अभिलेखों की मांग कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन आयोग उपयुक्त एवं उचित समझे।

परन्तु अधिनियम की धारा 124 के अधीन राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि अधिसूचित किये जाने के पश्चात आयोग ऐसे किसी नये मामले पर विचार नहीं करेगा।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत के नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं इसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा ऐसे प्रतिबंधों के अध्याधीन जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा अधिरोपित हो, उसमें अपने निगमित नाम से वाद चलाने या उस पर वाद चलाए जाने को अथवा अपनी प्राधिकारिता की परिसीमाओं के भीतरी या बाहरी क्षेत्र में चल या अचल सम्पत्ति को अर्जित, धारण और अन्तरण करने अथवा संविदाएं करने की और जिस निमित्त इसका गठन किया गया है, उसके प्रयोजनार्थ आवश्यक, समुचित और समीचीन सभी कार्य करने की शक्ति निहित होगी।

12. **ग्राम पंचायत की संरचना**—(1) ग्राम पंचायत की संरचना निम्नलिखित होगी —
(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित मुखिया, और

(ख) ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित उतने सदस्य जितनी संख्या समय-समय पर जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाये और ऐसा प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र की पॉच सौ या उसके यथासंभव निकटतम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) चुनाव की सुविधा की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत के क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त करेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य, सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में एक समान हो।

(3) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य यथा विहित रीति से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम पंचायत जिला गजट में अधिसूचित की जाएगी और अपनी पहली बैठक की नियत तिथि से प्रभावी होगी।

13. स्थान का आरक्षण – (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्यों के कुल स्थानों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे:—

- (क) अनुसूचित जाति;
- (ख) अनुसूचित जनजाति; और
- (ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात् शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को

आवंटित किया जायेगा । वैसे स्थान उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान ग्राम पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथाविहित रीति से चक्रानुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण — शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा ।

14. ग्राम पंचायत की अवधि—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेगी ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रकार के संशोधन के फलस्वरूप कोई ग्राम पंचायत, जो ऐसे संशोधन के तुरंत पहले से कार्य कर रही हो, उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक विघटित नहीं होगी ।

(3) ग्राम पंचायत गठित करने के लिए निर्वाचन:—

(क) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व, और

(ख) उसके विघटन की तारीख से छः महीने की अवधि के अवसान के पूर्व, पूरा कर लिया जायेगा ,

परन्तु यह कि शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित ग्राम पंचायत बनी रहती यदि छः महीने से कम की हो, तो वैसी अवधि के लिए उस ग्राम पंचायत के गठन हेतु इस उप-धारा के अधीन निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व किसी ग्राम पंचायत के विघटन पर गठित की गयी ग्राम पंचायत उस अवधि के शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिस अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत उप-धारा (1) के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित न की जाती।

15. मुखिया एवं उप-मुखिया का निर्वाचन—(1) मुखिया उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होगा।

(2) मृत्यु, त्याग-पत्र, अयोग्यता, पदच्युति, अथवा अन्य कारण से मुखिया का पद रिक्त होने पर उस ग्राम पंचायत में यथाशीघ्र उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन मुखिया निर्वाचित किया जायेगा।

परन्तु यदि मुखिया का पद छः माह से कम अवधि के लिए रिक्त हो तो चुनाव नहीं कराया जायेगा।

(3) (i) चुनाव के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपनी प्रथम बैठक में अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अधीन चुने गए सदस्यों में से एक उप-मुखिया का चुनाव उनके द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

(ii) उप-मुखिया के चुनाव में ग्राम पंचायत का मुखिया मतदाता होगा।

(iii) उप-मुखिया के चुनाव में मतों के बराबर होने की स्थिति में परिणाम लौटरी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(4) (i) यदि किसी ग्राम पंचायत में मुखिया एवं उप-मुखिया के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी इस प्रकार की स्थिति होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर उप-मुखिया के चुनाव हेतु बैठक बुलाएगा, जिसके लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचना दी जाएगी।

(ii) ऐसी बैठक की अध्यक्षता संबंधित पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी करेगा, परन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(iii) मतों की बराबरी की स्थिति में परिणाम लौटरी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(5) स्थान का आरक्षण— (i) मुखिया के पद के लिए प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत मुखिया के कुल पदों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे:—

- (क) अनुसूचित जाति;
- (ख) अनुसूचित जनजाति; और
- (ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत मुखिया के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे तथा इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत समिति में मुखिया के पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी पंचायत समिति के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों को विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए मुखिया के पदों के आरक्षण के पश्चात् शेष बची ग्राम पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या कुल पदों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी तथा इन पदों को विहित रीति से पंचायत समिति की शेष ग्राम पंचायतों को जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा। ऐसे पद उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में इसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों को आवंटित किए जाएंगे।

(ii) उप धारा (i) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे।

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों की महिलाओं एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान ग्राम पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य

निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा ।

16. मुखिया और उप-मुखिया की पदावधि – ग्राम पंचायत के मुखिया और उप-मुखिया की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में उसकी पदावधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी ।

17. मुखिया और उप-मुखिया की शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य –(1) मुखिया –

- (क) ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का उत्तरदायी होगा और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा,
- (ख) ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने का उत्तरदायी होगा और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा,
- (ग) ग्राम पंचायत के अभिलेखों के समुचित संधारण का उत्तरदायी होगा ,
- (घ) ग्राम पंचायत की वित्तीय और कार्यकारणी प्रशासन के लिए सामान्यतः उत्तरदायी होगा,
- (ङ) ग्राम पंचायत के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों और वैसे कर्मचारियों, जिनकी सेवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन सौंपी गई हो, के कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखेगा,
- (च) इस अधिनियम से संबंधित कार्यों को करने के लिए या एतद् द्वारा प्राधिकृत कोई आदेश करने के प्रयोजनार्थ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जिनका प्रयोग, निष्पादन या निर्वहन इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सके,

परन्तु मुखिया ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यों का निष्पादन या ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली की अपेक्षानुसार केवल

ग्राम पंचायत द्वारा ही अपनी बैठक में प्रयोग करने, निष्पादन करने या निर्वहन करने की अपेक्षा हो।

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा यथा निदेशित हो अथवा इसके लिए बनाई गई नियमावली के अधीन सरकार द्वारा यथाविहित हो।

(2) उप-मुखिया-(क) मुखिया की ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यों का निष्पादन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इसके लिए सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के अध्यक्षीन मुखिया द्वारा उसे समय-समय पर लिखित आदेश रूप में प्रत्यायोजित किया जाए।

परन्तु मुखिया इस प्रकार प्रत्यायोजित सभी या किन्हीं शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों को उप-मुखिया से किसी भी समय वापस ले सकेगा,

(ख) मुखिया की अनुपस्थिति में, मुखिया की सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कार्यों का निष्पादन एवं सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा,

परन्तु जैसे ही मुखिया उपस्थित हो जाये, वह अपने अधिकारों को स्वतः ग्रहण कर लेगा तथा मुखिया के सभी कार्यों का सम्पादन एवं सभी कर्तव्यों का निर्वहन आरम्भ करेगा।

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो ग्राम पंचायत सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा यथा निदेशित करे या इसके लिए बनाई गई नियमावली द्वारा सरकार विहित करे।

18. मुखिया या उप-मुखिया का त्याग-पत्र या हटाया जाना – (1) मुखिया/ उप-मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर, अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक त्याग-पत्र, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उसकी प्राप्ति की तिथि से सात दिन की समाप्ति पर प्रभावी हो जाएगा यदि सात दिनों की इस अवधि में वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर ऐसा त्याग-पत्र वापस न ले ले।

(3) प्रत्येक उप-मुखिया, यदि वह ग्राम पंचायत का सदस्य न रह जाए तो, अपने पद को रिक्त कर देगा।

(4) (i) अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मुखिया को हटाया जाना – प्रत्येक मुखिया द्वारा उसी समय से अपना पद रिक्त कर दिया गया मान लिया जाएगा, यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं की संख्या के साधारण बहुमत से उसमें विश्वास न रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ऐसी विशेष बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत की कुल

मतदाता संख्या के कम-से कम पंचमांश मतदाताओं के हस्ताक्षर से की जाएगी और वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दी जाएगी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी अध्यक्षता प्राप्त होने की तिथि से सात दिनों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान पर ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक बुलाएगा। बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा की जायेगी;

परन्तु मुखिया की पदावधि के प्रथम दो वर्षों में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव उसके विरुद्ध नहीं लाया जाएगा।

परन्तु और कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर कर दिये जाने पर ऐसी नामंजूरी की तिथि से अगले एक वर्ष की कालावधि के भीतर कोई नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अन्तिम छः माह के दौरान मुखिया के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(ii) अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उप मुखिया को हटाया जाना – प्रत्येक उप मुखिया द्वारा उसी समय से अपना पद खाली कर दिया गया मान लिया जाएगा, यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों एवं मुखिया की संख्या के साधारण बहुमत से उसमें विश्वास न रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ऐसी विशेष बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के कम-से-कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से मुखिया से की जाएगी और यह मुखिया को सुपुर्द कर दी जायेगी। अध्यक्षता प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मुखिया ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्ताव पर विचार हेतु ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलायेगा तथा बैठक की अध्यक्षता भी करेगा।

परन्तु उप-मुखिया की पदावधि के प्रथम दो वर्षों में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव उसके विरुद्ध नहीं लाया जाएगा।

परन्तु और कि उप-मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर कर दिये जाने पर ऐसी नामंजूरी की तिथि से अगले एक वर्ष की कालावधि के भीतर उप-मुखिया के विरुद्ध नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अन्तिम छः माह के दौरान उप-मुखिया के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ग्राम पंचायत पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त के विचार में यदि कोई मुखिया अथवा उप-मुखिया बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जान-बूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इन्कार या उपेक्षा करने या उसमें निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो आयुक्त ऐसे मुखिया या उप-मुखिया को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे मुखिया या उप-मुखिया को उसके पद से हटा सकेगा।

इस प्रकार हटाया गया मुखिया या उप-मुखिया ऐसी ग्राम पंचायत में उसकी शेष पदावधि के दौरान मुखिया या उप-मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा,

(6) आयुक्त के आदेश के विरुद्ध सदस्य, राजस्व पर्षद् के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

19. ग्राम पंचायत के सदस्यों का त्याग-पत्र – ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया को स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकेगा और उसका पद ऐसे त्याग-पत्र की तिथि से सात दिन बीतने पर रिक्त हो जाएगा, बशर्ते कि उक्त सात दिन की अवधि के अन्तर्गत वह मुखिया को स्वयं लिखकर अपना ऐसा त्याग-पत्र वापस न ले ले।

20. ग्राम पंचायत की बैठक—(1) अपने कार्यों के निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक, मुखिया द्वारा यथा नियत तिथि एवं समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय में दो माह में कम-से-कम एक बार होगी।

(2) मुखिया, जब भी वह उचित समझे तब, और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर, किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा।

(3) साधारण बैठक के लिए पूरे सात दिनों की नोटिस तथा विशेष बैठक के लिए पूरे तीन दिनों की नोटिस, जिसमें ऐसी बैठक का स्थान, तिथि और समय तथा बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य निर्दिष्ट होंगे, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सदस्यों तथा सरकार द्वारा यथाविहित पदाधिकारियों को दी जाएगी और उसे ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर लगाया जाएगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जिन पदाधिकारियों को नोटिस दी जाए तथा संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार रखने वाले अन्य सरकारी पदाधिकारी ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक में तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें मत (वोट) देने का हक नहीं होगा।

(5) मुखिया यदि उप-धारा (2) में उपबंधित विशेष बैठक न बुलाये तो उप-मुखिया, या उसकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई सदस्य, उसके अधिक-से-अधिक पन्द्रह दिनों के अन्दर किसी दिन ऐसी बैठक बुला सकेंगे तथा ग्राम पंचायत सचिव से यह अपेक्षा करेंगे कि वह सदस्यों को इसकी नोटिस दे दे और बैठक बुलाने के लिए यथावश्यक कार्रवाई करे।

21. गणपूर्ति और प्रक्रिया (1) ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। किसी बैठक के लिए नियत समय पर यदि गणपूर्ति नहीं होती हो, या यदि बैठक आरम्भ हो जाए और गणपूर्ति की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए तो ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी एक घंटा तक प्रतीक्षा करेगा, और यदि उसके अन्दर भी गणपूर्ति नहीं होती है तो पीठासीन पदाधिकारी उस बैठक को अगले दिन या भविष्य की ऐसी तिथि एवं समय, जैसा वह नियत करे, के लिए स्थगित कर देगा। गणपूर्ति की कमी के चलते यदि ऐसी स्थगित बैठक में किसी विषय पर विचार नहीं हो पाता है तो उसे स्थगित बैठक या बैठकों के समक्ष रखा और निष्पादित किया जाएगा जिसके लिए उसी प्रकार कुल सदस्य संख्या की आधी गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(2) जबतक अन्यथा विशिष्ट रूप से उपबंधित न हो, सभी मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा किया जाएगा। यथास्थिति मुखिया या उप-मुखिया जो बैठक की अध्यक्षता करता हो, यदि वह मतदान से अपने आप को अलग नहीं रखता हो, किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या घोषित हो जाने के पहले अपना मत देगा और मतों की समानता की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत देगा।

(3) ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी विषय पर मतदान नहीं करेगा अथवा उसके विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि वह विषय, सर्वसाधारण के सामान्य प्रयोजन को छोड़कर, ऐसा हो जिसमें उसका आर्थिक या व्यक्तिगत हित संबद्ध हो और यदि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का ऐसा कोई हित हो तो वह विचारार्थ ऐसा विषय आने पर, बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा।

(4) यदि बैठक में उपस्थित किसी सदस्य को ऐसा विश्वास हो कि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का किसी विचारणीय विषय में कोई आर्थिक या व्यक्तिगत हित संबद्ध है और यदि उक्त आशय का प्रस्ताव लाया गया हो, तो वह ऐसे विचार विमर्श के दौरान बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा या मतदान नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य को ऐसे विचार-विमर्श के चलते रहने के दौरान बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना जा सकेगा।

22. ग्राम पंचायत के कार्य – सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्याधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करेगी :-

(i) सामान्य कार्य –

- (1) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना।
- (2) वार्षिक बजट तैयार करना।
- (3) प्राकृतिक संकट में साहाय्य कार्य करने की शक्ति।
- (4) लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना।
- (5) स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना।
- (6) गाँवों के अनिवार्य सांख्यिकी आँकड़ों का संधारण।

(ii) कृषि जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है

- (1) कृषि और बागवानी का विकास और उन्नति।
- (2) बंजर भूमि का विकास।
- (3) चारागाह का विकास और अनुरक्षण तथा उसके अप्राधिकृत हस्तांतरण और उपयोग का निवारण।

(iii) पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन

- (1) मवेशी की नस्ल, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्ल में सुधार।
- (2) गव्यशाला, कुक्कुटपालन और सुअरपालन को बढ़ाना।
- (3) चारागाह का विकास।

(iv) मत्स्यपालन – गाँवों में मत्स्यपालन का विकास

(v) सामाजिक और फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, ईंधन और चारा –

- (1) सड़कों के किनारे और अपने नियंत्रणाधीन अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण।
- (2) ईंधन के लिए वृक्षारोपण और चारा विकास।

- (3) फार्म वनोद्योग को बढ़ाना।
 - (4) सामाजिक वानिकी का विकास।
- (vi) खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग –
- (1) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ाना।
 - (2) ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए जागरूकता शिविर, विचारगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजन करना।
- (vii) ग्रामीण गृह निर्माण –
- (1) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर गृहस्थलों का वितरण।
 - (2) गृह-स्थलों एवं अन्य निजी और सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण।
- (viii) पेयजल –
- (1) पेयजल के कुओं, हौजों, जलाशयों और चापाकलों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण।
 - (2) जल प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण।
 - (3) ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं का अनुरक्षण।
- (ix) सड़क, भवन, पुलिया, सेतु, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार साधन –
- (1) ग्रामीण सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण और अनुरक्षण।
 - (2) अपने नियंत्रणाधीन या सरकार या किसी लोक प्राधिकार द्वारा अंतरित भवनों का अनुरक्षण।
 - (3) नौका, फेरी और जलमार्ग का अनुरक्षण।
- (x) सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने और उसके अनुरक्षण के लिए विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।
- (xi) गैर परम्परागत उर्जा स्रोत –
- (1) गैर परम्परागत उर्जा योजनाओं का उन्नयन एवं विकास।
 - (2) सामुदायिक गैर-परम्परागत उर्जा साधनों का अधिष्ठापन, विकास एवं अनुरक्षण।
 - (3) अन्य उर्जा-साधनों का प्रसार।
- (xii) गरीबी उपशमन कार्यक्रम–
- (1) पूर्ण नियोजन तथा उत्पादक आस्तियों आदि के सृजन के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रम में भाग लेना।

- (2) ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन लाभन्वित होने वाले व्यक्तियों का चयन ।
- (3) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सहयोग ।
- (xiii) शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा सहित –
- (1) लोगों में जागृति उत्पन्न करना और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता ।
- (2) प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं उनका प्रबंधन
- (xiv) वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा–
सर्व साक्षरता को बढ़ाना ।
- (xv) पुस्तकालय–
ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय
- (xvi) सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकलाप–
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकलापों को बढ़ाना ।
- (xvii) बाजार एवं मेले–
मेले (पशु मेले सहित) तथा पर्व-त्योहारों का संचालन एवं व्यवस्थापन ।
- (xviii) ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण –
- (1) सामान्य स्वच्छता का अनुरक्षण;
- (2) सार्वजनिक सड़कों, नालियों, तालाबों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई;
- (3) श्मशानों एवं कब्रगाहों का अनुरक्षण एवं संचालन;
- (4) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं अनुरक्षण;
- (5) लावारिस मानव एवं पशु के शवों का निपटान;
- (6) स्नान एवं कपड़ा धुलाई घाटों का प्रबंधन एवं नियंत्रण;
- (7) पर्यावरण का उन्नयन एवं उसके ह्रास का निवारण ।
- (xix) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण–
- (1) परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र;
- (2) महामारियों का निवारण एवं उसके उपचार के उपाय;
- (3) मांस, मछली तथा अन्य नष्ट होने वाली खाद्य सामग्रियों की बिक्री का विनियमन;
- (4) मानव एवं पशु के टीका कार्यक्रमों में सहभागिता;
- (5) खान-पान एवं मनोरंजन स्थापनाओं को अनुज्ञापन;
- (6) चमड़ा एवं खाल को कमाने, पकाने, और रंगने के कार्य का विनियमन;

- (7) आपत्तिजनक एवं खतरनाक कारोबार का विनियमन ।
- (xx) महिला एवं बाल विकास –
- (1) महिला एवं बाल-कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहभागिता;
 - (2) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमों का उन्नयन ।
- (xxi) शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण–
- (1) शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त, तथा असहाय व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहभागिता;
 - (2) वृद्धावस्था तथा विधवा-पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण ।
- (xxii) कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण–
- (1) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में जनजागृति बढ़ाना,
 - (2) कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहभागिता,
- (xxiii) जनवितरण प्रणाली–
- (1) आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में जन जागृति को बढ़ाना,
 - (2) जन वितरण प्रणाली का अनुश्रवण ।
- (xxiv) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण–
- (1) ग्राम पंचायत के सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण;
 - (2) अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण एवं अनुरक्षण ।
- (xxv) धर्मशालाओं, छात्रावासों और सदृश संस्थानों का निर्माण एवं अनुरक्षण ।
- (xxvi) खटालों, काँजी हाउस तथा टेला स्टैंड का निर्माण एवं अनुरक्षण ।
- (xxvii) कसाईखानों का निर्माण एवं अनुरक्षण ।
- (xxviii) सार्वजनिक पार्क, खेलकूद का मैदान आदि का अनुरक्षण ।
- (xxix) सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादानों की व्यवस्था ।
- (xxx) झोपड़ियों एवं शेडों का निर्माण एवं नियंत्रण, तथा
- (xxxi) ऐसे अन्य कार्य जो सौंपे जायें ।

23. ग्राम पंचायत के कार्यों का आवंटन– (1) सरकार अधिसूचना द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्ययधीन–

- (क) पंचायत क्षेत्र में अवस्थित वन का प्रबंधन और अनुरक्षण ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर सकेगी,
- (ख) पंचायत क्षेत्र में अवस्थित सरकारी परती जमीन, चारागाह या खाली पड़ी हुई जमीन का प्रबंधन ग्राम पंचायत को सौंप सकेगी।
- (ग) सरकार की ओर से भू-राजस्व वसूल करने तथा इससे संबंधित अभिलेखों के अनुरक्षण का कार्यक्रम पंचायत को सौंप सकेगी, तथा
- (घ) उसे ऐसे अन्य कार्य सौंप सकेगी जो विहित किये जायें,

परन्तु यह कि खण्ड (ग) के अधीन कोई भी सुपुर्दगी संबंधित ग्राम पंचायत की सहमति के बिना नहीं की जायेगी,

परन्तु यह और कि जब खंड (क) के अधीन किसी वन के प्रबंधन और अनुरक्षण का अंतरण किया जाय, तब सरकार यह निदेश देगी कि ऐसे प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित कोई रकम अथवा उस वन से आय के किसी पर्याप्त अंश को ग्राम पंचायत के जिम्मे दे दिया जाए।

(2) इस धारा के अधीन सौंपे गए कार्यों को सरकार अधिसूचना द्वारा उपान्तरित, परिवर्तित अथवा वापस कर सकेगी।

24. ग्राम पंचायत की सामान्य शक्तियाँ—किसी ग्राम पंचायत को खासकर सौंपे गए, अभ्यर्पित और प्रत्यायोजित कार्यों के निर्वहन के लिए पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अध्यादेश के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों के प्रयोग हेतु और एतद् संबंधी अन्य आनुषंगिक कार्य करने की शक्तियाँ होंगी।

25. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ— (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन करेगी —

(i) योजना, समन्वय एवं वित्त समिति धारा 22 में वर्णित विषयों सहित ग्राम पंचायत से संबंधित सामान्य कृत्यों के करने के लिए, अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय तथा अन्य समितियों के प्रभार में नहीं रहने वाले शेष कार्यों के सम्पादन के लिये

(ii) उत्पादन समिति — कृषि, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वानकी संबंधी प्रक्षेत्र, खादी, ग्राम या कुटीर उद्योग एवं गरीबी उपशमन संबंधी कार्यों को करने के लिए।

(iii) सामाजिक न्याय समिति जो निम्न कार्य सम्पन्न करेगी—

- (क) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों की उन्नति से संबंधित कार्य, एवं
- (ख) ऐसी जातियों और वर्गों को सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने संबंधी कार्य,
- (ग) महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण।

(iv) शिक्षा समिति – प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों से संबंधित कार्यों को करने के लिए।

(v) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति – लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्यों को करने के लिए।

(vi) लोक निर्माण समिति – ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोतों, सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं संबंधित कार्यों सहित सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्यों को करने के लिए।

(2) प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कम-से-कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे। प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु विशेषज्ञों एवं जनहित से प्रेरित व्यक्तियों में से अधिक से अधिक दो सदस्यों को सहयोजित (कोऑप्ट) कर सकेगी।

(3) योजना, समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा और वह निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष नामित करेगा। योजना, समन्वय एवं वित्त समिति सहित तीन से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार मुखिया नहीं रखेगा,

परन्तु यह कि प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी और यह कि सामाजिक न्याय समिति का एक सदस्य उपलब्धता के अधीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा।

(4) जहाँ तक सम्भव हो, ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य तीन समितियों से अधिक में नहीं रहेगा।

(5) पंचायत सचिव योजना, समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होगा। जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, अन्य स्थायी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित करेगा।

(6) ग्राम पंचायत के सामान्य मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, एवं नियंत्रण के अधीन स्थायी समितियां उपर्युक्त कार्यों को करेंगी।

26. ग्राम पंचायत की संपत्ति और निधि- (1) ग्राम पंचायत को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटान की तथा उसकी संविदा करने की शक्ति होगी,

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अचल संपत्ति के निपटान के सभी मामलो में उसे सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य ग्राम पंचायत की संपत्ति या उनके द्वारा अनुरक्षित संपत्ति को छोड़कर इस धारा में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उस प्रकार की सभी संपत्ति, ग्राम पंचायत में निहित हो जायेगी और उसकी हो जायेगी, तथा जिस किसी भी स्वरूप या प्रकार की सभी अन्य संपत्तियां जो ग्राम पंचायत में निहित हो जायें वह उसके निदेश, प्रबंधन एवं नियंत्रण के अधीन होगी, अर्थात् –

(क) सभी सामान्य सम्पत्तियां,

(ख) सभी सार्वजनिक गलियां, जिनमें मिट्टी, पत्थर और अन्य सामग्रियां सम्मिलित हों और सभी नालियों, पुल, पुलिया, वृक्ष, निर्माण सामग्रियां, औजार और अन्य वस्तुएं जो ऐसी गलियों के लिए उपबंधित हों।

(ग) ग्राम पंचायत या अन्यथा के खर्चे पर बनाये गये या नीव डाले गये या स्थापित सभी सार्वजनिक नाले, जलशरनियां, सोते, कुआं, तालाब, घाट, जलाशय, हौज, जलसेतु वाहकनाली, सुरंग, पाईप, पम्प और अन्य जन-निर्माण तथा सभी पुल, भवन, इंजन, निर्माण, सामग्रियां और उससे जुड़ी हुई संबद्ध वस्तुएं एवं किसी तालाब से जुड़ी हुई या उससे सटी हुई भूमि (जो निजी संपत्ति नहीं हो):

परन्तु यह कि किसी मिल, कारखाना, उद्योग, कर्मशाला या इसके सदृश्य के स्वामियों द्वारा मुख्यतः अपने कर्मचारियों के उपयोग के लिए ग्राम पंचायत की सहमति से जल, नल और जल निर्माण से जुड़ हुए या उससे संबद्ध किसी गली में स्थापित किए गए हों, को जनसाधारण द्वारा उपयोग किये जाने के कारण सार्वजनिक लोक जल निर्माण नहीं माना जायेगा।

(घ) सभी सार्वजनिक मल प्रणाली और नालियां और उससे जुड़ी सभी निर्माण सामग्रियां एवं वस्तुएं और अन्य मलवाहन निर्माण।

परन्तु यह कि ऐसी मल प्रणाली और नालियों को विस्तृत करने, गहरा करने या अन्यथा मरम्मत करने या बनाये रखने के प्रयोजनार्थ उसमें जुड़ी उपमृदा ग्राम पंचायत में निहित मानी जायेंगी,

(ङ) ग्राम पंचायत द्वारा गलियों, शौचालयों, मूत्रालयों, मलप्रणालों, चहबच्चों और अन्य स्थानों से एकत्रित या गलियों में जमा किये गये सभी मल, कूड़ा-करकट और हानिकारक वस्तुएं;

(च) सभी सार्वजनिक बतियां, बती के खंभे और उससे संबद्ध या जुड़े उपकरण, और

(छ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सभी भवन एवं केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित सभी भूमि एवं भवन अथवा स्थानीय लोगों के प्रयोजनार्थ दान, खरीद या अन्यथा अर्जित सभी जमीन, भवन या सम्पत्ति ।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या इस अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा के प्रवर्तन से, किसी गली, पुल अथवा नाली को विमुक्त कर सकेगी;

परन्तु यह कि यदि निर्माण की संरचना खर्च का भुगतान ग्राम पंचायत की निधि से किया गया हो, तो ऐसे निर्माण को, इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा के प्रवर्तन से विमुक्त नहीं किया जा सकेगा, जबतक कि किसी बैठक में ग्राम पंचायत के मंतव्य पर विचार नहीं कर लिया जाए ।

(4) सरकार किसी ग्राम पंचायत को, इसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अवस्थित कोई सार्वजनिक संपत्ति आवंटित कर सकेगी और तब ऐसी सम्पत्ति, ग्राम पंचायत के नियंत्रणाधीन हो जाएगी ।

(5) प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के नाम से एक ग्राम पंचायत निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नांकित जमा किए जायेंगे :-

- (क) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान यदि कोई हो;
- (ख) जिला परिषद्, पंचायत समिति या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान, यदि कोई हो;
- (ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया ऋण, यदि कोई हो;
- (घ) अपने द्वारा कर, दर और फीस के मद में वसूली गई सभी प्राप्तियां;
- (ङ) ग्राम पंचायत के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रखे गये या इसके द्वारा निर्मित तथा इसमें निहित किसी भी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्था अथवा निर्माणों से संबंधित सभी प्राप्तियां;
- (च) ग्राम पंचायत के पक्ष में किसी न्यास अथवा धर्मस्व से होने वाली समस्त आय और दान एवं अंशदान के रूप में प्राप्त की गई सारी राशियां ;
- (छ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगाए गए, और वसूल किए गए यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने एवं शास्तियां ; और
- (ज) ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की जाने वाली अन्य राशियां ।

(6) प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसी राशि अलग रखेगी, और उनका उपयोग वार्षिक तौर पर करेगी,

- (क) इसके अपने प्रशासन का खर्च, जिसमें इसके पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा सचिव के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि एवं उपादान का भुगतान शामिल है।
- (ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऐसी राशि के व्यय की शक्ति होगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए यथोचित समझे।
- (ग) ग्राम पंचायत निधि ग्राम पंचायत में निहित होगी और निधि की जमा राशि यथा विहित विनिर्दिष्ट अभिरक्षा में रखी जायेगी।

27 ग्राम पंचायत द्वारा करारोपण—(1) इसके निमित्त यथा निर्मित्त नियमों तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम दर के अध्यक्षीन, ग्राम पंचायत वार्षिक कर निम्नलिखित रूप से लगा सकेगी –

- (क) होल्डिंग के दखलकार पर कर;
- (ख) अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत चलाये जानेवाले या स्थित व्यवसायों, व्यापारों, पेशों, नियोजनों पर ऐसे व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और नियोजनों से प्राप्त होने वाले कुल वार्षिक आय के आधार पर कर।

(2) सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट अधिकतम दर के अध्यक्षीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित फीस और दर की उगाही कर सकेगी यथा –

- (क) ऐसे वाहनों के निबंधन पर फीस जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबंधित न हो;
- (ख) अधिसूचना के जरिये सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पड़ने वाले तीर्थ स्थानों, हाटों एवं मेलों एवं जन उपयोग में स्वच्छता साधनों के प्रबंधन पर शुल्क;
- (ग) ग्राम पंचायत द्वारा जहां अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पीने, सिंचाई अथवा अन्य प्रयोजनों के निमित्त जल की आपूर्ति की व्यवस्था की जाये, वहां जलकर;
- (घ) ग्राम पंचायत द्वारा अथवा उसकी ओर से जहां अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सार्वजनिक गलियों और स्थानों में प्रकाश का प्रबन्ध किया जाये, वहाँ प्रकाश शुल्क;
- (ङ) ग्राम पंचायत द्वारा उसकी ओर से जहां अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निजी शौचालयों, मूत्रालयों और चहबच्चों की सफाई का प्रबंध किया जाये, वहां स्वच्छता कर।

28 पंचायतों को वित्तीय सहायता— इस धारा के उपबंधों के अधीन, इसके निमित्त विधि द्वारा विनियोग के पश्चात् प्रत्येक पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गठित राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृत कर अधिसूचित कर दिया हो, राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त कर सके।

29 ग्राम पंचायत का बजट— प्रत्येक ग्राम पंचायत, यथा विनिर्दिष्ट समय और रीति से प्रत्येक वर्ष जो राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष के अनुरूप होगा, आगामी वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियों और संवितरणों का एक बजट तैयार करेगी और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इसे अनुमोदित करायेगी। वैसी बैठक के लिए कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम में गणपूर्ति नहीं होगी।

30 लेखा— प्रत्येक ग्राम पंचायत का आय-व्यय लेखा, विहित प्रपत्र (फॉर्म) में तथा विहित रीति से रखा जाएगा।

31 संपरीक्षा—(1) किसी भी ग्राम पंचायत के लेखा की संपरीक्षा सरकार द्वारा यथा विहित प्राधिकारी के द्वारा सम्पादित की जाएगी और संपरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संपरीक्षा की समाप्ति के एक माह के भीतर ग्राम पंचायत को अग्रसारित कर दी जाएगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, ग्राम पंचायत या तो संपरीक्षा में बतायी गई त्रुटियों अथवा अनियमितताओं का समाधान करेगी एवं पंचायत समिति को इसे भेजेगी तथा तीन माह के भीतर की गई या की जानेवाली कार्रवाई की सूचना देगी अथवा, उक्त अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी को उन त्रुटियों अथवा अनियमितताओं के संबंध में यदि कोई और स्पष्टीकरण वह देना चाहे तो दे सकेगी।

(3) उपधारा (1) में वर्णित विहित पदाधिकारी द्वारा संपरीक्षा के अलावे ग्राम पंचायत की समवर्ती संपरीक्षा या विशेष संपरीक्षा इस निमित्त विहित रीति से करायी जा सकेगी।

32 ग्राम पंचायत का स्टाफ—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव होगा, जो ऐसी रीति से नियुक्त किया जायगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के कार्यालय का प्रभारी होगा और उसके सभी कर्तव्यों का निष्पादन करेगा तथा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन निर्मित किसी नियमावली या उप-विधि

या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम अथवा नियमावली के अन्तर्गत या उसके द्वारा प्रदत्त अथवा अधिरोपित सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(3) इस बाबत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन, कोई ग्राम पंचायत अपने कार्यों के संचालन के लिए समय-समय पर उतनी संख्या में भुगतान के आधार पर या अवैतनिक कर्मचारियों या व्यवसायिकों की सेवा ले सकेगी जितनी कि अपेक्षित हो ।

33 ग्राम रक्षा दल का गठन- सामान्य पहरा तथा निगरानी एवं आकस्मिक घटनाओं यथा अगलगी, बाढ़, बाँध में दरार, पुल का टूटना, महामारी का फैलना तथा चोरी या डकैती आदि का सामना करने, सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों को संपादित करने तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए विहित रीति से नियुक्त एक दलपति के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत एक ग्राम रक्षा दल गठित किया जा सकेगा और ग्राम के 18 से 30 वर्ष के बीच के शारीरिक रूप से सभी योग्य व्यक्ति उक्त दल के सदस्य होंगे । ग्राम रक्षा दल के गठन, कर्तव्य एवं उपयोग के लिए सरकार नियम बना सकेगी ।

अध्याय – IV

पंचायत समिति

34. पंचायत समिति का गठन—(1) प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, जिसकी अधिकारिता, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सम्पूर्ण प्रखंड तक होगी, किन्तु इसमें प्रखंड के वे भाग शामिल नहीं होंगे जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगरपालिका या छावनी पर्वद् के प्राधिकार में या इसके अधीन सम्मिलित हों ।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति अपनी पंचायत समिति के नाम से एक निगमित निकाय होगी और इसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं इसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा ऐसे प्रतिबंधों के अधीन जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा अधिरोपित हों, उसमें अपने निगमित नाम से वाद चलाने या उस पर वाद चलाए जाने की अथवा उसके प्राधिकार क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर या उसके बाहर के क्षेत्र में चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण और अन्तरण करने अथवा संविदाएं करने की और जिस निमित्त इसका गठन किया गया हो, उसके प्रयोजनार्थ आवश्यक, समुचित और समीचीन सभी कार्य करने की शक्ति निहित होगी ।

(35) प्रखण्डों की घोषणा — इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना निकालकर जिला के किसी क्षेत्र को प्रखण्ड घोषित कर सकेगी और उस प्रखण्ड का नामकरण कर सकेगी; तथा

(क) उस जिला के किसी क्षेत्र को इस प्रकार घोषित प्रखण्ड में शामिल कर सकेगी ।

(ख) ऐसे किसी प्रखण्ड से किसी क्षेत्र को अलग कर सकेगी ; या

(ग) एक ही जिला के किसी प्रखण्ड के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे प्रखण्ड में अंतरित कर सकेगी :

36. पंचायत समिति की संरचना—(1) पंचायत समिति की संरचना निम्नलिखित रूप से होगी –

(क) इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य,

(ख) पंचायत समिति के अन्तर्गत पूर्णतः या अंशतः पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्य;

(ग) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के वैसे सदस्य जो पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों ;

(घ) पंचायत समिति क्षेत्र में पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया।

(2) पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को समिति की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा, परन्तु प्रमुख एवं उप-प्रमुख के निर्वाचन और हटाए जाने के विषय में उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित सदस्यों को ही मत देने का अधिकार होगा।

37. निर्वाचित सदस्य—(1) पंचायत समिति के उतने निर्वाचित सदस्य होंगे जितनी संख्या समय-समय पर जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जा सकेगी और ऐसा प्रत्येक सदस्य पंचायत समिति क्षेत्र की यथा संभव पाँच हजार की जनसंख्या के निकटतम का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) निर्वाचन की सुविधा की दृष्टि से, जिला दंडाधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस वावत यथा विहित नियमों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में पंचायत समिति के क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त करेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य, सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र में एक ही हो।

(3) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य विहित रीति से सीधे निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

38. स्थानों का आरक्षण—(1) प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत समिति के सदस्य के कुल स्थानों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे:—

(क) अनुसूचित जाति

(ख) अनुसूचित जनजाति, और

(ग) पिछड़े वर्ग।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत समिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थान का यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी पंचायत

समिति में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात् पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या यथाशक्य कुल स्थानों के बीस प्रतिशत से अनधिक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को मिलाकर कुल पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किया जायेगा। ऐसे स्थान उत्तरवर्ती निर्वाचनों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में तथा उसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किए गए हैं उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान पंचायत समिति में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उपधारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा।

39. **पंचायत समिति की कार्यावधि—(1)** इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित को छोड़कर प्रत्येक पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले पांच वर्षों तक की होगी, इससे अधिक की नहीं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किए गए संशोधन से पंचायत समिति, जो ऐसे संशोधन के तुरंत पहले से कार्य कर रही हो, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक विघटित नहीं होगी।

(3) पंचायत समिति के गठन हेतु निर्वाचन कार्य निम्नलिखित रूप में पूरा किया जायेगा—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट इसकी कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) विघटन की स्थिति में, ऐसे विघटन की तिथि से छः महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व;

परन्तु जहाँ ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए उक्त विघटित पंचायत समिति बनी रहती, छः महीने से कम हो, तो ऐसी अवधि के लिए पंचायत समिति के गठन के लिए इस खंड के अधीन किसी प्रकार का निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) यदि किसी पंचायत समिति की कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व उसे विघटित कर किसी पंचायत समिति का गठन किया जाता है तो उक्त गठित पंचायत समिति विघटित पंचायत समिति की उस शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी जबतक कि वह उप-धारा (1) के अधीन कार्यरत रहती यदि उसे विघटित नहीं किया गया होता।

40. प्रमुख और उप-प्रमुख का निर्वाचन—(1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निदेश के अधीन :

(क) धारा-36 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, यथासंभव शीघ्र, अपने बीच से दो सदस्यों को क्रमशः प्रमुख और उप-प्रमुख चुनेंगे;

(ख) और यदि प्रमुख और उप-प्रमुख के पद बाद में रिक्त हो जाएं तो वे यथास्थिति, अपने में से अन्य सदस्य को प्रमुख अथवा उप-प्रमुख चुनेंगे:

परन्तु यह कि ऐसा चुनाव नहीं किया जायेगा यदि रिक्ति एक माह से कम अवधि के लिए हो।

(2) **स्थान का आरक्षण** — प्रमुख के पद के लिए प्रत्येक जिला में प्रमुख के कुल पदों के यथाशक्य पचास प्रतिशत के निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे:—

- (क) अनुसूचित जाति;
(ख) अनुसूचित जनजाति ;और
(ग) पिछड़े वर्ग ।

प्रत्येक जिले के अन्तर्गत प्रमुख के पद के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जिला में प्रमुख के स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस जिला में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी जिला में भिन्न-भिन्न पंचायत समितियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण तथा इसके द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुख के स्थानों के आरक्षण के पश्चात् पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या कुल पदों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी तथा इन स्थानों को जिले की शेष पंचायत समितियों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा। ऐसे स्थान उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में इसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न पंचायत समितियों को आवंटित किए जाएंगे ।

(ii) उपधारा (1) के अधीन प्रमुख के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे ।

(iii) प्रमुख के जो स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किए गए हैं उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे ।

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित प्रमुख के ऐसे स्थान जिले में भिन्न-भिन्न पंचायत समितियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथाविहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा।

(3) पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पंचायत समिति के सदस्य के रूप में उसकी पदावधि की समाप्ति पर खत्म हो जाएगी।

(4) प्रमुख और उप-प्रमुख का चुनाव, उपर्युक्त पदों की रिक्तियों को भरने और ऐसे चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित नियमों अथवा प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

41. प्रमुख, उप-प्रमुख और अन्य सदस्यों को भत्ते – पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख और अन्य सदस्य, यथाविहित बैठक-शुल्क और भत्ते पाने के हकदार होंगे।

42. प्रमुख की शक्ति, कार्य और दायित्व

प्रमुख—

(क) पंचायत समिति की बैठक का आयोजन और अध्यक्षता तथा उसका संचालन करेगा,

(ख) पंचायत समिति या स्थायी समितियों के वैसे संकल्पों या निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यपालक पदाधिकारी पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा जो इस अध्यादेश के उपबंध अथवा इस अध्यादेश के अधीन निर्गत सामान्य या विशेष निदेशों से असंगत न हों।

(ग) पंचायत समिति की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा और उससे संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को पंचायत समिति के समक्ष रखेगा जिसके संबंध में इसे ऐसा लगे कि उस पर पंचायत समिति का आदेश आवश्यक है और इस प्रयोजनार्थ पंचायत समिति के अभिलेखों की मांग कर सकेगा; और

(घ) पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जन-जीवन को तत्काल राहत देने के प्रयोजनार्थ उसे एक वर्ष में कुल पच्चीस हजार रुपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगी:

परन्तु पंचायत समिति की अगली बैठक में प्रमुख ऐसी स्वीकृति का ब्यौरा पंचायत समिति की स्वीकृति हेतु रखेगा।

43. उप-प्रमुख के शक्तियां, कार्य और दायित्व- किसी पंचायत समिति का उप-प्रमुख-

(क) प्रमुख की अनुपस्थिति में पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) वह एतदर्थ सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के अध्यक्षीन पंचायत समिति के प्रमुख के रूप में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो प्रमुख के लिखित आदेश के द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जायें; और

(ग) प्रमुख का निर्वाचन लंबित रहने या पंचायत क्षेत्र से प्रमुख की अनुपस्थिति के दौरान अथवा पन्द्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रमुख के अवकाश पर रहने की स्थिति में, प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा;

परन्तु, जैसे ही प्रमुख अनुपस्थिति से वापस लौटेगा, वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग पुनः प्राप्त कर लेगा तथा प्रमुख के सभी कार्यों का संपादन एवं कर्तव्यों का निर्वहन आरंभ कर देगा।

44. प्रमुख और उप-प्रमुख का त्याग-पत्र और हटाया जाना- (1) प्रमुख किसी भी समय

अपने पद से अनुमंडल दंडाधिकारी और उप-प्रमुख किसी भी समय प्रमुख या उसकी अनुपस्थिति में अनुमंडल दंडाधिकारी को संबोधित कर स्वलिखित त्याग-पत्र दे सकेगा और त्याग पत्र दिये जाने की तिथि के सातवें दिन से उक्त पद रिक्त माना जायेगा जबतक कि उल्लिखित सात दिनों की अवधि के भीतर वह त्याग पत्र यथास्थिति अनुमंडल दंडाधिकारी या प्रमुख को संबोधित, स्वलिखित आवेदन द्वारा वापस न ले लिया जाये।

(2) यदि प्रमुख या उप-प्रमुख पंचायत समिति का सदस्य नहीं रह जाता हो, तो वह पद छोड़ देगा।

(3) पंचायत समिति का प्रमुख / उप-प्रमुख अपने पद से तत्काल ही मुक्त समझा जायेगा, यदि उक्त प्रयोजन के लिए विशेष रूप से आहूत की गई किसी बैठक में पंचायत समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा उनके प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव पारित किया जाये।

ऐसी विशेष बैठक पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रमुख को संबोधित लिखित अधियाचना पर बुलायी जायेगी जिसकी प्रति पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को भी दी जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी अविलंब उक्त अधियाचना से प्रमुख को अवगत करायेगा। प्रमुख ऐसी

अधियाचना की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर उक्त बैठक आयोजित करेगा । यदि प्रमुख निर्धारित तिथि पर विशेष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो उप-प्रमुख या सीधे निर्वाचित कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य उक्त बैठक हेतु किसी तिथि का निर्धारण कर सकेंगे एवं बैठक हेतु सदस्यों को सूचना निर्गत करने एवं कार्रवाई करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी से अपेक्षा कर सकेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी निश्चित रूप से वैसी सूचना ससमय निर्गत करेगे एवं बैठक आहूत करेंगे । एक बार बैठक हेतु निर्गत नोटिस के बाद निर्धारित बैठक स्थगित नहीं की जा सकेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु आहूत विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

(ii) प्रमुख /उप-प्रमुख के विरुद्ध उनकी पदावधि के प्रथम दो वर्ष की कालावधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा ।

(iii) यदि प्रमुख या उप-प्रमुख या दोनों के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर हो जाए, तो ऐसे प्रस्ताव के नामंजूर किए जाने की तिथि के एक वर्ष की कालावधि के भीतर, यथास्थिति प्रमुख, उप-प्रमुख या दोनों के विरुद्ध कोई नया अविश्वास प्रस्ताव पंचायत समिति के समक्ष नहीं लाया जायेगा ।

(iv) इस अधिनियम की धारा 39(1) में उल्लिखित पंचायत समिति की कार्यावधि के अंतिम के छः माह के दौरान, यथास्थिति, प्रमुख या उप-प्रमुख या दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा ।

(v) प्रमुख/उप-प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बुलाई गयी बैठक की सूचना में उन कारणों / आरोपों का, जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।

(vi) जैसे ही इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक प्रारम्भ होगी , बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गयी हो और उस पर विचार-विमर्श करने की घोषणा करेगा। इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर कोई भी विचार –विमर्श स्थगित नहीं किया जायेगा ।

(vii) विचार-विमर्श के दौरान जिस प्रमुख/उप-प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसे पंचायत समिति के समक्ष अपनी सफाई के लिए अवसर दिया जायेगा। विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव उसी दिन मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जो गुप्त मतदान द्वारा विहित रीति से होगा ।

(viii) प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास लाये जाने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता उप-प्रमुख द्वारा, उप-प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता प्रमुख द्वारा एवं प्रमुख तथा उप-प्रमुख दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति के निर्वाचित तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच से निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा की जायेगी ।

अगर उप-प्रमुख का पद रिक्त हो या वे प्रमुख के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव हेतु आहूत बैठक से अनुपस्थित रहते हों या प्रमुख का पद रिक्त हो या वे उप-प्रमुख के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव हेतु आहूत बैठक से अनुपस्थित रहते हों, तब, बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति के निर्वाचित तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच से निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा की जायेगी ।

(4) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पंचायत समिति का कोई प्रमुख /उप-प्रमुख यदि बिना पर्याप्त कारण स्पष्ट किये तीन लगातार बैठक से अनुपस्थित रहता हो या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन जानबूझ कर नहीं करता हो या करने से इनकार करता हो या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता हो या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता हो या शारीरिक /मानसिक तौर पर कर्तव्य निर्वहन के अयोग्य हो या आपराधिक कांड में छः माह से अधिक अवधि तक फरार हो, तब, आयुक्त, यथास्थिति प्रमुख/उप-प्रमुख को स्पष्टीकरण देने हेतु युक्तियुक्त अवसर देकर आदेश द्वारा प्रमुख/उप-प्रमुख को उनके पद से हटा सकेगा ।

इस प्रकार हटाया गया प्रमुख/उप-प्रमुख ऐसी पंचायत समिति की शेष अवधि के दौरान प्रमुख/उप-प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील सदस्य, राजस्व पर्षद् के समक्ष की जा सकेगी।

(5) उप-धारा (4) के तहत पद से हटाये गये प्रमुख/उप-प्रमुख को पंचायत समिति की सदस्यता से भी सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

45. **सदस्य का त्याग पत्र** – पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति के प्रमुख को सम्बोधित स्वलिखित आवेदन द्वारा अपनी सदस्यता त्याग सकता है और उसका पद उनके त्याग पत्र देने के पूरे सात दिनों के बाद रिक्त माना जायेगा बशर्ते कि वह अपना त्याग पत्र निर्धारित सात दिनों की अवधि के भीतर प्रमुख को संबोधित स्वलिखित आवेदन द्वारा वापस न ले ले ।

46. पंचायत समिति की बैठक –(1) पंचायत समिति दो माह में कम-से-कम एकबार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करेगी (जो इस धारा में इसके बाद साधारण बैठक कही जायेगी) और निम्नलिखित उपधाराओं के उपबंधों के अधीन इसकी बैठकों की तिथि, समय, सूचना, प्रबंधन और स्थगन के संबंध में तथा सामान्यतः उससे संबंधित कार्यसंव्यवहार के संबंध में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुरूप विनियम बनायेगी।

(2) पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक साधारणतः पंचायत समिति के मुख्यालय में की जायेगी।

(3) गठन के बाद पंचायत समिति की पहली बैठक की तारीख अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा तय की जायेगी जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा और प्रत्येक पश्चातवर्ती साधारण बैठक की तारीख पंचायत समिति की पूर्व की बैठक में तय की जायेगी। परन्तु प्रमुख, पर्याप्त कारणों से बैठक की तारीख को बदलकर बाद की तारीख को रख सकेगा। प्रमुख, जब कभी वह उचित समझे और सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई से अन्यून सदस्यों के लिखित निवेदन पर और ऐसे निवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिनों के भीतर पड़नेवाली तारीख को विशेष बैठक बुला सकेगा। ऐसे निवेदन में उद्देश्य विनिर्दिष्ट रहेगा जिसके लिए बैठक बुलाने का प्रस्ताव हो। यदि प्रमुख विशेष बैठक नहीं बुला पाता हो तो उप-प्रमुख या सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई सदस्य ऐसे निवेदन के उपस्थापन के पन्द्रह दिनों की अनधिक अवधि के भीतर किसी दिन विशेष बैठक बुला सकेगा और कार्यपालक पदाधिकारी से सदस्यों को नोटिस देने तथा बैठक आयोजित करने के लिए यथावश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) साधारण बैठक के लिए पूरे दस दिनों की नोटिस और विशेष बैठक के लिए पूरे सात दिनों की नोटिस, जिसमें ऐसी बैठक का समय और सम्पादित किये जाने वाले कार्य विनिर्दिष्ट रहेंगे, सदस्यों के पास भेज दी जायेगी और पंचायत समिति के कार्यालय में चिपका दी जायेगी। विशेष बैठक की दशा में ऐसी नोटिस में ऐसी बैठक के लिए किये गये लिखित निवेदन में उल्लिखित प्रस्ताव या उसमें प्रतिपादित होने वाले विषय शामिल रहेंगे।

(5) पंचायत समिति के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों की उपस्थिति से पंचायत समिति की बैठक में कार्य-संव्यवहार के लिए कोरम बनेगा। यदि बैठक के लिए नियत समय में कोरम पूरा नहीं हो तो सभापतित्व करनेवाला व्यक्ति एक घंटा तक प्रतीक्षा करेगा और यदि ऐसी अवधि के भीतर कोरम पूरा हो जाये तो बैठक चलेगी, किन्तु यदि ऐसी अवधि के भीतर कोरम पूरा नहीं हो तो सभापतित्व करने वाला व्यक्ति अगले दिन के किसी ऐसे समय के लिए बैठक स्थगित कर देगा जैसा वह नियत करे। वह इस प्रकार बैठक आरम्भ होने के बाद किसी भी समय बैठक

स्थगित कर सकेगा, यदि उसका ध्यान कोरम के अभाव की ओर आकृष्ट किया जाये। ऐसी स्थगित बैठकों में कुल सदस्य संख्या के पाँचवें भाग से बना कोरम अपेक्षित होगा तथा उस कार्य का संव्यवहार किया जायेगा जो मूल बैठक में संपादनार्थ लाया जाता ।

(6) प्रत्येक बैठक का सभापतित्व प्रमुख द्वारा किया जायेगा या यदि प्रमुख अनुपस्थित हो तो उपप्रमुख द्वारा और यदि दोनों अनुपस्थित हो या यदि प्रमुख अनुपस्थित हो और उप-प्रमुख नहीं हो तो उपस्थित सदस्यों द्वारा सभापतित्व करने के लिए अपने बीच से एक का चयन कर लिया जाएगा ।

(7) सभी विवादों का निर्णय जबतक अन्यथा विशेष रूप से उपबंधित नहीं हो तो उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान के द्वारा किया जायेगा । सभापतित्व करनेवाला सदस्य, जब तक वह मतदान करने से विरत न हो जाये, किसी विवाद के पक्ष या विपक्ष में मतों की संख्या घोषित किये जाने के पहले मतदान करेगा और मत बराबर होने की दशा में अपना निर्णायक मत देगा ।

(8) पंचायत समिति का कोई भी सदस्य पंचायत समिति या किसी भी समिति की बैठक में विचारार्थ आये हुए ऐसे प्रश्न पर मत नहीं देगा या उसके विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि उस प्रश्न में जनसाधारण के सामान्य प्रयोजन के अलावा उसका कोई प्रत्यक्ष आर्थिक या निजी हित निहित हो तथा अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का कोई हित निहित हो तो वह ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जब वह विषय विचारार्थ रखा जाए ।

(9) यदि बैठक में उपस्थित किसी सदस्य को ऐसा विश्वास हो कि विमर्शाधीन किसी मामले में सभापतित्व करनेवाले का ऐसा कोई आर्थिक या निजी हित है और यदि उस आशय का प्रस्ताव पारित हो तो वह ऐसे विमर्श के दौरान बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा, या मत नहीं देगा या उसमें भाग नहीं लेगा । पंचायत समिति का कोई भी अन्य सदस्य ऐसे विमर्श के चलते रहने के दौरान बैठक का सभापतित्व करने के लिए चुना जा सकेगा ।

(10) किसी भी साधारण बैठक में किसी प्रस्ताव पर तबतक विमर्श नहीं किया जायेगा जबतक ऐसी बैठक आयोजित करने हेतु दी जानेवाली नोटिस में अथवा विशेष बैठक की दशा में ऐसी बैठक के लिए किये गये लिखित निवेदन में उसे दर्ज नहीं किया गया हो । कोई भी सदस्य कार्य-सूची में सम्मिलित विषयों से संबद्ध या अनुषंगी प्रस्ताव रख सकेगा । प्रमुख कार्य-सूची में सम्मिलित न होने पर भी या दैनन्दिनी स्वरूप के किसी भी अत्यावश्यक विषय का प्रस्ताव रख सकेगा, यदि कोई भी सदस्य उस पर आपत्ति न उठाये । प्रस्ताव या विचारणीय विषय की दशा में, उप-धारा(12) की अनुरूपता के सिवाय, उसके पारित किये जाने के बाद तीन महीने के भीतर प्रस्ताव को उपांतरित या रद्द करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी । ऐसा कोई कार्य या प्रस्ताव ऐसी

बैठक में किस क्रम से प्रस्तुत किया जाये उसे सभापतित्व करने वाले प्राधिकार द्वारा अवधारित किया जायेगा । जब किसी सदस्य द्वारा खास प्रस्ताव देने का प्रस्ताव किया जाये तो वैसी स्थिति में उस प्रस्ताव को बैठक में रखेगा और प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में दिये गये बहुमत द्वारा यह प्रस्ताव निर्देशित होगा ।

(11) कोई भी साधारण बैठक, उपस्थित बहुमत सदस्यों की सहमति से, समय-समय पर स्थगित की जा सकेगी, किन्तु ऐसी स्थगित बैठक में अनिष्पादित या छोड़े गये कार्य से भिन्न कार्य का संव्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(12) पंचायत समिति के किसी भी प्रस्ताव को उसके पारित किये जाने के छह महीने के भीतर उपांतरित या रद्द तबतक नहीं किया जायेगा जब तक साधारण या विशेष बैठक में सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या से अन्यून द्वारा संकल्प पारित न किया जाये, जिसकी सूचना उप-धारा (4) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए और उस प्रस्ताव को, जिसे उस बैठक में पूर्णतः उपांतरित या रद्द करने का प्रस्ताव हो उसे उपवर्णित करते हुए न दी गई हो ।

(13) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही बैठक के विमर्श के तुरंत बाद कार्यवृत्त बही में दर्ज की जायेगी और बैठक का सभापतित्व करनेवाले प्राधिकार द्वारा पढ़ लिये जाने के बाद उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा । पंचायत समिति के निर्णय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पंचायत समिति की अगली बैठक में की जायेगी । कार्यवृत्त पंजी सदैव पंचायत समिति के कार्यालय में रखी जायेगी । कार्यपालक पदाधिकारी कार्यवृत्त पंजी का अभिरक्षक होगा ।

(14) पंचायत समिति अपनी बैठकों में सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगी । यदि पंचायत समिति को ऐसा प्रतीत हो कि जिला के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता रखनेवाला कोई सरकारी पदाधिकारी जो पंचायत समिति के अधीन कार्यरत न हो और पंचायत समिति की बैठक में उसकी उपस्थिति वांछनीय है, तो कार्यपालक पदाधिकारी, आशयित बैठक की तिथि से कम-से-कम पन्द्रह दिन पहले ऐसे पदाधिकारी को सम्बोधित पत्र के द्वारा उस पदाधिकारी से बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध करेगा और वह बीमारी या अन्य युक्तियुक्त कारण से उपस्थित होने में यदि असमर्थ न हो तो बैठक में उपस्थित होगा :

परन्तु यह कि ऐसा पदाधिकारी पत्र प्राप्त होने पर यदि वह उपर्युक्त कारणों से स्वयं बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो तो अपने उपपदीय पदाधिकारी या अन्य सक्षम अधीनस्थ पदाधिकारी को उस बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुदेश देगा ।

47. पंचायत समिति के कार्य एवं शक्तियां – (1) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन पंचायत समिति निम्नलिखित कार्यों को करेगी –

(i) इस अधिनियम के द्वारा सौंपी गई तथा सरकार या जिला परिषद् द्वारा इसे सौंपी गई स्कीमों की वार्षिक योजनाएं बनाना तथा जिला योजना में सम्मिलित करने हेतु विहित समय के अन्दर उन्हें जिला परिषद् में प्रस्तुत करना ;

(ii) सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर समिति में विचार-विमर्श एवं समेकन करना तथा समेकित योजना को जिला परिषद् में प्रस्तुत करना ;

(iii) पंचायत समिति का वार्षिक बजट बनाना तथा समेकित योजना को जिला परिषद् में प्रस्तुत करना ;

(iv) ऐसे कार्यकलापों का संपादन एवं ऐसे कार्यों का निष्पादन जो इसे सरकार या जिला परिषद् द्वारा सौंपे जायें ;

(v) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देना ।

(2) कृषि (कृषि विस्तार सहित)–

(i) कृषि एवं उद्यान की उन्नति एवं विकास ;

(ii) कृषि बीज फार्मों एवं उद्यान पौधशालाओं का अनुरक्षण ;

(iii) कीटनाशी एवं जीवनाशी औषधियों का भंडारण एवं वितरण ;

(iv) खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार;

(v) खेती को बढ़ावा देना तथा सब्जियों , फलों, औषधीय पौधों एवं फूलों का विपणन ;

(vi) किसानों का प्रशिक्षण तथा प्रसार सम्बन्धी क्रिया कलाप ।

(3) भूमि सुधार एवं भूसंरक्षण–सरकार के भूमि विकास एवं भूसंरक्षण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद् को सहायता देना

(4) लघु सिंचाई , जल-प्रबंधन एवं जल संभर का विकास –

(i) लघु सिंचाई –कार्यों के निर्माण एवं अनुरक्षण में सरकार और जिला परिषद् की सहायता करना

(ii) सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन ।

(5) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम –गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वयन

(6) पशुपालन, गव्य एवं कुक्कुट –

(i) पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का अनुरक्षण ;

- (ii) मवेशी, कुक्कुट एवं अन्य पशुधनों की नस्लों में सुधार ;
- (iii) डेयरीफार्म, कुक्कुट पालन एवं सुअर पालन को प्रोत्साहित करना ;
- (iv) महामारी एवं छूत के रोगों की रोकथाम ।
- (7) मत्स्य-उद्योग – मत्स्य –उद्योग के विकास को प्रोत्साहन ।
- (8) खादी, ग्राम्य एवं कुटीर उद्योग –
- (i) ग्रामीण कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन;
- (ii) सम्मेलनों, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि एवं उद्योग-प्रदर्शनियों का आयोजन ।
- (9) ग्रामीण आवास – आवास योजनाओं का कार्यान्वयन तथा आवास स्थल का वितरण ।
- (10) पेय जल–
- (i) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का अधिष्ठापन, मरम्मत एवं अनुरक्षण;
- (ii) जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण;
- (iii) ग्रामीण-स्वच्छता योजनाओं का कार्यान्वयन ।
- (11) सामाजिक एवं फार्म वानिकी, लघु वन-उत्पादन, ईंधन एवं चारा –
- (i) अपने नियंत्रणाधीन की सड़कों के किनारे और अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाना एवं उनका संरक्षण;
- (ii) जलावन की लकड़ी वाले वृक्ष लगाना तथा चारा विकास;
- (iii) फार्म-वानिकी को प्रोत्साहित करना ।
- (12) सड़क, भवन, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन –
- (i) सार्वजनिक सड़कों, नालियों, पुलियों तथा संचार के वैसे अन्य साधनों जो किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या सरकार के नियंत्रणाधीन न हो , का निर्माण एवं अनुरक्षण;
- (ii) पंचायत समिति में निहित किसी भवन या संपत्ति का अनुरक्षण;
- (iii) नावों , फेरियों और जलमार्गों का अनुरक्षण ।
- (13) गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत:- गैर परम्परागत उर्जा स्रोतों का विकास और अभिवृद्धि ।
- (14) शिक्षा, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं –
- (i) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की अभिवृद्धि;
- (ii) प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण ।
- (15) तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा – ग्रामीण शिल्पी तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की अभिवृद्धि ।
- (16) वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा-सर्व –साक्षरता का कार्यान्वयन ।

- (17) सांस्कृतिक कार्य कलाप –सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्य-कलापों की अभिवृद्धि ।
- (18) बाजार एवं मेला – मेलों एवं त्योहारों का विनियमन ।
- (19) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण –
- (i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की अभिवृद्धि ;
- (ii) प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों की अभिवृद्धि ;
- (iii) मेलों एवं त्योहारों में स्वास्थ्य एवं सफाई ।
- (20) महिलाओं एवं बच्चों का विकास–
- (i) महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की अभिवृद्धि ;
- (ii) विद्यालय में स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों की अभिवृद्धि;
- (iii) महिलाओं एवं बच्चों के विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठन की भागदारी की अभिवृद्धि ।
- (21) समाज कल्याण, जिसमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से निःशक्त लोगों का कल्याण भी शामिल है –
- (i) समाज कल्याण कार्यक्रम शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त एवं निराश्रितों के कल्याण सहित ;
- (ii) वृद्धावस्था तथा विधवाओं की पेंशनों और शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त के पेंशनों का अनुश्रवण ;
- (22) कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण–
- (i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की अभिवृद्धि ;
- (ii) ऐसी जातियों एवं वर्गों की सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाना ;
- (23) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण –
- (i) इसमें निहित सभी सामुदायिक आस्तियों, जो सरकार या स्थानीय प्राधिकार अथवा संगठन द्वारा हस्तान्तरित हो, का अनुरक्षण ।
- (ii) अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण एवं अनुरक्षण ।
- (24) जन-वितरण प्रणाली – आवश्यक वस्तुओं का वितरण ।
- (25) ग्रामीण विद्युतीकरण – ग्रामीण विद्युतीकरण की अभिवृद्धि ।
- (26) सहकारिता – सहकारी कार्य कलापों की अभिवृद्धि ।
- (27) पुस्तकालय – पुस्तकालयों की अभिवृद्धि ।

(28) सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य ।

48. कृत्यों का समुपदेशन –

(1) सरकार पंचायत समिति को अपने कार्यपालक प्राधिकार के अन्तर्गत आनेवाले किसी मामले से संबंधित अथवा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को समुपदेशित किए गए कृत्यों को सौंप सकेगी ।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन सौंपे गए कृत्यों को वापस ले सकेगी या उपांतरित कर सकेगी ।

49. पंचायत समिति की सामान्य शक्तियां —

(i) पंचायत समिति को इसे सौंपे गये या उसे प्रत्यायोजित किए गए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषांगिक सभी कार्यों को करने की शक्तियां होगी तथा विशेषकर पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह इस अध्यादेश के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी ।

(ii) पंचायत समिति इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, कार्यपालक पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी को अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

50. स्थायी समितियां –

(1) पंचायत समिति अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा निम्नलिखित समितियाँ गठित करेगी –

- (i) सामान्य स्थायी समिति;
- (ii) वित्त, अंकेक्षण तथा योजना समिति;
- (iii) उत्पादन समिति;
- (iv) सामाजिक न्याय समिति;
- (v) शिक्षा समिति;
- (vi) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति;
- (vii) लोक निर्माण समिति ।

(2) प्रत्येक समिति में निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष सहित कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे । प्रत्येक समिति अपने दायित्व के प्रभावकारी निर्वहन के लिए विशेषज्ञों या लोक हित बद्ध व्यक्तियों में से अधिक से अधिक दो सदस्यों को सहयोजित कर सकती है ।

(3) प्रमुख सामान्य स्थायी समिति तथा वित्त, अंकेक्षण एवं योजना समिति का पदेन—सदस्य और अध्यक्ष होगा तथा प्रत्येक अन्य समिति के लिये एक अध्यक्ष नामित करेगा । उप—प्रमुख सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होगा । प्रमुख उपर्युक्त दो समितियों सहित तीन से अधिक समितियों के अध्यक्ष का प्रभार नहीं रखेगा ।

परन्तु प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी तथा सामाजिक न्याय समिति में का एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा ।

(4) पंचायत समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथाशक्य तीन से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा ।

(5) कार्यपालक पदाधिकारी सामान्य स्थायी समिति तथा वित्त, अंकेक्षण एवं योजना समिति का पदेन सचिव होगा । प्रत्येक अन्य स्थायी समिति के सचिव के रूप में जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत पदाधिकारी एक पदाधिकारी का नाम निर्दिष्ट करेगा जो साधारणतया: प्रखण्ड स्तरीय संबद्ध विभाग का प्रभारी होगा ।

(6) पंचायत समिति के सामान्य मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन स्थायी समितियों द्वारा धारा 51 में यथावर्णित कृत्यों का निर्वहन किया जायेगा ।

51. स्थायी समितियों के कृत्य —

(1) सामान्य स्थायी समिति अन्य समितियों के कार्यों के समन्वय एवं सभी अवशिष्ट कार्य जो अन्य समिति के प्रभार में नहीं है, सहित पंचायत समिति से संबंधित सामान्य कार्यों का निष्पादन करेगी ।

(2) वित्त, अंकेक्षण तथा योजना समिति वित्त, अंकेक्षण, बजट एवं योजना से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

(3) उत्पादन समिति, कृषि, भूमि विकास , लघु सिंचाई एवं जल प्रबन्धन, पशुपालन, दुग्ध शाला, कुक्कुट एवं मत्स्यपालन, वानकी प्रक्षेत्र, खादी ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगी ।

(4) सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से संबद्ध कृत्यों का निष्पादन करेगी —

(क) अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हितों का प्रोत्साहन ;

(ख) ऐसी जातियों एवं वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करना ;

- (ग) महिलाओं तथा बच्चों का कल्याण;
- (5) शिक्षा समिति प्राथमिक, माध्यमिक, जन शिक्षा सहित शिक्षा, पुस्तकालयों एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों संबंधी कार्य करेगी ।
- (6) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कृत्यों का निष्पादन करेगी ।
- (7) लोक निर्माण समिति ग्रामीण आवास, जलापूर्ति श्रोत सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों एवं ग्रामीण विद्युतीकरण एवं संबद्ध कार्यों के निर्माण एवं अनुरक्षण सहित सभी प्रकार के कार्य करेगी ।

52. समितियों की प्रक्रिया –

(1) पंचायत समिति, समितियों के सदस्यों के चुनाव, उसके कार्य संचालन तथा उनसे संबद्ध अन्य सभी मामलों में विनियम बना सकेगी ।

(2) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष समिति के कार्य के मामले में पंचायत समिति के कार्यालय से कोई सूचना, विवरणी, विवरण, लेखा या प्रतिवेदन मंगवाने तथा पंचायत समिति की किसी भी अचल संपत्ति या समिति से संबंधित कार्य की प्रगति के निरूपण और निरीक्षण का हकदार होगा ।

(3) प्रत्येक पंचायत समिति को यह अधिकार होगा कि वह समिति के कार्य से संबद्ध पंचायत समिति के किसी पदाधिकारी को अपनी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करे । समिति के अनुदेशों के अधीन सचिव, सूचना निर्गत करेगा और पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा ।

53. संपत्ति अर्जित करने , धारण करने और निपटाव करने की शक्ति –

(1) पंचायत समिति को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटाव करने और संविदा करने की शक्ति होगी ;

परन्तु अचल संपत्ति के निपटान के सभी मामलों में पंचायत समिति सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी ।

(2) निर्मित समस्त सड़कें, भवन, अथवा अन्य निर्माण कार्य जो पंचायत समिति द्वारा उसके निधियों से किया गया हो उसमें निहित होंगे ।

(3) पंचायत समिति की अधिकारिता में अवस्थित किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को सरकार उसे आवंटित कर सकेगी और तत्पश्चात ऐसी सम्पत्ति पंचायत समिति में निहित हो जायेगी और उसके नियंत्रण में आ जायेगी ।

(4) जहां पंचायत समिति को इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किसी भूमि की अपेक्षा है , वहां उक्त भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से बातचीत कर सकता है और किसी समझौता में पहुंचने में असफल होता है तो वह भूमि के अर्जन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है और अगर जिला दंडाधिकारी को समाधान हो जाय कि भूमि का अधिग्रहण किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है तो वह भू-अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम 1, 1894) के प्रावधानों के अधीन भूमि के अर्जन के लिये कार्रवाई करेगा और ऐसी भूमि अधिग्रहण के बाद पंचायत समिति में निहित हो जायेगी ।

54. पंचायत समिति की निधि – (1) प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत समिति के नाम से एक पंचायत समिति निधि का गठन किया जायगा और जमा खाते में निम्नलिखित प्रकार की राशि जमा की जायेगी –

(क) अंशदान एवं अनुदान यदि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये हो, जिसमें सरकार द्वारा यथावधारित राज्य में संगृहित किए जाने वाले भू-राजस्व का भाग भी शामिल है ;

(ख) जिला परिषद अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया अंशदान एवं अनुदान, यदि कोई हो;

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण यदि कोई हो अथवा पंचायत समिति द्वारा अपनी संपत्ति से उगाही;

(घ) अपने द्वारा उगाहे गए पथकर, उपशुल्क (रेट) और शुल्क मद में सभी प्राप्तियां ;

(ङ) पंचायत समिति में निहित या उसके द्वारा निर्मित या इसके नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन किसी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्थान अथवा किसी निर्माण की बावत हुई सभी प्राप्तियां;

(च) उपहार या अंशदान के रूप में प्राप्त सभी रकम और पंचायत समिति के पक्ष में किसी भी न्यास या धर्मदाय से प्राप्त सभी आय;

(छ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये उप विधियों के उपबंधों के अधीन अधिरोपित तथा वसूल किया गया ऐसा जुर्माना या अर्थदण्ड जैसा कि विहित हो ;

(ज) पंचायत समिति के द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी राशि।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति ऐसी कुछ रकम को अलग रखेगी और उसे प्रतिवर्ष अपने प्रशासनिक कार्यों पर खर्च करने के साथ-साथ अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि तथा उपादान को भुगतान के लिए अपेक्षित खर्च को पूरा करने में करेगी।

(3) प्रत्येक पंचायत समिति को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के यथोचित रकम खर्च कर सके।

(4) पंचायत समिति की निधि पंचायत समिति में निहित होगा और कोष के खाता में जमा राशि ऐसी अभिरक्षा में रखी जायेगी या उनका निवेश इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निदेश दे।

(5) ऐसे सामान्य नियंत्रण के अधीन जैसा की पंचायत समिति समय-समय पर प्रयोग करे, पंचायत समिति की निधि से भुगतान के लिए सभी आदेशों और चेंको पर कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा।

55. कराधान –

(1) यथाविहित नियमों तथा ऐसी अधिकतम दरों के अधीन जो सरकार विहित करे, पंचायत समिति—

(क) इसके द्वारा या अपने प्रबंधन के अधीन स्थापित किसी फेरी से पथकर की उगाही कर सकेगी।

(ख) निम्नलिखित शुल्क (फीस) और उप-शुल्क (रेट) की उगाही कर सकेगी –

(i) वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर फीस जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन निबंधित न हो ;

(ii) अपनी अधिकारिता के भीतर तीर्थस्थलों, हाटों और मेलों में सफाई व्यवस्था करने के लिए शुल्क ले सकेगी जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचना निकालकर विनिर्दिष्ट किया जाय ;

(iii) हाट या बाजार के लिए अनुज्ञा शुल्क ;

(iv) जल कर, जहाँ अपनी अधिकारिता के भीतर पंचायत समिति द्वारा पीने, सिंचाई या अन्य प्रयोजनार्थ जलापूर्ति का प्रबंध किया जाए ;

(v) विद्युत शुल्क जहाँ पंचायत समिति द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर सार्वजनिक गलियों और स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था की जाए ;

(2) पंचायत समिति अपनी अधिकारिता के भीतर किसी वाहन का निबंधन नहीं करेगी या शुल्क की उगाही नहीं करेगी तथा तीर्थ स्थलों और मेला स्थलों पर स्वच्छता का प्रबंध नहीं करेगी या इन स्थलों पर शुल्क की उगाही नहीं करेगी, यदि ऐसा वाहन किसी अन्य प्राधिकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के अधीन पहले निबंधित किया जा चुका हो या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्वच्छता का प्रबंध किया जा चुका हो ।

(3) शुल्क या कर का मापमान तथा उनके अधिरोपण की शर्तें और बंधेज वैसे ही होंगे जैसा कि उप विधि द्वारा उपबंधित किया जाय ।

(4) ऐसी उपविधि में किसी श्रेणी के मामले में किसी या सभी कर से विमुक्ति का उपबंध किया जा सकेगा ।

56. ऋण और निक्षेप निधि –(1) पंचायत समिति स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ऋण उगाही से संबद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन, राज्य सरकार के अनुमोदन से समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऋण उगाही कर सकेगी तथा ऐसे ऋणों की अदायगी के लिए निक्षेप निधि का सृजन कर सकेगी ।

(2) पंचायत समिति, विशिष्ट स्कीमों के आधार पर जैसा कि इस प्रयोजनार्थ पंचायत समिति द्वारा तैयार की जाए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार से या सरकार की पूर्व स्वीकृति से बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकेगी ।

57. पंचायत समिति का बजट – प्रत्येक पंचायत समिति प्रत्येक वर्ष ऐसे समय और उस रीति से, जैसी कि विहित की जाये, अगले वर्ष के लिए अपनी प्राक्कलित प्राप्तियों एवं संवितरणों का बजट तैयार करेगी और वह बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित कराएगी एवं वैसी बैठक के लिए कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम में गणपूर्ति नहीं होगी ।

58. लेखा – पंचायत समिति लेखा को यथा विहित प्रपत्र (फारम) में रखेगी ।

59. संपरीक्षा – (1) पंचायत समिति के लेखा की संपरीक्षा सरकार द्वारा यथा विहित प्राधिकार करेगा और संपरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति पंचायत समिति को, संपरीक्षा की समाप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित कर दी जायेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंचायत समिति या तो संपरीक्षा में बतायी गयी त्रुटियों अथवा अनियमितताओं का समाधान करेगी और विहित

प्राधिकार को तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली अपनी कार्रवाई की सूचना भेजेगी, और उक्त अवधि के भीतर, विहित प्राधिकार को उन त्रुटियों अथवा अनियमितताओं के संबंध में यदि कोई और स्पष्टीकरण वह देना चाहे तो दे सकेगी।

(3) उपधारा (1) में वर्णित विहित पदाधिकारी द्वारा संपरीक्षा के अलावा पंचायत समिति की समवर्ती संपरीक्षा या विशेष संपरीक्षा इस निमित्त विहित रीति से करायी जा सकेगी।

60. पंचायत समिति का स्टाफ — (1) सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी पदाधिकारी को नियुक्त करेगी, जो उप-समाहर्ता से न्यून स्तर का नहीं होगा।

(2) सरकार पंचायत समिति के अधीन काम करने के लिये समय-समय पर उतनी संख्या में, राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थापित करेगी, जितना वह आवश्यक समझे।

(3) इस बाबत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, कोई पंचायत समिति अपने कार्यों के संचालन के लिए समय-समय पर उतनी संख्या में भुगतान के आधार पर या अवैतनिक कर्मचारियों या व्यवसायिकों की सेवा ले सकेगी जितनी कि अपेक्षित हो।

61. कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की शक्तियां एवं कार्य — (1) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित हो, को छोड़कर, कार्यपालक पदाधिकारी—

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसको विशेष रूप से अधिरोपित अथवा प्रदत्त सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ख) सरकार, द्वारा निर्मित नियमावली के अनुसार पंचायत समिति के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों अथवा पदधारकों के कर्तव्यों का निर्धारण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा;

(ग) पंचायत समिति के सभी कार्यों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा;

(घ) पंचायत समिति के सभी कार्यों एवं विकासात्मक स्कीमों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय करेगा।

(ङ) पंचायत समिति और इसकी समितियों की बैठक की कार्यवाहियों से संबंधित सभी कागजात एवं दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा;

(च) पंचायत समिति की निधि से रकम की निकासी एवं संवितरण करेगा; और

(छ) यथा विनिर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ;

(2) कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक में शामिल होगा और उसे किसी समिति में शामिल होने तथा विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे कोई प्रस्ताव रखने या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। यदि कार्यपालक पदाधिकारी की राय में पंचायत समिति के समक्ष रखे गये किसी प्रस्ताव से इस अधिनियम अथवा इसके अधीन निर्मित किसी अन्य विधि, नियम अथवा आदेश के उपबंधों का उल्लंघन होता हो या उसके असंगत हो, तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह इसकी ओर पंचायत समिति का ध्यान आकृष्ट करे ।

अध्याय – V

जिला परिषद्

62. जिला परिषद् का गठन – (1) प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद् होगी जिसकी अधिकारिता, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सम्पूर्ण जिला में होगी किन्तु इसमें जिला के वे भाग शामिल नहीं होंगे जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगरपालिका या छावनी पर्षद् के प्राधिकार में या इसके अधीन सम्मिलित हों ।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् अपने जिला परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी और इसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और इसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा ऐसे प्रतिबंधों के अधीन जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा अधिरोपित हों, उसमें अपने निगमित नाम से वाद चलाने या उसपर वाद चलाए जाने की अथवा उसके प्राधिकार-क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर या उसके बाहर के क्षेत्र में चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण और अन्तरण करने अथवा संविदाएं करने की और जिस निमित्त इसका गठन किया गया हो उसके प्रयोजनार्थ आवश्यक, समुचित या समीचीन सभी कार्य करने की शक्ति निहित होगी ।

63. जिला परिषद् की संरचना – (1) जिला परिषद् की संरचना निम्नलिखित रूप से होगी

:-

- (क) इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित जिला के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य;
- (ख) जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख;
- (ग) लोक सभा के वैसे सदस्य और राज्य विधान सभा के वैसे सदस्य जो जिले के किसी ऐसे भाग का प्रतिनिधित्व करते हों जो पूर्णतः या अंशतः उस जिले के अंतर्गत पड़ता हो और जिनका निर्वाचन –क्षेत्र जिले के अन्तर्गत पड़ता हो ;
- (घ) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के वैसे सदस्य जो जिले के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में दर्ज हों;

- (2) जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को जिला परिषद् की बैठकों में मतदान करने का अधिकार होगा, परन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन और हटाये जाने के विषय में उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित सदस्यों को ही मत देने का अधिकार होगा।

64. निर्वाचित सदस्य – (1) जिला दण्डाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके जिले की कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यथासंभव प्रति 50,000 (पचास हजार)की जनसंख्या के निकटतम के लिये एक सदस्य के हिसाब से जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गये सदस्यों की संख्या का निर्धारण कर सकेगा।

(2) निर्वाचन की सुविधा की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इस बाबत यथाविहित नियमों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला परिषद् के क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त करेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य, सम्पूर्ण जिला परिषद् क्षेत्र में एक ही हो।

(3) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य विहित रीति से सीधे निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

65. स्थानों का आरक्षण –

(1) प्रत्येक जिला परिषद् में जिला परिषद् के सदस्य के कुल स्थानों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे –

- (क) अनुसूचित जाति,
- (ख) अनुसूचित जनजाति, और
- (ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक जिला परिषद् में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जिला परिषद् में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस जिला परिषद् क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी जिला परिषद् में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किया जायेगा। वैसे स्थान उत्तरवर्ती निर्वाचनों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में तथा उसके द्वारा यथाविहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला परिषद् के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आरक्षित कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किए गए हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान जिला परिषद् में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में इसके द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा।

66. जिला परिषद् की कार्यावधि—(1) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित को छोड़कर प्रत्येक जिला परिषद् की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले पांच वर्षों तक की होगी, इससे अधिक की नहीं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किए गए संशोधन से जिला परिषद्, जो ऐसे संशोधन के तुरंत पहले से कार्य कर रही हो, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक विघटित नहीं होगी।

पंचायत समिति के गठन हेतु निर्वाचन कार्य निम्नलिखित रूप में पूरा किया जायेगा—

(क) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट इसकी कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) विघटन की स्थिति में, ऐसे विघटन की तिथि से छः महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व;

परन्तु जहाँ ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए उक्त विघटित जिला परिषद् बनी रहती, छः महीने से कम हो, तो ऐसी अवधि के लिए जिला परिषद् के गठन के लिए इस खंड के अधीन किसी प्रकार का निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा ।

(4) यदि किसी जिला परिषद् की कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व उसे विघटित कर किसी जिला परिषद् का गठन किया जाता है तो उक्त गठित जिला परिषद् विघटित जिला परिषद् की उस शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी जबतक कि वह उप-धारा (1) के अधीन कार्यरत रहती यदि उसे विघटित नहीं किया गया होता ।

67. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन— (1) राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में, धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य यथाशीघ्र अपने में से दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे और यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो वे अपने में से अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे

परन्तु यह कि एक महीने से कम अवधि की रिक्ति के लिए ऐसा कोई निर्वाचन नहीं होगा ।

(2) **स्थानों का आरक्षण—** अध्यक्ष के पद के लिए राज्य में अध्यक्ष के कुल पदों के यथाशक्य निकटतम किन्तु पचास प्रतिशत से अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे :-

(क) अनुसूचित जाति;

(ख) अनुसूचित जनजाति; और

(ग) पिछड़े वर्ग ।

राज्य के अन्तर्गत अध्यक्ष के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, स्थान आरक्षित किए जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस

जिला परिषद् में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या से है, और ऐसे पद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, विहित रीति से, भिन्न-भिन्न जिला परिषदों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्ष के पदों का आरक्षण करने के पश्चात्, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या कुल पदों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी तथा इन पदों को विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की शेष जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा। ऐसे पद उत्तरवर्ती निर्वाचनों में चक्रानुक्रम में, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, उसके द्वारा विहित रीति से, राज्य में भिन्न-भिन्न जिला परिषदों को आवंटित किए जायेंगे।

(ii) उप धारा (i) के अधीन आरक्षित पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे।

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अध्यक्ष के अनारक्षित पदों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे।

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों की महिलाओं एवं अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए इस प्रकार अध्यक्ष के कुल पदों को विभिन्न जिला परिषदों को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसके द्वारा विहित रीति से, चक्रानुक्रम में आवंटित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा।

(3) जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जिला परिषद् के सदस्य के रूप में उसकी पदावधि की समाप्ति पर खत्म हो जाएगी।

(4) किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और उप पदों की रिक्तियों को भरने तथा ऐसे निर्वाचन से संबद्ध विवादों का निपटारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित नियमों या प्रक्रियाओं के अनुसार किया जायेगा।

68. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भत्ते — जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य यथाविहित बैठक—शुल्क और भत्ते पाने के हकदार होंगे।

69. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति, कार्य एवं दायित्व — (1) अध्यक्ष—

- (क) जिला परिषद् की बैठक का आयोजन और अध्यक्षता तथा उसका संचालन करेंगे;
- (ख) जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर और उसके माध्यम से जिला परिषद् के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों पर तथा ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जिनकी सेवायें राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् को सौंपी गई हों, पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेंगे ;
- (ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो जिला परिषद् सामान्य संकल्प द्वारा उसे निदेशित करे या सरकार एतदर्थ निर्मित नियमों द्वारा विहित करे।
- (घ) जिला परिषद् की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण पर्यवेक्षण करेगा और उससे संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को जिला परिषद् के समक्ष रखेगा जिसके सम्बन्ध में उसे ऐसा लगे कि उसपर जिला परिषद् का आदेश आवश्यक है और इस प्रयोजनार्थ जिला परिषद् के अभिलेख की मांग कर सकेगा, और
- (ङ) जिला में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए उसे एक वर्ष में कुल एक लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगी ;

परन्तु, जिला परिषद् की अगली बैठक में अध्यक्ष ऐसी स्वीकृति का व्योरा जिला परिषद् के समाधान के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) उपाध्यक्ष

(क) जिला परिषद् के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिला परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे सभी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे समय—समय पर और यथाविहित नियमावली के अध्यक्षीन, लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित किया जाये; और

(ग) अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने या जिला से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान अथवा 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ;

परन्तु , जैसे ही अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति से वापस आ जाएं, वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग पुनः करने लगेगा तथा अध्यक्ष के सभी कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन प्रारम्भ कर देगा।

70. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र अथवा हटाया जाना :- (1) अध्यक्ष अपने पद से जिला दंडाधिकारी को सम्बोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा तथा उपाध्यक्ष अपने पद से अध्यक्ष को सम्बोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा त्याग पत्र दे सकेगा।

2. उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र, ऐसा त्यागपत्र दिए जाने की तिथि से 7 दिनों के बाद प्रभावी हो जाएगा बशर्ते की उक्त 7 दिनों के भीतर यथास्थिति, जिला दंडाधिकारी या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने स्वलिखित त्यागपत्र वह वापस न ले ले।

(3) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिला परिषद का सदस्य नहीं रह जाता हो तो वह अपना पद छोड़ देगा।

(4)(i) यदि जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में से बहुमत द्वारा उनके प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव, इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से आयोजित बैठक में पारित किया जाये तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से तत्काल ही मुक्त समझा जायेगा। ऐसी विशेष बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद् के सीधे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में से कम-से-कम पांचवें भाग द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी तथा उसे अध्यक्ष को सौंपा जाएगा और उसकी एक प्रति जिला दंडाधिकारी को दी जायेगी। अध्यक्ष ऐसी अध्यक्षता की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर जिला परिषद् की विशेष बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। यदि प्रस्ताव उपाध्यक्ष के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा, यदि यह अध्यक्ष के विरुद्ध हो तो बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा और यदि यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के विरुद्ध हो तो बैठक की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी करेगा। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए आहूत बैठक के अवसर पर उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहने अथवा आहूत बैठक में उसके अनुपस्थित रहने पर अथवा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिये आहूत बैठक के अवसर पर अध्यक्ष का पद रिक्त रहने अथवा आहूत बैठक में उसके अनुपस्थित रहने पर यथास्थिति, जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

अध्यक्ष द्वारा बैठक का आयोजन नहीं किये जाने की स्थिति में, यह बैठक जिला दंडाधिकारी द्वारा उसी रीति से बुलाई जायेगी तथा उसी के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

बैठक हेतु सूचना निर्गत किये जाने के बाद ऐसी बैठक को स्थगित नहीं किया जाएगा । अविश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हेतु आहूत विशेष बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ii) अध्यक्ष /उपाध्यक्ष के विरुद्ध उनकी पदावधि के प्रथम दो वर्ष की कालावधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा ।

(iii) जिला परिषद् की कालावधि समाप्त होने के छः महीने के भीतर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा ।

(iv) अध्यक्ष /उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बुलाई गई बैठक की सूचना में उन कारणों /आरोपों का, जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।

(v) जैसे ही इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक प्रारम्भ होगी, बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा, जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई हो, और उसे विचार विमर्श के लिये खुला घोषित करेगा । इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर कोई भी विचार विमर्श स्थगित नहीं किया जायेगा ।

(vi) विचार-विमर्श के दौरान उस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को, जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, जिला परिषद के समक्ष अपना प्रतिवाद करने का मौका दिया जायेगा । विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव उसी दिन मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायेगा जो जिला दंडाधिकारी द्वारा विहित रीति से गुप्त मतदान द्वारा सम्पन्न किया जाएगा ।

(vii) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एकबार अस्वीकृत हो जाये तो ऐसे प्रस्ताव की ऐसी अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के विरुद्ध कोई नया अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद् के समक्ष नहीं लाया जायेगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला परिषद पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त के विचार में यदि जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बिना किसी यथेष्ट कारण के लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता हो या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इनकार करता हो या जानबूझ कर उपेक्षा करता हो अथवा उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता हो अथवा दायित्वों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता हो अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो

जाता हो अथवा किसी आपराधिक कांड का अभियुक्त होने के कारण छः माह से अधिक से फरार रहता हो तो आयुक्त ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से आदेश द्वारा हटा सकेगा।

इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसे जिला परिषद में उसकी शेष कार्यावधि के दौरान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

आयुक्त के आदेश के विरुद्ध सदस्य, राजस्व पर्वद के समक्ष अपील की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पद से हटाये गये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सरकार द्वारा जिला परिषद की सदस्यता से भी हटाया जा सकेगा।

71. सदस्यों का त्याग पत्र – जिला परिषद का कोई निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को प्रेषित स्वलिखित त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता का त्याग कर सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र दिए जाने की तिथि से पूरे सात दिनों की समाप्ति के पश्चात् उनका स्थान रिक्त हो जायेगा, बशर्ते कि वह सात दिनों की उक्त अवधि के अन्दर अध्यक्ष के नाम स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्याग पत्र वापस न ले ले।

72. जिला परिषद की बैठक—(1) जिला परिषद, सम्बद्ध जिले की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत ऐसे समय में और ऐसे स्थान में, जैसा कि जिला परिषद अपनी पूर्ववर्ती बैठक के तुरत बाद नियत करे, प्रत्येक तीन माह में कम-से-कम एकबार बैठक का आयोजन करेगी:

परन्तु, किसी नवगठित जिला परिषद की पहली बैठक का आयोजन संबद्ध जिले की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत ऐसे समय में और ऐसे स्थान में किया जायेगा जैसा कि जिला दंडाधिकारी नियत करे और उसकी अध्यक्षता उनके द्वारा की जायेगी;

परन्तु यह और कि, जब जिला परिषद के सदस्यों का पांचवा भाग बैठक आयोजित करने के लिए लिखित रूप में अपेक्षा करे तब अध्यक्ष वैसी बैठक दस दिनों के भीतर आयोजित करेगा। ऐसा नहीं करने पर पूर्वोक्त सदस्य जिला दंडाधिकारी को जानकारी देकर तथा जिला परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पूरे सात दिनों की सूचना देकर बैठक आयोजित कर सकेंगे।

(2) जिला परिषद की बैठक में कार्यों के निष्पादन के लिए जिला परिषद के कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या से गणपूर्ति होगी।

(3) जिला परिषद् के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों पर निर्णय बहुमत द्वारा किया जायेगा; मतों के बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता कर रहे सदस्य का मत निर्णायक होगा।

(4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी अथवा यदि वह अनुपस्थित हों तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा यदि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों या अध्यक्ष अनुपस्थित हो और कोई उपाध्यक्ष न हो तो उपस्थित सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिये चुन लिया जायेगा।

(5) जिला परिषद् का कोई भी सदस्य जिला परिषद् या किसी भी समिति की बैठक में विचारार्थ आये हुए ऐसे प्रश्न पर मत नहीं देगा या उसके विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि उस प्रश्न में जन साधारण की सामान्य प्रयोज्यता के अलावा कोई प्रत्यक्ष आर्थिक या निजी हित निहित हो और यदि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निजी हित निहित हो तो वह उस समय बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा जब ऐसा प्रश्न विचार-विमर्श के लिए रखा जाएगा।

(6) यदि बैठक में उपस्थित किसी सदस्य का यह विश्वास हो कि विमर्शाधीन किसी मामले में सभापतित्व करने वाले का ऐसा कोई आर्थिक या निजी हित है और यदि उस आशय का प्रस्ताव लाया जाये तो वह ऐसे विमर्श के दौरान बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा या मत नहीं देगा या उसमें भाग नहीं लेगा। ऐसा विचार विमर्श के चलते रहने के दौरान में जिला परिषद् का कोई भी सदस्य बैठक का सभापतित्व करने के लिए चुना जा सकेगा।

(7) किसी साधारण बैठक में किसी ऐसे प्रतिपाद्य विषय पर तबतक विमर्श नहीं किया जायेगा जब तक ऐसी बैठक आयोजित करने हेतु दी जाने वाली नोटिस में अथवा विशेष बैठक की दशा में, ऐसी बैठक के लिए किये गये लिखित निवेदन में उसे दर्ज नहीं किया गया हो। कोई भी सदस्य कार्य सूची में सम्मिलित विषयों से संबद्ध या अनुषंगी प्रस्ताव रख सकेगा। अध्यक्ष, कार्य-सूची में सम्मिलित न होते हुए दैनन्दिनी स्वरूप के किसी भी अत्यावश्यक विषय का प्रस्ताव रख सकेगा यदि कोई भी सदस्य उस पर आपत्ति न उठाये। प्रस्ताव या प्रतिपाद्य विषय की दशा में, उप-धारा (9) की अनुरूपता के सिवाय, उसके पारित किये जाने के बाद तीन महीने के भीतर प्रस्ताव को उपांतरित या रद्द करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसा कोई कार्य या प्रतिपाद्य विषय ऐसी बैठक में किस क्रम से प्रस्तुत किया जायेगा उसे सभापतित्व करने वाले प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायेगा तथा जब किसी सदस्य द्वारा खास प्रस्ताव देने का प्रस्ताव किया जाये वैसी दशा में उस प्रस्ताव को बैठक में रखेगा और प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में दिये गये बहुमत द्वारा यह मार्ग निर्देशित होगा।

(8) कोई भी साधारण बैठक, उपस्थित अधिकांश सदस्यों की सहमति से, समय-समय पर स्थगित की जा सकेगी, किन्तु किसी भी स्थगित बैठक में किसी भी कार्य का संव्यवहार नहीं किया जायेगा सिवाय उसके जो उस बैठक में अनिस्तारित या बाकी रह गया हो जिसे स्थगित किया गया था ।

(9) जिला परिषद् के किसी भी प्रस्ताव को उसके पारित किये जाने के छः महीने के भीतर उपांतरित या विखंडित तबतक नहीं किया जायेगा जबतक साधारण या ऐसी विशेष बैठक जिसकी कोई सूचना, उप-धारा (4) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए और उस प्रस्ताव का जिसमें उस बैठक में पूर्णतः उपांतरित या विखंडित करने का प्रस्ताव हो अथवा ऐसे प्रस्ताव के उपांतरण या विखंडन के लिए प्रस्ताव या प्रतिपाद्य विषय का पूरा उल्लेख करते हुए न दी गई हो में सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या से अन्यून द्वारा संकल्प पारित न किया जाय

(10) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही बैठक के विमर्श के तुरंत बाद कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज की जायेगी और बैठक का सभापतित्व करने वाले प्राधिकारी द्वारा ठीक से पढ़ लिये जाने के बाद उस पर हस्ताक्षर किया जायगा। जिला परिषद् के निर्णय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिला परिषद् की अगली बैठक में की जायेगी। कार्यवाही पुस्तिका सदैव जिला परिषद् के कार्यालय में रखी जायेगी। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यवाही पुस्तिका का अभिरक्षक होगा।

(11) जिला परिषद् अपनी बैठकों में सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगी। यदि जिला परिषद् को ऐसा प्रतीत हो कि जिला की अधिकारिता वाले क्षेत्र या उसके किसी भाग का कोई क्षेत्रीय पदाधिकारी जो जिला परिषद् के अधीन कार्यरत न हो और जिला परिषद् की बैठक में उसकी उपस्थिति वांछनीय है, तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आशयित बैठक की तिथि से कम-से-कम पन्द्रह दिन पहले ऐसे पदाधिकारी को सम्बोधित पत्र के द्वारा उस पदाधिकारी को बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध करेगा और वह बैठक में उपस्थित होगा, बशर्ते कि वह बीमारी या अन्य युक्तियुक्त कारण से उपस्थित होने में असमर्थ न हो,

परन्तु, ऐसा पदाधिकारी पत्र प्राप्त होने पर यदि वह उपर्युक्त कारणों से स्वयं बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो तो अपने उप-पदीय पदाधिकारी या अन्य सक्षम अधीनस्थ पदाधिकारी को उस बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुदेश देगा।

73 जिला परिषद् के कार्य एवं शक्तियां— (1) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन जिला परिषद् निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी :-

(1) कृषि—

- (i) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साधनों को प्रोत्साहित करना और उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना;
 - (ii) कृषि बीज फार्म तथा व्यावसायिक फार्म खोलना तथा उनका अनुरक्षण करना;
 - (iii) गोदाम की स्थापना एवं अनुरक्षण करना;
 - (iv) कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन;
 - (v) कृषि एवं बागवानी प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रबन्धन;
 - (vi) किसानों का प्रशिक्षण;
 - (vii) भूमि सुधार एवं भू-संरक्षण।
- (2) सिंचाई, भूतल जल संसाधन एवं जल संभर विकास –
- (i) लघु सिंचाई कार्य एवं उद्वह सिंचाई का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण;
 - (ii) जिला परिषद् के नियंत्रण में सिंचाई स्कीमों के अधीन जल का समय; पर और समान रूप से वितरण एवं उसके पूर्ण उपयोग की व्यवस्था करना;
 - (iii) भूतल जल संसाधनों का विकास;
 - (iv) सामुदायिक पम्पसेट लगाना;
 - (v) जल संभर विकास कार्यक्रम।
- (3) बागवानी–
- (i) ग्रामीण पार्क एवं उद्यान;
 - (ii) फलों एवं सब्जियों की खेती।
 - (iii) फार्म।
4. सांख्यिकी–
- (i) पंचायत समिति और जिला परिषद् के क्रियाकलापों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों एवं अन्य सूचनाओं का प्रकाशन;
 - (ii) पंचायत समिति और जिला परिषद् के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित सांख्यिकीय एवं अन्य सूचनाओं का समन्वय एवं उपयोग;
 - (iii) पंचायत समिति और जिला परिषद् को सुपुर्द परियोजनाओं और कार्यक्रमों का समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन।
5. ग्रामीण विद्युतीकरण ।
6. आवश्यक वस्तुओं का वितरण ।

7. भूमि संरक्षण –

- (i) भूमि संरक्षण के उपाय ;
- (ii) भूमि –उद्धार और भूमि विकास संबंधी कार्य ।

8 विपणन–

- (i) विनियमित बाजारों और बाजार प्रांगणों का विकास
- (ii) कृषि उत्पादनों का वर्गीकरण और गुण नियंत्रण ।

9 सामाजिक वानिकी–

- (i) वृक्षारोपण के लिए अभियान चलना;
- (ii) वृक्ष–रोपण और उनका अनुरक्षण;

10 पशुपालन एवं गव्य विकास ।

- (i) पशुचिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना;
- (ii) चलन्त निदान और उपचार प्रयोगशालाओं की स्थापना;
- (iii) गायों और सुअरों के प्रजनन–प्रक्षेत्र ।
- (iv) कुक्कुट फार्म, बत्तख फार्म और बकरी–फार्म
- (v) दुग्ध शाला, कुक्कुट–पालन और समुद्री उत्पाद के लिए सामान्य शीत–गृह (कोल्ड स्टोरेज) की सुविधा;
- (vi) चारा विकास कार्यक्रम;
- (vii) दुग्धशाला, कुक्कुट–पालन एवं सुअर पालन को प्रोत्साहन
- (viii) महामारियों और छूत के रोगों की रोक–थाम ।

11. लघु वन उपज, ईंधन एवं चारा–

- (i) सामाजिक एवं फार्म वानिकी, ईंधन–वृक्ष रोपण एवं चारा विकास;
- (ii) सामुदायिक भूखंडों पर उगाये गए वनों की लघु वन उपज का प्रबंधन;
- (iii) बंजर भूमि का विकास ।

12. मत्स्य पालन–

- (i) मत्स्य बीज का उत्पादन और वितरण;
- (ii) निजी और सामुदायिक तालाबों में मत्स्य–पालन का विकास;
- (iii) अन्तर्देशीय मत्स्य–पालन का विकास;

- (iv) मछली की रोग मुक्ति एवं सुखाना;
- (v) परम्परागत मछली पकड़ने के उद्योग को सहायता;
- (vi) मत्स्य क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का गठन;
- (vii) मछुआरों के उत्थान एवं विकास के लिए कल्याण-योजनाएं;

13. घरेलू एवं लघु उद्योग (खाद्य प्रसंस्करण सहित)–

- (i) स्थानीय क्षेत्र में परम्परागत कुशल कारीगरी की पहचान और घरेलू उद्योगों का विकास;
- (ii) कच्चे माल की अपेक्षाओं का निर्धारण ताकि यथा समय आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके;
- (iii) उपभोक्ताओं की बदलती हुई मांग के मुताबिक रूपांकन और उत्पादन;
- (iv) शिल्पकारों और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन;
- (v) इस कार्यक्रम के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करने हेतु संपर्क;
- (vi) तैयार उत्पादनों को लोकप्रिय बनाना और उनका विपणन;
- (vii) औद्योगिक सम्पदा;
- (viii) खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का संगठन।

14. ग्रामीण, सड़कें एवं अन्तर्देशीय जलमार्ग–

- (i) राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों को छोड़कर अन्य सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (ii) राज्य और राष्ट्रीय उच्च पथों को छोड़कर अन्य सड़कों में पड़नेवाली पुल एवं पुलिया;
- (iii) जिला परिषद् के कार्यालय-भवनों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (iv) बाजारों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं संपर्क सड़कों को जोड़ने वाली बड़ी संपर्क सड़कों की पहचान;
- (v) नयी सड़कों और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए स्वैच्छिक भू-अर्पण के लिए लोगों को संगठित करना;

15. स्वास्थ्य एवं आरोग्य–

- (i) चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पतालों, यक्ष्मा-आरोग्यशालाओं, कुष्ठ अस्पतालों और मानसिक रोग अस्पतालों को छोड़कर, अन्य अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों की स्थापना एवं अनुरक्षण;

- (ii) रोग-प्रतिरक्षण और टीकाकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन ;
- (iii) स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्य-कलाप;
- (iv) मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्य-कलाप;
- (v) परिवार कल्याण संबंधी कार्य-कलाप;
- (vi) पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के साथ मिलकर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।
- (vii) पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के उपाय

16 ग्रामीण आवास-

- (i) गृह विहीन परिवारों की पहचान;
- (ii) जिला में गृह निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;
- (iii) अल्प लागत के गृह निर्माण को लोकप्रिय बनाने का कार्य।

17 शिक्षा-

- (i) शैक्षणिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन जिसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और अनुरक्षण भी शामिल है;
- (ii) जन शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों का आयोजन;
- (iii) ग्रामीण, क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रचार-प्रसार का विस्तार कार्य;
- (iv) शैक्षणिक कार्यकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन।
- (v) सामान्य छात्रावासों, आश्रमों, विद्यालयों एवं अनाथालयों की स्थापना और अनुरक्षण।

18. सामाजिक कल्याण एवं कमजोर वर्गों का कल्याण

- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियाँ वृत्तिका, छात्रावास अनुदान एवं पुस्तक और अन्य अनुषांगिक सामाग्रियों की खरीद हेतु, अन्य अनुदान देकर शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार;
- (ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लाभार्थ, छात्रावासों का प्रबंध;
- (iii) निरक्षरता उन्मूलन एवं सामान्य शिक्षा देने हेतु नर्सरी विद्यालयों बालवाड़ियों, रात्रिपाठशालाओं में एवं पुस्तकालयों का संगठन;
- (iv) अनुसूचित जातियों, तथा अनुसूचित जन-जातियों को कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का प्रशिक्षण देने हेतु आदर्श कल्याण केन्द्रों एवं शिल्प केन्द्रों का संचालन;

- (v) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आवासीय बुनियादी विद्यालयों की व्यवस्था;
- (vi) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों द्वारा उत्पादित माल के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना;
- (vii) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों की सहकारी समितियों का गठन;
- (viii) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान एवं विकास हेतु अन्य कल्याण योजनाएँ ;

19 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम—

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की योजना बनाना, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण (मोनेटरिंग करना)और उनका कार्यान्वयन।

20 सामाजिक सुधार कार्यकलाप—

- (i) महिला संगठन एवं कल्याण;
- (ii) बाल संगठन एवं कल्याण;
- (iii) स्थानीय आवारागर्दी से राहत;
- (iv) अनाथालयों, उद्धार-गृहों इत्यादि जैसे सामाजिक कल्याण संस्थाओं का अनुरक्षण;
- (v) विधवाओं, वृद्धों और विकलांग निस्सहायों के लिए पेंशन तथा बेरोजगारों एवं अर्न्तजातीय विवाह करने वाले दम्पतियों, जिनमें से कोई एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो, के लिये भत्ते की मंजूरी एवं वितरण;
- (vi) आगजनी पर नियंत्रण;
- (vii) अंधविश्वास, जातिवाद, अस्पृश्यता, नशाखोरी, मँहगी शादियों और सामाजिक उत्सवों, दहेज तथा सरेआम नशाखोरी के विरुद्ध अभियान;
- (viii)सामुदायिक विवाहों एवं अन्तर्जातीय विवाहों का प्रोत्साहन;
- (ix)तस्करी, करवंचना और खाद्यानों में मिलावट जैसे आर्थिक अपराधों पर निगरानी;
- (x) भूमिहीन मजदूरों को प्रदत्त भूमि के विकास हेतु सहायता;
- (xi) आदिवासियों की संक्रमित भूमि का पुनर्ग्रहण;
- (xii)बंधुआ मजदूरों की पहचान, विमुक्ति एवं पुनर्वास;
- (xiii) सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन;

(xiv) खेलकूद को प्रोत्साहन एवं ग्रामीण क्रीड़ांगनों (स्टेडिया) का निर्माण;

(xv) परम्परागत त्योहारों को नया रूप और सामाजिक आयाम देना;

(xvi) निम्नलिखित द्वारा मितव्ययता और बचत को प्रोत्साहित करना :

(क) बचत आदतों को प्रोत्साहित करना

(ख) अल्प बचत अभियान;

(ग) सूदखोरी और ग्राम्य ऋण ग्रस्तता के विरुद्ध संघर्ष;

(21) इसके अतिरिक्त जिला परिषद् –

(क) अपने में निहित अथवा अपने नियंत्रणाधीन एवं प्रबंधनाधीन, किसी संस्था या सार्वजनिक उपयोग के किसी कार्य का प्रबंध या उसका अनुरक्षण करेगी;

(ख) ग्रामीण हाटों और बाजारों का अधिग्रहण एवं अनुरक्षण करेगी;

(ग) पंचायत समिति या ग्राम पंचायत को अनुदान प्रदान करेगी;

(घ) संकट ग्रस्तों को राहत देने हेतु उपाय करेगी;

(ङ) जिला में पंचायत समितियों द्वारा तैयार किये गये विकास योजनाओं एवं स्कीमों का समन्वय एवं एकीकरण करेगी;

(च) जिलान्तर्गत पंचायत समितियों के बजट प्राक्कलन की जांच एवं मंजूरी करेगी;

(छ) एक प्रखंड से अधिक में फैले, किसी स्कीम को अपने हाथ में लेगी या उसका कार्यान्वयन करेगी;

(ज) किसी निजी स्वामित्व वाले या किसी अन्य प्राधिकार के स्वामित्व वाले किसी ग्रामीण पुल, तालाब, घाट, कूआँ, नहर या नाली का अनुरक्षण एवं नियंत्रण ऐसी बंधेजों एवं शर्तों पर जैसा कि सहमति हो, अपने अधीन लेगी।

(22). वे सभी विषय जो भारत संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित हैं पर जिनका उल्लेख इस अधिनियम में अन्यत्र नहीं है।

(23). राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम के अधीन जिला परिषद् को ऐसी शक्तियां निहित की जा सकेंगी, जिसे सरकार यथोचित समझे।

(24). दो या अधिक निकटवर्ती जिलों के जिला परिषद् यथा सहमत बंधेज और शर्तों के अनुसार संयुक्त रूप से किसी विकास स्कीम को अपने हाथ में ले सकेंगी और उसका कार्यान्वयन कर सकेंगी।

(25) जिला परिषद् के वार्षिक बजट तैयार करना।

74 जिला परिषद् की सामान्य शक्तियाँ—(1) सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन जिला परिषद्—

- (क) अपनी अधिकारिता के बाहर, शिक्षा या स्वास्थ्य राहत पर व्यय उपगत कर सकेगी;
- (ख) जिलावासियों के कल्याणार्थ स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सुख-सुविधा, या सामाजिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक अभिवृद्धि हेतु कोई कार्य या उपायों को कार्यान्वित करने का उपबंध कर सकेगी;
- (ग) स्थानीय सरकार के प्रोत्साहन से संबद्ध अखिल भारतीय, राज्य या अन्तर्राज्य स्तर के संघ और पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कार्य कलापों से संबंधित जिला के अन्तर्गत प्रदर्शनी, सेमिनार और सम्मेलनों को अंशदान कर सकेगी, और
- (घ) जिले में किसी ऐसे कार्य कलाप के कार्यान्वयन के लिये किसी भी व्यक्ति को वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान कर सकेगी, जो राज्य के किन्हीं कृत्यों से संबंधित हों।
- (2) जिला परिषद् को, उसे सौंपे गये या प्रत्यायोजित कृत्यों का कार्यान्वयन करने के लिए सभी आवश्यक या आनुषंगिक कार्रवाई करने और खासकर पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों के प्रयोग की शक्तियां होंगी।

75. कृत्यों का समनुदेशन —(i) सरकार, जिला परिषद् को अपने कार्यपालक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले से संबंधित अथवा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को समनुदेशित किये गये कृत्यों को सौंप सकेगी।

(iii) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन सौंपे गये कृत्यों को वापस ले सकेगी या उपांतरित कर सकेगी।

(iv)

76. शक्तियों का प्रत्यायोजन —

जिला परिषद् इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियां मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी को, अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी।

77. स्थायी समितियां —

(1) जिला परिषद् अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निर्वाचन द्वारा निम्नलिखित समितियां गठित करेगी :—

(i) सामान्य स्थायी समिति।

(ii) वित्त, अंकेक्षण तथा योजना समिति।

- (iii) उत्पादन समिति ।
- (iv) सामाजिक न्याय समिति ।
- (v) शिक्षा समिति ।
- (vi) लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति ।
- (vii) लोक कार्य समिति ।

(2) प्रत्येक समिति में निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष सहित कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे । प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के प्रभावकारी निर्वहन के लिए विशेषज्ञों या लोक हितबद्ध व्यक्तियों में से अधिक से अधिक दो सदस्यों को सहयोजित कर सकती है ।

(3) अध्यक्ष, सामान्य स्थायी समिति तथा वित्त, अंकेक्षण एवं योजना समिति का पदेन—सदस्य और अध्यक्ष होगा तथा प्रत्येक अन्य समिति के लिए एक अध्यक्ष नामित करेगा । अध्यक्ष उपर्युक्त दो समितियों सहित तीन से अधिक समितियों के अध्यक्ष का प्रभार नहीं रखेगा:

परन्तु, प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी तथा सामाजिक न्याय समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति को होगा ।

(4) जिला परिषद् का कोई निर्वाचित सदस्य यथाशक्य तीन से अधिक समितियों में नहीं रहेगा ।

(5) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सामान्य स्थायी समिति एवं वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति का पदेन सचिव होगा । प्रत्येक अन्य स्थायी समिति के सचिव के रूप में जिला दण्डाधिकारी एक राजपत्रित पदाधिकारी का नाम निर्दिष्ट करेगा जो साधारणतया जिला स्तरीय सम्बद्ध विभाग का प्रभारी होगा ।

78. स्थायी समितियों के कृत्य—(1) सामान्य स्थायी समिति, स्थापना मामले, समन्वय एवं सभी अवशिष्ट कार्य , जो अन्य समिति के प्रभार में नहीं है , सहित जिला परिषद् से संबंधित सामान्य कार्यों का निष्पादन करेगी ।

(2) वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति वित्त, अंकेक्षण, बजट एवं योजना से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

(3) उत्पादन समिति कृषि, भूमि विकास , लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, पशुपालन, दुग्धशाला, कुक्कुट एवं मत्स्य पालन, वानिकी से संबंधित क्षेत्र, खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगी ।

- (4) सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।
- (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हितों का प्रोत्साहन ;
- (ख) ऐसी जातियों एवं वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करना और
- (ग) महिला एवं बच्चों का कल्याण
- (5) शिक्षा समिति, प्राथमिक, माध्यमिक, जन एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों सहित शिक्षा से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।
- (6) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति लोकस्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।
- (7) लोक कार्य समिति ग्रामीण आवास , जलापूर्ति स्रोत , सड़क एवं आवागमन के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं इससे संबंधित कार्य सहित सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

79. समितियों की प्रक्रिया- (1) जिला परिषद् समितियों के सदस्यों के निर्वाचन , उसके कार्य संचालन तथा उनसे संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में विनियम बना सकेगी।

(2) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, उस समिति के कार्यों के मामले में, जिला परिषद् के पदाधिकारियों से कोई सूचना, विवरणी, विवरण या प्रतिवेदन मंगवाने तथा जिला परिषद् की किसी भी अचल सम्पत्ति या समिति से संबंधित कार्यों की प्रगति के निरूपण और निरीक्षण का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक समिति को यह अधिकार होगा कि वह समिति के कार्यों से संबंधित जिला परिषद् के किसी पदाधिकारी को अपनी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति के अनुदेशों के अधीन सूचना निर्गत करेगा और पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

80. सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और बेचने की शक्ति-(1) जिला परिषद् को सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और बेचने तथा संविदा करने की शक्ति होगी:

परन्तु, अचल सम्पत्ति के निपटान के सभी मामलों में जिला परिषद् सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करेगी।

(2) सभी सड़क, भवन या अन्य निर्माण कार्य जो जिला परिषद् द्वारा उसके निधि से किया गया हो, उसमें निहित होंगे।

(3) जिला परिषद् की अधिकारिता में पड़ने वाली किसी सार्वजनिक संपत्ति को सरकार आवंटित कर सकेगी, और तत्पश्चात् ऐसी संपत्ति जिला परिषद् में निहित हो जाएगी और उसके नियंत्रण के अधीन आ जाएगी।

(4) जहां जिला परिषद् को इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किसी भूमि की अपेक्षा है वहां वह उक्त भूमि से हितबद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों से बात चीत कर सकता है और अगर वह किसी समझौता पर पहुंचने में असफल होता है तो वह भूमि अर्जित करने के लिए जिला दंडाधिकारी को आवेदन कर सकता है और अगर जिला दंडाधिकारी का समाधान हो जाए कि भूमि का अधिग्रहण किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1,1894 का) के उपबंधों के अधीन भूमि अर्जन के लिए कार्रवाई करेगा, और ऐसी भूमि अधिग्रहण के बाद जिला परिषद् में निहित होगी।

81. जिला परिषद् निधि—(1) प्रत्येक जिला परिषद् के लिए जिला परिषद् के नाम एक जिला परिषद् निधि का गठन किया जायेगा और उसके खाते में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे—

(क) अंशदान और अनुदान यदि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिये गये हों जिसमें सरकार द्वारा यथा अवधारित राज्य में संगृहीत किए जाने वाले भू-राजस्व का भाग भी शामिल है।

(ख) पंचायत समिति या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया गया अंशदान और अनुदान, यदि कोई हो।

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण यदि कोई हो, या जिला परिषद् द्वारा अपनी संपत्ति की प्रतिभूति से उगाही ऋण।

(घ) जिला में लगाई गई सड़क उप-कर (सेस) से उद्गृहीत आगम का हिस्सा।

(ङ) जिला परिषद् द्वारा उद्गृहीत दर एवं शुल्क से हुई सभी प्राप्तियाँ।

(च) जिला परिषद् में निहित या उसके द्वारा निर्मित या इसके नियंत्रण और प्रबंध के अधीन के किसी विद्यालय, अस्पताल, डिस्पेन्सरी, भवन, संस्थान या किसी निर्माण की बाबत हुई सभी प्राप्तियाँ।

(छ) उपहार या अंशदान के रूप में प्राप्त सभी रकम और जिला परिषद् के पक्ष में किसी न्यास या धर्मदाय से प्राप्त सभी आय।

(ज) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये उप-विधियों के उपबंधों के अधीन अधिरोपित तथा वसूल किया गया ऐसा जुर्माना या अर्थदंड, जैसा कि विहित हो ।

(झ) जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त ऐसी अन्य राशि ।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् ऐसी कुछ रकम को अलग रखेगी और उसे प्रतिवर्ष अपने प्रशासनिक कार्यों पर खर्च करने के साथ-साथ अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, भविष्य-निधि और उपदान के भुगतान के लिए अपेक्षित खर्च को पूरा करने में करेगी ।

(3) प्रत्येक जिला परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए यथोचित रकम खर्च कर सके ।

(4) जिला परिषद् का निधि जिला परिषद् में निहित होगा और कोष के खाता में जमा राशि ऐसी अभिरक्ष में रखी जाएगी या उनका निवेश इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश दे ।

82. करारोपण—(1) सरकार द्वारा यथाविहित अधिकतम दर के अध्यधीन जिला परिषद्

:-

(क) इसके द्वारा स्थापित या इसके प्रबंध के अधीन पड़ने वाले किसी घाट पर घाट-कर लगा सकेगी ।

(ख) निम्नलिखित शुल्क और कर लगा सकेगी अर्थात्—

(i) नाव या वाहनो के रजिस्ट्रीकरण पर शुल्क;

(ii) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सरकार द्वारा अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे तीर्थ स्थानों एवं मेलों में सफाई व्यवस्था प्रदान करने के लिए शुल्क ;

(iii) मेला आदि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) पर शुल्क;

(iv) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर जिला परिषद् द्वारा सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर जहाँ प्रकाश की व्यवस्था की गई हो, वहाँ प्रकाश शुल्क; और

(v) अपने क्षेत्राधिकार में जिला परिषद् द्वारा पेय जल आपूर्ति, सिंचाई या अन्य किसी प्रयोजनार्थ जल की व्यवस्था किए जाने पर जल-शुल्क ।

(2) जिला परिषद् अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसे वाहनों पर जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पूर्व में रजिस्ट्रीकृत हो या यदि किसी दूसरे स्थानीय प्राधिकार द्वारा तीर्थ स्थल या मेला आदि की जगहों पर सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी हो, शुल्क नहीं लगायेगा ।

(3) शुल्क या दर अधिरोपित करने और उनके निबंधन एवं शर्तें उप-विधि द्वारा यथा उपबंधित होगी। ऐसी उप विधियों में किसी तरह के मामले में सभी या किन्हीं करों, शुल्कों या दरों से विमुक्ति का उपबंध हो सकेगा।

83. जिला परिषद् के लिए वित्तीय व्यवस्थाएं—(1) जिला परिषद् स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कर्ज लेने से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अध्यक्षीन राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, कर्ज ले सकेगी और ऐसे कर्जों की अदायगी के लिए निक्षेप निधि का सृजन कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला परिषद् सरकार से या सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से, विशिष्ट स्कीमों के आधार पर जो इस प्रयोजनार्थ जिला परिषद् द्वारा तैयार की जाए, अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उधार ले सकेगी।

84. बजट— प्रत्येक जिला परिषद् प्रत्येक वर्ष ऐसे समय और उस रीति से, जैसा कि विहित की जाये, अगले वर्ष के लिए अपनी प्राक्कलित प्राप्तियों एवं संवितरणों का बजट तैयार करेगी और वह बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होगा; वैसी बैठक के लिए कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम में गणपूर्ति नहीं होगी।

85. लेखा— जिला परिषद् यथाविहित रीति से लेखा रखेगी।

86. अंकेक्षण — (1) जिला परिषद् के लेखे का अंकेक्षण सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और अंकेक्षण पूरा होने के एक महीने के भीतर जिला परिषद् को अंकेक्षण-टिप्पणी की एक प्रति अग्रसारित की जाएगी।

(2) उप-धारा-(1) में निर्दिष्ट अंकेक्षण -रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जिला परिषद् किसी भी त्रुटि या अनियमितता का सुधार करेगी जो अंकेक्षण में बताया गया हो और सरकार के पास ऐसा किए जाने की सूचना तीन महीने के भीतर भेज देगी अथवा उक्त अवधि के भीतर ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं के संबंध में विहित प्राधिकारी के पास विशेष स्पष्टीकरण देगी जो वह देना चाहे।

(3) उपर उप धारा (1) में उल्लिखित विहित प्राधिकारी द्वारा किये गये अंकेक्षण के अलावा इस प्रयोजनार्थ विहित रीति से जिला परिषद् का समवर्ती अंकेक्षण या विशेष अंकेक्षण कराया जा सकेगा ।

87. जिला परिषद् के कर्मचारीगण—(1) जिला दंडाधिकारी अथवा ऐसा अपर जिला दण्डाधिकारी, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, की पंक्ति का पदाधिकारी, जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा तथा जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। सरकार किसी जिला परिषद् के लिये यथाविहित बंधेजों एवं शर्तों पर एक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) सरकार समय-समय पर प्रत्येक जिला परिषद् में उतने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर सकेगी जैसा कि सरकार आवश्यक समझे ।

(3) इस बाबत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन, कोई जिला परिषद् अपने कार्यों के संचालन के लिए समय-समय पर उतनी संख्या में भुगतान के आधार पर या अवैतनिक कर्मचारियों या व्यवसायिकों की सेवा ले सकेगी जितनी कि अपेक्षित हो।

88. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के कृत्य—(1) इस अधिनियम द्वारा या, इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—

(क) जिला परिषद् की नीतियों और निदेशों को कार्यान्वित करेगा, और जिला परिषद् के सभी कार्यों और विकास-स्कीमों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाएगा;

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा अथवा उसके अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करेगा;

(ग) अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण तथा यथा विहित नियमों के अध्यधीन जिला परिषद् के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगा;

(घ) जिला पंचायत से संबंधित सभी कागजात और दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखेगा, और

(ङ) जिला परिषद् निधियों से धन की निकासी और संवितरण करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगा जो यथाविहित की जाय।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होगा और विमर्श में भाग लेगा किन्तु कोई प्रस्ताव रखने या मतदान करने का अधिकार उसे नहीं होगा। यदि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की राय में जिला परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कोई प्रस्ताव इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबन्ध या इसके अधीन बनाये गये नियमों या दिये गये आदेश का उल्लंघनकारी है या उससे असंगत है, तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह जिला परिषद् के ध्यान में उसे लाए।

(3) मुख्य लेखा पदाधिकारी वित्तीय नीति के मामले में जिला परिषद् को परामर्श देगा और जिला परिषद् के लेखा से संबंधित सभी मामलों के लिये जिनमें वार्षिक लेखा और बजट तैयार करना भी शामिल है, उत्तरदायी होगा।

(4) मुख्य लेखा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यय समुचित मंजूरी के बिना नहीं किया जाय तथा और इसके अधीन बनाये नये नियमों एवं विनियमों के अनुसार ही किया जाय, और वैसे किसी भी व्यय को नामंजूर कर देगा जो इस अधिनियम या नियम अथवा विनियम द्वारा समर्थित नहीं हो या जिसके लिये इस बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया हो।

(5) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के संपादन में सहायता करेगा।

(6) मुख्य योजना पदाधिकारी योजना बनाने के मामले में जिला परिषद् को परामर्श देगा और जिला परिषद् की योजना से संबंधित सभी मामलों के लिये, जिनमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना और जिले की वार्षिक योजना तैयार करना भी शामिल है, के लिए उत्तरदायी होगा।

89. अभिलेखों की मांग करने का अधिकार—(1) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् से संबंधित धन, लेखा, अभिलेख या अन्य संपत्ति को अपने कब्जे में रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयोजनार्थ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लिखित मांग किये जाने पर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को या उसे प्राप्त करने के लिये अधियाचना में प्राधिकृत व्यक्ति को वैसा धन तुरन्त सुपुर्द कर देगा या वैसा लेखा, अभिलेख या अन्य संपत्ति दे देगा।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उसी रीति से ऐसे व्यक्ति द्वारा देय किसी धन को वसूलने की भी कार्रवाई कर सकेगा और व्यक्ति—कर्मियों से भू—राजस्व के बकाये की वसूली के लिए और ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् से संबंधित लेखा, अभिलेख या अन्य संपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ तलाशी वारंट जारी कर सकेगा और उससे सम्बद्ध ऐसी सभी शक्तियों

का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2,1974) के अध्याय (VII) के उपबंधों के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिक रूप से प्रयोग किया जाता हो ।

(3) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् से संबंधित धन, लेखा, अभिलेख या अन्य संपत्ति कहां, छिपायी हुई है, ऐसा जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उसकी जानकारी देने के लिये आबद्ध होगा ।

(4) इस धारा के अधीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी ।

अध्याय — VI

ग्राम कचहरी और उसकी न्यायपीठों की स्थापना, शक्तियां, कर्तव्य और प्रक्रिया

90. ग्राम कचहरी का गठन और सरपंच और पंचों का निर्वाचन—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सौंपे गये न्यायिक कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ एक ग्राम कचहरी की स्थापना की जायेगी जिसमें :—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ग्राम कचहरी का एक निर्वाचित सरपंच होगा, तथा
(ख) जिला दंडाधिकारी द्वारा समय—समय पर यथा अधिसूचित संख्या में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंच होंगे और ऐसा प्रत्येक पंच पंचायत क्षेत्र की लगभग पांच सौ की आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के अनुरूप ही होंगे।

(2) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित रीति से प्रत्यक्षतः एक पंच का निर्वाचन करेगा।

(3) इस धारा के उपबंधों के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम कचहरी को जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा और वह उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से प्रवृत्त होगी।

91. स्थान का आरक्षण — (1) प्रत्येक ग्राम कचहरी में ग्राम कचहरी के पंचों के कुल स्थानों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे :—

- (क) अनुसूचित जाति;
- (ख) अनुसूचित जनजाति; और
- (ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक ग्राम कचहरी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस ग्राम कचहरी में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी ग्राम कचहरी में भिन्न—भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से चक्रानुक्रम

में जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात् शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किया जायेगा। वैसे स्थान अगले चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु उससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान ग्राम कचहरी में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथाविहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

92. ग्राम कचहरी की अवधि – (1) प्रत्येक ग्राम कचहरी, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं।

(2) ग्राम कचहरी का गठन करने के लिए निम्नलिखित रूप में निर्वाचन पूरा किया जाएगा:—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी कार्यावधि समाप्त होने के पूर्व,

(ख) विघटन की दशा में, उसके विघटन की तारीख से छह महीने के अवधि अवसान के पूर्व:

परन्तु, जहां ऐसी शेष अवधि जिसके दौरान विघटित कचहरी बनी रहती, वह छह महीने से कम की हो, तब इस उपधारा के अधीन ऐसी अवधि के लिए उस ग्राम कचहरी का गठन करने हेतु कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(3) अपनी कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व किसी ग्राम कचहरी को विघटित किये जाने पर गठित की गई ग्राम कचहरी उस शेष अवधि के लिए ही बनी रहेगी जिस अवधि तक विघटित ग्राम कचहरी उपधारा (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित न की जाती।

93. सरपंच और उप-सरपंच का निर्वाचन—(1) ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा,

(2) सरपंच की मृत्यु, पदत्याग, निरर्हता, हटाए जाने, या अन्य कारणों द्वारा हुई रिक्ति की दशा में, उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार यथाशीघ्र दूसरे सरपंच का निर्वाचन किया जायेगा।

परन्तु सरपंच के पद की रिक्ति छह महीने से कम अवधि के लिए होने पर कोई निर्वाचन नहीं होगा।

(3) (i) निर्वाचन के बाद, प्रत्येक ग्राम-कचहरी, अपनी प्रथम बैठक में, इस अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन निर्वाचित पंचों में से बहुमत द्वारा एक उप-सरपंच का चुनाव करेगी।

- (i) उप-सरपंच के निर्वाचन में ग्राम कचहरी का सरपंच एक मतदाता होगा।
- (ii) उप-सरपंच के निर्वाचन में मतों की बराबरी की दशा में परिणाम का विनिश्चय लाटरी द्वारा किया जाएगा।

(4) (i) यदि किसी ग्राम कचहरी में सरपंच और उप-सरपंच का पद एक साथ ही रिक्त हो जाए तो संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी किसी घटना के 15 दिनों के भीतर उप-सरपंच के निर्वाचन के लिए एक बैठक आयोजित करेगा और इसके लिए पंचों को कम-से-कम सात दिनों की नोटिस दी जाएगी।

(ii) संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

(iii) उप-सरपंच के निर्वाचन में बराबर मत प्राप्त होने की दशा में परिणाम का विनिश्चय लाटरी द्वारा किया जाएगा।

(5) **स्थान का आरक्षण—** (i) सरपंच के पद के लिए प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत सरपंच के कुल पदों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे:—

- (क) अनुसूचित जाति;
- (ख) अनुसूचित जनजाति; और
- (ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत सरपंच के पद के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत समिति में सरपंच के पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी पंचायत समिति के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न ग्राम कचहरियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण तथा इसके द्वारा विहित रीति से, चक्रानुक्रम में, जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरपंच के पदों के आरक्षण के पश्चात् शेष बची ग्राम कचहरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या कुल पदों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी तथा इन पदों को विहित रीति से पंचायत समिति की अन्य ग्राम कचहरियों को जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा। ऐसे पद उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में इसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम कचहरियों को आवंटित किए जाएंगे।

(ii) उपधारा (i) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे।

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों की महिलाओं एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान ग्राम पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।

94. ग्राम कचहरी को सहायता—(1) प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक सचिव होगा जो विहित रीति से नियुक्त किया जायेगा ।

(2) ग्राम कचहरी अथवा उसकी किसी न्यायपीठ को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम त्रिवर्षीय विधि-उपाधि प्राप्त व्यक्ति होगा जो न्यायमित्र कहलायेगा । ऐसे न्यायमित्र को विहित रीति से नियुक्त किया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार, विहित रीति से, ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच और पंचों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी ताकि ग्राम कचहरी अपने कृत्यों का प्रभावकारी ढंग से सम्पादन करने में समर्थ हो सके ।

95. सरपंच और उप-सरपंच की पदावधि— ग्राम कचहरी के सरपंच और उप-सरपंच की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ग्राम कचहरी के सदस्य के रूप में उसकी पदावधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी ।

96. सरपंच और उप-सरपंच की शक्तियां और कार्य—(1) इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, सरपंच—

(क) ग्राम कचहरी और उसकी पीठों का अध्यक्ष होगा;

(ख) पक्षकारों के आवेदन और पुलिस रिपोर्ट पर वाद और मामला लेगा;

(ग) पक्षकारों और गवाहों की उपस्थिति के लिए कार्रवाई करेगा; और ऐसे वादों या मामलों के निपटारे के लिए साक्ष्य लेने तथा पक्षकारों, गवाहों तथा यथापेक्षित अन्य व्यक्तियों को उपस्थिति के लिए बाध्य करने तथा दस्तावेजों या लिखतों को प्रस्तुत करने के लिए उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, और

(घ) यथाविहित अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा,

(2) उप-सरपंच, सरपंच के पद रिक्त रहने या सरपंच की असमर्थता अथवा अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, उसके सारे कर्तव्यों का निष्पादन और उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा किसी अन्य शक्ति अथवा कर्तव्य का प्रयोग अथवा निष्पादन करेगा, जो विहित किए जाएं।

97. सरपंच अथवा उप-सरपंच का त्याग-पत्र अथवा हटाया जाना—(1) सरपंच अथवा उप-सरपंच जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्याग-पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तिथि से सात दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा, बशर्ते कि सात दिनों की इस अवधि की समाप्ति के पूर्व वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर, ऐसा त्याग-पत्र वापस न ले ले।

(3) यदि कोई उप-सरपंच किसी ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं रह जाए तो वह अपना पद छोड़ देगा।

(4)(i) अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपंच को हटाया जाना – प्रत्येक सरपंच द्वारा उसी समय से अपना पद रिक्त कर दिया गया मान लिया जाएगा, यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं की संख्या के साधारण बहुमत से उसमें विश्वास न रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ऐसी विशेष बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत की कुल मतदाता संख्या के कम-से कम पंचमांश मतदाताओं के हस्ताक्षर से की जाएगी और वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दी जाएगी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी अध्यक्षता प्राप्त होने की तिथि से सात दिनों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाए जाने हेतु तिथि निर्धारित करेगा। बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि के पन्द्रह दिनों के भीतर बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा की जायेगी;

परन्तु सरपंच की पदावधि के प्रथम दो वर्षों में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव उसके विरुद्ध नहीं लाया जाएगा।

परन्तु और कि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर कर दिये जाने पर ऐसी नामंजूरी की तिथि से अगले एक वर्ष की कालावधि के भीतर कोई नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

परन्तु और कि ग्राम कचहरी के कार्यकाल के अन्तिम छः माह के दौरान सरपंच के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(ii) अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उप सरपंच को हटाया जाना – प्रत्येक उप-सरपंच द्वारा उसी समय से अपना पद रिक्त कर दिया गया मान लिया जाएगा, यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में ग्राम कचहरी के कुल निर्वाचित पंचों एवं सरपंच की संख्या के साधारण बहुमत से उसमें विश्वास न रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ऐसी विशेष बैठक की अध्यक्षता ग्राम कचहरी के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के कम-से-कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से सरपंच से की जाएगी और यह सरपंच को सुपुर्द कर दी जायेगी। अध्यक्षता प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर सरपंच ग्राम कचहरी के कार्यालय में प्रस्ताव पर विचार हेतु ग्राम कचहरी की विशेष बैठक बुलायेगा तथा बैठक की अध्यक्षता भी करेगा।

परन्तु उप-सरपंच की पदावधि के प्रथम दो वर्षों में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव उसके विरुद्ध नहीं लाया जाएगा।

परन्तु और कि उप-सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर कर दिये जाने पर ऐसी नामंजूरी की तिथि से अगले एक वर्ष की कालावधि के भीतर उप-सरपंच के विरुद्ध नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

परन्तु यह और कि ग्राम कचहरी के कार्यकाल के अन्तिम छः माह के दौरान उप-सरपंच के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ग्राम पंचायत क्षेत्रा पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त के विचार में यदि कोई सरपंच अथवा उप-सरपंच बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जान-बूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इन्कार या उपेक्षा करने या उसमें निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो आयुक्त ऐसे सरपंच या उप-सरपंच को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे सरपंच या उप-सरपंच को उसके पद से हटा सकेगा।

इस प्रकार हटाया गया सरपंच या उप-सरपंच ऐसी ग्राम कचहरी में उसकी शेष पदावधि के दौरान सरपंच या उप-सरपंच या ग्राम कचहरी के पंच के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा,

(6) आयुक्त के आदेश के विरुद्ध सदस्य, राजस्व पर्सद के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

98. पंच का त्याग-पत्र- किसी ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पदत्याग कर सकेगा और उसका पद ऐसे त्याग-पत्र की तिथि से सात दिनों की समाप्ति पर रिक्त हो जाएगा, बशर्ते कि वह सात दिनों की उक्त अवधि के भीतर सरपंच को अपना स्वलिखित आवेदन देकर ऐसा त्याग-पत्र वापस न ले ले।

99. पंचों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति- जब किसी पंच का स्थान उसके हटाये जाने, पदत्याग, मृत्यु या अन्यथा रिक्त हो जाए, तब किसी नये पंच का निर्वाचन, विहित रीति से किया जाएगा और वह अपने पद पर तबतक बना रहेगा जब तक कि वह पंच, जिसके स्थान पर उसका निर्वाचन हुआ है, अपने पद पर बने रहने का हकदार होता यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती।

100. कतिपय कार्यवाहियों में सरपंच, उप-सरपंच या पंचों द्वारा भाग नहीं लिया जाना-कोई सरपंच, उप-सरपंच या पंच किसी ऐसी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हो ;

परन्तु, सरपंच, उप-सरपंच या पंच ने किसी मामला या वाद के तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर ली है, मात्र इस तथ्य के चलते वह कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अयोग्य नहीं होगा।

101. वादो और मामलों को दायर करना और उसकी सुनवाई-(1) इस अधिनियम के अधीन दायर किया जाने वाला प्रत्येक वाद या मामला सरपंच के समक्ष दायर किया जाएगा और जहां सरपंच की सेवाएँ उपलब्ध न हो वहां उप-सरपंच के समक्ष और उसे ग्राम कचहरी की किसी ऐसी न्याय पीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जायेगा जिसमें सरपंच तथा वाद या मामले से संबंधित पक्षकारों द्वारा नामित किए जाने वाले ग्राम कचहरी के पंचों में से दो पंच और यथा विहित रीति से सरपंच द्वारा चुने गए दो अन्य पंच शामिल हों,

परन्तु –

(i) यदि कोई पक्षकार यथाविहित समय के भीतर किसी पंच को नाम निर्दिष्ट नहीं करे तो सरपंच या उसकी अनुपलब्धता की स्थिति में, उप-सरपंच ग्राम कचहरी के पंचों में से पंच निर्दिष्ट करेगा;

(ii) यदि किसी वाद या मामले की कार्यवाहियों में, भाग लेने से सरपंच निवारित हो जाए तो उप सरपंच को, अथवा यदि वह भी सरपंच की राय में उसी प्रकार निरहित हो, तो अपने बीच से पंचों द्वारा अन्य पंच का चुनाव किया जाएगा और यथास्थिति उप सरपंच अथवा इस प्रकार चुना गया पंच, उक्त वाद या मामले के प्रयोजनार्थ सरपंच के सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(iii) यदि वाद या मामले के दायर होने के बाद किन्तु उसके अवधारण के पहले किसी समय सरपंच की सेवा उपलब्ध न रहे तो उप-सरपंच, अथवा यदि उप-सरपंच को कार्यवाहियों में भाग लेने से धारा 100 के अधीन निवारित किया गया हो या वाद अथवा मामले में किसी पक्षकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, तो पंचों के पैनल द्वारा एक पंच का नाम निर्देशन किया जाएगा अथवा जहां ऐसा नाम निर्देशन नहीं किया गया हो वहां ग्राम कचहरी का वरिष्ठतम पंच सरपंच का कार्य करेगा, और

(iv) यदि किसी वाद या मामले के दायर किए जाने के बाद किन्तु उसके अवधारण के पूर्व किसी समय, किसी पंच की सेवाएं उपलब्ध नहीं रहें अथवा वह कार्यवाहियों में भाग लेने से धारा 100 के अधीन निवारित किया गया हो, विहित समय के भीतर, यथा स्थिति संबंध पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पंच का नाम निर्देशन या सरपंच द्वारा उसका चयन किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी वाद या मामले की सुनवाई और अवधारण करने के प्रयोजनार्थ तीन से अन्यून पंचों की गणपूर्ति होगी जिसमें सरपंच और संबंधित पक्षकारों द्वारा नामित दो पंच शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ—

“सरपंच” पद में सरपंच के स्थान पर काम करने वाला उप-सरपंच या कोई अन्य पंच और संबद्ध पक्षकारों द्वारा नामित “पंच” पद में उप-धारा (1) के परन्तुक के खंड (1) के अधीन मनोनीत पंच भी शामिल हैं।

102. विवादों का सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के लिये ग्राम कचहरी की न्यायपीठ का कर्तव्य—ग्राम कचहरी की न्यायपीठ, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी वाद की सुनवाई करते समय या किसी मामले का विचारण करते समय, पक्षकारों को यथोचित रीति से नोटिस देने के

बाद पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का प्रयास करेगी, और इस प्रयोजनार्थ, न्यायपीठ यथोचित रीति से और अविलम्ब, वाद या मामले का और उसके गुणा-गुण पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों का और उसके सही समाधान का अन्वेषण करेगी तथा ऐसा करने में वह ऐसी सभी विधिपूर्ण बातें कर सकेगी जो वह उचित और सौहार्दपूर्ण समझौते कराने के लिये पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ उचित समझे और जहां ऐसा समझौता हो जाय, वहां न्यायपीठ उसे अभिलिखित करेगी और तदनुसार अपना निर्णय देगी।

103. सौहार्दपूर्ण समझौता न होने की दशा में ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विवाद की जांच करना तथा उस पर निर्णय देना – जहाँ ग्राम कचहरी की कोई न्यायपीठ पूर्ववर्ती धारा के अधीन सौहार्दपूर्ण समझौता कराने में सफल नहीं हो अथवा अन्यथा किसी वाद या मामले की सुनवाई या विचारण शुरु करे, वहाँ वह मामले की जांच करेगी, ऐसा साक्ष्य लेगी, जो वह आवश्यक समझे, और अपना निर्णय अभिलिखित करेगी और न्यायपीठ के सदस्यों के बीच असहमति होने की दशा में बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा;

परन्तु, इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट कोई भी बात न्यायपीठ के किसी सदस्य को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपनी विमति टिप्पणी अभिलिखित करने से रोकने वाली नहीं समझी जायगी।

104. ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके निमित्त सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों या दिये गये निदेशों के अधीन, ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो वह उचित तथा सुविधाजनक समझे और न्यायपीठ इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विहित प्रक्रिया से भिन्न किन्हीं अन्य साक्ष्य- विधियों या प्रक्रिया का पालन करने के लिये बाध्य नहीं होगी।

105. निर्णय का रूप –ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ का निर्णय लिखित रूप में होगा और उस पर इसके सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। उसमें इस निमित्त सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा यथाविहित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी ;

परन्तु, न्यायपीठ के किसी सदस्य द्वारा निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करने पर ऐसे निर्णय की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

106. दाण्डिक अधिकारिता – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को ग्राम पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर निम्नलिखित अपराधों और ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरण तथा ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयासों का, यदि ऐसे अपराध इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किये गये हों, विचारण करने की अधिकारिता होगी, यथा

(क) भारतीय दंड संहिता 1860, (45, 1860) की धारा 140, 142, 143, 145, 147, 151, 153, 160, 172, 174, 178, 179, 269, 277, 283, 285, 286, 289, 290, 294, 294—अ, 323, 334, 336, 341, 352, 356, 357, 358, 374, 403, 426, 428, 430, 447, 448, 502, 504, 506, 510 के अधीन किये गये अपराध;

(ख) बंगाल लोक द्यूत अधिनियम, 1867 (बंगाल अधिनियम, 2, 1867) के अधीन किये गये अपराध,

(ग) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1, 1871) की धारा 24 और 26 के अधीन किये गये अपराध;

(घ) अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन किये गये अपराध; और

(ङ) किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किया गया कोई अपराध, यदि सरकार द्वारा इस बाबत शक्ति प्रदान की जाय।

परन्तु, यह और कि ग्राम कचहरी किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी जिसकी बावत, इस अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही लम्बित हो।

परन्तु, न्याय पीठ (बेंच) भारतीय दंड संहिता 1860 (45, 1860) की धारा 379, 380, 381 या 411 के अधीन किये गये किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, जिसमें चुराई गई अभिकथित सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रुपये से अधिक हो या जिसमें अभियुक्त को—

(i) भारतीय दंड संहिता 1860 (45, 1860) के अध्याय XVII के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पूर्व में तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि के कारावास के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, अथवा

(ii) ग्राम कचहरी की किसी न्याय पीठ द्वारा चोरी के लिए पूर्व में जुर्माना किया गया हो और

(iii) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (2, 1974) की धारा 109 या 110 के अधीन चलाई गयी कार्यवाही में सद्व्यवहार करने के लिये करारबद्ध किया गया हो,

परन्तु यह भी कि, ग्राम कचहरी किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जिसके संबंध में ग्राम पंचायत मुखिया या कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य, सरपंच, या किसी पंच के विरुद्ध परिवाद पत्र दायर किया गया हो।

107. ग्राम कचहरी की पीठ की दायित्व शक्तियां— (1) ग्राम कचहरी की पीठ पक्षों को सुनने एवं उनके द्वारा पेश साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् अपना निर्णय अभिलिखित करेगी, तथा अपराधी को ऐसे जुर्माने से दंडित कर सकेगी जो एक हजार रुपये से अनधिक हो :

परन्तु, अगर मामले के विचारण के समय पीठ में उपस्थित सदस्य एकमत नहीं हों, तो वैसे सदस्यों के बहुमत का निर्णय ग्राम कचहरी की पीठ का निर्णय होगा :

परन्तु, आगे यह कि मामले के विचारण में पीठ में उपस्थित सदस्यों के मतों की बराबरी की स्थिति में, सरपंच द्वितीय अथवा निर्णायक मत देगा तथा पीठ का निर्णय उस द्वितीय अथवा निर्णायक मत के अनुसार होगा ।

(2) ग्राम कचहरी की कोई पीठ, साधारण अथवा सश्रम, किसी कारावास की सजा नहीं दे सकेगी, चाहे वह मूल दंडादेश रूप में हो या जुर्माने का भुगतान करने में व्यतिक्रम करने पर हो।

(3) जब कोई पीठ उपधारा (1) के अधीन कोई जुमाना अधिरोपित करती है, तो वह, आदेश पारित करते समय निदेश दे सकेगी कि वसूले गये जुर्माने का सम्पूर्ण अथवा अंश उस अपराध के कारण हुई हानि अथवा क्षति के प्रतिकर के भुगतान के लिए उपयोजित किया जायेगा।

(4) जब किसी व्यक्ति को ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ द्वारा सजा दी जाये, तब, वह न्यायपीठ इस तरह दण्डादिष्ट व्यक्ति द्वारा लिखित या मौखिक रूप से अनुरोध किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन अपील दायर करने की विहित अवधि के लिए ऐसी सजा के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगी । ग्राम कचहरी या इसकी न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश की प्रति, ऐसा आदेश पारित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, इस प्रयोजनार्थ विहित रीति से, पक्षकारों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

108. झूठा, तुच्छ या परेशान करने वाले अभियोग से संबंधित मामला में परिवादी द्वारा चुकाया जाने वाला प्रतिकर—यदि परिवाद के आधार पर संस्थित किसी मामले में ग्राम कचहरी की पीठ सभी या किसी अभियुक्त को उन्मोचित या दोषमुक्त कर दे और उसके विचार में किसी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग झूठा या तुच्छ या परेशान करने वाला था तो ऐसी पीठ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर यह निदेश दे सकेगी कि ऐसा अभियुक्त को परिवादी

द्वारा अधिकतम पांच सौ रुपये तक का प्रतिकर अदा किया जाय और यदि प्रतिकर अदा न किया जाता हो, वह पीठ के द्वारा किया गया जुर्माना के रूप में वसूलनीय होगा।

109. सरपंच की दाण्डिक शक्तियां –(1) जब कभी सरपंच को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि शान्ति भंग होने वाली है या लोक प्रशान्ति में विघ्न पड़ने वाला है और उसकी तुरत रोक-थाम या उसके लिये शीघ्र उपचार करना वांछनीय है तो मामले के संबंध में तात्विक तथ्यों का उल्लेख करते हुए, लिखित आदेश देकर और विहित रीति से तामील कर, किसी व्यक्ति को, कतिपय कार्य से प्रविरत रहने या उसके प्रबंधन अथवा कब्जा वाली कतिपय सम्पत्ति के संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा।

(2) सरपंच, उप-धारा (1) के अधीन आदेश निर्गत करते ही मामले की कार्यवाहियां अनुमंडल दंडाधिकारी को पेश करेगा, जो विवाद के पक्षकारों, यदि वे चाहें, को सुनने के बाद आदेश को संपुष्ट कर सकेगा या नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन परित आदेश तीस दिनों तक प्रवृत्त रहेगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन पारित आदेश को संबद्ध स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तत्परता से लागू किया जायेगा।

110. ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की अनन्य सिविल अधिकारिता – (1) बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887(13,1887), प्रान्तीय लघुहेतुक न्यायालय अधिनियम, 1887(9,1887) और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(5, 1908) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन, ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को निम्नलिखित श्रेणी के वादों को सुनने और अवधारित करने की अधिकारिता होगी, अर्थात्—

(क) जब वाद का मूल्य दस हजार रुपये के अधिक का न हो, यथा—

(i) संविदा पर देय धन के लिये वाद;

(ii) चल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की वसूली के लिये वाद;

(iii) लगान की वसूली के लिये वाद; और

(iv) चल सम्पत्ति को संदोष ग्रहण करने या उसे क्षति पहुंचाने के चलते प्रतिकर के लिये, या पशु-अतिचार से क्षतिग्रस्त

सम्पत्ति के लिये वाद;

(ख) वाद बंटवारा के सभी मामले, सिवाय उन वादों के जहां विधि का जटिल प्रश्न या टाईटिल अन्तर्ग्रस्त हो;

किन्तु जहां ग्राम कचहरी का विचार में किसी बंटवारा के किसी वाद में विधि का जटिल प्रश्न या टाईटिल का मामला सन्निहित है तो ग्राम कचहरी ऐसे वाद को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित कर देगी,

परन्तु, खंड (क) एवं खंड (ख) के अधीन उपर्युक्त प्रकार के वाद के पक्षकार, वाद के मूल्य को ध्यान में रखे बिना, लिखित करार द्वारा निर्णय के लिये न्यायपीठ को वाद निर्दिष्ट कर सकेगा , और न्यायपीठ को कोर्ट-फीस और अन्य मामले के संबंध में , इस अधिनियम के अधीन, यथाविहित नियमों के अधीन उक्त वाद की सुनवाई करने और उसका अवधारण करने की अधिकारिता होगी,

111. ग्राम कचहरी द्वारा कतिपय वादों की सुनवाई नहीं किया जाना – धारा 110 में अन्तिर्विष्ट से किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई भी वाद ग्राम कचहरी की किसी पीठ में स्वीकार नहीं होगा:-

(क) साझेदारी लेखे के अतिशेष पर,

(ख) निर्वसीयतता के अधीन शेयर या शेयर के भाग के लिये या वसीयत के अधीन वसीयत संपदा या संपदा के भाग के लिये, या

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार या अपनी पदीय हैसियत से ऐसे सरकारी सेवकों द्वारा या उसके विरुद्ध, या

(घ) नाबालिग या विकृत चित्त के व्यक्तियों द्वारा या उसके विरुद्ध, या

(ङ) अचल सम्पत्ति के लगान के निर्धारण, वृद्धि, कमी, उपशमन या प्रभाजन के लिये,

(च) पुरोबंध द्वारा बंधक लागू करने के लिये अचल सम्पत्ति के बंधक का या बंधक के मोचन के लिये सम्पत्ति की बिक्री, या

(छ) अचल संपत्ति में अधिकार, टाइटिल और हित का अवधारण के लिए ,

(ज) किसी ऐसे मामले के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लम्बित हो

(झ) ग्राम पंचायत, मुखिया या कार्यपालिका समिति के किसी सदस्य, सरपंच या पंच के विरुद्ध ।

112. अपील (1) ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के किसी आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील ऐसे आदेश या निर्णय के पारित किये जाने के तीस दिनों के भीतर ग्राम कचहरी की पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष दायर की जायेगी, तथा इसके द्वारा अपील की सुनवाई विहित रीति से की जायेगी ।

(2) उप-धारा(1) के अधीन अपील की सुनवाई के लिये पूर्ण न्यायपीठ के गठन के प्रयोजनार्थ सात पंचों से गणपूर्ति होगी।

(3) ग्राम कचहरी के पूर्ण पीठ के आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील ऐसा आदेश पारित होने के 30 दिनों के अन्दर, सिविल मामलों में अवर न्यायाधीश के समक्ष और अपराधिक मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर की जायेगी।

(4) अपील में जिस आदेश को चुनौती दी गई हो उसे, विहित रीति से अपील के अन्तिम निष्पादन तक लागू नहीं किया जायेगा,

(5) ग्राम कचहरी की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश की प्रति ऐसा आदेश पारित किये जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, इस प्रयोजनार्थ विहित रीति से, पक्षकारों को मुफ्त दी जाएगी।

113. किसी ग्राम कचहरी के किसी न्यायपीठ द्वारा, संज्ञान लिये गये मामले या वाद का न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाना—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तरविष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय ऐसे किसी मामले या वाद का संज्ञान नहीं लेगा जो इस अधिनियम के अधीन ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा संज्ञेय हो।

(2) ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय कोई अपराध किये जाने, किसी थाना के प्रभारी पदाधिकारी को दी गई, प्रत्येक सूचना की जानकारी ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को, जिसकी अधिकारिता में यह अपराध किया गया हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर दे दी जायेगी,

(3) ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय किसी अपराध से संबंधित मामला ऐसे न्यायपीठ के समक्ष लम्बित हो और पुलिस पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो या उसी अपराध के संबंध में किसी दण्डाधिकारी के पास परिवाद किया गया हो तो ऐसा पुलिस पदाधिकारी या परिवादी यथा स्थिति आरोप-पत्र या परिवाद-पत्र में इसका उल्लेख करेगा कि ऐसा ही मामला लम्बित है और ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख करेगा कि ऐसा ही मामला लम्बित है और ऐसी स्थिति में, संबद्ध दण्डाधिकारी ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को ऐसे मामले का विचारण करने का निदेश देगा।

114. दण्डाधिकारी या मुन्सिफ द्वारा ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को मामलों या वादों का अंतरण

— किसी दण्डाधिकारी या मुन्सिफ या सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी मामले या वाद की कार्यवाही के किसी स्तर पर, ऐसा प्रतीत हो कि मामला या वाद ग्राम कचहरी के न्यायपीठ द्वारा विचारणीय है तो यथा स्थिति मुख्य/अपर/अवर न्यायिक

दंडाधिकारी, मुन्सिफ या सक्षम अधिकारिता का न्यायालय तुरंत ऐसे मामले या वाद को उसकी अधिकारिता वाले न्यायपीठ को अंतरित कर देगा।

115. मामलों की वापसी— यथास्थिति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/या अवर न्यायिक दंडाधिकारी, मुन्सिफ या सक्षम अधिकारिता का न्यायालय स्वतः या सूचना प्राप्त होने पर ग्राम कचहरी के न्यायपीठ के समक्ष विचाराधीन किसी मामला या वाद को वापस कर सकेगा, यदि उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसकी राय हो कि ऐसे वाद का मामले का विचारण या सुनवाई ऐसे न्यायपीठ द्वारा नहीं होनी चाहिए और उसे मामले या वाद को स्वयं विचारण या सुनवाई कर सकेगा अथवा दूसरे सक्षम दंडाधिकारी, मुंसिफ या सक्षम अधिकारिता का न्यायालय या ग्राम कचहरी के किसी अन्य न्यायपीठ को निपटारे के लिए भेज देगा।

116. कोई विधि व्यवसायी हाजिर नहीं होगा — पक्षकारों तथा ग्राम कचहरी या उसकी पीठ की अनुमति के बिना ग्राम कचहरी या उसके न्यायपीठ के समक्ष, किसी वाद या मामले में, कोई विधि व्यवसायी किसी पक्षकार की ओर से न उपस्थित होगा, न बहस करेगा और न कार्य करेगा;

117. स्वयं या प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित होना—(1) धारा 116 के उपबंधों के अध्याधीन किसी वाद का कोई पक्षकार, ग्राम कचहरी के न्यायपीठ के समक्ष, स्वयं या अपने ऐसे कुटुम्ब, मित्र या अन्य व्यक्ति के माध्यम से जो उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत हो और जिसे न्यायपीठ उसके प्रतिनिधित्व के लिये, उसे उपयुक्त व्यक्ति माने, उपस्थित हो सकेगा।

(2) सरपंच द्वारा किसी मामले में, जब कभी कोई सम्मन निर्गत किया जाये तो, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, अभियुक्त को, व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त कर सकेगा तथा धारा 116 के उपबंधों के अध्याधीन उसे उसके द्वारा सम्यक रूप से अपने कुटुम्ब, मित्र या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा:

परन्तु, न्यायपीठ, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर, मामले की जांच-पड़ताल या विचारण करने वाली, विहित रीति से, वैयक्तिक रूप में हाजिर होने का निदेश दे सकेगी।

(3) धारा 116 के उपबंधों के अध्याधीन, अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, जांच पड़ताल या विचारण करनेवाली न्यायपीठ कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर।—

(i) अभियुक्त के वैयक्तिक रूप में हाजिर होने का निदेश दे सकेगी और यदि आवश्यक हो तो विहित रीति से, इस प्रकार हाजिर होने के लिए मजबूर कर सकेगी: या

(ii) ऐसे अभियुक्त को उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अपने व्यक्तिगत कुटुम्बों, मित्र या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी।

118. ग्राम कचहरी के न्यायपीठ पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर-मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी या अवर न्यायिक दण्डाधिकारी तथा मुन्सिफ की शक्ति—(1) यदि किसी मामले या वाद में न्याय की असिद्धि हुई हो या न्याय की असिद्धि होने की आशंका हो तो किसी वाद की बावत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी या अवर न्यायिक दण्डाधिकारी मुन्सिफ, किसी पक्ष के आवेदन पर या स्वतः, वाद या मामले के विचाराधीन रहने की अवधि में किसी समय या आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर ग्राम कचहरी के न्यायपीठ से अभिलेख मांग सकेगा तथा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से —

(क) मामले का अन्तरण कर सकेगा और पंचायत के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर या पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर ग्राम कचहरी के किसी अन्य न्यायपीठ द्वारा उसे सुने जाने का आदेश दे सकेगा, अथवा

(ख) किसी प्रक्रम पर न्यायपीठ की किसी कार्यवाही को अभिखंडित कर सकेगा या ऐसी न्यायपीठ द्वारा दिए गए किसी आदेश या डिग्री को रद्द कर सकेगा और या तो उसी न्यायपीठ में वह वाद या मामला पुनर्विचारण प्रतिप्रेषित कर (लौटा) सकेगा या यथास्थिति फरियादी या वादी को पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर ग्राम कचहरी के किसी अन्य न्यायपीठ के सामने नये सिरे से वाद या मामला दायर करने का निदेश दे सकेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व यथास्थिति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी या अवर न्यायिक दण्डाधिकारी या मुन्सिफ ग्राम कचहरी की न्यायपीठ से रिपोर्ट मांगेगा और पक्षों को सुनावार्ई का अवसर प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण— उप-धारा (1) प्रयोजनार्थ “न्यायपीठ” शब्द के अन्तर्गत “पूर्ण न्यायपीठ” शामिल है

(2) जहां किसी वाद या मामले के सम्बन्ध में उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, मुंसिफ या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या अवर न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आदेश दिया जा चुका हो वहां यथास्थिति, किसी वाद या मामला की बावत, फरियादी या वादी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष नये सिरे से मामला या वाद दायर कर सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अन्तरित किया गया कोई वाद या मामला उसी प्रकार निपटाया जायेगा मानों ऐसा वाद या मामला उसी न्यायपीठ के समक्ष जहां वह इस प्रकार अन्तरित किया गया हो, दायर किया गया है।

स्पष्टीकरण – उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ “न्यायपीठ” शब्द के अन्तर्गत “पूर्ण न्यायपीठ” शामिल है।

119. डिक्रियों एवं आदेशों का निष्पादन और कतिपय मामलों में अभियुक्त की गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रिया—(1) यदि ग्राम कचहरी की न्यायपीठ किसी वाद में उसके द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने में असमर्थ हो, तो न्यायपीठ ऐसी डिक्रियों को निष्पादनार्थ मुंसिफ के पास अन्तरित कर देगी जो उस डिक्री का निष्पादन इस तरह करेगा मानो वह डिक्री मुंसिफ के द्वारा ही पारित हो।

(2) यदि ग्राम कचहरी का कोई न्यायपीठ किसी मामले में उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना, किसी कारण से, वसूल करने में असमर्थ हो जाए तो न्यायपीठ ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने वाला आदेश मुख्य/अपर/अवर न्यायिक दण्डाधिकारी के पास निष्पादनार्थ भेज देगा, जो संबद्ध व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश पारित किया गया हो, से जुर्माना इस प्रकार वसूल करेगा मानों वह आदेश उसके द्वारा विचारित मामले में वैसे दण्डाधिकारी द्वारा ही पारित किया गया हो।

(3) यदि ग्राम कचहरी का न्यायपीठ, किसी मामले के विचारण के लिए, किसी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने में असमर्थ हो जाए तो वह (अभियुक्त के पता-ठिकाने के बारे में रिपोर्ट देकर) ऐसे अभियुक्त को पकड़ने के लिए जमानती वारंट मुख्य/अपर/अवर न्यायिक दण्डाधिकारी के पास अग्रसारित करेगा, जो वारंट पर प्रतिहस्ताक्षर कर उसे उस थाना प्रभारी के पास अग्रसारित कर देगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस अभियुक्त के पाये जाने की सम्भावना हो और ऐसा पदाधिकारी वारंट का निष्पादन करेगा और अभियुक्त को उसके विचारण के समय न्यायपीठ के समक्ष उसकी पेशी हेतु आवश्यक उपाय करेगा।

120. वादों की परिसीमा—ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा उस तारीख से तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात् किसी वाद पर विचार नहीं किया जायेगा, जिस तारीख को वाद चलाने का अधिकार पहले-पहल प्रोद्भूत हुआ हो:

परन्तु, तालिका के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट वाद, जब वह ग्राम कचहरी के न्यायपीठ के समक्ष संस्थित (दायर) किया जाए तो उसके लिये परिसीमित अवधि वही होगी जो अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

121. पूर्व न्याय और लंबित वाद—ग्राम कचहरी का कोई न्यायपीठ किसी ऐसे वाद का विचारण नहीं करेगा, जिसमें विवादग्रस्त मामले की, प्रत्यक्षतः और सारतः किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा, उन्हीं पक्षकारों के बीच के पूर्व के वाद में या उन पक्षकारों के वाद में, जिसमें उनका या उनमें से किसी का दावा रहा हो, सुनवाई कर निर्णय दिया गया हो या उसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में उन्हीं पक्षकारों के बीच पूर्व संस्थित वाद में या किसी ऐसे पक्षकारों के वाद में, जिसमें उनका या उनमें से किसी का दावा हो या निर्णय के लिए लंबित हो।

122. कार्यवाहियों या अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए जिला न्यायाधीश की शक्ति—जिला न्यायाधीश या उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य न्यायिक पदाधिकारी को सभी युक्तियुक्त समय में ग्राम कचहरी या उसके न्यायपीठों की कार्यवाहियों और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

तालिका

(देखें धारा 120)

कतिपय वादों के लिए समय—सीमा

वाद—विवरण	समय—सीमा	वह समय जब से अवधि प्रारम्भ होगी।
1. धरेलू नौकर, शिल्पी अथवा श्रमिक की मजदूरी के लिए	एक वर्ष	जब प्रोदभूत मजदूरी देय हो।
2. किसी होस्टल, शराबखाना अथवा वासगृह चलानेवाले के द्वारा आपूरित भोजन खाद्य अथवा पेय के मूल्य के लिए।	एक वर्ष	जब भोजन अथवा पेय प्रदान किया गया हो।
3. आवास के भाड़ा के लिए	एक वर्ष	जब भाड़ा देय हो गया हो।
4. संविदाधीन देय धन के लिए	एक वर्ष	जब वादी को धन देय हो गया हो।
5. चल सम्पति अथवा उसके मूल्य की वसूली के लिए।	एक वर्ष	जब वादी चल सम्पति प्राप्त करने का हकदार हो गया हो।
6. किसी चल सम्पति के दोषपूर्वक ग्रहण करने अथवा उसे क्षति पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति	एक वर्ष	जब चल सम्पति दोषपूर्वक ग्रहण किया गया हो अथवा उसे क्षति पहुंचाई गई हो।

(हरजाना) के लिए		
7. पशु-अतिचार से हुई क्षति के लिए	छह महीना	जब पशु-अतिचार से क्षति हुई हो।

अध्याय - VII

निर्वाचन

123. राज्य निर्वाचन आयोग—(1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के अधीन राज्य की पंचायत निकायों के निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा-शर्तें एवं पदावधि वही होगी जो राज्यपाल नियम के द्वारा निर्धारित करें।

परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाये जाने की समान रीति और समान आधार पर ही हटाया जा सकेगा तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसे परिवर्तन नहीं किये जा सकेंगे जो उसके लिये अहितकर हों।

(3) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निष्पादन के लिये, उसके अनुरोध पर, उसे आवश्यकतानुसार पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायेगी।

124. पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना :- राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर पंचायतों तथा ग्राम कचहरी को गठित करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत कर राज्य के राजपत्र में अधिसूचित करेंगे तथा इससे अपेक्षा की जायेगी कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मतदातागण पंचायत तथा ग्राम कचहरी के पदधारकों को निर्वाचित करें :-

परन्तु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन की नियत तिथि से पूर्व के छः माह से पहले नहीं निकाली जा सकेगी।

125. निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तन्त्र -

(1) राज्य सरकार, जब वैसी अपेक्षा की जाय, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का निर्वाचन कराने के लिए यथा आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।

(2) पंचायत के निर्वाचन के संचालन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक जिला के लिए जिला दंडाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की सहायता के लिए एक या एक से अधिक जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जो उप-समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो;

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन से संबंधित में सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा ।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) पंचायत में निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को नियुक्त कर सकेगा जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/उप-समाहर्ता से अन्यून स्तर का हो।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को नियुक्त कर सकेगा, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा ।

(5) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) तथा पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) की सहायता करने के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत)/मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) उपर्युक्त परन्तुक के अधीन ऐसे व्यक्ति को , जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है; या उसके लिये कोई अन्य कार्य कर रहा है , मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को इसकी सूचना देगा :

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अधीन पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर , अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा ।

(6) यदि पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) रूग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो तो उसके कृत्यों का निष्पादन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिये निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(7) किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है ।

(8) मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करें।

126. पंचायत के निर्वाचक – राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक नामावली या नामावलियों का उतना भाग , जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है, में जिन व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति सम्बन्धित पंचायत निर्वाचन में निर्वाचक होंगे ;

“परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त कारण है, तो पंचायत से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में ऐसा परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे ;

परन्तु यह और कि इस अधिनियम की धारा 124 के अधीन राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् निर्वाचक नामावली में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।”

127. जनगणना के पश्चात निर्वाचित सदस्यों का अवधारण—प्रत्येक जनगणना के आंकड़े के प्रकाशन के पश्चात् पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अवधारण राज्य सरकार द्वारा जनगणना में निर्धारित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

परन्तु पूर्वोक्त संख्या के निर्धारण से पंचायत इकाई की संरचना पर तबतक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबतक कि तत्समय कार्यरत निर्वाचित सदस्यों की पदावधि समाप्त न हो जाये।

परन्तु आगे यह कि जबतक 2011 की जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि 2001 की जनगणना पर विनिश्चित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का पुनर्निर्धारण करें ।

128. प्रेक्षक :- (1) राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने और उन अन्य कार्यों को पूर्ण करने, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सौंपा जाये, के लिए एक प्रेक्षक को नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट प्रेक्षक के पास निर्वाचन क्षेत्र के लिए या निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी के लिए, जिसके लिए उसे नाम निर्दिष्ट किया गया हो, परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना को स्थगित करने अथवा परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी को निर्देशित करने की शक्ति होगी, यदि प्रेक्षक की राय में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों पर या मतदान के लिए नियत स्थानों पर कब्जा किया गया हो या मतों की गणना या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों या मतदान के लिए नियत स्थान पर, निर्वाची पदाधिकारी की अभिरक्षा से अविधिपूर्ण तरीके से ले लिये गये हों, या दुर्घटनावश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिया गया हो या खो गये हों या उस सीमा तक बिगाड़ दिये गये हों या छेड़-छाड़ की गयी हों कि मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा ।

(3) जहाँ प्रेक्षक मतों की गणना रोकने के लिए या परिणाम घोषित नहीं करने के लिए इस धारा के अधीन निर्वाची पदाधिकारी को निर्देशित करे, वहाँ प्रेक्षक तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को मामले की रिपोर्ट देगा और उस पर राज्य निर्वाचन आयोग सभी तात्विक परिस्थितियों को विचारित करने के पश्चात् समुचित निर्देश जारी करेगा ।

स्पष्टीकरण – उप-धारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ “प्रेक्षक” में राज्य निर्वाचन आयोग का ऐसा पदाधिकारी भी सम्मिलित होगा जिसे इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने का कर्तव्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपा गया हो ।

129. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी आदि को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जायगा –

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची अधिकारी, सहायक निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध कोई

अन्य पदाधिकारी और ऐसे निर्वाचन के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा तत्समय नामनिर्दिष्ट कोई आरक्षी अधिकारी को ऐसे निर्वाचन के लिए आवश्यक अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होनेवाली अवधि और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से समाप्त होनेवाली अवधि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा । ऐसे पदाधिकारी उस अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन होंगे ।

130. निर्वाचन अपराध –

(1)– निर्वाचन के सिलसिले में वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना — कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन के संबंध में भारत के नागरिकों को विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह तीन वर्षों तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2)मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध –(I) कोई भी व्यक्ति –

- (क) निर्वाचन के संबंध में किसी चुनाव संबंधी जुलूस या आम सभा संबंधी संयोजन, धारण, उपस्थिति, आयोजन या संबोधन नहीं करेगा ;
- (ख) सिनेमाटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के जरिये किसी निर्वाचन मामले को जनता को नहीं दर्शायेगा ; या
- (ग) किसी रंगमंच या संगीत सभा का प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मन बहलाने वाले कार्यक्रमों के आयोजन से जनता के सदस्यों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान केन्द्र पर किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर किसी चुनाव विषयक मामले का प्रचार नहीं करेगा ।

(II) ऐसा कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करे दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(III) इस धारा में, अभिव्यक्ति “ चुनाव मामले” से अभिप्रेत है निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करना या प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रगणनित कोई मामला

(3)निर्वाचन सभा में बाधा–(1) कोई व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक सभा में, जिस पर यह धारा लागू होती है, जिस प्रयोजन के लिए सभा बुलाई गई है, उसके कार्य संव्यवहार को

निवारित करने के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करता है या किसी अन्य को इसके लिए भड़काता है, छः माह के कारावास या दो हजार रूपये के जुर्माने से; या दोनों से, दण्डनीय होगा।

खंड (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यह धारा सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने की तिथि और निर्वाचन की तिथि के मध्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित राजनीतिक प्रकृति की किसी आम सभा पर लागू होती है।

(3) यदि कोई पुलिस अधिकारी खंड (1) के अन्तर्गत अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति पर पर्याप्त रूप से सन्देह करता है, यदि सभा के सभापति द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाये, तो वह उस व्यक्ति से अपना नाम और पता तुरन्त घोषित करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि वह व्यक्ति अपने नाम और पते घोषित करने से इंकार करता है या नहीं करता है, या यदि पुलिस अधिकारी उस पर गलत नाम या पता देने के लिए पर्याप्त रूप से सन्देह करता है, तो पुलिस अधिकारी वारन्ट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(4) पुस्तिकाओं, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध—(1) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पते नहीं हो

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को तब तक मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करायेगा—

(क) जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान के लिए घोषणा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित, जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, डुप्लीकेट में मुद्रक को उसके द्वारा परिदत्त नहीं की जाये, और

(ख) जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर, घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा नहीं भेजी जाए,—

i) जब यह राज्य की राजधानी में मुद्रित हो तो राज्य निर्वाचन आयोग को, और

ii) किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला दंडाधिकारी को जिसमें यह मुद्रित किया गया है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) हाथ द्वारा इसकी प्रतियाँ करने के अलावा दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण माना जायेगा और तदनुसार अभिव्यक्ति "मुद्रक" की व्याख्या की जायेगी ; और

(ख) " निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित करने या प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन से संबंध रखने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के दैनिक निर्देशों या निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को घोषित करने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नहीं होंगे।

(4) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) या खंड (2) के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, छः माह के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(5) **मतदान की गोपनीयता बनाए रखना** —(1) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों की गणना उसके अभिलेखन करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा, और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को (किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकृत किसी प्रयोजन के अलावा) गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जिससे इसकी गोपनीयता भंग होगी।

(2) कोई व्यक्ति जो खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(6) **निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे** — (1) कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के पालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या निर्वाची पदाधिकारी, या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी, या निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या लिपिक है, निर्वाचन के प्रबंध या संचालन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य (मत देने के अलावा) नहीं करेगा।

(2) यथा उपर्युक्त कोई भी व्यक्ति, और पुलिस बल का कोई भी सदस्य निम्नलिखित प्रयास नहीं करेगा—

(क) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत देने के लिए प्रेरित करना ; या

(ख) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत न देने के लिए प्रेरित करना ; या

(ग) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी तरीके से असर डालना।

(3) कोई व्यक्ति जो खंड (1) या खंड (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, छः माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(4) खंड (3) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(7) मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध –(1) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केन्द्र के एक सौ भीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार ; या

(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना ; या

(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना ; या

(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना ; या

(ङ) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना ।

(2) कोई व्यक्ति जो खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(3) इस उप धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(8) मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति – (1) कोई व्यक्ति, ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र मतदान पर होता है,—

(क) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन करने के लिए मेगाफोन या लाउडस्पीकर जैसा उपकरण का न तो उपयोग करेगा या न चलायेगा या

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में विच्छृंखल तरीके से नहीं चिल्लायेगा या अन्यथा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या जिससे मतदान केन्द्र के कर्तव्य पर अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप हो,

(2) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उसके लिए जानबूझकर सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है, तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर सकता है, और उसके बाद पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा ।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कदम उठा सकता है, और बल का प्रयोग कर सकता है, जो उप धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन को रोकने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, और इस उल्लंघन में प्रयुक्त उपकरण को जब्त कर सकता है ।

(9) मतदान केन्द्र पर अवचार के लिए शास्ति—(1) कोई व्यक्ति जो मतदान के लिए नियत समय के दौरान किसी मतदान केन्द्र में, पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं करता है या स्वयं अवचार करता है, तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा या कर्तव्य पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उस पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा ।

(2) खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जायेगा, जिससे कि किसी निर्वाचक को, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उसे केन्द्र में मत देने के अवसर नहीं प्राप्त हो सके ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे मतदान केन्द्र से हटा दिया गया हो, पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(4) खंड (3) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(10) मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफलता के लिए शास्ति— यदि कोई निर्वाचक, जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, मतदान के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करता है तो, उसे जारी मत पत्र रद्द कर दिया जायेगा ।

(11) निर्वाचनों में वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में धारा 141 के खण्ड (5) में यथविनिर्दिष्ट किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, तो वह तीन माह तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(12)निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्तव्य का भंग –(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसपर यह धारा लागू होती हो, अपना पदीय कर्तव्य-भंग करते हुए बिना युक्तियुक्त कारण के किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो वह पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(1- क) खंड (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी कार्य या लोप के बाबत क्षति के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(3) यह धारा जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (पंचायत), निर्वाची पदाधिकारियों, सहायक निर्वाची पदाधिकारियों, पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान पदाधिकारियों एवं नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने या अभ्यर्थिता की वापसी या मतदान लेने अथवा मतगणना करने हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होगी और अभिव्यक्ति "पदीय कर्तव्य" की व्याख्या इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार की जायेगी, लेकिन अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत निर्धारित कर्तव्यों से अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य इसमें शामिल नहीं होंगे।

(13)निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए शास्ति—यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो वह तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(14)मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध –(1) मतदान केन्द्र में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र में कर्तव्य पर है, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास आयुध अधिनियम 1959 (1959 का सं 54) में यथा परिभाषित, किसी प्रकार के सशस्त्र लेकर नहीं जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं 54) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का सिद्धदोष हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित शस्त्र पाया गया हो तो जब्त कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत प्रतिसंहरित माना जायेगा।

(4) खंड (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(15)मतदान केन्द्र से मत पत्रों को हटाना अपराध होगा – (1) कोई व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र को अनधिकृत रूप से लेता है या लेने का प्रयास करता है, या किसी ऐसे कार्य को करने में जानबुझ कर सहायता करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या पाँच सौ रूपये तक के जुर्माने, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति खंड (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह अधिकारी उस व्यक्ति के मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले गिरफ्तार कर सकता है या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी अधिकारी को निदेश दे सकता है और उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या किसी आरक्षी अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :

परन्तु जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो, तो मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जायेगी ।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी पर पाये गये किसी मतपत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को निरापद अभिरक्षा के लिए दिया जायेगा, या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाये, तो उसे स्वयं अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

(4) खंड (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(16)मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध –(1) जो कोई मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध करता है, उसे ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दण्डनीय होगा, और जहाँ ऐसा अपराध सरकारी सेवारत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्षों से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा , और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण— (1)इस खंड और धारा –97 (ख) के प्रयोजनों के लिए “मतदान केन्द्र कब्जा” में अन्य चीजों के साथ निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधियाँ शामिल हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को मतदान प्राधिकारियों से अभ्यर्पित

कराना और कोई ऐसा अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के सुव्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है,

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना; और केवल अपने समर्थकों को मताधिकार के प्रयोग करने की अनुमति देना और दूसरे को मत देने से रोकना।

(ग) किसी निर्वाचक को अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान जाने से रोकना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़ित करना या अभित्रास या धमकी देना ;

(घ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को गणना प्राधिकारियों से अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य जो व्यवस्थित रूप से गणना करने से प्रभावित करे ;

(ङ) अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकारी सेवारत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त कार्यों में से सभी या कोई कार्य करना, या करने में सहायता या मौन अनुमति देना ।

(2) खंड (1) के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(17) अन्य अपराध और उसके लिए शास्तियां –(1) कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, यदि किसी निर्वाचन में वह –

(क) किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(ख) निर्वाची अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन लगायी गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित, नष्ट या हटाता है; या

(ग) डाक मत-पत्र द्वारा मत डालने के सम्बन्ध में प्रयुक्त शासकीय लिफाफे या पहचान की किसी घोषणा या किसी मत पत्र पर शासकीय चिन्ह या किसी मत पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को किसी मतपत्र की आपूर्ति करता है या किसी किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करता है या उसके कब्जे में कोई मतपत्र हो या

(ङ) मतपत्र जिसे डालने के लिए वह विधितः अधिकृत है से भिन्न किसी वस्तु को किसी मतपेटी में कपटपूर्वक डालता हो; या

(च) आवश्यक प्राधिकार के बिना, निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब प्रयुक्त किसी मतपेटी या मतपत्रों के नष्ट करता हो, ले जाता हो, खोल देता हो या अन्यथा हस्ताक्षेप करता हो ; या

(छ) उपर्युक्त किन्हीं कार्यों को करने का कपटपूर्वक या यथास्थिति आवश्यक प्राधिकार के बिना, प्रयास करता हो या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जानबूझ कर सहायता करता हो या उत्प्रेरित करता हो ।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन विषयक अपराध का दोषी कोई व्यक्ति –

(क) यदि वह निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी हो या निर्वाचन के सम्बन्ध में शासकीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक हो, तो दो वर्षों तक के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो तो छः माह तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को शासकीय कर्तव्य पर माना जायेगा, यदि उसका कर्तव्य किसी निर्वाचन के या निर्वाचन के अंग के संचालन में भाग लेना होगा और इसमें मतगणना भी शामिल है या निर्वाचन के पश्चात् मतपत्रों और ऐसे निर्वाचन से जुड़े अन्य कागजात के लिए जिम्मेवार होगा। अभिव्यक्ति “शासकीय कर्तव्य” में इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत अन्यथा अधिरोपित कोई कर्तव्य शामिल नहीं होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

131. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी —(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा ।

(2) उप धारा (1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता ।

(3) यदि कोई नियोक्ता खंड (1) या खंड (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बावत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो ।

132. मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जायेगा और न दिया जाएगा —(1) कोई स्प्रिट युक्त, किण्वित (फर्मेन्टेड) या मदोन्मत्त करने वाला मद्य या इसी प्रकार के अन्य पदार्थ की इस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान के समाप्ति के लिए नियत समय के समाप्ति के 48 घंटे की अवधि के भीतर मतदान क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किसी होटल, भोजनालय, दुकान, भोजशाला या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में, बिक्री या वितरण नहीं किया जाएगा और न दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति छः माह तक के कारावास से, या दो हजार रूपये तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष पाया जाता हो, वहाँ उसके कब्जे में पायी गयी स्प्रिट युक्त, किण्वित (फर्मेन्टेड) या मदोन्मत्त करने वाला मद्य या इस प्रकार के अन्य पदार्थ जब्त किये जाने योग्य होंगे और उन्हें यथाविहित रीति से, निपटाया जायेगा।

133. निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि — (1) पंचायत निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम निर्देशन हुआ हो उस तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक उपगत और उसके द्वारा प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक् और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता से रखवायेगा।

(2) लेखा में यथाविहित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी।

(3) उक्त व्यय का कुल योग यथाविहित राशि से अधिक नहीं होगा।

134. निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता — यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाए कि कोई व्यक्ति (क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर देगा तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा।

135. सदस्यता के लिये अर्हता—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो और जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया गया हो, उसे पंचायत के सदस्य या पदधारी के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता प्राप्त होगी,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के मामले में, ऐसा कोई व्यक्ति जो यथास्थिति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के सदस्य या महिला न हो, तो उसे ऐसे स्थानों के लिये निर्वाचित होने की अर्हता प्राप्त नहीं होगी।

136. सदस्यता की निरर्हता—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए निरर्हित होगा यदि वह व्यक्ति

(क) भारत का नागरिक न हो ;

(ख) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घोषित किया गया हो;

परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो उसे इस आधार पर निरर्हित घोषित नहीं किया जायेगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है;

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो;

(घ) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था की सेवा में हो;

(ङ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णीत हुआ हो;

(च) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए पदच्युत कर दिया गया हो और किसी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित कर दिया गया हो,

(छ) भारत के भीतर या बाहर किसी दण्ड न्यायालय द्वारा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छः महीनों से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा चुका हो अथवा सदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 109 या धारा 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश या आदेश बाद में उलट न दिया गया हो ;

(ज) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र न रह गया हो;

(झ) पंचायत के अधीन वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो;

(ञ) भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो;

परन्तु भ्रष्ट आचरण का दोषी पाये जाने पर सामान्य निर्वाचन के छः वर्षों के बाद उसकी निरर्हता न रह जायेगी ।

(2) यदि किसी स्तर पर, ऐसा कोई प्रश्न उठे कि पंचायत का कोई सदस्य या ग्राम पंचायत का मुखिया या ग्राम कचहरी का सरपंच निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचित होने के पश्चात् खंड (1) में उल्लिखित निरर्हताओं के अध्यधीन है, तो इस विषय को राज्य निर्वाचन आयुक्त को विनिश्चय के लिए सुपुर्द किया जायेगा । निरर्हता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जायेगा । राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकेगा और प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए यथाशीघ्र ऐसे मामलों का विनिश्चय करेगा ।

(3) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो पंचायत के सदस्य, मुखिया, सरपंच के रूप में चुना गया हो, लोक सभा, राज्य सभा या राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद् का सदस्य हो या हो जाए, या नगरपालिका का पार्षद या नगर निगम का पार्षद या स्वच्छता बोर्ड का सदस्य अथवा किसी अन्य नगर पंचायत का या अन्य पंचायत का सदस्य या मुखिया या सरपंच हो या हो जाए, तो लोक-सभा, राज्य सभा, राज्य विधान-सभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्य या नगरपालिका का पार्षद अथवा नगर निगम का पार्षद या स्वच्छता बोर्ड या नगर पंचायत का सदस्य या ऐसे अन्य पंचायत के सदस्य या मुखिया, सरपंच की पदावधि आरंभ होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर पंचायत में उसका स्थान रिक्त हो जायगा, यदि उसने पहले ही यथास्थिति लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान-सभा या राज्य विधान परिषद या नगरपालिका या नगर निगम, स्वच्छता बोर्ड या नगर पंचायत या ऐसी किसी पंचायत में अपना स्थान न त्याग दिया हो ।

(4) **शपथ एवं प्रतिज्ञान** – निर्वाचन के तुरंत बाद पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच या पंच तथा ग्राम पंचायत के मुखिया ऐसे व्यक्ति के समक्ष, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियुक्त करे, शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और यदि पंचायत का ऐसा सदस्य, ग्राम कचहरी का सरपंच या पंच या मुखिया शपथ लेने / प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने से इनकार अथवा अस्वीकार करे तो उनका पद तत्काल रिक्त समझा जायेगा । निर्वाचन के बाद और ऐसी तारीख से तीन माह के अन्दर जिस तारीख को उसकी पदावधि आरंभ होती हो । यदि पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी का सरपंच या पंच या मुखिया शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से इंकार करे तो उसका पद उक्त तिथि के बाद रिक्त समझा जायेगा ।

137. चुनाव याचिका – (1) यथा विहित चुनाव याचिका के सिवाय किसी पंचायत या ग्राम कचहरी के किसी पद के निर्वाचन को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा—

परन्तु अगर किसी ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी के किसी पद का निर्वाचन विवादित हो तो चुनाव याचिका वैसे मुन्सिफ के समक्ष दायर होगी जिसके क्षेत्राधिकार में वैसी ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी अवस्थित हो तथा अगर किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् का किसी पद का निर्वाचन विवादित हो तो चुनाव याचिका वैसे अवर न्यायाधीश के समक्ष दायर होगी जिसके क्षेत्राधिकार में यथास्थिति वैसा पंचायत समिति या जिला परिषद् अवस्थित हो।

(2) "याचिका के पक्षकार :-प्रार्थी अपनी याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को जोड़ेगा :

(क) जहाँ प्रार्थी ऐसी घोषणा करने के दावे के अतिरिक्त कि सभी या किन्ही निर्वाचन अभ्यर्थियों का निर्वाचन अवैध है, अन्य घोषणा का दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है, प्रार्थी के अलावा सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और जहाँ कोई ऐसी अन्य घोषणा का दावा नहीं किया जाय तो सभी निर्वाचित अभ्यर्थियों को और ,

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरुद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के आरोप को याचिका में लगाया गया हो ।

138. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक—इस अध्यादेश में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी— (क) भारत संविधान के अनुच्छेद—243 ट के अधीन बनाए गए या बनाए जाने को तात्पर्यित निर्वाचन—क्षेत्रों के परिसीमन अथवा ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(ख) इस अध्यादेश के अधीन विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की गयी निर्वाचन अर्जी के सिवाय किसी पंचायत का निर्वाचन प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

139. निर्वाचन को रद्द घोषित करने के आधार—(1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्याधीन यदि विहित प्राधिकारी की राय हो कि—

- (क) अपने निर्वाचन की तारीख को कोई निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने की अर्हता नहीं रखता था या निरर्हित था, या
- (ख) निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या निर्वाचित उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, या
- (ग) किसी नामांकन-पत्र को अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया गया है, या

(घ) निर्वाचन का परिणाम, जहां तक किसी निर्वाचित उम्मीदवार से इसका संबंध है, यदि—

(i) किसी नामांकन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने से या

(ii) किसी अभिकर्ता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण से, या

(iii) किसी मत को अनुचित रूप से प्राप्त करने, इंकार करने या अस्वीकार करने अथवा ऐसे किसी मत को जो रद्द हो, प्राप्त करने से, या

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेश के अननुपालन से—तात्त्विक रूप से प्रभावित हुआ हो, तो विहित प्राधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द घोषित कर देगा।

(2) यदि विहित प्राधिकारी की राय में किसी निर्वाचित उम्मीदवार का कोई अभिकर्ता भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा हो, किन्तु विहित प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि—

(क) उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया और ऐसा प्रत्येक भ्रष्ट आचरण उम्मीदवार के आदेशों के प्रतिकूल तथा उसकी सहमति के बिना किया गया,

(ख) उम्मीदवार ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण रोकने के लिए सभी समुचित उपायकिये; और

(ग) अन्य सभी बातों में उम्मीदवार या उसके किसी अभिकर्ता की ओर से चुनाव में किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया, तो विहित प्राधिकारी यह विनिश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव अवैध नहीं है।

140. वैसे कारण जिनके चलते निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न अन्य कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा—(1) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के बारे में आपत्ति करने के अतिरिक्त दायर निर्वाचन याचिका में इस आशय की घोषणा का दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है और विहित प्राधिकारी की यह राय हो—

(क) कि वस्तुतः अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों से बहुमत प्राप्त किया है; या

(ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से प्राप्त मत को छोड़कर अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार वैध मतों का बहुमत प्राप्त कर लिया होता; तो विहित प्राधिकारी, निर्वाचित

उम्मीदवार के निर्वाचन को रद्द घोषित करने के बाद यह घोषणा करेगा कि यथा स्थिति अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है।

(2) विहित प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

141. भ्रष्ट आचरण –इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण में समझा जाएगा:—

- (i) तत्समय प्रवृत्त जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा 123 के खंड (1) में यथा परिभाषित रिश्वत;
- (ii) तत्समय प्रवृत्त उक्त धारा के खंड (2) में यथा परिभाषित अनुचित प्रभाव ;
- (iii) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिये उसके धर्म, प्रजाति, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या नहीं करने की अपील अथवा उस उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये अथवा किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिये धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने या उसकी दुहाई देने या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग करने या दुहाई देने ;
- (iv) उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना,
- (v) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्यों के विवरण का प्रकाशन जो किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में अथवा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उसकी वापसी के संबंध में मिथ्या हो और जिसे वह मिथ्या समझता हो या सही नहीं मानता हो, जो ऐसा विवरण हो जिसे उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये सुविचारित ढंग से तैयार किया गया हो,
- (vi) उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केन्द्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, उसके

परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के निःशुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करना ;

परन्तु किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायेगा,

स्पष्टीकरण— इस खंड में "यान" शब्द से अभिप्रेत है पथ परिवहन के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया गया या उपयोग में लाने योग्य कोई यान, चाहे यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चलता हो, चाहे उसका उपयोग अन्य यानों को खींचने के लिये या अन्यथा किया जाता हो।

(vii) किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्ति की जाती हो,

(viii) निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इशतहार का जारी किया जाना जिसपर इसके मुद्रणकर्ता और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो ;

(ix) कोई अन्य आचरण जिसे राज्य सरकार नियम बनाकर भ्रष्ट आचरण विनिर्दिष्ट करे।

142. भ्रष्ट आचरण के संबंध में आदेश— इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण के चलते किसी स्थानीय प्राधिकार की सदस्यता से पाँच वर्षों की अवधि के लिये निरर्हिता हो जायगी। इसकी गणना उस तारीख से की जायगी जिस तारीख से ऐसे आचारण के संबंध में विहित प्राधिकारी का निष्कर्ष इस अधिनियम के अधीन प्रभावी हो।

143. आदेशों की संसूचना— विहित प्राधिकारी इस अधिनियम कि धारा 142 के अधीन दिए गए आदेशों की घोषणा करने के पश्चात् उसकी प्रति जिला दंडाधिकारी के पास भेज देगा।

144. यदि कोई स्थान रिक्त हो जाए तो नया निर्वाचन — यदि इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो अथवा रिक्त हुआ समझा जाय तो इस प्रकार हुई रिक्ति के लिये इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार नया निर्वाचन कराया जायेगा।

अध्याय VIII

प्रकीर्ण

145. समिति के निर्णय का पुनरीक्षण—प्रत्येक पंचायत को उसकी किसी समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय को पुनरीक्षित या उपांतरित करने की शक्ति होगी।

146. नियमावली बनाने की सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में रखा जायेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई नियम भूतलक्षी प्रभाव से बनाया जा सकेगा और जब ऐसा कोई नियम बनाया जाये तो नियम बनाए जाने के कारणों को एक विवरण में निर्दिष्ट किया जायेगा जिसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी उपान्तरण के अध्यक्षीन, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम का प्रभाव उसी तरह होगा मानो उसे इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो।

(4) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाने में सरकार इस बात का उपबंध कर सकेगी कि उसके उल्लंघन करने का दोषी कोई व्यक्ति, दोष सिद्ध होने पर पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा और जहाँ इस प्रकार का उल्लंघन होता रहेगा वहाँ जिस प्रथम दिन से उल्लंघन शुरू होता हो, उस दिन को और उसके बाद के प्रत्येक दिन के लिए, पच्चीस रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से वह दंडनीय होगा।

147. ग्राम पंचायत को उप-विधि बनाने की शक्ति—(1) कोई ग्राम पंचायत, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अध्यक्षीन तथा जिला परिषद की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उप-विधि, जहाँ तक यह इसकी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ग्राम पंचायत जिला परिषद की पूर्व मंजूरी ऐसी उप विधियां बना सकेगी, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन उसे सुपुर्द किए गए कार्यों एवं दायित्वों के निष्पादन के लिए अपेक्षित हो।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन किसी उप-विधि बनाने के क्रम में ग्राम पंचायत ऐसी व्यवस्था कर सकेगी कि उस उप-विधि का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जैसा कि विहित किया जाय।

(4) किसी ऐसी उप-विधि के अधीन यह उपबंध भी रहेगा कि इसका उल्लंघन करनेवाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह जहांतक उसकी शक्ति में है, ऐसे उल्लंघन के कारण हुई हानि, यदि कोई हो, को दूर करेगा।

(5) इस धारा के अधीन बनाई गई सभी उप-विधियां पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्याधीन होगी और ऐसा प्रकाशन यथाविहित रीति से किया जाएगा।

148. पंचायत समिति को विनियम बनाने की शक्ति—(1) कोई पंचायत समिति इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनायी गई नियमावली के अध्याधीन तथा सरकार की पूर्व मंजूरी से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, जहांतक यह इसकी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्याधीन होंगे और ऐसा प्रकाशन यथाविहित रीति से किया जायगा।

149. जिला परिषद् को विनियम बनाने की शक्ति—(1) कोई जिला परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनायी गई नियमावली के अध्याधीन तथा सरकार की पूर्व मंजूरी से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, जहां तक यह इसकी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्याधीन होंगे और ऐसा प्रकाशन यथाविहित रीति से किया जायगा।

150. सरकार को मानक विनियम बनाने की शक्ति— (1) सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अध्याधीन तथा ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, प्रारूप के पूर्व प्रकाशन के बाद ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए मानक विनियम और उप-विधि बना सकेगी।

(2) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, यथास्थिति उप-धारा (1) के अधीन बनायी गयी, मानक उप-विधि या बनायी गयी विनियम को प्रस्ताव पारित कर अंगीकृत कर सकेगी तथा ऐसी उप-विधि ऐसा विनियम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की अधिकारिता में उस तिथि से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, विहित रीति से प्रकाशित सूचना में विनिर्दिष्ट करे।

151. पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप पंचायतों को भंग करने और पुनर्गठित करने के लिए सरकार की शक्ति— (1) जब किसी कारण से पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन किया जाये, तब सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके ऐसी पंचायत को आदेश में

विनिर्दिष्ट तिथि से भंग कर सकेगी और सम्बद्ध ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को निदेश दे सकेगी कि:—

- (i) जिस ग्राम पंचायत के पंचायत क्षेत्र को, जिस पंचायत समिति के प्रखंड क्षेत्र को या जिस जिला परिषद् के जिला-क्षेत्र को विधित किया गया हो उसे पुनर्गठित किया जाय, या
 - (ii) जिन ग्राम पंचायत क्षेत्र, प्रखंड या जिला को नवगठित किया गया हो उन्हें स्थापित किया जाय।
 - (2) जिन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को उप-धारा (1) के अधीन भंग कर दिया गया हो, उनके सदस्य सरकारी आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से अपना-अपना पद छोड़ देंगे।
 - (3) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, जो उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन पुनर्गठित या स्थापित की गयी है, उसमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे और ऐसे सदस्य यथाशक्य वे होंगे जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, जो उप-धारा (1) के अधीन विधित हुई है, के सदस्य थे।
 - (4) पंचायत समिति के प्रमुख अथवा, जिला परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन इस अधिनियम में यथा उपबंधित रीति से होगा। ऐसे ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव, उपधारा (3) के उपबंध के अधीन सरकार द्वारा मनोनीत ग्राम पंचायत के सदस्यों के बीच से किया जायेगा।
 - (5) ऐसे पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की अवधि छः माह से अधिक की नहीं होगी जैसा की सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
 - (6) उप-धारा (5) के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित रीति से गठित की जायेगी :
- परन्तु जहाँ विधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की शेष अवधि छह माह से कम हो तो ऐसी अवधि के लिए किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के गठन के लिए इस धारा के अधीन निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।
- (7) उप-धारा (6) के अधीन गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् उस शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी जिस अवधि तक विधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् कार्यरत रहती, यदि उसे विधित नहीं किया गया होता।

(8) इस धारा के अधीन जब कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् भंग होने पर पुनर्गठित या स्थापित की जाय, तो ऐसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में निहित निधि एवं अन्य सम्पत्ति तथा ऋण के अंश एवं दायित्व इस धारा के अधीन पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में अन्तरित हो जायेंगे, जैसा कि सरकार लिखित आदेश द्वारा निदेश दे ।

(9) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् जो भंग कर दी गई है, के अधिकार और दायित्व जो सिविल और आपराधिक कार्यवाही, संविदा, करार और अन्य मामलों में संबंधित हैं तथा जो किसी पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के प्राधिकार के अध्यक्षीन क्षेत्र के किसी भाग में उत्पन्न होते हों या संबद्ध हो वैसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में निहित हो जायेंगे ।

(10) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के प्राधिकार के अध्यक्षीन क्षेत्र के किसी भाग के संबंध में विघटित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा की गई नियुक्ति, निर्गत की गई अधिसूचना, सूचना, अधिरोपित कर, किए गए आदेश, बनायी गयी स्कीम, प्रदत्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, बनाये गये नियम, विनियम या फारम जबतक जारी रहेंगे जबतक की ऐसी पुनर्गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा इन्हें निलंबित न कर दिया जाय ।

(11) यदि पूर्ववर्ती उप-धाराओं के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आये तो सरकार आवश्यकतानुसार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर इस कठिनाई को दूर करने का कोई भी उपाय समयानुसार कर सकेगी ।

152. पंचायतों के मामलों की जाँच—(1) सरकार अपने किसी पदाधिकारी से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामलों के संबंध में जाँच करा सकेगी, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार या आयुक्त की मंजूरी, सहमति और उसका अनुमोदन या आदेश अपेक्षित हो ।

(2) ऐसी जाँच करने वाले पदाधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्ति होगी कि वह जाँच के निमित्त गवाह को उपस्थित होने, साक्ष्य और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य कर सके ।

(3) सरकार या आयुक्त उप-धारा (1) के अधीन की गई जांच के खर्च के संबंध में तथा जिन पक्षकारों के द्वारा और जिस निधि से उन्हें भुगतान किया जायेगा उसके संबंध में भी आदेश कर सकेगा और ऐसा आदेश आयुक्त के अथवा उसमें नामित किसी व्यक्ति के आवेदन पर इस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा मानो कि वह किसी सिविल न्यायालय की डिक्री हो ।

153. पंचायत कार्यालयों, उनके अभिलेख तथा लेखा का निरीक्षण – विभिन्न स्तर की पंचायतों के कार्यालय एवं उनके अभिलेखों तथा लेखा के नियमित अन्तराल पर निरीक्षण हेतु सरकार उपयुक्त पदाधिकारियों को विहित कर सकेगी । निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित पंचायत को अग्रसारित की जायेगी जो निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित त्रुटियों या अनियमितताओं को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त या आपूर्ति के दो माह के अन्दर दूर करेगी अथवा विहित पदाधिकारी को उन त्रुटियों अथवा अनियमितताओं के संबंध में यदि कोई स्पष्टीकरण देना चाहे, तो दे सकेगी । निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियाँ ऐसे अन्य प्राधिकारियों को भी अग्रसारित की जायेंगी जैसा कि विहित किया जाये ।

154. सरकार द्वारा पुनरीक्षण एवं पुनरावलोकन की शक्ति – (1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर किसी पंचायत या उसकी किसी स्थायी समिति की कार्यवाही की शुद्धता, वैधानिकता या किसी पारित निर्णय या आदेश के औचित्य पर अपने समाधान हेतु पंचायत या स्थायी समिति के अभिलेखों की मांग कर सकेगी एवं उसकी जाँच कर सकेगी और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि ऐसे किसी आदेश या निर्णय को उपांतरित, रद्द , उलटने या पुनर्विचार हेतु वापस किया जाना चाहिए, तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगी जो किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, जब तक कि ऐसे पक्ष को इस मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग को लम्बित रखते हुए ऐसे निर्णय या आदेश, जो किसी पक्षकार के लिए हानिकारक हों, के निष्पादन को स्थगित कर सकेगी ।

(3) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अथवा या किसी हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों / आदेश के नब्बे दिनों के अन्दर किसी भी समय , ऐसा आदेश चाहे तथ्य या विधि की भूल या अज्ञानतावश पारित हुआ हो, का पुनरावलोकन कर सकेगी । उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट प्रावधान इस उपधारा की किसी कार्यवाही पर भी लागू होंगे ।

155. विकास योजना का निरीक्षण—(1) पंचायत द्वारा अपने जिम्मे लिये गये निर्माण कार्यों या विकास स्कीमों के दक्षतापूर्ण और मितव्ययी निष्पादन के प्रयोजनार्थ, सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी या व्यक्ति, जो ऐसे निर्माण कार्य या विकास स्कीम के

निष्पादन या अनुरक्षण के प्रभार में हो, पंचायत के या उसके अधीन किसी पदाधिकारी को तकनीकी मार्गदर्शन या सहायता देना आवश्यक समझता हो, तो इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी या व्यक्ति ऐसा मार्गदर्शन, सहायता या परामर्श दे सकेगा और निर्माण या विकास स्कीम का निरीक्षण कर सकेगा जैसा वह ऐसे निर्माण या विकास स्कीम के संबंध में आवश्यक समझता हो और उसमें पायी गयी अनियमितताओं और सुधार के लिये अपना सुझाव देकर पंचायत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) योजनाओं या स्कीमों को कार्यान्वित करने में, सरकारी विभागों पर लागू होने वाले सभी कार्यान्वयन नियम, जैसे खरीद, निविदा, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी मंजूरी, लेखा और संपरीक्षा और पर्यवेक्षण यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसी सीमा तक और ऐसे समय के लिए लागू होंगे, जब तक कि इस संबंध में पंचायतों के लिए कोई नियम अलग से नहीं बनाये जाएँ।

156. सरकार से निदेश—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य और राष्ट्रीय नीतियों, सरकारी कार्यक्रमों एवं लोक महत्व के अन्य मामलों से संबंधित निदेश किसी पंचायत को निर्गत करना सरकार के लिए विधि संगत होगा और वैसे निदेश पंचायत पर बाध्यकारी होंगे।

(2) सरकार—

- (क) पंचायत के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन अभिलेख या पंजी या अन्य दस्तावेज मंगा सकेगी।
- (ख) पंचायत की विवरणी, योजना, प्राक्कलन, विवरण, लेखा या सांख्यिकी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी, और
- (ग) ऐसी पंचायत से संबंधित कोई सूचना या उसके किसी विषय से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

157. अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु आहूत विशेष बैठकों के संचालन के संबंध में जिला दंडाधिकारी की शक्ति — यदि जिला दंडाधिकारी की स्वप्रेरणा से अथवा किसी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर यह राय हो कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी पंचायत की विशेष बैठक के संचालन से संबंधित उपबंधों के मामलों में कोई अनियमितता या भूल की जा रही है, तो उसे ऐसा निदेश निर्गत करने की शक्ति होगी जो इस सम्बन्ध में अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो। वह ऐसी बैठक में उपस्थित रहने के लिए किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा और ऐसे पदाधिकारी से रिपोर्ट मांग सकेगा।

158. पंचायतों से शक्तियों और कृत्यों का प्रत्याहरण—(1) इस अधिनियम के अधीन पंचायत के किसी मामले के संबंध में शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का अंतरण होते हुए भी, उस निमित्त पंचायत के प्रस्ताव पर या जहां सरकार का समाधान हो जाये कि विषय के स्वरूप में परिवर्तन के कारण, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को माध्यमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में संपरिवर्तन, अथवा बीज गुणन फार्म को कृषि शोधफार्म में संपरिवर्तन या किसी पथ को उच्च पथ के भाग के रूप में संपरिवर्तन, वह विषय पंचायत की कृत्य सूची का सम्बद्ध विषय नहीं रह जायेगा और यदि ऐसे मामले के संबंध में शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को पंचायत से ले लेना आवश्यक हो, तो सरकार राजपत्र में अधिसूचना निकाल कर, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी शक्तियों, ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों को वापस ले सकेगी और वैसा अनुषंगी और पारिणामिक आदेश दे सकेगी जो पंचायत में निहित संपत्ति, अधिकार एवं दायित्वों और कर्मचारियों सहित ऐसे मामलों को अपने प्रबंध में लेने हेतु उपबंध के लिए आवश्यक हों, जो पंचायत को अंतरित किए गए हैं ।

(2) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन पंचायत को समनुदेशित किसी क्रियाकलाप, कार्यक्रम या स्कीम में संशोधन या परिवर्धन कर सकेगी। ऐसी अधिसूचना जारी होने पर सुसंगत पंचायत कार्य सूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

159. ग्राम पंचायत के आदेश आदि के निष्पादन को निलम्बित रखने की जिला परिषद् की शक्ति—(1) यदि जिला परिषद् की राय में, ग्राम पंचायत के किसी आदेश या प्रस्ताव या ग्राम पंचायत के किसी प्राधिकारी अथवा पदाधिकारी के किसी आदेश के निष्पादन से या ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला या किया जा रहा कोई कार्य अन्यायपूर्ण, विधि विरुद्ध या अनुचित है या इससे जन-साधारण को क्षति या क्षोभ होने की सम्भावना हो या इससे शान्ति भंग होती हो, तो वह आदेश द्वारा उसके निष्पादन को निलम्बित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(2) जब जिला परिषद् उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश करती है तो वह ऐसा करने के कारणों सहित एक विवरण, आदेश की एक प्रति के साथ, सरकार तथा उससे प्रभावित ग्राम पंचायत के पास तत्काल भेजेगी और आदेश को संपुष्ट या रद्द करना, या यह निदेश देना कि आदेश रूपान्तरण सहित या बिना रूपान्तरण के, स्थायी रूप से अथवा ऐसी अवधि के लिए जारी रहेगा जैसा की सरकार उचित समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन पारित जिला परिषद् के किसी आदेश को ग्राम पंचायत के उक्त आदेश के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना, सरकार द्वारा संपुष्ट, पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जायेगा।

160. पंचायतों का विघटन—(1) यदि जिला परिषद् अथवा सरकार की राय में कोई ग्राम पंचायत इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों के निर्वहन में अनवरत चूक करती है या उसका दुरुपयोग करती है या कार्य करने में सक्षम नहीं है तो जिला परिषद् अथवा सरकार यथास्थिति राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसी ग्राम पंचायत को विघटित कर सकेगी ।

(2) यदि सरकार की राय में, पंचायत समिति या जिला परिषद् इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में अनवरत चूक करती है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है या काम करने में सक्षम नहीं है या बार—बार चुक करती है, तो सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित द्वारा यथास्थिति, ऐसी पंचायत समिति या जिला परिषद् को विघटित कर सकेगी ।

(3) उप—धारा (1) या उप—धारा (2) के अधीन आदेश प्रकाशित करने के पूर्व, जिला परिषद् या सरकार यथास्थिति ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् को उन आधारों की संसूचना देगी जिन पर ऐसा करने का प्रस्ताव है, प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने के लिये संबद्ध पंचायतों के लिये युक्तियुक्त अवधि निर्धारित करेगी और उसके स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर यदि कोई हो, विचार करेगी ।

(4) जब कोई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् विघटित हो जाये तो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे सदस्य के रूप में अपना पद छोड़ देंगे ।

(5) यदि कोई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् विघटित हो जाये तो—

(क) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन विघटन की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जैसा यथास्थिति जिला परिषद् या सरकार समय—समय पर इस निमित्त नियुक्त करे ।

(ख) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् में निहित सारी सम्पत्ति विघटन की अवधि के दौरान यथास्थिति जिला परिषद् या सरकार में निहित होगी, और

(ग) विघटन के फलस्वरूप पद रिक्त करने वाले व्यक्ति पुनर्निर्वाचन या पुनर्नामानिर्देशन के पात्र होंगे ।

161. जिला पंचायत सेवा संवर्ग का सृजन – (1) जिला परिषद् कर्मचारियों के ऐसे संवर्ग का गठन ऐसी शर्तों एवं बंधनों पर कर सकेगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय । ऐसे संवर्ग के सदस्यों को उस जिला की पंचायतों के भीतर स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

162. कर्मचारियों पर पंचायत की शक्ति– (1) ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपनी-अपनी पंचायतों के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण रखेंगे ।

(2) उप-धारा (1) में वर्णित पदाधिकारी पंचायत के ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी को पदच्युति, बर्खास्तगी एवं पदावनति से भिन्न कोई भी सजा दे सकेंगे ।

(3) उप-धारा (1) में वर्णित पदाधिकारी पंचायत के ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी की पदच्युति, बर्खास्तगी या पदावनति की अनुशंसा कर सकेंगे और अपनी अनुशंसा संबंधित पंचायत को दे सकेंगे और पंचायत इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुरूप उस पदाधिकारी या कर्मचारी को पदच्युत, बर्खास्त या पदावनत कर सकेंगे ।

(4) पंचायत के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना पंचायत द्वारा दंडित नहीं किया जायेगा ।

163. अपील– (1) धारा 162 की उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश के संबंध में अपील अपनी-अपनी पंचायतों में की जायेगी ।

(2) धारा 162 की उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश के संबंध में ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के आदेश के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी या यथाविहित अन्य प्राधिकार के समक्ष अपील की जायेगी तथा जिला परिषद् के आदेश के विरुद्ध संबंधित आयुक्त अथवा यथाविहित अन्य प्राधिकार के समक्ष अपील की जायेगी ।

(3) ऐसी अपील आदेश पारित होने के नब्बे दिनों के अन्दर विहित तरीके से दायर की जा सकेगी ।

164. पंचायत के कर्मचारियों के कृत्य एवं शक्तियाँ – इस अधिनियम, इसके अधीन बनायी गयी नियमावली तथा इस संबंध में कोई सामान्य या विशेष निदेश, जो राज्य सरकार द्वारा दिये गये हों, के उपबंधों के अधीन पंचायत द्वारा नियोजित पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी तथा ऐसे पदाधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी सेवायें पंचायत को राज्य सरकार द्वारा सुपुर्द की गई हों, ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यों का निष्पादन तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो पंचायत द्वारा अवधारित किये जायें ।

165. परियोजना, स्कीम आदि पर पंचायतों का प्रशासनिक नियंत्रण— (1) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश, जो गजट में अधिसूचित किये गये हों, के अध्यक्षीन राज्य सरकार की संस्थाओं, परियोजनाओं, स्कीमों और कार्यालय जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर अवस्थित हों, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण ग्राम पंचायत में निहित रहेंगे ।

(2) वैसी संस्थाएं, परियोजनाएं, स्कीमें, कार्यालय जिनकी अधिकारिता एक से अधिक ग्राम पंचायतों में हो, उनके कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण, संबंधित पंचायत समिति में निहित रहेंगे ।

(3) वैसी संस्थाएं, परियोजनाएं, स्कीमें, और कार्यालय जिनका कार्यक्षेत्र पंचायत समिति से बाहर हो, उनके कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद् में निहित रहेंगे ।

उदाहरण:—

- (i) प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय , स्वास्थ्य उप-केन्द्र, चरवाहा विद्यालय, चापाकल, सिंचाई नलकूप इत्यादि जिनका सेवा क्षेत्र एक ग्राम पंचायत में हों, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण ग्राम पंचायत में निहित होंगे ।
- (ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनका सेवा क्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायतों में हो, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध पंचायत समिति में निहित होंगे ।
- (iii) रेफरल अस्पताल, जिनका सेवा क्षेत्र एक से अधिक प्रखंडों में हो, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद् में निहित होंगे ।
- (iv) राज्य सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारी जो इन संस्थाओं, परियोजनाओं, स्कीमों तथा कार्यालयों में कार्यरत हों, उनकी पदच्युति, बरखास्तगी या पदावनति से भिन्न अनुशासनिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण, निलंबित करने की शक्तियों सहित, संबंधित पंचायत में निहित होगा ।

166. विकास योजनाओं की तैयारी—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रति वर्ष विकास-योजना तैयार करेगी और उसे ऐसी तारीख से पहले तथा ऐसे फारम में पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी जैसा विहित किया जाये ।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति अपने क्षेत्र के लिए संबद्ध ग्राम पंचायतों की विकास-योजनाओं को सम्मिलित करते हुए प्रति वर्ष विकास-योजना तैयार करेगी और ऐसी तारीख के पहले तथा ऐसे फारम में जैसा विहित किया जाय जिला परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

(3) प्रत्येक जिला परिषद् अपने क्षेत्र के लिए संबद्ध पंचायत समिति की विकास-योजनाओं को सम्मिलित करते हुए प्रति वर्ष जिले की विकास-योजना तैयार करेगी और उसे इस अधिनियम के अधीन गठित जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

167. जिला योजना समिति—(1) पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और सम्पूर्ण जिला के लिए विकास योजना – प्रारूप तैयार करने हेतु सरकार प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन करेगी।

(2) जिला योजना समिति में निम्नलिखित होंगे –

- (क) जिला परिषद् के अध्यक्ष,
- (ख) जिला मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाली नगरपालिका के महापौर या अध्यक्ष,
- (ग) सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम-से-कम 4/5 भाग सदस्य, जो जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं के सदस्यों के बीच से, विहित रीति से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आबादी के अनुपात में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में निर्वाचित होंगे :

परन्तु यह कि निर्वाचित सदस्यों में व्यावहारिक रूप से यथाशक्य पचास प्रतिशत महिलायें होंगी ।

परन्तु यह और कि यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों से कोई निर्वाचित सदस्य नहीं हों तो सरकार, जिला की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों के सदस्यों को इतनी संख्या में मनोनीत कर सकती है जितना वह उचित समझे।

(3) लोक सभा के सभी सदस्यगण जो उस जिला का सम्पूर्ण या किसी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हों; राज्य सभा के सभी सदस्यगण जो उस जिला में निर्वाचक के रूप में निबंधित हों; राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जिनका क्षेत्र उस जिला के अन्तर्गत पड़ता हो; राज्य विधान परिषद् के सदस्यगण जो उस जिला में निर्वाचक के रूप में निबंधित हों, तथा जिला दंडाधिकारी और अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक/भूमि विकास बैंक समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

(4) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समिति का सचिव होगा।

(5) जिला परिषद् का अध्यक्ष जिला योजना समिति का सभापति होगा ।

(6) जिला योजना समिति जिला में पंचायतों, तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करेगी और पूरे जिला के लिए विकास योजना प्रारूप बनाएगी।

(7) प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करते समय—

(क) निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी,

(i) जिले में जिला परिषद्, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों तथा नगर निगमों के परस्पर सामान्य हित के मामलों के साथ-साथ स्थानिक योजना, जल एवं अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधन-स्रोत में हिस्सेदारी, आधारभूत संरचना का समेकित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण ।

(ii) उपलब्ध संसाधनों का विस्तार एवं प्रकार चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा ।

(ख) सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट संस्थाओं एवं संगठनों से परामर्श ।

(8) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना को सरकार के पास अग्रसारित करेगा ।

168. पंचायतों के लिए वित्त आयोग—(1) सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर यथासम्भव शीघ्र और इसके बाद हरेक पांच वर्ष की समाप्ति पर जिला परिषदों, पंचायतों समितियों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा सरकार को निम्नलिखित विषयों पर अनुशंसा देने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगी—

(क) वैसे सिद्धान्त जो विनियमित करे

(i) राज्य और जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के बीच सरकार द्वारा उद्ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क तथा फीस, के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच उनके अपने-अपने अनुपात के अनुसार वितरण ;

(ii) जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जाने वाले कर, शुल्क एवं फीस का अवधारण ।

(iii) राज्य की संचित निधि से जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान;

(ख) जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय,

(ग) जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय ।

(2) वित्त आयोग में अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे ।

(3) वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की ऐसी अर्हता होगी और उनकी नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाये ।

(4) वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा ।

(5) वित्त आयोग का अध्यक्ष या सदस्य सरकार के वित्त सचिव को स्वयं लिखकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा, किन्तु जबतक सरकार द्वारा उसका त्याग-पत्र मंजूर न कर लिया जाय वह अपने पद पर बना रहेगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन अथवा अन्यथा किसी कारण से सदस्य या अध्यक्ष के त्याग-पत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नई नियुक्ति कर की जाएगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य या अध्यक्ष जिस सदस्य या अध्यक्ष के स्थान पर नियुक्त हुआ हो उसकी शेष पदावधि तक अपना पद धारण करेगा।

(7) आयोग को अपने कार्य-कलापों के संपादन में निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, यथा;

(क) किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी से कोई अभिलेख माँगना;

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्मन करना; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियाँ जो विहित की जाएं।

(8) सरकार इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक अनुशंसा को उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

169. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन—(1) प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख के बाद यथाशीघ्र और ऐसी तारीख से पहले जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के समक्ष पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित प्रतिवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित प्रस्तुत करेगा जैसा कि सरकार निदेश दे तथा उस प्रतिवेदन को ग्राम पंचायत के संकल्प के साथ जिला परिषद् को भेजेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख के बाद यथाशीघ्र और ऐसी तारीख से पहले, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के समक्ष पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित प्रतिवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित प्रस्तुत करेगा जैसा कि सरकार निदेश दें, तथा उस प्रतिवेदन को पंचायत के संकल्प के साथ जिला परिषद् को प्रेषित करेगा।

(3) जिला परिषद् उपधारा (1) और (2) के तहत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर समेकित प्रतिवेदन सरकार को भेजेगी।

(4) प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख के बाद यथाशीघ्र और ऐसे तारीख से पहले, जैसाकि सरकार, द्वारा निर्धारित की जाए, जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जिला परिषद् के प्रशासन से संबंधित प्रतिवेदन ऐसे प्रपत्र (फारम) में व्योरे सहित तैयार

करेगा जैसा कि सरकार निदेश दे और प्रतिवेदन जिला परिषद् को प्रस्तुत करेगा। जिला परिषद् का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) सरकार के समक्ष उपधारा (3) और (4) के अधीन उपस्थापित प्रतिवेदन ग्राम पंचायत, जिला परिषद् और पंचायत समिति के कार्यों की समीक्षा से संबंधित सरकारी ज्ञापन सहित, विधान मंडल के दोनों सदनों में रखा जाएगा।

170. लोक सेवक :- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम 45,1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा, जब वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली या उप-विधि के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसरण में या अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्य करें या करने के लिए तात्पर्यित हों।

171. निरसन और व्यावृत्ति — समय-समय पर यथासंशोधित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 19, 1993) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

परन्तु ऐसे निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा —

(क) उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या हुए किसी कार्य पर, या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर, या

(ग) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में दी गई कोई शास्ति, समापहरण या दंड पर, या

(घ) यथा पूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, समापहरण या दण्ड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर और ऐसा अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा, और ऐसी कोई शास्ति, समापहरण या दण्ड आरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो।

(ङ) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा, या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

(च) ऐसे निरसन (रिपील) के रहते हुए भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् जो इस निरसित अधिनियम के अन्तर्गत विधिमान्य रूप गठित हों, इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के गठन और प्रथम बैठक तक कार्य करते रहेंगे ।

(छ) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अधीन बनाये गये सभी नियम प्रभावी रहेंगे जबतक कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रतिस्थापित न किये जाएं ।

172. कठिनाईयाँ दूर करना – यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अवसर की अपेक्षानुसार राजपत्र गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

173. निरसन एवं व्यावृत्ति – (1) बिहार पंचायत राज अध्यादेश, 2006 (बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2006) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम, द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

AN

ACT

to replace the Bihar Panchayat Raj Act, 1993 as amended up to date.

Chapter I

1. Short title, extent and commencement — (i) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj Act, 2006.

(ii) It shall extend to the whole of the state of Bihar excepting the areas to which the provisions of the Patna Municipal Corporation Act, 1951 (Bihar Act XIII of 1952) or Bihar & Orissa Municipal Act, 1922 (Bihar Act VII of 1922) or Cantonment Act, 1924 (Act II of 1924) apply.

(iii) It shall come into force immediately after its notification in the Official Gazette.

2. Definitions — In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,

- (a) “Adhyaksha” means an Adhyaksha of Zila Parishad elected under the provisions of this Act;
- (b) “Backward Classes” means and includes the list of Backward Classes of citizens specified in Annexure 1 of the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for SC, ST and other Backward Classes) Act, 1991 (Bihar Act No. -3, 1992);
- (c) “Block” means such local area in a district as the State Government may constitute to be a Block;
- (d) “Block Development Officer” means an officer appointed as such by the State Government;

- (e) “Chief Executive Officer” means the Chief Executive Officer of a Zila Parishad appointed under the provisions of this Act;
- (f) “Commission” means the State Election Commission constituted under Article 243-K read with Article 243-ZA of the Constitution of India.
- (g) “Commissioner” means the Divisional Commissioner or such other officer, as may be especially authorised by the State Government to discharge the functions of a Commissioner under this Act;
- (h) “Criminal Case” means a criminal proceeding in respect of an offence triable by a bench of the Gram Katchahry;
- (i) “District” means a District as notified by the State Government to be a district;
- (j) “District Magistrate” means a District Magistrate of a District so appointed by the State Government and includes any other officer, who may be especially appointed by the State Government to discharge all or any of the functions of the District Magistrate under this Act;
- (k) “District Panchayat Raj Officer” means a District Panchayat Raj Officer of a district so appointed by the State Government and includes any other officer, who may be especially appointed by the State Government to discharge all or any of the functions of the District Panchayat Raj Officer under this Act;
- (l) “Executive Officer” means an Executive Officer of a Panchayat Samiti;
- (m) “Gram Sabha” means a body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of the Panchayat at the village level;
- (n) “Gram Katchahry” means a Gram Katchahry established under sub-section (1) of section 90 of this Act;
- (o) “Government” means the State Government of Bihar;

- (p) “Member Board of Revenue” means the Member, Board of Revenue or such other officer, as may be especially authorised by the State Government to perform the functions of a Member, Board of Revenue under this Act and includes an Additional Member, Board of Revenue;
- (q) “Member of Gram Panchayat” means an elected member of that Panchayat;
- (r) “Mukhiya” means a Mukhiya of Gram Panchayat elected under the provisions of this Act;
- (s) “Municipality” means an institution of self-government constituted under Article 243-Q of the Constitution of India.
- (t) “Munsif” with reference to a Gram Panchayat means the Munsif having local jurisdiction in the area in which such Gram Panchayat is constituted and includes a court of small cause cases;
- (u) “Notification” means a notification published in the State or District Gazette;
- (v) “Panch of a Gram Katchahry ” means an elected Panch of that Gram Katchahry;
- (w) “Panchayat” means an institution of Self-Government constituted under Article 243B of the Constitution of India for the rural areas;
- (x) “Panchayat Area” means the territorial area of a Panchayat;
- (y) “Panchayat Samiti” means a Panchayat Samiti constituted for every Block under this Act;
- (z) “Panchayat Secretary” means the Secretary of a Gram Panchayat appointed under this Act;
- (aa) “Prescribed” means prescribed under this Act or rules or regulations or notifications or orders made thereunder;

- (ab) “Prescribed Authority” means an authority appointed under the provisions of this Act or any notification or rules or regulations made thereunder, for all or any of the purposes of this Act;
- (ac) “Population” means and includes the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (ad) “Pramukh” means a Pramukh of Panchayat Samiti elected under this Act;
- (ae) “Sarpanch” means the Sarpanch of a Gram Katchahry elected under this Act;
- (af) “Standing Committee” means a Standing Committee constituted by a Zila Parishad or a Panchayat Samiti or a Gram Panchayat under this Act;
- (ag) “Subdivisional Magistrate” means a Subdivisional Magistrate of a Subdivision so appointed by the State Government and includes any other officer, who may be especially authorised by the State Government to discharge all or any of the functions of the Subdivisional Magistrate under this Act;
- (ah) “Suit” means a suit triable by a bench of the Gram Katchahry;
- (ai) “Up-Adhyaksha” means an Up-Adhyaksha of a Zila Parishad elected under this Act;
- (aj) “Up-Mukhiya” means an Up-Mukhiya of a Gram Panchayat elected under this Act;
- (ak) “Up-Pramukh” means an Up-Pramukh of a Panchayat Samiti elected under this Act;
- (al) “Up-Sarpanch” means an Up-Sarpanch of a Gram Katchahry elected under this Act;

- (am) "Village" means an area defined, surveyed and recorded as distinct and separate village in revenue records of the district in which it is situated;
- (an) "Zila Parishad" means a Zila Parishad of a district constituted under this Act.

CHAPTER II

GRAM SABHA

3. ***Period of Meetings*** — The Gram Sabha shall meet from time to time but not more than three months shall intervene in between any two meetings.
4. ***Convening of Meetings*** — (1) A notice of the meeting of the Gram Sabha shall be pasted in the Office of the Gram Panchayat and the same shall be brought to the notice of the public by beat of drum or by any other means of publicity as prescribed.
- (2) The procedure for convening and conducting the meetings of the Gram Sabha shall be such as may be prescribed.
- (3) It shall be the responsibility of the Mukhiya to convene the meeting of the Gram Sabha at regular intervals as specified under the Act. In case he fails to convene the meeting as specified, the Executive Officer of the Panchayat Samiti may convene such meeting on this fact being brought to his notice. The Executive Officer may depute a Government servant to be present in such a meeting on his behalf.
5. ***Quorum*** — (1) The Quorum for a meeting shall be one-twentieth of the total members of the Gram Sabha.
- (2) If at the time appointed for the meeting a quorum is not complete or if the meeting has begun and attention is drawn towards want of quorum, the presiding authority shall wait for one hour and if within such period there is no quorum, the presiding authority shall adjourn the meeting to such time on the following day or such future day as he may fix. The business which could not be considered at the meeting so postponed for want of quorum shall be brought before and

disposed of at the subsequent adjourned meeting or meetings for which a quorum of one fortieth of the total members of the Gram Sabha shall be required.

6. **Presiding Officer** — Every meeting of the Gram Sabha shall be presided over by the Mukhiya of the concerned Gram Panchayat and in his absence by the Up-Mukhiya.
7. **Matters for Consideration** — The Gram Sabha shall consider the following matters:—
 - (a) The annual statement of accounts of the Gram Panchayat, the report of administration of the preceding financial year and the last audit note and replies, if any, made thereto;
 - (b) The budget of the Gram Panchayat for the next financial year;
 - (c) The report in respect of development programmes of the Gram Panchayat relating to the preceding year and development programmes proposed to be undertaken during the current year;
 - (d) Reports of the Vigilance Committee.
8. **Resolution** — Any resolution relating to matters entrusted to the Gram Sabha under this Act shall have to be passed by a majority of the members present and voting in the meeting of the Gram Sabha.
9. **Functions** — The Gram Sabha shall perform the following functions :—
 - (a) Rendering assistance in the implementation of developmental schemes pertaining to the village;
 - (b) Identification of beneficiaries for the implementation of developmental schemes pertaining to the village :

Provided that in case the Gram Sabha fails to identify the beneficiaries within a reasonable time, the Gram Panchayat shall identify the beneficiaries;

- (c) Procuring voluntary labour and contributions, in kind or in cash or both, for community welfare programmes;
- (d) Providing all assistance in the programmes of mass education and family welfare within the village;
- (e) Promotion of unity and harmony among all sections of society in the village;
- (f) Seeking clarifications from the Mukhiya, Up-Mukhiya and members of the Gram Panchayat about any particular activity, scheme, income and expenditure; and
- (g) Discussing and recommending appropriate action with regard to reports of the Vigilance Committee;
- (h) Such other matters as may be prescribed.

10. Vigilance Committee — The Gram Sabha may also form one or more vigilance committee(s) consisting of persons who are not members of the Gram Panchayat, to supervise the Gram Panchayat works, schemes and other activities relating to that village and to put up reports related to them in its meeting.

CHAPTER III
GRAM PANCHAYAT

11. *Declaration of Gram Panchayat Area* — (1) Subject to the general or special orders of the Government, the District Magistrate may, by notification in the District Gazette, declare any local area comprising a village or a group of contiguous villages or part thereof to be a Gram Panchayat area with a population within its territory as nearly as seven thousand.

Provided that the District Magistrate may, after consultation with the Gram Panchayat concerned, by a notification, at any time, include within or exclude from any Gram Panchayat area any village or part thereof and alter the name of the Gram Panchayat.

(2) If the State Election Commission, suo motu or on receipt of a written representation from an aggrieved person, is of the opinion that there is sufficient reason for doing so, may review the legality and propriety of any Gram Panchayat declared under sub-section (1) and may call for the relevant records for this purpose, and subject to the provisions of this Act, may pass such order which the Commission deems fit and proper.

Provided that after the notification of the date of Panchayat election by the Governor under section 124 of the Act, the Commission shall not consider any such new case.

(3) Every Gram Panchayat shall be a body corporate by the name of its Gram Panchayat and shall have perpetual succession and a common seal and subject to such restrictions as are imposed by or under this Act or any other enactment, shall be vested with the capacity of suing

or being sued in its corporate name, of acquiring, holding and transferring property, movable or immovable, whether without or within the limits of the area over which it has authority, or entering into contracts and of doing all things necessary, proper and expedient for the purpose for which it is constituted.

12. Composition of Gram Panchayat — (1) The Gram Panchayat shall consist of –

- (a) The Mukhiya elected under the provisions of this Act;
 - (b) Such number of directly elected members as may be notified from time to time by the District Magistrate and each of such members representing as nearly as possible a population of five hundred of the Panchayat Area.
- (2) For the convenience of election, the District Magistrate shall, in accordance with such rules as may be prescribed in this behalf by the State Government, divide the area of the Gram Panchayat under the direction, control and supervision of the State Election Commission into territorial constituencies in such manner that the population of each constituency, so far as practicable, be the same throughout the Panchayat area.
- (3) One member from each territorial constituency shall be elected through direct election in the manner prescribed.
- (4) Every Gram Panchayat constituted under this section shall be notified in the District Gazette and shall come into office with effect from the date appointed for its first meeting.

13. Reservation of seats — (1) In every Gram Panchayat, as nearly as but not exceeding fifty percent of the total seats of members of Gram Panchayat shall be reserved for

- (a) Scheduled Castes;
- (b) Scheduled Tribes; and
- (c) Backward Classes.

The number of seats so reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall bear as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled up by direct election in that Gram Panchayat as the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes bears to the total population of that area and such seats shall be allotted by rotation to different constituencies in a Gram Panchayat by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the prescribed manner.

After reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the number of seats to be reserved for the Backward Classes shall be as nearly as possible but not exceeding twenty percent of the total seats and within the overall limit of fifty percent reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and shall be allotted to the remaining constituencies by the District Magistrate in the prescribed manner. Such seats shall be allotted by rotation to different constituencies in a Gram Panchayat by the District Magistrate during subsequent elections under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the manner prescribed by it.

- (2) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats reserved under Sub-section (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes, as the case may be.
- (3) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats not reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes shall be reserved for women.

- (4) Such total number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and unreserved category may be allotted by rotation by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission to different constituencies in a Gram Panchayat in such manner as may be prescribed by it.

Explanation - For the removal of doubts it is hereby declared that the principle of rotation for the purposes of reservation of offices for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993.

14. Duration of Gram Panchayat — (1) Every Gram Panchayat unless sooner dissolved under any law for the time being in force shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer.

(2) No amendment of any law for the time being in force shall have the effect of causing dissolution of a Gram Panchayat, which is functioning immediately before such amendment, till the expiration of its duration specified in clause (1).

(3) An election to constitute a Gram Panchayat shall be completed –

(a) Before the expiry of its duration specified in sub-section (1); and

(b) Before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution :

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Gram Panchayat would have continued is less than six

months, it shall not be necessary to hold any election under this sub-section for constituting the Gram Panchayat for such period.

- (4)A Gram Panchayat constituted upon the dissolution of a Gram Panchayat before the expiration of its duration shall continue only for remainder of the period for which the dissolved Gram Panchayat would have continued under Sub-section (1) had it not been so dissolved.

15. Election of Mukhiya and Up-Mukhiya — (1) A Mukhiya of the Gram Panchayat shall be directly elected by the voters enrolled in the voters' list of that Gram Panchayat.

- (2) In the event of vacancy caused by reason of death, resignation, disqualification, removal or otherwise of the Mukhiya, the Gram Panchayat shall elect another Mukhiya as soon as possible as per the provisions of sub-section (1) :

Provided that if the vacancy in the office of Mukhiya is for less than six months, there shall be no election.

- (3) (i) After election every Gram Panchayat shall under the direction, control and supervision of State Election Commission, elect in its first meeting one Up-Mukhiya from amongst the members elected under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act, by a majority of votes.

(ii) The Mukhiya of the Gram Panchayat shall be a voter in the election of Up-Mukhiya.

(iii) In the case of equality of votes in the election of Up-Mukhiya, the result shall be decided by draw of lots.

- (4) (i) In the event of the offices of the Mukhiya and Up-Mukhiya falling vacant simultaneously in any Gram Panchayat, the Executive Officer

of the concerned Panchayat Samiti shall call a meeting for election of Up-Mukhiya within fifteen days of such an eventuality for which a notice of at least seven clear days shall be given to the members.

(ii) The Executive Officer of the concerned Panchayat Samiti shall preside over such meeting but he shall not have the right to vote.

(iii) In the case of equality of votes, the result shall be decided by draw of lots.

(5) Reservation of seats — (i) For the post of Mukhiya, as nearly as but not exceeding fifty percent of the total seats of Mukhiya within every Panchayat Samiti shall be reserved for :-

- (a) Scheduled Castes;
- (b) Scheduled Tribes; and
- (c) Backward Classes.

Within every Panchayat Samiti, seats shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the posts of Mukhiya and the number of seats so reserved shall bear as nearly as possible the same proportion to the total number of seats of Mukhiya within the said Panchayat Samiti as the population of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes bears to the proportion of the total population of that area and such seats shall be allotted by rotation to different Gram Panchayats within the Panchayat Samiti by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the prescribed manner.

After reservation of seats of Mukhiya for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the number of seats to be reserved for the Backward Classes shall be as nearly as possible but not exceeding twenty percent of the total seats and within the overall limit of fifty percent reservation for

the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and shall be allotted to the remaining Gram Panchayats by the District Magistrate in the prescribed manner. Such seats shall be allotted by rotation to different Gram Panchayats within a Panchayat Samiti by the District Magistrate during subsequent elections under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the manner prescribed by it.

- (ii) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats so reserved under Sub-section (i) shall be reserved for women belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes as the case may be.
- (iii) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats not reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes shall be reserved for women.
- (iv) Such total number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and unreserved category shall be allotted by rotation by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission to different constituencies in a Gram Panchayat in such manner as may be prescribed by the State Election Commission.

Explanation - For the removal of doubts it is hereby declared that the principle of rotation for the purposes of reservation of offices for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993.

16. Term of Office of Mukhiya and Up-Mukhiya — The term of office of Mukhiya and Up-Mukhiya of the Gram Panchayat shall, save as otherwise

provided in this Act, cease on the expiry of his term of office as a member of the Gram Panchayat.

17. Powers, Functions and Duties of Mukhiya and Up Mukhiya — (1)

The Mukhiya shall –

- (a) be responsible for convening the meetings of Gram Sabha and shall preside over its meetings;
- (b) be responsible for convening the meeting of Gram Panchayat and shall preside over its meetings;
- (c) be responsible for the proper maintenance of the records of the Gram Panchayat;
- (d) have the general responsibility for the financial and executive administration of the Gram Panchayat.
- (e) exercise administrative control and supervision over the work of the employees and officers of the Gram Panchayat and employees whose services may be placed at the disposal of the Gram Panchayat by any other authority;
- (f) for the transaction of business connected with this Act or for the purposes of making any order authorised thereby, exercise such powers, perform such functions and discharge such duties as may be exercised, performed or discharged by the Gram Panchayat under this Act or the rules made thereunder;

Provided that the Mukhiya shall not exercise such powers or perform such functions or discharge such duties as may be required by the rules made under this Act to be exercised, performed or discharged only by the Gram Panchayat at a meeting;

(g) exercise such other powers, perform such other functions and discharge such other duties as the Gram Panchayat may, by general or special resolution, direct or as the Government may, by rules made in this behalf, prescribe.

(2) The Up-Mukhiya shall -- (a) exercise such of the powers, perform such of the functions and discharge such of the duties of Mukhiya as the Mukhiya may from time to time, subject to rules made in this behalf by the Government, delegate to him by order in writing :

Provided that the Mukhiya may at any time withdraw all or any of the powers, functions and duties so delegated to the Up-Mukhiya ;

(b) during the absence of the Mukhiya exercise all the powers, perform all the functions and discharge all the duties of the Mukhiya

Provided that as soon as the Mukhiya returns from absence, he will resume the exercise of all such powers and shall start performing all the functions and discharging all the duties of the Mukhiya;

(c) exercise such other powers, perform such other functions and discharge such other duties as the Gram Panchayat may, by general or special resolution, direct or as the Government may, by rules made in this behalf, prescribe.

18. Resignation or Removal of Mukhiya or Up-Mukhiya — (1)The Mukhiya/ Up-Mukhiya may resign his office by writing under his hand addressed to the District Panchayat Raj Officer.

(2) Every resignation under Sub-section (1) shall take effect on the expiry of seven days from the date of its receipt by the District Panchayat Raj Officer, unless within this period of seven days he withdraws such

resignation by writing under his hand addressed to the District Panchayat Raj Officer.

- (3) Every Up-Mukhiya shall vacate the Office if he ceases to be a member of a Gram Panchayat.
- (4) (i) Removal of Mukhiya by no confidence motion—Every Mukhiya shall be deemed to have vacated his office forthwith if a resolution expressing want of confidence in him is passed by a simple majority of the total number of voters of the Gram Panchayat at a meeting especially convened for the purpose. The requisition for such a special meeting shall be signed by not less than one fifth of the total number of voters of the Gram Panchayat and shall be delivered to the District Panchayat Raj Officer. The District Panchayat Raj Officer shall, within seven days from the date of receipt of the requisition, fix a meeting of voters of Gram Panchayat at any place within the Gram Panchayat area. The meeting shall be held within 15 days from the date of issue of the notice of the meeting. The meeting shall be presided over by the District Panchayat Raj Officer :

Provided that during the first two year period of the tenure, no such motion of no confidence shall be moved against the Mukhiya.

Provided further that if the motion of no confidence against the Mukhiya is once rejected, no fresh motion of no confidence against the Mukhiya shall be brought within a period of one year from the date of such rejection of the motion;

Provided further that no motion of no confidence against Mukhiya shall be brought during the last six months of the term of Gram Panchayat.

- (ii) Removal of Up-Mukhiya by no confidence motion—Every Up-Mukhiya shall be deemed to have vacated his office forthwith if a

resolution expressing want of confidence in him is passed by a simple majority of the total number of elected members of the Gram Panchayat and Mukhiya at a meeting especially convened for the purpose. The requisition for such a special meeting shall be signed by not less than one third of the total number of elected members of the Gram Panchayat and shall be delivered to the Mukhiya. The Mukhiya shall, within 7 days from the date of receipt of the requisition, convene a special meeting of the Gram Panchayat in the office of the Gram Panchayat for discussion on the motion and shall also preside over the meeting :

Provided that during the first two year period of the tenure, no such motion of no confidence shall be moved against the Up-Mukhiya.

Provided further that if the motion of no confidence against the Up-Mukhiya is once rejected, no fresh motion of no confidence against the Up-Mukhiya shall be brought within a period of one year from the date of such rejection of the motion;

Provided further that no motion of no confidence against Up-Mukhiya shall be brought during the last six months before the expiry of the term of Gram Panchayat.

- (5) Without prejudice to the provisions under this Act, if, in opinion of the Commissioner having territorial jurisdiction over the Gram Panchayat, a Mukhiya or an Up-Mukhiya of Gram Panchayat absents himself without sufficient cause for more than three consecutive meetings or sittings or willfully omits or refuses to perform his duties and functions under this Act, or abuses the power vested in him or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties or is

absconding being an accused in a criminal case for more than six months, the Commissioner may, after giving the Mukhiya or Up-Mukhiya a reasonable opportunity for explanation, by order, remove such Mukhiya or Up-Mukhiya, as the case may be, from office.

The Mukhiya or Up-Mukhiya so removed shall not be eligible for re-election as Mukhiya or Up-Mukhiya or Member of Gram Panchayat during the remaining term of office of such Gram Panchayat.

(6) Appeal shall lie before the Member, Board of Revenue against the order of the Commissioner.

19. Resignation of Members of the Gram Panchayat — A member of Gram Panchayat may resign his membership in writing under his hand addressed to the Mukhiya of the Gram Panchayat and his Office shall become vacant on the expiry of seven days from the date of such resignation unless within the said period of seven days, he withdraws such resignation by writing under his hand addressed to the Mukhiya.

20. Meeting of Gram Panchayat — (1) A Gram Panchayat shall meet for the transaction of its business at least once in two months at the office of the Gram Panchayat and at such date and time as the Mukhiya may determine.

(2) The Mukhiya may, whenever he thinks fit, and shall upon the written request of not less than one-third of the total number of elected members of the Gram Panchayat, on a date within fifteen days from the receipt of such request, call a special meeting.

(3) Seven clear days' notice of an ordinary meeting and three clear days' notice of a special meeting specifying the place, date and time of such meeting and the business to be transacted thereat, shall be given by the Panchayat Secretary to the members and to such officers as the Government may prescribe, and it shall be affixed on the notice board of the Gram Panchayat.

- (4) The officers to whom notice is given under sub-section (3) and other Government Officers having jurisdiction over the Gram Panchayat area or any part thereof shall be entitled to attend every meeting of the Gram Panchayat and take part in the proceedings but shall not have the right to vote.
- (5) If the Mukhiya fails to call a special meeting as provided in sub-section (2), the Up-Mukhiya or, in his absence, one-third of the total number of members may call such a meeting on a day not more than fifteen days thereafter and require the Panchayat Secretary to give notice to the members and to take such action as may be necessary to convene the meeting.

21. *Quorum and Procedure* — (1) The quorum for a meeting of the Gram Panchayat shall be half of the total number of members. If, at the time appointed for the meeting, a quorum is not complete or if the meeting has begun and attention is drawn to the want of quorum the presiding officer shall wait for one hour, and if within such period there is no quorum, the presiding officer shall adjourn the meeting to such time on the following day or such future day as he may fix. The business which could not be considered at the meeting so postponed for want of quorum, shall be brought before and disposed of at the subsequent adjourned meeting or meetings for which the same quorum of half of the total number of members shall be required.

- (2) All questions shall, unless otherwise specifically provided, be decided by a majority of votes of the members present and voting. The Mukhiya or Up-Mukhiya as the case may be, presiding over the meeting, unless he refrains from voting, shall give his vote before declaring the number of votes for and against a question and in case of equality of votes, he may give his casting vote.

- (3) No member of a Gram Panchayat shall vote on, or take part in the discussion of, any question coming up for consideration at a meeting of the Gram Panchayat, if the question is one in which, apart from its general application to the public, he has any pecuniary or personal interest and if the person presiding has such an interest, he shall not preside over the meeting when such question comes up for consideration.
- (4) If any member present at the meeting believes that the person presiding has any pecuniary or personal interest in any matter under discussion, and if a motion to that effect be carried, the latter shall not preside over the meeting during such discussion or vote on or take part in it. Any member of the Gram Panchayat may be chosen to preside at the meeting during the continuance of such discussion.

22. Functions of Gram Panchayat — Subject to such condition as may be prescribed by the Government from time to time, the Gram Panchayat shall perform the functions specified below :

- (i) *General Functions.* — (1) Preparation of annual plans for the development of the Panchayat area;
 - (2) Preparation of annual budget;
 - (3) Power to take up relief works during natural calamities;
 - (4) Removal of encroachments on public properties;
 - (5) Organising voluntary labour and contribution for community works;
 - (6) Maintenance of essential statistics of village(s).

- (ii) *Agriculture, including Agriculture Extension.* — (1) Promotion and development of agriculture and horticulture;
 - (2) Development of waste lands;
 - (3) Development and maintenance of grazing lands and preventing their unauthorised alienation and use.

- (iii) *Animal Husbandry, Dairy and Poultry* — (1) Improvement of breed of cattle, poultry and other livestock;
 - (2) Promotion of dairy farming, poultry and piggery;
 - (3) Grassland development.

- (iv) *Fisheries.* — Development of fisheries in the village(s).

- (v) *Social and Farm Forestry, Minor Forest Produce, Fuel and Fodde* —
 - (1) Planting and preservation of trees on the sides of roads and other public lands under its control.
 - (2) Fuel plantations and fodder development;
 - (3) Promotion of farm forestry;
 - (4) Development of Social Forestry.

- (vi) *Khadi, Village and Cottage Industries* — (1) Promotion of rural and cottage industries;
 - (2) Organisation of awareness camps, seminars and training programmes, agricultural and industrial exhibitions for the benefit of rural areas.

- (vii) *Rural Housing* — (1) Distribution of house sites within its jurisdiction.
- (2) Maintenance of records relating to house sites and other private and public properties.
- (viii) *Drinking Water* — (1) Construction, repair and maintenance of drinking water wells, tanks, ponds and hand pumps;
- (2) Prevention and control of water pollution;
- (3) Maintenance of rural water supply schemes.
- (ix) *Roads, Buildings, Culverts, Bridges, Ferries, Waterways and other means of communication* — (1) Construction and maintenance of village roads, drains and culverts;
- (2) Maintenance of buildings under its control or transferred to it by the Government or any public authority;
- (3) Maintenance of boats, ferries and waterways.
- (x) *Rural Electrification, including distribution of electricity and providing for and maintenance of lighting public streets and other places.*
- (xi) *Non-Conventional Energy Sources* — (1) Promotion and development of non-conventional energy schemes;
- (2) Setting up, development and maintenance of community non-conventional energy devices;
- (3) Propagation of other energy efficient devices.
- (xii) *Poverty Alleviation Programmes* — (1) Promotion of public awareness and participation in poverty alleviation programmes for fuller employment and creation of productive assets;

- (2) Selection of beneficiaries under various programmes through Gram Sabhas;
 - (3) Participation in effective implementation and monitoring of poverty alleviation programmes.
- (xiii) *Education, including primary and secondary school education* — (1) Promotion of public awareness and participation in primary and secondary education;
- (2) Ensuring full enrollment and attendance in primary schools and their management.
- (xiv) *Adult and non-formal education* — Promotion of mass literacy.
- (xv) *Libraries* — Village libraries and reading rooms.
- (xvi) *Cultural and Sports Activities* — Promotion of social, cultural and sports activities.
- (xvii) *Markets and Fairs.* — Regulation and management of fairs (including cattle fairs) and festivals.
- (xviii) *Rural Sanitation and Environment* — (1) Maintenance of general sanitation;
- (2) Cleaning of public roads, drains, tanks, wells and other public places;
 - (3) Maintenance and regulation of burning and burial grounds;
 - (4) Construction and maintenance of public latrines;
 - (5) Disposal of unclaimed corpses and carcasses;
 - (6) Management and control of washing and bathing ghats.
 - (7) Upgradation of environment and prevention of its degradation

- (xix) *Public Health and Family Welfare* — (1) Implementation of family welfare programmes and Public Health Centers;
- (2) Prevention of and taking remedial measures against epidemics;
 - (3) Regulation of sale of meat, fish and other perishable food articles;
 - (4) Participation in programmes of human and animal vaccination;
 - (5) Licensing of eating and entertainment establishments;
 - (6) Regulation of curing, tanning and dyeing of skins and hides;
 - (7) Regulation of offensive and dangerous trades.
- (xx) *Women and Child Development* — (1) Participation in the implementation of women and child welfare programmes;
- (2) Promotion of education, health and nutrition programmes.
- (xxi) *Social Welfare including welfare of the physically and mentally challenged*
- (1) Participation in the implementation of the social welfare programmes, including welfare of physically and mentally challenged persons as well as destitutes;
 - (2) Monitoring of the old-age and widows' pension schemes.
- (xxii) *Welfare of the Weaker Sections and in particular the Scheduled Castes and Scheduled Tribes* — (1) Promotion of public awareness with regard to welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections;
- (2) Participation in the implementation of the specific programmes for the welfare of the weaker sections.

(xxiii) *Public Distribution System* — (1) Promotion of public awareness with regard to the distribution of essential commodities;

(2) Monitoring the public distribution system.

(xxiv) *Maintenance of Community Assets* — (1) Maintenance of community assets belonging to the Gram Panchayat;

(2) Preservation and maintenance of other community assets.

(xxv) *Construction and maintenance of Dharmshalas, Hostels and similar institutions.*

(xxvi) *Construction and maintenance of cattle sheds, pounds and cart stands.*

(xxvii) *Construction and maintenance of slaughter houses.*

(xxviii) *Maintenance of public parks, playgrounds, etc.*

(xxix) *Regulation of garbage bins in public places.*

(xxx) *Establishment and control of huts and sheds, and*

(xxxi) *Such other functions as may be entrusted.*

23. Assignment of Functions to Gram Panchayat (1) The Government may, by notification and subject to such conditions as may be specified therein —

(a) transfer to any Gram Panchayat the management and maintenance of a forest situated in the Panchayat area;

(b) make over to the Gram Panchayat the management of waste lands, pasture lands or vacant lands belonging to the Government, situated within the Panchayat area;

(c) Entrust to the Gram Panchayat the collection of land revenue on behalf of the Government and the maintenance of such records as are connected therewith; and

(d) Entrust such other functions as may be prescribed :

Provided that no entrustment under clause (c) shall be made without the concurrence of the Gram Panchayat concerned :

Provided further that when any transfer of the management and maintenance of a forest is made under clause (a) the Government shall direct that any amount required for such management and maintenance or an adequate portion of the income from such forest be placed at the disposal of the Gram Panchayat.

(2) The Government may, by notification, modify, change or withdraw the functions assigned under this Section.

24. *General powers of the Gram Panchayat* — A Gram Panchayat shall have powers to do all acts necessary for or incidental to the carrying out of the functions entrusted, assigned or delegated to it and in particular and without prejudice to the foregoing powers, to exercise all powers specified under this Act.

25. *Standing Committees of Gram Panchayat* — (1)A Gram Panchayat shall constitute the following committees by election from among its members for effective discharge of its functions -

(i) Planning, Co-ordination and Finance Committee: for performing general functions relating to Gram Panchayat including subjects mentioned in section 22, co-ordination of the work of other committees and all residuary functions not under the charge of other committees.

- (ii) Production Committee - for performing functions relating to agriculture, animal husbandry, dairy, poultry and fisheries, forestry-related areas, khadi, village and cottage industries and poverty alleviation programmes.
 - (iii) Social Justice Committee: for performing functions relating to :
 - a. Promotion of educational, economic, social, cultural and other interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections.
 - b. Protection of such castes and classes from social injustice and all forms of exploitation.
 - c. Welfare of women and children.
 - (iv) Education Committee - for performing functions relating to education, including primary, secondary and mass education, libraries and cultural activities.
 - (v) Committee on Public Health, Family Welfare and Rural Sanitation - for performing functions relating to public health, family welfare and rural sanitation.
 - (vi) Public Works Committee - for performing functions relating to all kinds of constructions and maintenance including rural housing, sources of water supply, roads and other means of communication, rural electrification and related works.
- (2) Each committee shall consist of not less than three and not more than five members including the Chairman. Each committee can co-opt not more than two members from among experts or public spirited persons for effective discharge of its responsibilities.
- (3) The Mukhiya shall be the ex-officio member and chairman of the Planning, Co-ordination and Finance Committee and shall nominate a chairman of each committee from among its elected members. Mukhiya shall not hold charge of chairman of more than three

committees including the Planning, Co-ordination and Finance Committee.

Provided that each committee shall have at least one woman member and further, social justice committee shall have a member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, subject to availability.

- (4) As far as possible, no elected member of the Gram Panchayat shall serve on more than three committees.
- (5) Panchayat Secretary shall be the secretary of the Planning, Co-ordination and Finance Committee. For other Standing Committees the District Magistrate or any other officer authorised by him in this behalf shall nominate a Government servant to function as secretary.
- (6) The standing committees shall perform the functions referred to above under the general guidance, supervision and control of the Gram Panchayat.

26. *Property and Funds of Gram Panchayat* : — (1) A Gram Panchayat shall have the power to acquire, hold and dispose of property and to enter into contract,

Provided that in all cases of disposal of immovable property by the Gram Panchayat, it shall obtain the prior approval of the Government.

- (2) All property within the local limits of the jurisdiction of Gram Panchayat of the nature hereinafter in this section specified, other than property belonging to or maintained by the Central or the State Government or a local authority or any other Gram Panchayat, shall vest in and belong to the Gram Panchayat, and shall with all other property of whatsoever nature or kind which may become vested in

the Gram Panchayat, be under its direction, management and control, that is to say—

- (a) All general properties;
- (b) All public streets, including the soil, stones and other materials thereof and all drains, bridges, culverts, trees, erection materials, implements and other things provided for such streets;
- (c) All public channels, water courses, springs, tanks, ghats, reservoirs, cisterns, wells, aqueducts, conduits, tunnels, pipes, pumps and other water works whether made, laid or erected at the cost of the Gram Panchayat or otherwise, and all bridges, buildings, engines, work, materials, and things connected therewith or appertaining thereto and also any adjacent land (not being private property) appertaining to any public tank :

Provided that water pipes and water works, connected therewith or appertaining thereto which with the consent of the Gram Panchayat are laid or set up in any street by the owners of any mill, factory, industry, workshop or the like, primarily for the use of their employees shall not be deemed to be public water works by reason of their being used by the public;

- (d) All public sewers and drains and all works, materials and things appertaining thereto and other conservancy works :

Provided that for the purpose of enlarging, deepening or otherwise repairing or maintaining any such sewer or drain the sub-soil appertaining thereto shall also be deemed to vest in the Gram Panchayat;

- (e) All sewage, rubbish and offensive matter deposited on streets or collected by the Gram Panchayat from streets, latrines, urinals, sewers, cesspools and other places;
 - (f) All public lamps, lamp-posts and apparatus connected therewith or appertaining thereto; and
 - (g) All buildings erected by the Gram Panchayat and all lands and buildings or the property transferred to the Gram Panchayat by the Central or the State Government or acquired by gift, purchase or otherwise for local public purposes.
- (3) The State Government may, by notification, exclude any street, bridge or drain from the operation of this Act or of any specified section of this Act :
- Provided that if the cost of the construction of the work had been paid from the Gram Panchayat Fund, such work shall not be excluded from the operation of this Act or any specified Section of this Act, except after consideration of the views of the Gram Panchayat at a meeting.
- (4) The Government may allocate to a Gram Panchayat any public property situated within its local jurisdiction, and thereupon such property shall vest in and come under the control of the Gram Panchayat.
- (5) For every Gram Panchayat there shall be constituted a Gram Panchayat Fund bearing the name of the Gram Panchayat and there shall be placed to the credit thereof —
- (a) Contributions and grants, if any, made by the Central or the State Government;

- (b) Contributions and grants, if any, made by the Zila Parishad, Panchayat Samiti or any other local authority;
 - (c) Loans, if any, granted by the Central or the State Government;
 - (d) All receipts on accounts of taxes, rates and fees levied by it;
 - (e) All receipts in respect of any schools, hospitals, dispensaries, buildings, institutions or works vested in, constructed by or placed under the control and management of the Gram Panchayat;
 - (f) All sums received as gift or contribution and all income from any trust or endowment made in favour of the Gram Panchayat;
 - (g) Such fines and penalties imposed and realised under the provisions of this Act as may be prescribed; and
 - (h) All other sums received by or on behalf of the Gram Panchayat.
- (6) Every Gram Panchayat shall set apart and apply annually such sum as may be required to meet—
- (a) The cost of its own administration including the payment of salary, allowances, provident fund and gratuity to the officers and employees.
 - (b) Every Gram Panchayat shall have the power to spend such sums as it thinks fit for carrying out the purposes of this Act.
 - (c) The Gram Panchayat Fund shall be vested in the Gram Panchayat and the balance to the credit of the Fund shall be kept in such custody as may be prescribed.

27. Taxation by Gram Panchayat : — (1) Subject to such rules as may be made in this behalf and the maximum rates specified by the Government, a Gram Panchayat may impose yearly —

- (a) Tax on occupants of holdings;
- (b) On professions, trades, callings and employments carried on or held within the local limits of its jurisdiction a tax on the basis of total annual income accrued from such profession, trades, callings and employments.

(2) Subject to such maximum rates as the Government may prescribe, a Gram Panchayat may realize the following fees and rates, namely –

- (a) Fees on the registration of vehicles which are not registered under any other law in force at that time;
- (b) Fee for providing sanitary arrangements at such places of pilgrimage, haats, melas and public use within its jurisdiction as may be specified by the Government by notification;
- (c) Water Rate, where arrangement for the supply of water for drinking, irrigation or any other purpose is made by or on behalf of the Gram Panchayat within its jurisdiction;
- (d) Lighting Fee, where arrangement for lighting of public streets and places is made by or on behalf of the Gram Panchayat within its jurisdiction;
- (e) Conservancy Rate, where arrangement for cleaning private latrines, urinals and cesspools is made by or on behalf of the Gram Panchayat within its jurisdiction.

- 28. *Financial Assistance to Gram Panchayats*** — Subject to the provisions of this section, every Panchayat shall, after an appropriation made by law in this behalf, be entitled to receive grants in aid from the Consolidated Fund of the State as recommended by the State Finance Commission, constituted under the provisions of this Act, and as approved and notified by the State Government.
- 29. *Budget of the Gram Panchayat*** — Every Gram Panchayat shall, at such time and in such manner as may be prescribed, prepare in each year, corresponding to the financial year of the State Government, a budget of its estimated receipts and disbursements for the following year and shall get it approved in its meeting by a majority of members present and for which the quorum shall be not less than fifty per cent of its total numbers of members.
- 30. *Accounts.*** —The income and expenditure account of every Gram Panchayat shall be maintained in such form and manner as prescribed.
- 31. *Audit.*** — (1) The audit of the accounts of a Gram Panchayat shall be carried out by the authority as may be prescribed by the Government and a copy of the audit report shall be forwarded to the Gram Panchayat within one month of the completion of the audit.
- (2) On receipt of the audit report referred to in sub-section (1), the Gram Panchayat shall either remedy the defects or irregularities which have been pointed out in the audit and send to the Panchayat Samiti within three months an intimation of its having done so or shall, within the said period, supply any further explanation to the prescribed authority in regard to such defects or irregularities as it may wish to give.

(3) Apart from audit conducted by the prescribed authority mentioned in sub-section (1) above, concurrent audit or special audit of a Gram Panchayat may be made in the manner prescribed for this purpose.

32. Staff of Gram Panchayat. — (1) There shall be a Panchayat Secretary in Gram Panchayat to be appointed in the manner as may be prescribed.

(2) The Panchayat Secretary shall be in charge of the office of the Gram Panchayat and shall perform all the duties and exercise all the powers imposed or conferred upon him by or under this Act or any rules or bye-laws made thereunder or under any other Act or Rules for the time being in force.

(3) Subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf, a Gram Panchayat may from time to time engage such number of paid or honorary functionaries or professionals as may be required by it for carrying out its functions.

33. Organisation of Gram Raksha Dal — For general watch and ward and for meeting emergent events like fire, flood, breach of embankment, collapse of bridge, outbreak of epidemic, to encounter burglary or dacoity etc. or in order to perform such other duties that may be imposed by the Government from time to time and for maintenance of public peace and order, a Gram Raksha Dal shall be organised under a Dalpati, appointed in the prescribed manner, for every Gram Panchayat and all able-bodied persons of a village between the ages of 18 and 30 years shall be members of the said Dal. The Government may make rules for the organisation, duty and utilisation of Gram Raksha Dal.

CHAPTER IV
PANCHAYAT SAMITI

34. Establishment of Panchayat Samiti-

(1) For every Block there shall be a Panchayat Samiti having jurisdiction save as otherwise provided in this Act, over the entire Block excluding such portions of the Block as are included in or are under the authority of a Municipality or a Cantonment Board constituted under any law for the time being in force.

(2) Every Panchayat Samiti shall be a body corporate by the name of its Panchayat Samiti and shall have perpetual succession and a common seal and subject to such restrictions as are imposed by or under this Act or any other enactment, shall be vested with the capacity of suing or being sued in its corporate name, of acquiring, holding and transferring property, movable or immovable, whether without or within the limits of the area over which it has authority, or entering into contracts and of doing all things necessary, proper and expedient for the purpose for which it is constituted.

35. Declaration of Blocks — For the purposes of this Act, the State Government may, by notification in the official Gazette declare any area, within the district to be a Block and name that Block; and

(a) include any area within that district in the Block so declared;

(b) exclude any area from any such Block, or

(c) transfer any area from one Block to another within the same district.

36. Composition of Panchayat Samiti- (1) A Panchayat Samiti shall consist of-

- (a) directly elected members from the Panchayat Samiti's territorial constituencies, as determined under this Act;
- (b) members of Lok Sabha and members of the Legislative Assembly of the State, representing constituencies which fall either wholly or partly in the Panchayat Samiti area;
- (c) members of Rajya Sabha and members of the State Legislative Council, who are registered as electors within the Panchayat Samiti area;
- (d) All the Mukhiyas of the Gram Panchayats falling within the Panchayat Samiti area.

(2) Every member of the Panchayat Samiti shall have the right to vote in its meeting, but in case of election and removal of Pramukh and Up-Pramukh, only members elected under clause (a) of sub-section (1) shall have the right to vote.

37. Elected Members – (1) The number of elected members of a Panchayat Samiti shall be such as may be notified from time to time by the District Magistrate and each of such members shall represent as nearly as may be a population of five thousand of the Panchayat Samiti area as far as possible

(2) For the convenience of election, the District Magistrate shall, in accordance with such rules as may be prescribed in this behalf by the State Government, divide the area of the Panchayat Samiti under the direction, control and supervision of the State Election Commission into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency, so far as practicable, be the same throughout the Panchayat Samiti area.

(3) From each territorial constituency one member shall be directly elected in the manner prescribed.

38. Reservation of Seats- (1) In every Panchayat Samiti, as nearly as but not exceeding fifty percent of the total seats of the member of Panchayat Samiti shall be reserved for

- (a) Scheduled Castes;
- (b) Scheduled Tribes; and
- (c) Backward Classes.

The number of seats so reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall bear as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled up by direct election in that Panchayat Samiti as the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes bears to the total population of that area and such seats shall be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat Samiti by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the prescribed manner.

After reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the number of seats to be reserved for the Backward Classes shall be as nearly as possible but not exceeding twenty percent of the total seats and within the overall limit of fifty percent reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes taken together and shall be allotted to the remaining constituencies by the District Magistrate in the prescribed manner. Such seats shall be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat Samiti by the District Magistrate during subsequent elections under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the manner prescribed by it.

(2) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats reserved under sub-section (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes, as the case may be.

(3) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats not reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes shall be reserved for women.

(4) Such total number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and unreserved category may be allotted by rotation by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission to different constituencies in a Panchayat Samiti in such manner as may be prescribed by it.

Explanation - For the removal of doubts it is hereby declared that the principle of rotation for the purposes of reservation of offices for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993.

39. *Duration of Panchayat Samiti* – (1) Every Panchayat Samiti, save as otherwise provided in this Act, shall continue for a term of five years from the date appointed for its first meeting and no longer.

(2) No amendment of any law for the time being in force shall have the effect of causing dissolution of Panchayat Samiti which is functioning immediately before such amendment, till the expiration of its duration specified in sub-section (1).

(3) The election to constitute a Panchayat Samiti shall be completed in the following manner –

(a) before the expiry of its duration as specified in sub-section (1);

(b) in case of dissolution, before the expiration of a period of six months from the date of such dissolution;

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Panchayat Samiti would have continued is less than six months, it shall

not be necessary to hold any election under this clause for constituting the Panchayat Samiti for such period.

(4) A Panchayat Samiti constituted consequent upon the dissolution of an earlier Panchayat Samiti before the expiration of its duration, shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Panchayat Samiti would have continued under Sub-section(1), had it not been so dissolved.

40. Election of Pramukh and Up-Pramukh - (1) Under the supervision, control and direction of the State Election Commission :

(a) The elected members of the Panchayat Samiti referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 36 shall, as soon as may be, elect two members from among themselves to be the Pramukh and Up-Pramukh respectively of the Panchayat Samiti;

(b) If any subsequent vacancy is caused in the office of Pramukh or Up-pramukh, the elected members of the Panchayat Samiti shall elect another member from among themselves to be the Pramukh or Up-pramukh as the case may be :

Provided that no such election shall be held if the vacancy is for a period of less than one month.

(2) **Reservation of Seats** - For the post of Pramukh, as nearly as but not exceeding fifty percent of the total seats of Pramukh in every district shall be reserved for

- (a) Scheduled Castes;
- (b) Scheduled Tribes; and
- (c) Backward Classes.

Within every district, seats shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the post of Pramukh and the number of

seats so reserved shall bear as nearly as possible the same proportion to the total number of seats of Pramukh within the said district as the population of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes bears to the proportion of the total population of that area and such seats shall be allotted by rotation to different Panchayat Samitis within the district by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the manner prescribed by it.

After reservation of seats of Pramukh for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the number of seats to be reserved for the Backward Classes shall be as nearly as possible but not exceeding twenty percent of the total seats and within the overall limit of fifty percent reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and shall be allotted to the remaining Panchayat Samitis by the District Magistrate in the prescribed manner. Such seats shall be allotted by rotation to different Panchayat Samitis in a district by the District Magistrate during subsequent elections under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the manner prescribed by it.

(ii) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats of Pramukh so reserved under Sub-section (i) shall be reserved for women belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes as the case may be.

(iii) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats of Pramukh not reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes shall be reserved for women.

(iv) Such total number of seats of Pramukh reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and unreserved category may be allotted by rotation by the District Magistrate

under the direction, control and supervision of the State Election Commission to different Panchayat Samitis in a district in such manner as may be prescribed by it.

Explanation - For the removal of doubts it is hereby declared that the principle of rotation for the purposes of reservation of offices for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993.

(3) The term of office of Pramukh and Up-Pramukh of a Panchayat Samiti shall, save as otherwise provided in this Act, cease on the expiry of his term of office as a member of the Panchayat Samiti.

(4) The election of Pramukh and Up-pramukh, filling up of vacancies in the said offices and determination of disputes relating to such election shall be in accordance with such rules or procedure as may be prescribed by the State Election Commission.

41. Allowances to the Pramukh, Up-Pramukh and other members-

Pramukh, Up-Pramukh and other members of the Panchayat Samiti shall be entitled to receive such sitting fee and allowances as may be prescribed.

42. Powers, Functions and Duties of the Pramukh- The Pramukh shall-

- (a) convene, preside and conduct the meetings of the Panchayat Samiti;
- (b) exercise supervision and control over the Executive Officer for securing implementation of resolutions or decisions of the Panchayat Samiti or of the Standing Committees, which are not inconsistent with the provisions of this Act or any general or special directions issued under this Act;

- (c) exercise overall control over the financial and executive administration of the Panchayat Samiti and place before the Panchayat Samiti all questions connected therewith which shall appear to him to require its orders and for this purpose may call for records of Panchayat Samiti; and
- (d) have power to accord sanction upto a total sum of twenty five thousand rupees in a year for the purposes of providing immediate relief to those who are affected by any natural calamity in the Panchayat Samiti area :

Provided that the Pramukh shall place at the next meeting of the Panchayat Samiti the details of such sanctions for its ratification.

43. Powers, Functions and Duties of Up- Pramukh- The Up-Pramukh of the Panchayat Samiti shall-

- (a) in the absence of the Pramukh, preside over the meetings of the Panchayat Samiti;
- (b) exercise such powers and perform such duties of the Pramukh of the Panchayat Samiti as the Pramukh from time to time may, subject to the rules made by the Government in that behalf, delegate to him by an order in writing; and
- (c) pending the election of the Pramukh, or during the absence of the Pramukh from the Panchayat area or by reason of the Pramukh being on leave for a period exceeding fifteen days, exercise the powers and perform the duties of the Pramukh;

Provided that as soon as the Pramukh returns from absence, he will resume the exercise of all such powers and shall start performing all the functions and discharging all the duties of the Pramukh.

44. Resignation and Removal of Pramukh and Up- Pramukh-

(1) The Pramukh may resign his office by writing under his hand and addressed to the Subdivisional Magistrate and the Up-Pramukh may resign his office by writing under his hand addressed to the Pramukh and in the absence of Pramukh to the Subdivisional Magistrate and the said office shall be deemed to be vacant on the expiry of seven days from the date of such resignation unless within the said period of seven days he withdraws such resignation by writing under his hand addressed to the Subdivisional Magistrate or the Pramukh, as the case may be.

(2) A Pramukh or Up- Pramukh shall vacate office if he ceases to be a member of the Panchayat Samiti.

(3) (i) A Pramukh/Up-Pramukh of the Panchayat Samiti shall be deemed to have vacated his office forthwith if a resolution expressing want of confidence in him is passed by a majority of the total number of elected members of the Panchayat Samiti at a meeting specially convened for the purpose.

The requisition for such a special meeting shall be presented to the Pramukh in writing with a copy to the Executive Officer of the Panchayat Samiti, by not less than one third of the total number of members elected directly from the territorial constituencies of the Panchayat Samiti. The Executive Officer shall immediately bring the requisition to the notice of the Pramukh. The Pramukh shall convene such meeting on a date falling within 15 days of such requisition. If the Pramukh fails to call the special meeting, the Up-Pramukh or one third of the total number of directly elected members may fix a date for such meeting and require the Executive Officer to give notice to the members and to take such action as may be necessary to convene the meeting. The Executive Officer shall necessarily issue such notice in time and convene the meeting. No such meeting shall be postponed once the notice for

the same has been issued. No quorum shall be required for the special meeting convened to discuss no confidence motion.

- (ii) No confidence motion shall not be moved against the Pramukh or the Up-Pramukh within the first two year period of their tenure.
- (iii) If the motion of no confidence brought against the Pramukh or the Up-Pramukh or both is once rejected, no fresh motion of no confidence against the Pramukh or the Up-pramukh or both, as the case may be, shall be brought before the Panchayat Samiti within a period of one year from the date of such rejection of the motion.
- (iv) No confidence motion against the Pramukh or Up-Pramukh or both, as the case may be, shall not be brought during the last six months of the term of the Panchayat Samiti as mentioned in section 39 (1) of this Act.
- (v) Such reasons/charges, on the basis of which no confidence motion has to be moved against the Pramukh or Up-Pramukh, shall be clearly mentioned in the notice of meeting called to consider the no confidence motion.
- (vi) As soon as the meeting called under this section begins, the presiding member of this meeting shall read out the motion on which the meeting has been called to consider before the members present and declare it open for discussion. Any discussion on the motion shall not be adjourned.
- (vii) During discussion, opportunity shall be given to the Pramukh/Up-Pramukh against whom no confidence motion has been moved for his defence before the Panchayat Samiti. The motion shall be put to vote on the same day after discussion and shall take place by secret ballot in the prescribed manner.
 - (viii) In case of no confidence motion against a Pramukh, the meeting shall be presided by the Up-Pramukh; in case of motion against Up-Pramukh by the Pramukh and in case of motion against both Pramukh and Up-

Pramukh, by any member elected from among the members of the Panchayat Samiti present in the meeting.

In case of the post of Up-Pramukh being vacant or his absence from the meeting convened for discussion on no confidence motion against the Pramukh or the post of Pramukh being vacant or his absence from the meeting convened for discussion on no confidence motion against the Up-Pramukh, as the case may be, shall be presided over by any member elected from amongst the directly elected members from the territorial constituency of the Panchayat Samiti present in the meeting.

(4) Without prejudice to the provisions under this Act, if in opinion of the Commissioner having territorial jurisdiction over the Panchayat Samiti, a Pramukh or an Up-Pramukh of Panchayat Samiti absents himself without sufficient cause for more than three consecutive meetings or sittings or willfully omits or refuses to perform his duties and functions under this Act, or abuses the power vested in him or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties or is absconding being an accused in a criminal case for more than six months, the Commissioner may, after giving the Pramukh or Up-Pramukh, as the case may be, a reasonable opportunity for explanation, by order, remove such Pramukh or Up-Pramukh, as the case may be, from office;

The Pramukh or Up-Pramukh so removed shall not be eligible for re-election as Pramukh or Up-Pramukh of Panchayat Samiti during the remaining term of office of such Panchayat Samiti;

Appeal shall lie before the Member, Board of Revenue against the order of the Commissioner.

(5) A Pramukh or Up- Pramukh removed from his office under subsection (4) may also be removed by the Government from membership of the Panchayat Samiti.

45. Resignation of Member- An elected member of a Panchayat Samiti may resign his membership in writing under his hand and addressed to the Pramukh of the Panchayat Samiti and his seat shall become vacant on the expiry of seven clear days from the date of such resignation unless within the said period of seven days he withdraws such resignation by writing under his hand addressed to the Pramukh.

46. Meetings of Panchayat Samiti – (1) A Panchayat Samiti shall hold a meeting for the transaction of business at least once in two months (hereinafter in this section called the ordinary meeting) and shall subject to the provisions of the following sub-sections, make regulations in conformity with this Act or with any rules made thereunder with respect to the day, hour, notice, management and adjournment of its meetings and generally with respect to the transaction of business thereto.

(2) Every meeting of the Panchayat Samiti shall ordinarily be held at the headquarters of the Panchayat Samiti.

(3) The date of the first meeting of the Panchayat Samiti after its constitution shall be fixed by the Subdivisional Magistrate who shall preside at such meeting and date of each subsequent ordinary meeting shall be fixed at the previous meeting of the Panchayat Samiti, provided that the Pramukh may for sufficient reason alter the day of the meeting to a subsequent date. The Pramukh may, whenever he thinks fit and upon the written request of not less than one third of the total number of members and on a date within fifteen days from the receipt of such request shall call a special meeting. Such request shall specify the object for which the meeting is proposed to be called. If the Pramukh fails to call a special meeting, the Up-Pramukh or one-third of the total number of members may call the special meeting for a day not more than fifteen days after presentation of such request and require the Executive Officer to give notice to the members and to take such action as may be necessary to convene the meeting.

- (4) Ten clear days' notice of an ordinary meeting and seven clear days' notice of a special meeting specifying the time at which such meeting is to be held and the business to be transacted thereat shall be sent to the members and affixed at the office of the Panchayat Samiti. Such notice shall include in case of a special meeting any motion or proposition mentioned in the written request made for such meeting.
- (5) Half of the total number of members of the Panchayat Samiti shall form a quorum for transacting business at a meeting of the Panchayat Samiti. If at the time appointed for the meeting a quorum is not present, the person presiding shall wait for one hour and if within such period there is a quorum, proceed with the meeting, but if within such period there is no quorum, the person presiding shall adjourn the meeting to such hour on some future day as he may deem fit. He shall similarly adjourn the meeting at any time after it has begun if his attention is drawn to the want of quorum. At such adjourned meetings a quorum of at least one fifth of the total number of member shall be required and the business which would have been brought before the original meeting shall be transacted.
- (6) Every meeting shall be presided over by the Pramukh or if he is absent by the Up-Pramukh and if both are absent or if the Pramukh is absent and there is no Up-Pramukh the members present shall elect one from among themselves to preside.
- (7) All questions shall, unless otherwise especially provided, be decided by a majority of votes of the members present and voting. The presiding member, unless he refrains from voting, shall give vote before declaring the number of votes for and against a question and in case of equality of votes he may give his casting vote.
- (8) No member of a Panchayat Samiti shall vote on, or take part in the discussion of, any question coming up for consideration at a meeting of the Panchayat Samiti, if the question is one in which, apart

from its general application to the public, he has any pecuniary or personal interest and if the person presiding has such an interest, he shall not preside over the meeting when such question comes up for consideration.

(9) If the person presiding is believed by any member present at the meeting to have any such pecuniary or personal interest in any matter under discussion and if a motion to that effect be carried, he shall not preside at the meeting during such discussion or vote on or take part in it. Any member of the Panchayat Samiti may be chosen to preside at the meeting during the continuance of such discussion.

(10) No proposition shall be discussed at any ordinary meeting unless it has been entered in the notice convening such meeting or in the case of a special meeting in the written request for such meeting. A member may propose any resolution connected with or incidental to the subjects included in the list of business. The Pramukh may propose any urgent subject of a routine nature not included in the list of business if no member objects to it. No permission shall be given in the case of a motion or proposition to modify or cancel any resolution within three months after passing thereof except in accordance with sub-section (12). The order in which any business or proposition shall be brought forward at such meeting shall be determined by presiding authority who in case it is proposed by any member to give particular proposition shall put the proposal to the meeting and be guided by the majority of votes given for or against the proposal.

(11) Any ordinary meeting may with the consent of a majority of the members present be adjourned from time to time but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than that left or undisposed at that meeting.

(12) No resolution of Panchayat Samiti shall be modified or cancelled within six months after passing thereof except by a resolution passed by not

less than one-half of the total number of members at an ordinary or special meeting the notice whereof shall have been given fulfilling the requirements of sub-section (4) and setting forth fully the resolution which it is proposed to modify fully or cancel at such meeting and motion or proposition for modification or cancellation of such resolution.

(13) The proceeding of every meeting shall be recorded in the minutes book immediately after the deliberations of the meeting and shall after being read over by the presiding authority of the meeting be signed by him. The action taken on the decisions of the Panchayat Samiti shall be reported at the next meeting of the Panchayat Samiti. The minutes book shall always be kept in the office of the Panchayat Samiti. The Executive Officer shall be the custodian of the minute book.

(14) The Panchayat Samiti may require the presence of Government officers at its meeting. If it appears to a Panchayat Samiti that the attendance of any officer of the Government having jurisdiction over an area of a district or part of a district and not working under the Panchayat Samiti is desirable at a meeting of the Panchayat Samiti, the Executive Officer shall by a letter addressed to such officer not less than fifteen days before the intended meeting request that officer to be present at the meeting and the officer shall, unless prevented by sickness or other reasonable cause, attend the meeting :

Provided that the officer on receipt of such letter may if he for any of the reasons aforesaid is unable to be present thereat himself, instruct his deputy or other competent subordinate officer to represent him at the meeting.

47. Functions and power of Panchayat Samiti – (1) Subject to such conditions as may be prescribed by the Government from time to time, the Panchayat Samiti shall undertake the following :-

- (i) Preparation of annual plans in respect of the schemes entrusted to it by virtue of this Act and those assigned to it by the Government or the Zila

- Parishad and submission thereof to the Zila Parishad within the prescribed time for integration with the district plan;
- (ii) Consideration and consolidation of annual plans of all Gram Panchayats in the Samiti and submission of the consolidated plan to the Zila Parishad;
 - (iii) Preparation of annual budget of the Panchayat Samiti and submission of consolidated plan to the Zila Parishad;
 - (iv) Performing such functions and executing such works as may be entrusted to it by the Government or the Zila Parishad;
 - (v) Providing relief to victims of natural calamities.
- (2) Agriculture (including Agricultural Extension)-
- (i) Promotion and development of agriculture and horticulture;
 - (ii) Maintenance of agricultural seed farms and horticultural nurseries;
 - (iii) Storage and distribution of insecticides and pesticides;
 - (iv) Propagation of improved methods of cultivation;
 - (v) Promotion of cultivation and marketing of vegetables, fruits, herbal plants and flowers;
 - (vi) Training of farmers and extension activities.
- (3) Land Improvement and Soil Conservation – Assisting the Government and Zila Parishad in the implementation of land improvement and soil conservation programmes of the Government.
- (4) Minor Irrigation, Water Management and Watershed Development –
- (i) Assisting the Government and Zila Parishad in the construction and maintenance of minor irrigation works;
 - (ii) Implementation of schemes for community and individual irrigation.
- (5) Poverty Alleviation Programmes – Planning and Implementation of poverty alleviation programmes and schemes.
- (6) Animal Husbandry, Dairy and Poultry-

- (i) Maintenance of veterinary and animal husbandry services;
- (ii) Improvement of breed of cattle, poultry and other livestock;
- (iii) Promotion of dairy farming, poultry and piggery;
- (i) Prevention of epidemics and contagious diseases.
- (7) Fisheries – Promotion of fisheries development.
- (8) Khadi, Village and Cottage Industries –
 - (i) Promotion of rural cottage industries;
 - (ii) Organisation of conferences, seminars and training programmes, agricultural and industrial exhibitions.
- (9) Rural Housing – Implementation of housing schemes and distribution of house sites.
- (10) Drinking Water -
 - (i) Establishment, repairs and maintenance of rural water supply schemes;
 - (ii) Prevention and control of water pollution;
 - (iii) Implementation of rural sanitation schemes.
- (11) Social and Farm Forestry, Minor Forest Produce, Fuel and Fodder –
 - (i) Planting and preservation of trees on the sides of roads and other public lands under its control;
 - (ii) Fuel plantation and fodder development;
 - (iii) Promotion of farm forestry.
- (12) Roads, Buildings, Bridges, Ferries, Waterways and other means of communication-
 - (i) Construction and maintenance of public roads, drains, culverts and other means of communications which are not under the control of any other local authority or the Government;
 - (ii) Maintenance of any building or other property vested in the Panchayat Samiti;

- (iii) Maintenance of boats, ferries and waterways.
- (13) Non-Conventional Energy Sources- Promotion and development of non-conventional energy sources.
- (14) Education, including Primary and Secondary Schools-
 - (i) Promotion of Primary and secondary Education;
 - (ii) Construction, repair and maintenance of primary school buildings.
- (15) Technical Training and Vocational Education- Promotion of rural artisan and technical and vocational training.
- (16) Adult and Non-formal education-Implementation of mass literacy.
- (17) Cultural Activities- Promotion of social, cultural and sports activities.
- (18) Market and fairs- Regulation of fairs and festivals.
- (19) Health and Family Welfare –
 - (i) Promotion of health and family welfare programmes;
 - (ii) Promotion of immunization and vaccination programmes;
 - (iii) Health and sanitation at fairs and festivals.
- (20) Women and Child Development-
 - (i) Promotion of programmes relating to development of women and children;
 - (ii) Promotion of health and nutrition programmes in the schools;
 - (iii) Promotion of participation of voluntary organizations in women and child development programmes.
- (21) Social Welfare including welfare of the physically and mentally challenged -
 - (i) Social welfare programmes including welfare of physically and mentally challenged and destitutes;
 - (ii) Monitoring the old age and widows' pensions and pensions for the physically and mentally challenged.

(22) Welfare of the weaker sections and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes-

(i) Promotion of welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections;

(ii) Protecting such castes and classes from social injustice and exploitation.

(23) Maintenance of Community assets-

(i) Maintaining all community assets vested in it or transferred by the Government or any local authority or organization;

(ii) Preservation and maintenance of other community assets.

(24) Public Distribution System – Distribution of essential commodities.

(25) Rural Electrification- Promotion of rural electrification.

(26) Co-operation- Promotion of co-operative activities.

(27) Libraries – Promotion of libraries

(28) Such other functions as may be entrusted.

48. Assignment of functions –

- (1) The Government may assign to a Panchayat Samiti functions in relation to any matters to which the executive authority of the Government extends or the functions which have been assigned to State Government by the Central Government.
- (2) The Government may, by notification, withdraw or modify the functions assigned under this section.

49. General powers of the Panchayat Samiti-

(i) The Panchayat Samiti shall have power to do all acts necessary for or incidental to the carrying out of the functions entrusted or delegated to it and in particular and without prejudice to the foregoing powers to exercise all powers specified under this Act.

(ii) The Panchayat Samiti may by notification delegate to the Executive Officer or any other Officer the powers conferred by or under this Act on Panchayat Samiti.

50. Standing Committees-

(1) A Panchayat Samiti shall constitute the following committees by election from among its members for effective discharge of its functions :

- (i) General Standing Committee
- (ii) Finance, Audit & Planning Committee
- (iii) Production Committee
- (iv) Social Justice Committee
- (v) Education Committee
- (vi)** Committee on Public Health, Family Welfare & Rural Sanitation
- (vii) Public Works Committee

(2) Each committee shall consist of not less than three and not more than five members including the chairman from among the elected members. Each committee can co-opt not more than two members from among experts or public spirited persons for effective discharge of its responsibilities.

(3) The Pramukh shall be the ex-officio member and chairman of the General standing committee and the Finance, Audit & Planning committee and shall nominate a chairman for each of the other committees. The Up Pramukh shall be the chairman of the Social Justice committee. The Pramukh shall not hold charge of chairman of more than three committees including the two as abovementioned :

Provided that each committee shall have at least one woman member and further, social justice committee shall have a member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

(4) As far as possible, no elected member of the Panchayat Samiti shall serve on more than three committees.

(5) The Executive Officer shall be the ex-officio secretary of the General Standing Committee and Finance, Audit & Planning Committee. For other standing committees, the District Magistrate or any other officer authorised by him in this behalf shall nominate an officer who may be ordinarily in charge of the concerned department at the block level to function as secretary.

(6) The standing committees shall perform the functions, as referred to in Section 51 under the general guidance, supervision and control of Panchayat Samiti.

51. Functions of the Standing Committees -

(1) The General Standing Committee shall perform general functions relating to Panchayat Samiti including co-ordination of the works of other committees and all residuary functions not under the charge of other committees.

(2) Finance, Audit & Planning Committee shall perform functions relating to finance, audit, budget & planning.

(3) Production Committee shall perform functions relating to agriculture, land improvement, minor irrigation & water management, animal husbandry, dairy, poultry & fisheries, forestry-related areas, khadi, village & cottage industries and poverty alleviation programmes.

(4) Social Justice Committee shall perform functions relating to -

(a) Promotion of educational, economic, social, cultural and other interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker section,

(b) Protection of such castes and classes from social injustice and all forms of exploitation and

(c) welfare of women and children

(5) Education Committee shall perform functions relating to education, including primary, secondary and mass education, libraries and cultural activities

(6) Committee on Public Health, Family Welfare & Rural Sanitation shall perform functions relating to public health, family welfare and rural sanitation

(7) Public Works Committee shall perform functions relating to all kinds of constructions and maintenance including rural housing, sources of water supply, roads & other means of communication, rural electrification and related works.

52. Procedures of Committees -

(1) The Panchayat Samiti may frame regulations relating to election of members of committees, conduct of business therein and all other matters relating to them.

(2) The Chairman of every Committee shall in respect of the work of the Committee be entitled to call for any information, return, statement, account or report from the office of the Panchayat samiti and to enter on and inspect any immovable property of the Panchayat Samiti or work in progress connected with the work of the Committee.

(3) Each committee shall be entitled to require attendance at its meeting of any officer of the Panchayat Samiti who is connected with the work of the Committee. The Secretary shall under instruction of the Committee issue notices and secure the attendance of the officer.

53. Power to acquire, hold and dispose of Property - (1) A Panchayat Samiti shall have the power to acquire, hold and dispose of property and to enter into contracts :

Provided that in all cases of disposal of immovable property, the Panchayat Samiti shall obtain the prior approval of the Government.

(2) All roads, buildings or other works constructed by a Panchayat Samiti with its own funds shall vest in it.

(3) The State Government may allocate to a Panchayat Samiti any public property situated within its jurisdiction and thereupon such property shall come under the control of the Panchayat Samiti.

(4) Where a Panchayat Samiti requires land to carry out any of the purposes of this Act, it may negotiate with the person or persons having interest in the said land, and if it fails to reach an agreement, it may make an application to the District Magistrate for the acquisition of the land, who may, if he is satisfied that the land is required for a public purpose, take steps to acquire the land under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1, 1894) and such land shall, on acquisition, vest in the Panchayat Samiti.

54. Panchayat Samiti Fund - (1) For every Panchayat Samiti there shall be constituted a Panchayat Samiti Fund, bearing the name of the Panchayat Samiti and the same shall be placed to the credit thereof-

- (a) contributions and grants, if any, made by the Central or the State Government including such part of the land revenue collected in the State as may be determined by the Government;
- (b) contributions and grants, if any, made by the Zila Parishad or any other local authority;
- (c) loans, if any, granted by the Central or the State Government or raised by the Panchayat Samiti on security of its assets;
- (d) all receipts on account of tolls, rates and fees levied by it;
- (e) all receipts in respect of any schools, hospitals, dispensaries, buildings, institutions or works vested in, constructed by or placed under the control and management of the Panchayat Samiti;
- (f) all sums received as gift or contributions and all income from any trust or endowment made in favour of the Panchayat Samiti;

(g) such fines or penalties imposed and realized under the provisions of this Act or of the bye-laws made thereunder, as may be prescribed; and

(h) all other sums received by or on behalf of the Panchayat Samiti.

(2) Every Panchayat Samiti shall set apart and apply annually such sums as may be required to meet the cost of its own administration including the payment of salary, allowances, provident fund and gratuity to the officers and employees.

(3) Every Panchayat Samiti shall have power to spend sums as it thinks fit for fulfilling the purposes of this Act.

(4) The Panchayat Samiti Fund shall be vested in the Panchayat Samiti and the balance to the credit of the Fund shall be kept in such custody as the Government may, from time to time, direct.

(5) Subject to such general control as the Panchayat Samiti may exercise from time to time, all orders and cheques for payments from the Panchayat Samiti Fund shall be signed by the Executive Officer.

55. Taxation –

(1) Subject to such rules and the maximum rates as the Government may prescribe, a Panchayat Samiti may-

(a) levy tolls in respect of any ferry established by it or under its management;

(b) levy the following fees and rates, namely-

(i) fee on the registration of vehicles, which are not registered under any other law for the time being in force;

(ii) a fee for providing sanitary arrangements at such places of pilgrimage, haats and melas within its jurisdiction as may be specified by the Government by notification;

(iii) a fee for license for a haat or market;

(iv) a water rate, where arrangement for the supply of water for drinking, irrigation or any other purpose is made by or on behalf of the Panchayat Samiti within its jurisdiction;

(v) a lighting rate, where arrangement for lighting of public streets and places is made by or on behalf of the Panchayat Samiti within its jurisdiction.

(2) The Panchayat Samiti shall not undertake registration of vehicle or levy fee there for and shall not provide sanitary arrangements at places of pilgrimage, haats and melas within its jurisdiction or levy fee there for, if any such vehicle has already been registered by any other authority under any law for the time being in force or if such provisions for sanitary arrangement have already been made by any other local authority.

(3) The scale of fees or rates and the terms and conditions for the imposition thereof shall be such as may be provided under by bye-laws.

(4) Such bye-laws may provide for exemption from all or any of the fees or rates in any class of cases.

56. Loans and Sinking Funds – (1) A Panchayat Samiti may subject to the provisions of any law relating to the raising of loans by local authorities for the time being in force raise from time to time with the approval of the State Government, loans for the purposes of this Act and create a sinking fund for the repayment of such loans.

(2) A Panchayat Samiti may borrow money from the Government or, with the previous sanction of the Government from banks or other financial institutions for furtherance of its objective on the basis of specific schemes as may be drawn up by the Panchayat Samiti for the purpose.

57. Budget of the Panchayat Samiti- Every Panchayat Samiti shall at such time and in such manner as may be prescribed, prepare in each year a budget of its estimated receipts and disbursements for the following year and shall get it approved in its meeting by a majority of members present and for which the quorum shall be not less than fifty percent of its total number of members.

58. Accounts- The Panchayat Samiti shall keep accounts in such form as may be prescribed.

59. Audit - (1) The audit of the accounts of the Panchayat Samiti shall be carried out by the authority as may be prescribed by the Government and a copy of the audit report shall be forwarded to the Panchayat Samiti within one month of the completion of the audit.

(2) On receipt of the audit report referred to in sub-section (1) the Panchayat Samiti shall either remedy any defects or irregularities which have been pointed out in the audit and send an intimation to the prescribed authority within three months of the action taken or to be taken and furnish any further explanation to the prescribed authority in regard to such defects or irregularities as it may wish to give.

(3) Apart from audit conducted by the prescribed authority mentioned in sub-section (1) above, concurrent audit or special audit of a Panchayat Samiti may be carried out in the manner prescribed for this purpose.

60. Staff of Panchayat Samiti – (1) The Government shall appoint an officer not below the rank of a Deputy Collector to be the Executive Officer of the Panchayat Samiti.

(2) The Government may post from time to time such number of officers and staff of the State Government to serve under the Panchayat Samiti as the Government may consider necessary.

(3) Subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf, a Panchayat Samiti may from time to time engage such number of paid or honorary functionaries or professionals as may be required by it for carrying out its functions.

61. Powers and Functions of the Executive Officer and other Officers- (1)

Save as otherwise expressly provided by or under this Act the Executive Officer shall-

- (a) exercise all the powers specifically imposed or conferred upon him by or under this Act or under any other law or rules for the time being in force;
- (b) lay down the duties of, supervise and control the officers and staff holding office under the Panchayat Samiti in accordance with rules made by the Government;
- (c) supervise and control the execution of all works of the Panchayat Samiti;
- (d) take necessary measures for the speedy execution of all works and developmental schemes of the Panchayat Samiti;
- (e) have custody of all papers and documents connected with the proceedings of the meeting of the Panchayat Samiti and its committees ;
- (f) draw and disburse money out of the Panchayat Samiti Fund ;and
- (g) exercise such other powers and discharge such other functions as may be prescribed.

(2) The Executive officer shall attend every meeting of the Panchayat Samiti and shall have the right to attend the meeting of Committees thereof and to take part in the discussion but shall not have the right to move any resolution or to vote. If in the opinion of the Executive Officer any proposal before the Panchayat Samiti is violative of or inconsistent with the provisions of this Act or any other law, rule or order made thereunder, it shall be his duty to bring the same to the notice of the Panchayat Samiti.

Chapter – V

ZILA PARISHAD

62. Establishment of Zila Parishad-

(1) For every district there shall be a Zila Parishad having jurisdiction, save as otherwise provided in this Act, over the entire district excluding such portion of the district as are included in or under the authority of a Municipality or Cantonment Board constituted under any law for the time being in force.

(2) Every Zila Parishad shall be a body corporate by the name of its Zila Parishad, shall have perpetual succession and a common seal and, subject to such restrictions as are imposed by or under this Act or any other enactment, shall be vested with the capacity of suing or being sued in its corporate name, of acquiring, holding and transferring property movable or immovable, whether without or within the limits of the area over which it has authority of entering into contracts and of doing all things necessary, proper or expedient for the purpose for which it is constituted.

63. *Composition of Zila Parishad* -(1) The Zila Parishad shall consist of-

- (a) the members directly elected from territorial constituencies in the district as determined under this Act;
- (b) the Pramukhs of all Panchayat Samitis in the District;
- (c) such members of the Lok Sabha and the members of the State Legislative Assembly who represent any part which falls wholly or partly within the district and whose constituency falls within the district;
- (d) the members of the Rajya Sabha and the members of the State Legislative Council who are registered as electors within the district.

- (2) Every member of the Zila Parishad shall have the right to vote in its meeting, but in case of election and removal of Adhaksha and Up-Adhyaksha, only the members elected under clause(a) of sub-section(1) shall have the right to vote.

64. Elected Members-

- (1) The District Magistrate may, by notification in the District Gazette, determine the number of directly elected members from Zila Parishad's territorial constituencies, keeping in view the overall population of the district, at a rate of one member, as nearly as possible for every fifty thousand population.
- (2) For the convenience of election the District Magistrate shall in accordance with such rules as may be prescribed in this behalf by the State Government divide the area of the Zila Parishad under the direction, control and supervision of the State Election Commission into territorial constituencies in such manner that the population of each territorial constituency, so far as practicable, be the same throughout the Zila Parishad area.
- (3) One member from each territorial constituency shall be elected through direct election in the manner prescribed.

65. *Reservation of seats* — (1) In every Zila Parishad, as nearly as but not exceeding fifty percent of the total seats of the member of Zila Parishad shall be reserved for

- (a) Scheduled Castes;
- (b) Scheduled Tribes; and
- (c) Backward Classes.

The number of seats so reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall bear as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled up by direct election in that Zila Parishad as the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes bears to

the total population of that area and such seats shall be allotted by rotation to different constituencies in a Zila Parishad by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the prescribed manner.

After reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the number of seats to be reserved for the Backward Classes shall be as nearly as possible but not exceeding twenty percent of the total seats and within the overall limit of fifty percent reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and shall be allotted to the remaining constituencies by the District Magistrate in the prescribed manner. Such seats shall be allotted by rotation to different constituencies in a Zila Parishad by the District Magistrate during subsequent elections under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the manner prescribed by it.

- (2) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats reserved under Sub-section (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes, as the case may be.
- (3) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats not reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes shall be reserved for women.
- (4) Such total number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and unreserved category may be allotted by rotation by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission to different constituencies in a Zila Parishad in such manner as may be prescribed by it.

Explanation - For the removal of doubts it is hereby declared that the principle of rotation for the purposes of reservation of offices for the

Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993.

66. Duration of Zila Parishad -

- (1) Every Zila Parishad, save as otherwise provided in this Act, shall continue for a term of five years from the date appointed for its first meeting and no longer.
- (2) No amendment of any law for the time being in force shall have the effect of causing dissolution of a Zila Parishad which is functioning immediately before such amendment till the expiration of its duration as specified in sub-section(1)
- (3) An election to constitute a Zila Parishad shall be completed in the following manner;-
 - (a) before the expiry of its duration specified in sub-section(1);
 - (b) in case of dissolution before the expiration of period of six months from the date of such dissolution;

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Zila Parishad would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the Zila Parishad for such period.

- (4) A Zila Parishad constituted upon the dissolution of a Zila Parishad and before the expiration of its duration, shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Zila Parishad would have continued under sub section (1), had it not been so dissolved.

67. Election of Adhyaksha and Upadhyaksha -

- (1) Under the supervision, control and direction of the State Election Commission, the elected members of the Zila Parishad referred to in

clause (a) of sub-section (1) of section 63, as soon as may be, elect two members from amongst them to be respectively Adhayaksha and Up-Adhayaksha thereof, and if casual vacancy is caused in the office of Adhayaksha or Up-Adhayaksha, they shall elect another member from amongst them to be Adhayaksha or Up-Adhayaksha as the case may be :

- (2) **Reservation of seats** - (i) For the post of Adhayaksha, as nearly as but not exceeding fifty percent of the total seats of Adhayaksha in the State shall be reserved for
- (a) Scheduled Castes;
 - (b) Scheduled Tribes; and
 - (c) Backward Classes.

Within the State, seats shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the posts of Adhayaksha and the number of seats so reserved shall bear as nearly as possible the same proportion to the total number of seats of Adhayaksha within the State as the population of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes bears to the proportion of the total population of the State and such seats shall be allotted by rotation to different Zila Parishads by the State Election Commission in the prescribed manner.

After reservation of seats of Adhyaksha for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the number of seats to be reserved for the Backward Classes shall be as nearly as possible but not exceeding twenty percent of the total seats and within the overall limit of fifty percent reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and shall be allotted to the remaining Zila Parishads by the State Election Commission in the prescribed manner. Such seats shall be allotted by rotation to

different Zila Parishads in the State by the State Election Commission in subsequent elections in the manner prescribed by it.

- (ii) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats of Adhayaksha so reserved under Sub-section (i) shall be reserved for women belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes as the case may be.
- (iii) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats of Adhayaksha not reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes shall be reserved for women.
- (iv) Such total number of seats of Adhayaksha reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and unreserved category may be allotted by rotation by the State Election Commission to different Zila Parishads in the State in the manner as may be prescribed by it.

Explanation - For the removal of doubts it is hereby declared that the principle of rotation for the purposes of reservation of offices for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993.

(3) The term of office of Adhyaksha and Up-Adhyaksha of a Zila Parishad shall, save as otherwise provided in this Act, cease on the expiry of his term of office as a member of the Zila Parishad.

(4) The election of the Adhayaksha or the Up-Adhayaksha of Zila Parishad and filling up of vacancies in the said offices and determination of disputes relating to such election shall be in accordance with such rules or procedures as may be prescribed by the State Election Commission.

68. Allowances to the Adhyaksha or Upadhyaksha and other Members-

The Adhyaksha, Upadhyaksha and every member of the Zila Parishad shall be entitled to receive such sitting fee and allowances as may be prescribed.

69. Powers, Functions and duties of the Adhyaksha and Upadhyaksha -

(1) The Adhyaksha shall-

- (a) Convene and preside over and conduct meeting of Zila Parishad;
- (b) Exercise supervision and control over the Chief Executive Officer and through him all officers and other employees of the Zila Parishad and the officers and employees whose services may be placed at the disposal of the Zila Parishad by the State Government.
- (c) Exercise such other powers, perform such other functions and discharge such other duties as the Zila Parishad may by general resolution direct or as the Government may by its rules made in this behalf prescribe;
- (d) Exercise overall supervision over the financial and executive administration of the Zila Parishad and place before the Zila Parishad all question connected therewith which shall appear to him to require its orders and for this purpose may call for records of the Zila Parishad; and
- (e) Have power to accord sanction up to a total sum of rupees one Lakh in a year for the purpose of providing immediate relief to those who are affected by natural calamities in the district :

Provided that the Adhaksha shall place at the next meeting of the Zila Parishad for its ratification the details of such sanctions.

(2) The Up-adhyaksha shall-

In the absence of Adhyaksha of the Zila Parishad preside over the meetings of the Zila Parishad;

Exercise such powers and perform such duties of the Adhyaksha as the Adhyaksha may from time to time, and subject to the rules as may be prescribed, delegate to him by order in writing; and

Pending the election of an Adhyaksha or during the absence of the Adhyaksha from the district or by reason of the Adhyaksha being on leave for a period exceeding fifteen days exercise the powers and perform the duties of the Adhyaksha :

Provided that as soon as the Adhyaksha returns from absence, he will resume the exercise of all such powers and shall start performing all the functions and discharging all the duties of the Adhyaksha;

70. Resignations or Removal of Adhyaksha and Up-adhyaksha-

- (1) The Adhyaksha may resign his office by writing under his hand addressed to the District Magistrate and the Up-adhyaksha may resign his office by writing under his hand addressed to the Adhyaksha.
- (2) Every resignation under sub-section (1) shall take effect on the expiry of seven days from the date of such resignation, unless within the said period of seven days he withdraws such resignation by writing under his hand addressed to the District Magistrate or the Adhyaksha, as the case may be.
- (3) Adhyaksha or Up-adhyaksha shall vacate the office if he ceases to be a member of the Zila Parishad.
- (4) (i) Adhayaksha and Up-Adhayaksha shall be deemed to have vacated his office forthwith if a resolution expressing want of confidence in him is passed by a majority of the total number of directly elected members from territorial constituencies of the Zila

Parishad at a meeting specially convened for the purpose. The requisition for such a special meeting shall be signed by not less than one fifth of the total number of directly elected members of the Zila Parishad and shall be delivered to the Adhyaksha with a copy to the District Magistrate. The Adhyaksha shall within seven days from the date of receipt of such requisition convene a special meeting of the Zila Parishad. The meeting shall be held on a day not later than fifteen days from the date of issue of the notice of the meeting. The meeting shall be presided over by the Adhyaksha if the motion is against the Up-adhyaksha; if it is against the Adhyaksha the Up-adhyaksha shall preside over the meeting and if it is against Adhyaksha and Upadhyaksha both then the District Magistrate shall preside over the meeting.

In case of the post of Up-adhyaksha being vacant or his absence from the meeting convened for discussion on no confidence motion against the Adhyaksha or the post of Adhyaksha being vacant or his absence from the meeting convened for discussion on no confidence motion against the Up-adhyaksha, as the case may be, the meeting shall be presided over by any member elected from amongst the directly elected members from the territorial constituencies of the Zila Parishad present in the meeting.

In case of failure to convene the meeting by the Adhyaksha, the District Magistrate shall convene the meeting in the same manner and the meeting shall be presided by him.

No such meeting shall be postponed once the notice for the same has been issued. No quorum shall be required for the special meeting convened to discuss no confidence motion.

- (ii) During the first two year period of the tenure, no confidence motion shall not be moved against the Adhyaksha or the Upadhyaksha.

- (iii) No-confidence motion against the Adhyaksha or Upadhyaksha or both, shall not be brought within six months of the expiry of the term of the Zila Parishad.
 - (iv) Such reasons/charges, on the basis of which no confidence motion is to be moved against the Adhyaksha or Upadhyaksha, shall be clearly mentioned in the notice of the meeting called to consider the no confidence motion.
 - (v) As soon as the meeting called under this section commences, the presiding member at the meeting shall read out the motion on which the meeting has been called to consider, before the present members and declare it open for discussion. Any discussion on the motion under this section shall not be adjourned.
 - (vi) During discussion, opportunity shall be given to the Adhyaksha or Upadhyaksha or both against whom no confidence motion is moved, for his defence before the Zila Parishad. The motion shall be put to vote on the same day after discussion which shall take place by secret ballot in the prescribed manner by the District Magistrate.
 - (vii) If the motion of no confidence against the Adhyaksha or the Upadhyaksha or both is once rejected, no fresh motion of no confidence against the Adhyaksha or the Upadhyaksha or both, as the case may be shall be brought before the Zila Parishad within a period of one year from the date of rejection of such motion.
- (5) Without prejudice to the provisions under this Act, if in opinion of the Commissioner having territorial jurisdiction over the Zila Parishad, a Adhyaksha or the Upadhyaksha of Zila Parishad absents himself without sufficient cause for more than three consecutive meetings or sittings or willfully omits or refuses to perform his duties and functions under this Act, or abuses the power vested in him or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties or is

absconding being an accused in a criminal case for more than six months, the Commissioner may, after giving the Adhyaksha or the Upadhyaksha, as the case may be, a reasonable opportunity for explanation, by order, remove such Adhyaksha or the Upadhyaksha, as the case may be, from office.

The Adhyaksha or Upadhyaksha so removed shall not be eligible for re-election as Adhyaksha or Up-adhyaksha during the remaining term of office of such Zila Parishad.

Appeal shall lie before the Member, Board of Revenue against the order of the Commissioner.

- (2) An Adhyaksha or Up-adhyaksha removed from the office under subsection (1) may also be removed by the Government from the membership of the Zila Parishad.

71. Resignation of Members- An elected member of Zila Parishad may resign his membership in writing under his hand addressed to the Adhyaksha of the Zila Parishad and his seat shall become vacant on the expiry of seven clear days from the date of such resignation unless within the said period of seven days he withdraws such resignation by writing under his hand addressed to the Adhyaksha.

72. Meeting of the Zila Parishad-

- (1) The Zila Parishad shall hold its meetings at least once in every three months, at such time and at such place within the local limit of the district concerned as the Zila Parishad may fix at the immediately preceding meeting :

Provided, that the first meeting of a newly constituted Zila Parishad shall be held at such time and at such place within the local limits of the

district concerned, as the District Magistrate may fix and shall be presided over by him;

Provided further that the Adhyaksha when required in writing by one-fifth of the members of the Zila Parishad to call a meeting shall do so within ten days failing which the aforesaid members may call a meeting after giving intimation to the District Magistrate and seven clear days notice to the Adhyaksha and the other members of the Zila Parishad.

(2) One-third of the total number of members of the Zila Parishad shall form a quorum for transacting the business at the meeting of the Zila Parishad.

(3) All questions coming before the Zila Parishad shall be decided by a majority of votes; in case of equality of votes the Adhyaksha or the member presiding shall have casting vote.

(4) Every meeting shall be presided over by the Adhyaksha or if he is absent, by the Up-adhyaksha and if both the Adhyaksha and Up-adhyaksha are absent or if the Adhyaksha is absent and there is no Up-adhyaksha, the members present shall elect one from among themselves to preside.

(5) No member of Zila Parishad shall vote on or take part in the discussion of any question coming up for consideration at a meeting of the Zila Parishad or any Committee if the question is one in which apart from its general application to the public he has any direct pecuniary or personal interest and if the person presiding has such an interest, he shall not preside over the meeting when such question comes up for consideration.

(6) If the person presiding is believed by any member present at the meeting to have any such pecuniary or personal interest in any matter under discussion and if a motion to that effect be carried, he shall not preside over at the meeting during such discussion or vote on or take

part in it. Any member of the Zila Parishad may be chosen to preside at the meeting during the continuance of such discussion.

- (7) No proposition shall be discussed at any ordinary meeting unless it has been entered in the notice convening such meeting or in the case of a special meeting in the written request for such meeting. A member may propose any resolution connected with or incidental to the subjects included in the list of business. The Adhyaksha may propose any urgent subject of a routine nature not included in the list of business if no member objects to it. No permission shall be given in the case of a motion or proposition to modify or cancel any resolution within three months after the passing thereof except in accordance with sub-section (9). The order in which any business or proposition shall be brought forward at such meeting shall be determined by presiding authority which in case it is proposed by any member to give particular proposition shall put the proposal to the meeting and be guided by the majority of votes given for or against the proposal.
- (8) Any ordinary meeting may, with the consent of a majority of the members present, be adjourned from time to time, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than left undisposed at the meeting from which the adjournment took place.
- (9) No resolution of Zila Parishad shall be modified or cancelled within six months after the passing thereof except by a resolution passed by not less than one-half of the total number of members at an ordinary or special meeting any notice whereof shall have been given fulfilling the requirement of sub-section (4) and setting forth fully resolution which it is proposed to modify fully or cancel at such meeting and motion or proposition for the modification or cancellation of such resolution.
- (10) The proceedings of every meeting shall be recorded in the minutes book immediately after the deliberations of the meeting and shall after being read over by the presiding authority of the meeting be signed

by him. The action taken on the decisions of Zila Parishad shall be reported at the next meeting of the Zila Parishad. The minutes book shall always be kept in the office of the Zila Parishad. The Chief Executive Officer shall be the custodian of the minute book.

(11) The Zila Parishad may require the presence of Government officers at its meetings. If it appears to a Zila Parishad that the attendance of any field officer having jurisdiction over an area of a district or part of a district and not working under the Zila Parishad is desirable at a meeting of the Zila Parishad, the Chief Executive Officer shall by a letter addressed to such officer not less than fifteen days before the intended meeting, request that officer to be present at the meeting and the officer shall, unless prevented by sickness or other reasonable cause, attend the meeting :

Provided that the officer on receipt of such letter may if he for any of the causes aforesaid is unable to be present at the meeting himself, instruct his deputy or other competent subordinate officer to represent him at the meeting.

73. Functions and powers of Zila Parishad- (1) Subject to such condition as may be prescribed by the Government from time to time, the Zila Parishad shall perform following functions –

1. Agriculture – (i) Promotion of measures to increase agricultural production and to popularize the use of improved agricultural practices;
- (ii) Opening and maintenance of agricultural seed farms and commercial farms;
- (iii) Establishment and maintenance of godowns;
- (iv) Conducting agricultural fairs and exhibitions;

- (v) Management of agricultural and horticultural extension training centres;
 - (vi) Training of farmers;
 - (vii) Land Improvement and Soil Conservation.
2. Irrigation, Ground water resources and Watershed Development-
- (i) Construction, renovation and maintenance of minor irrigation works and lift irrigation;
 - (ii) Providing for timely and equitable distribution and full use of water under irrigation schemes under the control of the Zila Parishad;
 - (iii) Development of ground water resources;
 - (iv) Installation of community pump sets;
 - (v) Watershed development programme.
3. Horticulture –
- (i) Rural parks and gardens;
 - (ii) Cultivation of fruits and vegetables;
 - (iii) Farms.
4. Statistics-
- (i) Publication of statistical and other information relating to activities of Panchayat Samiti and Zila Parishad;
 - (ii) Co-ordination and use of statistics and other information required for the activities of the Panchayat Samiti and Zila Parishad;
 - (iii) Periodical supervision and evaluation of projects and Programmes entrusted to the Panchayat Samiti and Zila Parishad.
5. Rural Electrification.
6. Distribution of Essential Commodities.
7. Soil Conservation-
- (i) Soil conservation measures;
 - (ii) Land reclamation and land development works.
8. Marketing –

- (i) Development of regulated markets and marketing yards;
 - (ii) Grading and quality control of agriculture products.
9. Social Forestry-
- (i) Organise campaign for tree planting;
 - (ii) Planting and maintenance of trees.
10. Animal Husbandry and Dairy-
- (i) Establishment of Veterinary Hospitals and Dispensaries;
 - (ii) Setting up of mobile diagnostic and clinic laboratories;
 - (iii) Breeding farms for cows and pigs;
 - (iv) Poultry farms, duck farms and goat farms;
 - (v) Common cold storage facility for dairy, poultry and marine products;
 - (vi) Fodder development programmes;
 - (vii) Promotion of dairy farming, poultry and piggery;
 - (viii) Prevention of epidemics and contagious diseases.
11. Minor Forest Produce, Fuel and Fodder-
- (i) Promotion of social and farm forestry, fuel plantation and fodder development;
 - (ii) Management of minor forest produce of the forests raised in community lands;
 - (iii) Development of wasteland.
12. Fisheries –
- (i) Fish seed production and distribution.
 - (ii) Development of pisciculture in private and community tanks;
 - (iii) Development of inland fisheries;
 - (iv) Fish curing and drying;
 - (v) Assistance to traditional fishing;
 - (vi) Organising fish marketing co-operatives;
 - (vii) Welfare schemes for the upliftment and development of fishermen.

13. Household and Small Scale Industries (including food processing) –
- (i) Identification of traditional skills in the locality and developing household industries;
 - (ii) Assessment of raw material requirements so as to ensure its timely supply;
 - (iii) Design and production to suit the changing consumer demands;
 - (iv) Organisation of training programmes for craftsmen and artisans;
 - (v) Liaison to tap bank credit for this programme;
 - (vi) Population and marketing of finished products;
 - (vii) Industrial Estates;
 - (viii) Organising Khadi, Handloom, Handicraft and Village and Cottage Industries.
14. Rural Roads and Inland Waterways –
- (i) Construction and maintenance of roads other than National and State Highways.
 - (ii) Bridges and culverts coming under roads other than National and State Highways.
 - (iii) Construction and maintenance of office building of the Zila Parishad.
 - (iv) Identification of major link roads connecting markets, educational institutes, health centres and link roads;
 - (v) Organising voluntary surrender of lands for new roads and widening of existing roads.
15. Health and Hygiene-
- (i) Establishment and maintenance of Hospitals, Primary Health Centres and Dispensaries except Medical college Hospitals, T.B. Sanitoriums, Leprosy and Mental Hospitals;
 - (ii) Implementation of immunization and vaccination programmes;

- (iii) Health education activities;
- (iv) Maternity and child health activities;
- (v) Family welfare activities;
- (vi) Organising health camps with Panchayat Samiti and Gram Panchayat;
- (vii) Measures against environment pollution

16. Rural Housing-

- (i) Identification of houseless families;
- (ii) Implementation of house building programme in the district;
- (iii) Popularising low cost housing.

17. Education-

- (i) Promotion of educational activities including the establishment and maintenance of primary and secondary schools;
- (ii) Organisation of programmes for mass education and library facilities;
- (iii) Extension work for propagation of science and technology to rural areas;
- (iv) Survey and evaluation of educational activities;
- (v) Establishment and maintenance of general hostels, ashrams, schools and orphanages

18. Social Welfare and Welfare of the weaker Section-

- (i) Extension of educational facilities to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes by giving scholarships, stipends, boarding grants and other grants for the purchase of books and other accessories;
- (ii) Managing hostels for the benefit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- (iii) Organising Nursery Schools, Balwadis, Night schools and libraries to eradicate illiteracy and impart general education;

- (iv) Conduct of model welfare centers and craft centers to train Scheduled Castes and Scheduled Tribes in cottage and rural industries;
- (v) Managing residential basic schools for Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
- (vi) Providing facilities for marketing of goods produced by members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
- (vii) Organising co-operative societies of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- (viii) Other welfare schemes for the upliftment and development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

19. **Poverty Alleviation programmes** - Planning, Supervision, Monitoring and Implementation of Poverty alleviation programmes.

20. Social Reform Activities-

- (i) Women's organization and welfare;
- (ii) Children's organization and welfare;
- (iii) Local vagrancy relief;
- (iv) Maintenance of social welfare institutions such as orphanages, rescue shelters, etc.;
- (v) Sanctioning and distribution of pension for widows, old and physically disabled, destitutes and allowances for unemployed and couples of inter-caste marriages in which one party is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (vi) Control of fire outbreaks;
- (vii) Campaign against superstition, casteism, untouchability, alcoholism, expensive marriages and social functions, dowry and conspicuous consumption;
- (viii) Encouraging community marriages and inter-caste marriages;
- (ix) Vigilance against economic offences such as smuggling, tax evasion, food adulteration;

- (x) Assistance for developing lands assigned to landless labourers;
- (xi) Resumption of land alienated by tribals.;
- (xii) Identify, free and rehabilitate bonded labour;
- (xiii) Organise cultural and recreational activities;
- (xiv) Encouragement of sports and games and construction of rural stadia;
- (xv) Give new form and social content to traditional festivals;
- (xvi) Promotion of thrift and savings through:
 - (a) Promotion of saving habits;
 - (b) Small savings campaign;

Fight against money lending practices and rural indebtedness

21. In addition, the Zila Parishad may-

- (a) Manage or maintain any work of public utility or any institution vested in it or under its control and management;
- (b) Acquire and maintain village haats and markets;
- (c) Make grants to Panchayat Samiti or Gram Panchayat;
- (d) Adopt measures for the relief of distress;
- (e) Coordinate and integrate the development plans and schemes prepared by Panchayat Samitis in the district;
- (f) Examine and sanction the budget estimates of Panchayat Samitis in the district;
- (g) undertake or execute any scheme extending to more than one Block;
- (h) Take over the maintenance and control of any Rural bridge, tank, ghat, well channel or drain, belonging to a private owner or any other authority on such term as may be agreed upon.

22. All such matters, as enumerated in the Eleventh Schedule of the Constitution of India and which are not mentioned anywhere under this Act.

23. The Zila Parishad may be vested by the State Government with such powers under any Act as the Government may deem fit.
24. The Zila Parishad of two or more adjacent districts may jointly undertake and execute any development scheme on such terms and
25. Preparation of annual budget of the Zila Parishad.

74. General powers of Zila Parishad- (1) Subject to the general or special orders of the Government, the Zila Parishad may –

- (a) incur expenditure on education or medical relief outside its jurisdiction;
 - (b) provide for carrying out any work or measures likely to promote health, safety, education, comfort, convenience or social or
 - (c) contribute to Association of All India, State or Inter-State level concerned with the promotion of Local Self Government and to exhibitions, seminars and conferences within the district related to the activities of Panchayat Samiti and Zila Parishad; and
 - (d) render financial or other assistance to any person or body for carrying on in the district any activity which is related to any of the functions of the State.
- (2) The Zila Parishad shall have powers to do all acts necessary for or incidental to the carrying out of the functions entrusted or delegated to it and in particular, and without prejudice to the foregoing powers to exercise all powers specified under this Act.

75. Assignment of Functions - (i) The Government may assign to a Zila Parishad, functions in relation to any matters to which the executive authority of the Government extends or in respect of functions which have been assigned to the State Government by the Central Government;

(ii) The Government may by notification withdraw or modify the functions assigned under this section.

76. Delegation of Powers - The Zila Parishad may, by notification delegate to the Chief Executive Officer or other officer any of the powers conferred by or under this Act on the Zila Parishad.

77. Standing Committees - (1) The Zila Parishad shall constitute the following committees by election for effective discharge of its functions :

- (i) General Standing Committee
- (ii) Finance, Audit & Planning Committee
- (iii) Production Committee
- (iv) Social Justice Committee
- (v) Education Committee
- (vi) Committee on Public Health, Family Welfare & Rural Sanitation
- (vii) Public Works Committee

(2) Each committee shall consist of not less than three and not more than five members including the chairman from among the elected members. Each committee can co-opt not more than two members from among experts or public spirited persons for effective discharge of its responsibilities.

(3) The Adhyaksha shall be the ex-officio member and chairman of General Standing Committee and Finance, Audit & Planning Committee and shall nominate a Chairman for each of the other committees. The Adhyaksha shall not hold charge of chairman for more than three committees including the two as abovementioned.

Provided that each committee shall have at least one woman member and further, Social Justice Committee shall have a member belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribes.

(4) As far as possible, no elected member of the Zila Parishad shall serve on more than three committees.

(5) The Chief Executive Officer shall be the ex-officio secretary of the General Standing Committee and the Finance, Audit & Planning Committee. For each of the other standing committees the District

Magistrate shall nominate a gazetted officer who may be ordinarily in charge of the concerned department at the district level function as secretary.

78. Functions of the Standing Committees -

- (1) The General Standing Committee shall perform general functions relating to Zila Parishad including establishment matters, co-ordination and all residuary functions not under the charge of other committees.
- (2) Finance, Audit & Planning Committee shall perform functions relating to finance, audit, budget & planning.
- (3) Production Committee shall perform functions relating to agriculture, land improvement, minor irrigation & water management, animal husbandry, dairy, poultry & fisheries, forestry-related areas, khadi, village & cottage industries and poverty alleviation programmes.
- (4) Social Justice Committee shall perform functions relating to
 - a. Promotion of educational, economic, social, cultural and other interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker classes,
 - b. Protection of such castes and classes from social injustice and all forms of exploitation and
 - c. welfare of women and children
- (5) Education Committee shall perform functions relating to education, including primary, secondary, mass and non-formal education, libraries and cultural activities.
- (6) Committee on Public Health, Family Welfare & Rural Sanitation shall perform functions relating to public health, family welfare and rural sanitation.
- (7) Public Works Committee shall perform functions relating to all kinds of constructions and maintenance including rural housing, sources of

water supply, roads & other means of communication, rural electrification and related works.

79. Procedure of Committees - (1) The Zila Parishad may frame regulations relating to election of members of Committees, conduct of business therein, and all other matters relating to them.

(2) The Chairman of every Committee shall in respect of the work of that Committee be entitled to call for any information, return, statement or report from the officer of the Zila Parishad and to enter on and inspect any movable property of the Zila Parishad or any work in progress concerning the Committee.

(3) Every Committee shall be entitled to require attendance at its meetings any officer of the Zila Parishad who is connected with the work of the Committee. The Chief Executive Officer shall under instruction of the Committee, issue notices and secure the attendance of the Officer.

80. Power to acquire, hold and dispose of property - (1) A Zila Parishad shall have the power to acquire, hold and dispose of property and to enter into contracts:

Provided that in all cases of disposal of immovable property, the Zila Parishad shall obtain the previous approval of the Government.

(2) All roads, buildings or other works constructed by a Zila Parishad with its own funds shall vest in it.

(3) The Government may allocate to a Zila Parishad any public property situated within its jurisdiction and thereupon, such property shall vest in and come under the control of the Zila Parishad.

(4) Where a Zila Parishad requires land to carry out any of the purposes of this Act, it may negotiate with the person or persons having interest in the said land, and if it fails to reach an agreement, it may make an application to the District Magistrate for the acquisition of the land and

the District Magistrate may, if he is satisfied that the land is required for a public purpose, take steps to acquire the land under the provisions of the Land Acquisition Act. 1894 (1 of 1894) and such land shall, on acquisition, vest in the Zila Parishad.

81. Zila Parishad Fund - (1) For every Zila Parishad there shall be constituted a Zila Parishad Fund bearing the name of the Zila Parishad and the following shall be placed to it the credit thereof-

- (a) contributions and grants, if any made by the Central or the State Government including such part of land revenue collected in the State as may be determined by the Government;
 - (b) contributions and grants, if any made by a Panchayat Samiti or any other local authority;
 - (c) Loans if any, granted by the Central or State Government or raised by the Zila Parishad on security of its assets;
 - (d) Share in the proceeds of road cess levied in the district;
 - (e) all receipts on account of rates and fees levied by the Zila Parishad;
 - (f) all receipts in respect of any school, hospital, dispensaries, buildings, institutions or works, vested in, constructed by or placed under the control and management of the Zila Parishad;
 - (g) all sums received as gift or contribution and all income from any trust or endowment made in favour of Zila Parishad;
 - (h) such fines or penalties imposed and realized under the provisions of this Act or the bye-laws made thereunder, as may be prescribed.
 - (i) all other sums received by or on behalf of the Zila Parishad.
- (2) Every Zila Parishad shall set apart and apply annually such sum as may be required to meet the cost of its own administration including the payment of salary, allowances, provident fund and gratuity to the officers and employees.

- (3) Every Zila Parishad shall have the power to spend such sums as it thinks fit for carrying out the purposes of this Act.
- (4) The Zila Parishad Fund shall be vested in the Zila Parishad and the amount standing to the credit of the fund shall be kept in such custody or invested in such manner as the State Government may, from time to time, direct.

82. Taxation - (1) Subject to such maximum rates as the Government may prescribe a Zila Parishad may-

- (a) levy tolls in respect of any ferry established by it or under its management.
 - (b) levy the following fees and rates, namely-
 - (i) fees on the registration of boats or vehicles;
 - (ii) a fee for providing sanitary arrangements at such places of pilgrimage, fairs and melas within its jurisdiction as may be specified by the Government by notification;
 - (iii) a fee for licence for fair or mela;
 - (iv) a lighting rate where arrangement for lighting of public streets and places is made by the Zila Parishad within its jurisdiction; and.
 - (v) Water rate where arrangement for the supply of water for drinking, irrigation or any other purpose is made by the Zila Parishad within its jurisdiction.
- (2) The Zila Parishad, within its jurisdiction, shall not levy fee on such vehicles which have already been registered by any other authority under any law for the time being in force, or at the places of pilgrimage, melas etc. if provisions for sanitary arrangement has already been made by any other local authority.
- (3) The fees or rates and the terms and conditions for the imposition thereof shall be such as may be provided by bye-laws. Such bye-laws

may provide for exemption from all or any of the tolls, fees or rates in any class of cases.

83. Financial Arrangements for Zila Parishad - (1) A Zila Parishad may, subject to the provisions of any law relating to the raising of loans by local authorities for the time being in force, raise from time to time , with the approval of the State Government, loans for the purposes of the Act and create a sinking fund for the repayment of loans.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, a Zila Parishad may borrow money from the Government or, with the previous sanction of the Government from banks or other financial institutions, for furtherance of its objective on the basis of specific schemes as may be drawn up by the Zila Parishad for the purpose.

84. Budget - Every Zila Parishad shall at such time and in such manner as may be prescribed, prepare in each year a budget of its estimated receipts and disbursements for the following year and the same will be passed by the majority of members present in the meeting and quorum for such meeting shall not be less than fifty percent of the total number of members.

85. Accounts - Zila Parishad shall keep its accounts in such manner as may be prescribed.

86. Audit - (1) The audit of the accounts of the Zila Parishad shall be carried out by the authority as may be prescribed by the Government and a copy of the audit note shall be forwarded to the Zila Parishad within one month of the completion of the audit.

(2) On receipt of the audit report referred to in sub section (1), the Zila Parishad shall either remedy any defects or irregularities which have been pointed out in the audit and send to the Government within three months an intimation of its having done so or shall, within the

said period, supply any further explanation to the prescribed authority in regard to such defects or irregularities as it may wish to give.

- (3) Apart from audit conducted by the prescribed authority mentioned in sub-section (1) above, concurrent audit or special audit of a Zila Parishad may be made in the manner prescribed for this purpose.

87. Staff of Zila Parishad - (1) An officer of the rank of the District Magistrate or such Additional District Magistrate, as may be specified by the State Government, shall be the Chief Executive Officer of the Zila Parishad and who shall be appointed by the Government. The Government may appoint an Additional Chief Executive Officer for a Zila Parishad on such terms and conditions as may be prescribed.

- (2) The Government shall, from time to time, post or depute in every Zila Parishad such number of officers and staff, as the Government considers necessary.

- (3) Subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf, a Zila Parishad may from time to time engage such number of paid or honorary functionaries or professionals as may be required by it for carrying out its functions.

88. Functions of the Chief Executive Officer and other Officers - (1) Save as otherwise expressly provided by or under this Act, the Chief Executive Officer shall:-

- (a) carry out the policies and directions of the Zila Parishad, and take necessary measures for the speedy execution of all works and development schemes of Zila Parishad;
- (b) discharge the duties imposed upon him by or under this Act or the rules and regulations made thereunder:

- (c) control the officers and servants of the Zila Parishad subject to the general superintendence and control of the Adhyaksha and such rules as may be prescribed;
 - (d) have custody of all papers and documents relating to Zila Parishad; and
 - (e) draw and disburse money of the Zila Parishad funds and exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.
- (2) The Chief Executive Officer shall attend every meeting of the Zila Parishad and may take part in the discussion but shall not have the right to move any resolution or to vote. If in the opinion of the Chief Executive Officer any proposal before the Zila Parishad is violative of or inconsistent with the provision of this Act or any other law or the rules or order made thereunder, it shall be his duty to bring the same to the notice of the Zila Parishad.
- (3) The Chief Accounts Officer shall advise the Zila Parishad in matters of financial policy and shall be responsible for all matters relating to the accounts of the Zila Parishad including preparation of annual accounts and the budget.
- (4) The Chief Accounts Officer shall ensure that no expenditure is incurred except under proper sanction and in accordance with this Act and the rules and regulations thereunder and shall disallow any expenditure not warranted by the Act or rules and regulation or for which no provision is made in the budget.
- (5) The Additional Chief Executive Officer shall assist the Chief Executive Officer in the performance of his duties.
- (6) The Chief Planning Officer shall advise the Zila Parishad in matters of plan formulation and shall be responsible for all matters relating to planning of Zila Parishad including the preparation of plans of

economic development and social justice and annual plan of the district.

89. Right to requisition records - (1) Every person in possession of money, accounts, records or other property pertaining to a Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad shall on the requisition in writing of the Chief Executive Officer for this purpose, forthwith hand over such money or deliver up such accounts, records or other property to the Chief Executive Officer or the person authorised in the requisition to receive the same.

(2) The Chief Executive Officer may also take steps to recover any money due by such person in the same manner and for the recovery of the arrears of land revenue from defaulters and for the purpose of recovering the accounts, records or other property appertaining to the Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad, may issue a search warrant and exercise all such powers with respect thereto as may lawfully be exercised by a Magistrate under the provisions of Chapter VII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).

(3) Every person knowing where any money, accounts, records or other property appertaining to a Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad are concealed, shall be bound to give information of the same to the Chief Executive Officer.

(4) An appeal shall lie against the order of the Chief Executive Officer, under the section, to the Commissioner.

CHAPTER VI

ESTABLISHMENT, POWERS, DUTIES AND PROCEDURE OF GRAM KATCHAHRY AND BENCHES THEREOF.

90. Constitution of Gram Katchahry and election of Sarpanch and Panches –

(1) There shall be a Gram Katchahry in every Gram Panchayat area for the purposes of discharging the judicial functions imposed upon it by or under this Act and the Gram Katchahry shall consist of-

(a) A Sarpanch of the Gram Katchahry elected under the provisions of this Act, and

(b) Such number of directly elected Panches as may be notified from time to time by the District Magistrate and each Panch representing as nearly as five hundred population of the Panchayat area. Its territorial constituency will be the same as those of the members of the Gram Panchayat.

(2) Each territorial constituency shall directly elect one Panch in the manner prescribed under the provisions of this Act.

(3) Every Gram Katchahry constituted under the provisions of this section shall be published in the District Gazette and shall come into force from the date fixed for its first meeting.

91. Reservation of seats — (1) In every Gram Katchahry, as nearly as but not exceeding fifty percent of the total seats of the Panches of Gram Katchahry shall be reserved for

(a) Scheduled Castes;

(b) Scheduled Tribes; and

(c) Backward Classes.

The number of seats so reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall bear as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled up by direct election in that Gram Katchahry as the population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes bears to the total population of that area and such seats shall be allotted by rotation to different constituencies in a Gram Katchahry by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the prescribed manner.

After reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the number of seats to be reserved for the Backward Classes shall be as nearly as possible but not exceeding twenty percent of the total seats and within the overall limit of fifty percent reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and shall be allotted to the remaining constituencies by the District Magistrate in the prescribed manner. Such seats shall be allotted by rotation to different constituencies in a Gram Panchayat by the District Magistrate during subsequent elections under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the manner prescribed by it.

- (2) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats reserved under Sub-section (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes, as the case may be.
- (3) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats not reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes shall be reserved for women.
- (4) Such total number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes

and unreserved category may be allotted by rotation by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission to different constituencies in a Gram Katchahry and in such manner as may be prescribed by it.

92. Duration of Gram Katchahry - (1) Every Gram Katchahry, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for the first meeting and no longer.

(2) The election to constitute a Gram Katchahry shall be completed-

- (a) before the expiration of its duration specified in sub-section (1);
- (b) in case of dissolution, before the expiration of the period of six months from the date of its dissolution.

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Katchahry would have continued is less than six months it shall not be necessary to hold any election under this sub-section for constituting the Gram Katchahry for such period.

(3) A Gram Katchahry constituted upon the dissolution of a Gram Katchahry before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Gram Katchahry would have continued under sub-section (1), had it not been so dissolved.

93. Election of Sarpanch and Up-Sarpanch - (1) A Sarpanch of the Gram Katchahry shall be directly elected by a majority of votes by the voters enrolled in the voters' list of that Gram Panchayat.

(2) In the event of vacancy caused by reason of death, resignation, disqualification, removal or otherwise of the Sarpanch, another

Sarpanch shall be elected as soon as possible as per the provisions of sub-section (1)

Provided that if the vacancy of the office of Sarpanch is for less than six month, there shall be no election.

(3) (i) After election every Gram Katchahry shall under the direction, control and supervision of State Election Commission, elect in its first meeting one Up-Sarpanch from amongst the members elected under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 90 of the Act, by a majority of votes.

(ii) The Sarpanch of the Gram Katchahry shall be a voter in the election of Up-Sarpanch.

(iii) In the case of equality of votes in the election of Up-Sarpanch, the result shall be decided by draw of lots.

(4) (i) In the event of the offices of the Sarpanch and Up-Sarpanch falling vacant simultaneously in any Gram Katchahry, the Executive Officer of the concerned Panchayat Samiti shall call a meeting for election of Up-Sarpanch within fifteen days of such an eventuality for which a notice of at least seven days shall be given to the Panches.

(ii) The Executive Officer of the concerned Panchayat Samiti shall preside over such meeting but he shall not have the right to vote.

(iii) In the case of equality of votes in the election of Up-Sarpanch, the result shall be decided by draw of lots.

(5) Reservation of seats — (i) For the post of Sarpanch, as nearly as but not exceeding fifty percent of the total seats of Sarpanch in every Panchayat Samiti shall be reserved for :—

(a) Scheduled Castes;

(b) Scheduled Tribes; and

(c) Backward Classes.

Within every Panchayat Samiti, seats shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the post of Sarpanch and the number of seats so reserved shall bear as nearly as possible the same proportion to the total number of seats of Sarpanch within the said Panchayat Samiti as the population of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes bears to the total population of that area and such seats shall be allotted by rotation to different Gram Kachaharis within the Panchayat Samiti by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the manner prescribed.

After reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the number of seats to be reserved for the Backward Classes shall be as nearly as possible but not exceeding twenty percent of the total seats and within the overall limit of fifty percent reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and shall be allotted to the remaining Gram Kachaharis by the District Magistrate in the prescribed manner. Such seats shall be allotted by rotation to different Gram Kachaharis in a Panchayat Samiti by the District Magistrate during subsequent elections under the direction, control and supervision of the State Election Commission in the manner prescribed by it.

(ii) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats so reserved under Sub-section (i) shall be reserved for women belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes as the case may be.

(iii) As nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats not reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes shall be reserved for women.

(iv) Such total number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and unreserved category shall be allotted by rotation by the District Magistrate under the direction, control and supervision of the State Election Commission to different Gram Katchaharis in such manner as may be prescribed by the State Election Commission.

94. Assistance to Gram Katchahry– (1) There shall be a secretary in every Gram Katchahry to be appointed in the manner as may be prescribed.

(2) There shall be a person called Nyaya Mitra having at least a three year Law Degree from a recognised Institution or University to assist the Gram Katchahry or any bench thereof in the discharge of its duties. Such Nyaya Mitra shall be appointed in the prescribed manner.

(3) In order to enable the Gram Katchahry to perform its functions effectively, the State Government shall, in the prescribed manner, make arrangements for training of the Sarpanch, the Up-Sarpanch and Panches of the Gram Katchahry.

95. Term of Office of Sarpanch and Up-Sarpanch - The term of office of Sarpanch and Up-Sarpanch of the Gram Katchahry shall, save as otherwise provided in this Act, cease on the expiry of his term of office as a member of the Gram Katchahry.

96. Powers and functions of Sarpanch and Up-Sarpanch - Subject to the provisions of this Act and rules made thereunder, the Sarpanch shall -

(a) be the President of Gram Katchahry and benches thereof;

(b) entertain suits and cases on application of parties and police reports;

(c) have the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 to take evidence and to compel attendance of the parties, witnesses and such other persons as may be required and production of documents or instruments for disposal of such suits or cases; and

(d) exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed;

(2) The Up-Sarpanch shall during the vacancy in the office of the Sarpanch or the incapacity or temporary absence of the Sarpanch, perform all his duties and exercise all his powers and exercise or perform any other powers or duties which may be prescribed.

97. Resignation or Removal of Sarpanch or Up-Sarpanch - (1) The Sarpanch or Up-Sarpanch may resign his office by writing under his hand addressed to the District Panchayat Raj Officer.

(2) Every resignation under Sub-Section (1) shall take effect on the expiry of seven days from the date of its receipt by the District Panchayat Raj Officer, unless within this period of seven days he withdraws such resignation by writing under his hand addressed to the District Panchayat Raj Officer.

(3) Every Up-Sarpanch shall vacate the office if he ceases to be a member of a Gram Katchahri.

(4)(i) Removal of Sarpanch by no confidence motion—Every Sarpanch shall be deemed to have vacated his office forthwith if a resolution expressing want of confidence in him is passed by a simple majority of the total number of voters of the Gram Panchayat at a meeting especially convened for the purpose. The requisition for such a special meeting shall be signed by not less than one fifth of the total number of voters of the Gram Panchayat and shall be delivered to the District Panchayat Raj Officer. The District Panchayat Raj

Officer shall, within seven days from the date of receipt of the requisition, fix a date for the meeting of Gram Panchayat at any place within the Gram Panchayat area. The meeting shall be held within fifteen days from the date of issue of the notice of the meeting. The meeting shall be presided over by the District Panchayat Raj Officer :

Provided that during the first two year period of the tenure, no such motion of no confidence shall be moved against the Sarpanch.

Provided further that if the motion of no confidence against the Sarpanch is once rejected, no fresh motion of no confidence against the Sarpanch shall be brought within a period of one year from the date of such rejection of the motion;

Provided further that no motion of no confidence against Sarpanch shall be brought during the last six months of the term of Gram Katchahry.

(ii) Removal of Up-Sarpanch by no confidence motion—Every Up-Sarpanch shall be deemed to have vacated his office forthwith if a resolution expressing want of confidence in him is passed by a simple majority of the total number of elected Panches of the Gram Katchahry and Sarpanch at a meeting especially convened for the purpose. The requisition for such a special meeting shall be signed by not less than one third of the total number of elected Panchs of the Gram Katchahry and shall be delivered to the Sarpanch. The Sarpanch shall, within seven days from the date of receipt of the requisition, convene a special meeting of the Gram Katchahry in the office of the Gram Katchahry for discussion on the motion and shall also preside over the meeting :

Provided that during the first two year period of the tenure, no such motion of no confidence shall be moved against the Up-Sarpanch.

Provided further that if the motion of no confidence against the Up-Sarpanch is once rejected, no fresh motion of no confidence against the Up-

Sarpanch shall be brought within a period of one year from the date of such rejection of the motion;

Provided further that no motion of no confidence against Up-Sarpanch shall be brought during the last six months before the expiry of the term of Gram Katchahry.

(5) Without prejudice to the provisions under this Act, if, in opinion of the Commissioner having territorial jurisdiction over the Gram Panchayat, a Sarpanch or an Up-Sarpanch of Gram Katchahry absents himself without sufficient cause for more than three consecutive sittings or willfully omits or refuses to perform his duties and functions under this Act, or abuses the power vested in him or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties or is absconding being an accused in a criminal case for more than six months, the Commissioner may, after giving the Sarpanch or Up-Sarpanch, as the case may be, a reasonable opportunity for explanation, by order, remove such Sarpanch or Up-Sarpanch, as the case may be, from office.

The Sarpanch or Up-Sarpanch so removed shall not be eligible for re-election as Sarpanch or Up-Sarpanch or Panch of Gram Katchahry during the remaining term of office of such Gram Katchahry.

(6) Appeal shall lie before the Member, Board of Revenue against the order of the Commissioner.

98. Resignation of Panch- A Panch of Gram Katchahry may resign his office in writing under his hand addressed to the Sarpanch of the Gram Katchahry and his office shall become vacant on the expiry of seven days from the date of such resignation unless within the said period of seven days he withdraws such resignation by writing under his hand addressed to the Sarpanch.

99. *Filling of casual vacancies of Panches* - When the place of a Panch becomes vacant by his removal, resignation, death or otherwise a new Panch shall be elected in the manner prescribed and he shall hold office so long as the Panch whose place he fills would have been entitled to hold office if such vacancy had not occurred.

100. *Sarpanch, Up-Sarpanch or Panches not to take part in certain proceeding* - No Sarpanch, Up-Sarpanch or Panch shall take part in any proceedings in which he is personally interested.

Provided that the fact that the Sarpanch, Up-Sarpanch or a Panch has got personal knowledge of the facts of a case or suit shall not by itself disqualify him from taking part in the proceedings.

101. *Institution and hearing of suits and cases* - (1) Every suit or case instituted under this Act shall be instituted before the Sarpanch or where the services of Sarpanch are not available before the Up-Sarpanch and shall be heard and determined by a bench of the Gram Katchahry consisting of the Sarpanch and two Panches from amongst the Panches of the Gram Katchahry to be named by the respective parties to the suit or case and two other Panches selected by the Sarpanch in such manner as may be prescribed :

Provided that

- (i) if a party does not nominate a Panch within such time as may be prescribed, the Sarpanch, or in the case of his non-availability, the Up-Sarpanch shall nominate Panch from amongst the Panches of the Gram Katchahry;
- (ii) If in any suit or case, the Sarpanch is precluded from taking part in the proceedings, the Up-Sarpanch, or if he is also so disqualified in

the opinion of the Sarpanch, another Panch shall be selected by the Panches from amongst its own number and the Up-Sarpanch or as the case may be the Panch so selected shall discharge all the functions of the Sarpanch for the purposes of the said suit or case;

- (iii) If the services of the Sarpanch are not available at any time after the institution, but before the determination of the suit or case, the Up-Sarpanch or if the Up-Sarpanch is either precluded under section 100 from taking part in the proceedings or has been nominated by any party to the suit in case, a Panch to be nominated by the panel of Panches or where no such nomination has been made, the senior most Panch of the Gram Katchahry shall act for the Sarpanch; and
- (iv) If the services of a Panch ceases to be available at any time after the institution but before the determination of the suit or case or he is precluded under section 100 from taking part in the proceedings, another Panch shall be nominated by the Party concerned or selected by the Sarpanch, as the case may be.

- (2) Not less than three Panches including the Sarpanch and the two Panches named by the respective parties shall form a quorum for the purpose of hearing and determining a suit or case under sub-section (1).

Explanation- For the purposes of this sub-section, the expression "Sarpanch" includes the Up-Sarpanch or any other Panch acting for the Sarpanch and the expression "Panches" named by the respective parties, includes Panches nominated under clause (i) of the provision to sub-section(1).

102. Duty of a bench of the Gram Katchahry to bring about amicable settlement of dispute - A bench of the Gram Katchahry, while hearing a suit or trying a case under the provisions of this Act, shall after giving such notice to the parties and in such manner as it thinks fit, endeavour to bring about an amicable settlement between the parties, and for this purpose the bench shall, in such manner as it thinks fit and without delay, investigate the suit or case and all matters affecting the merits thereof and the right settlement thereof and in so doing may do all such lawful things as it thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement, and where such a settlement is brought about, the bench shall record the same and give its decision accordingly.

103. A bench of the Gram Ktchahry to inquire into and decide the dispute in case no amicable settlement is reached - Where a bench of Gram Katchahry does not succeed in bringing about an amicable settlement under the preceding section or otherwise takes up the hearing or trial of a suit or case, it shall make an enquiry, receive such evidence as it considers necessary and record its judgment and in the event of the members of the bench disagreeing, the decision of the majority shall prevail;

Provided that nothing herein before contained shall be deemed to prevent any member of the bench from placing on record in writing his dissent against such decision.

104. Proceeding to be followed by a bench of the Gram Katchahry - Subject to the provisions of this Act and to any rules or directions that may be issued by the Government in this behalf the procedure to be followed by a bench of the Gram Katchahry shall be such as it considers just and convenient

and the bench shall not be bound to follow any laws of evidence or procedure; other than the procedure prescribed by or under this Act.

105. Form of decision - The decision of a bench of the Gram Katchahry shall be in writing and shall be signed by all members of such bench. It shall contain such particulars as may be prescribed by rules made by the Government in this behalf:

Provided that the failure on the part of any member of the bench to sign the decision shall not affect the validity of such decision.

106. Criminal Jurisdiction - Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and subject to the provisions of this Act a bench of the Gram Katchahry shall have jurisdiction within the local limits of the Gram Panchayat for the trial of the following offences as well as abetment of and attempts to commit any such offence if committed within the local limits of its jurisdiction, namely :-

- (a) offences under the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), sections 140, 142, 143, 145, 147, 151, 153, 160, 172, 174, 178, 179, 269, 277, 283, 285, 286, 289, 290, 294, 294A, 323, 334, 336, 341, 352, 356, 357, 358, 374, 403, 426, 428, 430, 447, 448, 502, 504, 506, 510;
- (b) offences under the Bengal Public Gambling Act, 1867 (Ben. Act 2 of 1867);
- (c) offences under sections 24 and 26 of the Cattle Trespass Act, 1871 (1 of 1871)
- (d) except as otherwise provided offences under this Act; or under any rule or bye-law made there under, and
- (e) any other offence under any other enactment, if empowered in this behalf by the Government:

Provided further that the Gram Katchahry shall not take cognizance of any offence in respect of which any proceeding is pending before a court of competent jurisdiction prior to the coming into effect of this Act.

Provided that the bench shall not take cognizance of any offence under section, 379, 380, 381 or 411 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) in which the value of the property alleged to be stolen exceeds ten thousand rupees or in which the accused-

- (i) has been previously convicted of an offence punishable under Chapter XVII of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) with imprisonment of either description for a term of three years or up-wards; or
- (ii) has been previously fined for theft by any bench of the Gram Katchahry;
- (iii) has been bound over to be of good behaviour in proceedings instituted under sections 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974):

Provided further that the Gram Katchahry shall not take cognizance of any offence in respect of which a complaint has been filed against the Gram Panchayat a Mukhiya or any other member of the Executive Committee, Sarpanch or a Panch.

107. Criminal powers of a bench of the Gram Katchahry -

(1) A bench of the Gram Katchahry shall, after hearing the parties and after considering the evidence adduced by the parties, record its decision in writing, and may sentence any offender convicted by it to pay a fine not exceeding one thousand rupees:

Provided that if the members of the bench present during the trial of a case fail to come to a unanimous decision, the decision of the majority of such members shall be the decision of the bench :

Provided further that in the case of equality of votes of the members of a bench present during the trial of a case, the Sarpanch shall have a second or casting vote and the decision of the bench shall be in accordance with such second or casting vote.

- (2) No sentence of imprisonment, simple or rigorous, whether substantive or in default of payment of fine shall be awarded by any bench.
- (3) When a bench imposes a fine under sub-section (1), it may, when passing the order, direct that the whole or any part of the fine recovered shall be applied in payment of compensation for any loss or injury caused by the offence.
- (4) When any person is sentenced by a bench of the Gram Katchahry, the bench shall, on the request of the person so sentenced, either in writing or orally, suspend the operation of such sentence for a period prescribed for filing appeal under this Act. A copy of the order passed by a Gram Katchahry or bench thereof shall be made available free of cost to the parties within one week from the date of passing of such order in the manner prescribed for this purpose.

108. Compensation to be paid by a complainant in case of false, frivolous, or vexatious accusation - If in any case instituted upon complaint, the bench of the Gram Katchahry discharges or acquits all or any of the accused and is of the opinion that the accusation against any of the accused was false or frivolous or vexatious, such bench may, for reasons to be recorded in writing, direct that compensation of an amount not exceeding five hundred rupees be paid by the complainant to such accused, and the compensation, if not paid shall be recoverable as if it were a fine imposed by the bench.

109. Criminal powers of Sarpanch - (1) Whenever the Sarpanch has reason to believe that a breach of the peace or disturbance of the public tranquility is imminent and immediate prevention or speedy remedy is

desirable, he may, by a written order stating the material facts of the case and served in the prescribed manner, direct any person to abstain from a certain act or to take action with respect to a certain property in his possession or under his management.

- (2) As soon as the Sarpanch has issued an order under sub-section (1) he shall submit the proceedings of the case to the Sub-divisional Magistrate who may either confirm the order or discharge the notice after hearing the parties to the dispute, if they so desire.
- (3) An order passed under sub-section (1) shall remain in force for thirty days.
- (4) Any order passed under sub-section (1) shall be promptly given effect to by the concerned local authorities.

110. Exclusive civil jurisdiction of a bench of the Gram Katchahry -

Notwithstanding anything contained in the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887 (13 of 1887), the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (9 of 1887) and the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and subject to the provisions of this Act a bench of the Gram Katchahry shall have jurisdiction to hear and determine the following classes of suits :-

- (a) When the value of the suit does not exceed ten thousand rupees, namely -
 - (i) suits for money due on contracts;
 - (ii) suits for the recovery of movable property or the value of such property ;
 - (iii) suits for the recovery of rent; and
 - (iv) suits for compensation for wrongfully taking or injuring movable property, or for damaged property caused by cattle trespass;

(b) All suits of partition except wherein complicated question of law or title is involved;

But where the Gram Katchahry is of the view that where in a suit for partition, complicated question of law or title is involved, Gram Katchahry shall transfer such suit to the court of competent jurisdiction :

Provided that the parties to a suit of the above description under clauses (a) and (b) may by a written agreement refer the suit to the bench for decision irrespective of the value of the suit and the bench shall, subject to such rules as may be prescribed as to court-fees and other matters, have jurisdiction to hear and determine the said suit under this Act:

111. *Certain suits not to be heard by a bench of the Gram Katchahry -*

Notwithstanding anything to the contrary contained in section 110, no suit shall lie in any bench of the Gram Katchahry –

- (a) on a balance of partnership account, or
- (b) for a share or part of a share under an intestacy or for a legacy or part of a legacy under a will, or
- (c) by or against the Central or State Government or servants of such Government in their official capacity or
- (d) by or against minors or persons of unsound mind, or
- (e) for the assessment, enhancement, reduction, abatement or apportionment of rent of immovable property, or
- (f) of a mortgagee of immovable property for the enforcement of the mortgage by foreclosure or sale of the property for the redemption of the mortgage or
- (g) for determining the right, title and interest in immovable property,

- (h) with regard to any matter in which proceeding is pending before a court of competent jurisdiction prior to coming into effect of this Act.
- (i) against the Gram Panchayat Mukhiya or any other member of the Executive Committee, a Sarpanch or a Panch.

112. Appeals - (1) An appeal against any order or decision of a bench of the Gram Katchahry shall be preferred within the period of thirty days after the date of the passing of such order or decision to the full bench of the Gram Katchahry and shall be heard by it in the prescribed manner.

(2) Not less than seven Panches shall form the quorum for the purpose of constituting a full bench for hearing an appeal under sub-section (1):

(3) An appeal against any order or decision of a full bench of the Gram Katchahry shall be preferred within a period of 30 days after the date of the passing of such order or decision to a Sub-Judge in case of civil cases and to a District and Session Judge in case of criminal cases.

(4) The order under challenge in appeal shall be not given effect to till the appeal is finally disposed of in the manner prescribed ,

(5) A copy of the order passed by the full bench of Gram Katchahry shall be made available free of cost to the parties within one week from the date of passing of such order in the manner prescribed for this purpose.

113. No Court to take cognizance of case or suits taken cognizance of by a bench of the Gram Katchahry - (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no Court shall take

cognizance of any case or suit which is cognizable under the Act by a bench of the Gram Katchahry.

- (2) Every information relating to the commission of an offence triable by a bench of the Gram Katchahry given to an officer-in-charge of a police station shall be reported within fifteen days of the receipt of the information to the bench of the Gram Katchahry in the jurisdiction of which the offence has been committed.
- (3) When a case relating to any offence triable by a bench of the Gram Katchahry is pending before such bench and a charge sheet is submitted by Police Officer, or a complaint is made to any Magistrate in respect of the same offence, such Police Officer or the complainant shall mention in the charge-sheet or the complaint petition, as the case may be, that such a case is so pending and in such circumstances the concerned Magistrate shall direct the bench of the Gram Katchahry to proceed with the trial of the case.

114. *Transfer of case or suits to a bench of the Gram Katchahry by Magistrate or Munsifs* - If at any stage of proceedings in a case or suit pending before a Magistrate or Munsif or a court of competent jurisdiction, it appears that the case or suit is one triable by a bench of the Gram Katchahry the Chief/Additional/Sub-Divisional Judicial Magistrate, the Munsif or the court of competent jurisdiction, as the case may be, shall, at once transfer the case or suit to the bench having jurisdiction.

115. *Withdrawal of case* - The Chief Judicial Magistrate/ Additional Judicial Magistrate/ Sub-Divisional Judicial Magistrate, the Munsif or a court of competent jurisdiction as the case may be, either on his own motion or on information received, withdraw any case or suit pending before a bench of the Gram Katchahry if for reasons to be recorded by him in writing, he is of the opinion that

such case or suit ought not to be tried or heard by such bench and may try or hear the case or suit either himself or transfer it to another competent Magistrate, Munsif or the court of competent jurisdiction or any other bench of Gram Katchahry for disposal.

116.No legal practitioner to appear - No legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of any party in any suit or case before the Gram Katchahry or a bench thereof without the consent of contesting parties and permission of Gram Katchahry or the bench thereof.

117. Appearance in person or by representatives - (1) Subject to the provisions of section 116 any party to a suit may appear before a bench of the Gram Katchahry either in person or by such personal relation, friend or any other person duly authorised by him as the bench may admit as a fit person to represent him.

(2) Whenever the Sarpanch issues a summons in a case, he may, for reasons to be recorded in writing, dispense with the personal attendance of the accused and, subject to the provisions of section 116 permit him to appear by his personal relation, friend or any other person duly authorised by him :

Provided that the bench enquiring into or trying the case may at any stage of the proceedings direct the personal attendance in the prescribed manner.

(3) Subject to the provisions of section 116, a bench enquiring into or trying a case may at any stage of the proceedings, for reasons to be recorded in writing :-

(i) direct the personal attendance of the accused, and if necessary, enforce such attendance in the prescribed manner or;

- (4) permit such accused persons to be represented by his personal relations, friend or any other person duly authorised by him.

118. Power of Chief Judicial Magistrate/ Additional Chief Judicial Magistrate/ Sub-divisional Judicial Magistrate and Munsif over the bench of Gram Katchahry -

(1) If there has been a miscarriage of justice, or there be an apprehension of miscarriage of justice, in any case or suit, the Chief Judicial Magistrate/ Additional Chief Judicial Magistrate/ Subdivisional Judicial Magistrate, as the case may be, and the Munsif in respect of any suit, may on the application of any party or of his own motion, at any time during the pendency of the suit or case and within sixty days from the date of a decree or order, call for the record from a bench of a Gram Katchahry and may for reasons to be recorded in writing. -

- (a) transfer the case and order it to be heard by another bench of the Gram Katchahry within the local limits of the jurisdiction of the Panchayat or within the local limits of the jurisdiction of the Panchayat Samiti area; or
- (b) quash any proceeding of the bench at any stage or cancel any order or decree passed by such bench and either remand the suit or case to the same bench for retrial or direct the complainant or plaintiff, as the case may be, to institute the case or suit afresh to any other bench of the Gram Katchahry within the local limits of the Panchayat Samiti area:

Provided that before passing any order under this subsection the Chief Judicial Magistrate/ Additional Chief Judicial Magistrate/ Subdivisional Judicial Magistrate/ Judicial Magistrate or the Munsif, as the case may be, shall call for a report from the

bench of a Gram Katchahry and give an opportunity to the parties to be heard.

Explanation - For the purposes of sub-section (1) the word "bench" includes a "full bench".

- (2) Where order has been passed by a Munsif or Chief Judicial Magistrate/ Additional Chief Judicial Magistrate/ Sub- Divisional Judicial Magistrate, as the case may be, under sub-section (1) in respect of any suit or case, as the case may be, the complainant or plaintiff may institute the case or suit afresh before a court of competent jurisdiction.
- (3) Any suit or case transferred under clause (a) of sub-section (1) shall be disposed of as if such suit or case has been instituted before the bench to which it has been so transferred.

Explanaton- For the purpose of sub-section (1) the word "bench" includes a "full bench".

119. Procedure for execution of decrees and orders and apprehension of accused in certain cases - If a bench of the Gram Katchahry is unable for any reason to execute a decree passed by it in any suit the bench shall transfer such decree for execution to the Munsif who shall execute the decree as if it were a decree passed by the Munsif.

- (2) If a bench of the Gram Katchahry is unable for any reason to realise any fine imposed by it in any case the bench shall send the order imposing such fine for execution to the Chief/ Additional/ Sub-Divisional Judicial Magistrate who shall realise the fine from the person against whom such order was passed as if the order were an order passed by such Magistrate in a case tried by him.
- (3) If a bench of Gram Katchahry is unable to secure the attendance of any accused for the trial of any case it may forward aailable

warrant for the apprehension of such accused (with a report about the whereabouts of the accused) to the Chief/Additional/Sub-Divisional Judicial Magistrate who shall countersign and forward the warrant to the officer in-charge of the police-station within whose jurisdiction the accused is to be found and such officer shall execute the warrant and take necessary steps for the production of the accused before the bench to stand his trial.

120. *Limitation of suits* - No suit shall be entertained by a bench of the Gram Katchahry after the expiration of three years from the date when the right to sue first accrued:

Provided that the period of limitation for suits specified in the first column of the Table when instituted before a bench of the Gram Katchahry shall be the period specified in the corresponding entry of the second column thereof.

121. *Re judicata and pending suits* - No bench of the Gram Katchahry shall try any suit in which the matter directly and substantially in dispute has been heard and decided by a Court of competent jurisdiction in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim, or is pending for decision in the same Court or in any other Court in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim.

122. *Power of District Judge to inspect proceedings and records* - The District Judge, or any other Judicial Officer especially authorised by him, shall have power at all reasonable time to inspect the proceedings and records of a Gram Katchahry or benches thereof.

TABLE

(See section 120)

Period of limitation for certain suits

Description of suit	Period of limitation	Time from which period begins to run.
1. For the wages of a house-hold servant, artisan or labourer.	One year	When the wages accrued are due.
2. For the price of food or drink supplied by a keeper of a hostel, tavern or lodging house.	One year	When the food or drink was delivered.
3. For the rent of lodging.	One year	When the rent became payable.
4. For money due on contract.	Three years	When the money became due to the plaintiff.
5. For the recovery of the movable property or the value thereof.	One year	When the plaintiffs became entitled to the delivery of the movable property.
6. For compensation for wrongfully taking or injuring a movable property.	One year	When the movable property was wrongfully taken or when injury was done to it.
7. For damages caused by cattle trespass.	Six months	When the damage was caused by the cattle trespass.

CHAPTER VII
ELECTIONS

123. State Election Commission - (1) There shall be a State Election Commission for superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Panchayat bodies in the State under this Act and the rules made thereunder. The Commission shall consist of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor.

(2) The conditions of service and tenure of office of the State Election Commissioner shall be such as the Governor may by rule determine:

Provided that the State Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the High Court and the conditions of service of the State Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) The Government shall, when so requested by the State Election Commission, make available to the State Election Commission such officers and staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the State Election Commission under this Act.

124. Notification of Panchayat Election — The Governor on the recommendation of the State Election Commission, for constituting the Panchayats and the Gram Katchahry, fix date or dates through notification published in the State Gazette and it shall be expected that

the electors may elect the office bearers of the Panchayats and the Gram Katchahry in accordance with the provisions of this Act :

Provided that no such notification shall be issued prior to six months before the date fixed for election.

125. Administrative machinery for the conduct of election -- (1) The State Government shall, when so required, for the conduct of election of Panchayats, make available to the State Election Commission, the services of officers and staff in the required numbers.

(2) The State Election commission for the conduct of Panchayat election, shall designate or nominate the District Magistrate as a District Election Officer (Panchayat) for each district and shall designate or nominate one or more Deputy District Election Officer (Panchayat) for the assistance of District Election Officer (Panchayat) who shall not be below the rank of a Deputy Collector .

Provided that the District Election Officer (Panchayat) subject to direction, control and supervision of the State Election Commission, shall co-ordinate and supervise all works relating to conduct of election in the area within his jurisdiction.

(3) For the Panchayat election the State Election Commission or on being authorised by it the District Election officer (Panchayat) shall appoint Returning Officer (Panchayat) who shall not be below the rank of Block Development officer/Circle Officer/Deputy Collector.

(4) The State election Commission or on being authorised by it, the District Election Officer (Panchayat) to assist the Returning Officer (Panchayat) in the discharge of his functions shall appoint one or more Assistant Returning Officer (Panchayat) who shall be an officer of the State Government.

(5) The District Election Officer (Panchayat) for every polling station, shall appoint a Presiding Officer (Panchayat) and to assist the Presiding

Officer (Panchayat) shall appoint as many polling officer or officers as he deems necessary :

Provided that any person who is a Government servant or a servant of Government Company or servant of Government aided institutions may be appointed as Presiding Officer (Panchayat)/Polling Officer :

Provided further that a polling officer on being absent from the polling station, the presiding officer (Panchayat) may, under above proviso, appoint any person who is present at the polling station other than the persons appointed by the candidate or on his behalf or has been doing other work for him as polling officer and shall accordingly inform the District Election Officer (Panchayat) :

Provided further also that the polling officer subject to the direction of the State Election Commission, on being authorised by the presiding officer (Panchayat), perform all or any of the functions of presiding officer (Panchayat) under this Act and the rules framed thereunder.

- (6) If the presiding officer (Panchayat) owing to illness or any other unavoidable reason is compelled to be absent from the polling station then his functions shall be performed by such polling officer who has been so authorised previously by Returning Officer (Panchayat) to perform such functions during such absence.
- (7) It shall be the general duty of the presiding officer (Panchayat) to maintain order at the polling station and see that the poll is properly going on.
- (8) It shall be the duty of a polling officer of a polling station to assist the presiding officer (Panchayat) of such polling station in discharge of his functions.

126. Electors of Panchayat - All such persons who are enrolled as electors in the electoral roll or that part of the rolls of the State Legislative

Assembly Constituency for the time being in force which is concerned with the territorial constituency of any Gram Panchayat shall be the electors for concerned Panchayat Elections.

Provided that the State Election Commission suo motu or on receipt of written representation from an aggrieved person, is of the opinion that there is sufficient reason for doing so, may direct such changes to be made in the electoral rolls of the concerned territorial constituency of the Panchayat, as it may deem proper.

Provided further that no such change of the electoral roll shall be made after the notification of the date of Panchayat election by the Governor under section- 124 of the Act.

127. Determination of Elected Members after Census- Upon the publication of figures of each Census, the number of elected members of a Panchayat shall be determined by the State Government on the basis of the population of the Panchayat area as ascertained at that Census:

Provided that the determination of the number as aforesaid shall not affect the then composition of the Panchayat unit until the expiry of the term of office of the elected members then in office.

Provided further that notwithstanding any other provision contained in this Act, until the relevant figures for the census taken in the year 2011 are published, it shall not be necessary for the Government to re-determine the number of elected members on the basis of population of the Panchayat area ascertained at the 2001 census.

128. Observers.- (1) The State Election Commission may nominate an Observer who shall be an officer of State Government to watch the conduct of election or elections in a constituency or a group of constituencies and to perform such other functions as may be entrusted to him by the State Election Commission.

- (2) The Observer nominated under sub-section (1) shall have the power to direct the Returning Officer for the constituency or for any of the constituencies for which he has been nominated, to stop the counting of votes at any time before the declaration of the result or not to declare the result, if in the opinion of the Observer, booth capturing has taken place at a large number of polling stations or at places fixed for the poll or counting of votes or any ballot papers used at a polling station or at a place fixed for the poll are unlawfully taken out of the custody of the Returning Officer or are accidentally or intentionally destroyed or lost or are damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained.
- (3) Where an Observer has directed the Returning Officer under this section to stop counting of votes or not to declare the result, the Observer shall forthwith report the matter to the State Election Commission and thereupon the State Election Commission shall, after taking all material circumstances into account, issue appropriate directions.

Explanation - For the purposes of sub-section (2) and sub-section (3), "Observer" shall include any such officer of the State Election Commission as has been assigned under this section the duty of watching the conduct of election or elections in a constituency or group of constituencies by the State Election Commission.

129. District Election Officer (Panchayat), Returning Officer, presiding officer, etc. deemed to be on deputation to State Election Commission - The District Election Officer (Panchayat), Returning Officer, Assistant Returning Officer, presiding officer, polling officer and any other officer related with election work of rural local bodies and any police officer designated for the time being by the State Government, for the conduct

of such election shall be deemed to be on deputation to the State Election Commission for the period commencing on and from the date of the notification calling for such election and ending with the date of declaration of the result of such election and accordingly, such officers shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the State Election Commission.

130. ELECTORAL OFFENCES -

- (1) Promoting enmity between classes in connection with election.-** Any person who in connection with an election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
- (2) Prohibition of public meetings during period of forty-eight hours ending with hour fixed for conclusion of poll -** (l) No person shall-
- (a) convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election; or
 - (b) display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus; or
 - (c) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public thereto, in any polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.

(II) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(III) In this section, the expression "election matter" means any matter intended or calculated to influence or affect the result of any election.

(3) Disturbances at election meetings.- (1) Any person who at a public meeting to which this section applies acts, or incites others to act, in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was called together, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

An offence punishable under clause (1) shall be cognizable.

(2) This section applies to any public meeting of a political character held in any constituency between the date of the issue of a notification under this Act calling upon the constituency to elect a member or members and the date on which such election is held.

(3) if any police officer reasonably suspects any person of committing an offence under clause (1), he may, if requested so to do by the chairman of the meeting require that person to declare to him immediately his name and address and, if that person refuses or fails so to declare his name and address, or if the police officer reasonably suspects him of giving a false name or address, the police officer may arrest him without warrant.

(4) Restrictions on the printing of pamphlets, posters, etc.- (1) No person shall print or publish, or cause to be printed or published, any election pamphlet or poster which does not bear on its face the names and address of the printer and the publisher thereof.

(2) No person shall print or cause to be printed any election pamphlet or poster-

(a) unless a declaration as to the identity of the publisher thereof, signed by him and attested by two persons to whom he is personally known, is delivered by him to the printer in duplicate; and

(b) unless, within a reasonable time after the printing of the document, one copy of the declaration is sent by the printer, together with one copy of the document, -

(i) where it is printed in the capital of the State, to the State Election Commission, and

(ii) in any other case, to the District Magistrate of the district in which it is printed.

(3) For the purposes of this section -

(a) any process for multiplying copies of a document, other than copying it by hand, shall be deemed to be printing and the expression "printer" shall be construed accordingly; and

(b) "election pamphlet or poster" means any printed pamphlet, hand-bill or other document distributed for the purpose of promoting or prejudicing the election of a candidate or group of candidates but does not include any handbill, placard or poster merely announcing the date, time, place and other particulars of an election meeting or routine instructions to election agents or workers.

(4) Any person who contravenes any of the provisions of clause (1) or clause (2) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

(5) Maintenance of secrecy of voting - (1) Every officer, clerk, agent or other person who performs any duty in connection with the

recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorised by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who contravenes the provisions of clause (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine or with both.

(6) Officers etc., at elections not to act for candidates or to influence voting - (1) No person who is a District Election Officer (Panchayat) or a Returning Officer, or an Assistant Returning Officer, or a presiding or polling officer at an election, or an officer or clerk appointed by the Returning Officer or the presiding officer to perform any duty in connection with an election shall in the conduct or the management of the election do any act (other than the giving of vote) for the furtherance of prospects of the election of a candidate.

(2) No such person as aforesaid, and no member of a police force, shall endeavor -

(a) to persuade any person to give his vote at an election, or

(b) to dissuade any person from giving his vote at an election,
or

(c) to influence the voting of any person at an election in any manner.

(3) Any person who contravenes the provisions of clause (1) or clause (2) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine or with both.

(4) An offence punishable under clause (3) shall be cognizable.

- (7) Prohibition of canvassing in or near polling stations - (1)** No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at polling station, commit any of the following acts within the polling station or in any public or private place within a distance of one hundred meters of the polling station, namely:
- (a) canvassing for votes; or
 - (b) soliciting the vote of any elector; or
 - (c) persuading any elector not to vote for any particular candidate; or
 - (d) persuading any elector not to vote at the election; or
 - (e) exhibiting any notice or sign (other than an official notice) relating to the election.
- (2) Any person who contravenes the provisions of clause (1) shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, by the Magistrate having the local jurisdiction.
- (3) An offence punishable under this sub-section shall be cognizable.
- (8) Penalty for disorderly conduct in or near polling stations - (1)** No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station,-
- (a) use or operate within or at the entrance of the polling station, or in any public or private place in the neighborhood thereof, any apparatus for amplifying or reproducing the human voice such as megaphone or a loudspeaker or
 - (b) shout, or otherwise act in a disorderly manner, within or at the entrance of the polling station or in any public or private place in the neighborhood thereof, so as to cause annoyance to any person visiting the polling station for the poll, or so as to interfere with the work of the officers and other persons on duty at the polling station.

- (2) Any person who contravenes, or willfully aids or abets the contravention of, the provisions of clause (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine or with both.
- (3) If the presiding officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under this section, he may direct any police officer to arrest such person, and thereupon the police officer shall arrest him.
- (4) Any police officer may take such steps, and use such force, as may be reasonably necessary for preventing any contravention of the provisions of clause (1), and may seize any apparatus used for such contravention.
- (9) Penalty for misconduct at the polling station -** (1) Any person who during the hours fixed for the poll at any polling station misconducts himself or fails to obey the lawful directions of the presiding officer may be removed from the polling station by the presiding officer or by any police officer on duty or by any person authorised in this behalf by such presiding officer.
- (2) The powers conferred by clause (1) shall not be exercised so as to prevent any elector who is otherwise entitled to vote at a polling station from having an opportunity of voting at that station.
- (3) if any person who has been so removed from a polling station re-enters the polling station without the permission of the presiding officer, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine or with both.
- (4) An offence punishable under clause (3) shall be cognizable.

(10) Penalty for failure to observe procedure for voting.-If any elector to whom a ballot paper has been issued, refuses to observe the procedure prescribed for voting the ballot paper issued to him shall be liable for cancellation.

(11) Penalty for illegal hiring or procuring of conveyance at elections - If any person is guilty of any such corrupt practice as is specified in clause (vi) of Section 141 at or in connection with an election, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three months and with fine.

(12) Breaches of official duty in connection with election - (1) If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(1-A) An offence punishable under clause (1) shall be cognizable.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.

(3) The persons to whom this section applies are the District Election Officers (Panchayat), Returning Officers, Assistant Returning Officers, presiding officers, polling officers and any other person appointed to perform any duty in connection with the receipt of nominations or withdrawal of candidatures, or the recording or counting of votes at an election; and the expression "official duty" shall for the purposes of this section be construed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or under this Act.

(13) Penalty for Government servants for acting as election agent, polling agent or counting agent - If any person in the service of the Government acts as an election agent or a polling agent or a

counting agent of a candidate at an election, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

(14) Prohibition of going armed to or near a polling station - (1) No

person, other than the Returning Officer, the presiding officer, any police officer and any other person appointed to maintain peace and order, at a polling station who is on duty at the polling station, shall, on a polling day, go armed with arms, as defined in the Arms Act, 1959 (54 of 1959), of any kind within the neighborhood of a polling station.

(2) If any person contravenes the provisions of clause (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(3) Notwithstanding anything contained in the Arms Act, 1959 (54 of 1959), where a person is convicted of an offence under this section, the arms as defined in the said Act found in his possession shall be liable to confiscation and the licence granted in relation to such arms shall be deemed to have been revoked under Sec. 17 of that Act.

(4) An offence punishable under clause (2) shall be cognizable.

(15) Removal of ballot papers from polling station to be an offence -

(1) Any person who at any election takes, or attempts to take, a ballot paper out of a polling station, or willfully aids or abets the doing of any such act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(2) If the presiding officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under clause (1), such officer may, before such person leaves the polling station, arrest or direct a police officer to arrest such person and may search such person or cause him to be searched by a police officer:

Provided that when it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman with strict regard to decency.

(3) Any ballot paper found upon the person arrested on search shall be made over for safe custody to a police officer by the presiding officer, or when the search is made by a police officer, shall be kept by such officer in safe custody.

(4) An offence punishable under clause (1) shall be cognizable.

(16) Offence of booth capturing - Whoever commits an offence of booth capturing shall be punishable with imprisonment for term which shall not be less than one year but which may extend to three years and with fine, and where such offence is committed by a person in the service of the Government, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and with fine;

Explanation-(1) For the purposes of this clause and section 97(b) “booth capturing” includes, among other things, all or any of the following activities, namely:

(a) seizure of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons, making polling authorities surrender the ballot papers or voting machines and doing of any other act which affects the orderly conduct of elections;

- (b) taking possession of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons and allowing only his or their own supporters to exercise their right to vote and preventing others from free exercise of their right to vote;
- (c) coercing or intimidating or threatening directly or indirectly any elector and preventing him from going to the polling station or a place fixed for the poll to cast his vote;
- (d) seizure of a place for counting of votes by any person or persons, making the counting authorities surrender the ballot papers or voting machines and the doing of anything which affects the orderly counting of votes;
- (e) doing by any person in the service of Government, of all or any of the aforesaid activities or aiding or conniving at, any such activity in the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

(2) An offence punishable under clause (1), shall be cognizable.

(17) Other offences and penalties therefor - (1) A person shall be guilty of an electoral offence if at any election he –

- (a) fraudulently defaces or fraudulently destroys any nomination paper; or
- (b) fraudulently defaces, destroys or removes any list, notice or other document affixed by or under the authority of a Returning officer; or
- (c) fraudulently defaces or fraudulently destroys any ballot paper or the official mark on any ballot paper or any declaration of identity or official envelope used in connection with voting by postal ballot; or

- (d) without due authority supplies any ballot paper to any person or receives any ballot paper from any person or is in possession of any ballot paper; or
 - (e) fraudulently puts into any ballot box anything other than the ballot paper which he is authorised by law to put in; or
 - (f) without due authority destroys, takes opens or otherwise interferes with any ballot box or ballot papers therein used for the purposes of the election; or
 - (g) fraudulently or without due authority, as the case may be, attempts to do any of the foregoing acts or wilfully aids or abets the doing of any such acts.
- (2) Any person guilty of an electoral offence under this section shall —
- (a) if he is a Returning Officer or an Assistant Returning Officer or a presiding officer at a polling station or any other officer or clerk employed on official duty in connection with the election, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both;
 - (b) if he is any other person, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.
- (3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be on official duty if his duty is to take part in the conduct of an election or part of any election including the counting of votes or to be responsible after an election for the used ballot papers and other documents in connection with such election, but the expression “official duty” shall not include any duty imposed otherwise than by or under this Act.

(4) An offence punishable under Sub-sec. (2) shall be cognizable.

131. Grant of paid holiday to employees on the day of poll - (1) Every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote at an election to the Panchayats of the State shall, on the day of poll, be granted a holiday.

(2) No deduction or abatement of the wages of any such person shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with sub-section (1) and if such person is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such a day, he shall nonetheless be paid for such day the wages he would have drawn had not a holiday been granted to him on that day.

(3) If an employer contravenes the provisions of clause (1) or clause (2), then such employer shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(4) This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged.

132. Liquor not to be sold, given or distributed on polling day - (1) No, spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed at a hotel, eating-house, tavern, shop or any other place, public or private, within a polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, which may extend to two thousand rupees, or with both.

(3) Where a person is convicted of an offence under this section, the spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature found in his possession shall be liable to confiscation and the same shall be disposed off in such manner as may be prescribed.

133. Account of Election Expenses and maximum thereof -- (1) Every candidate at a panchayat election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditures in connection with the election, incurred or authorised by him or by his election agent between the dates on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive.

(2) The account shall contain such particulars, as may be prescribed.

(3) The total of said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed.

134. Disqualification on failure to lodge account of election expenses - If the State Election Commission is satisfied that a person (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and manner required by or under this Act and

(b) has no good reason or justification for the failure, the State Election Commission shall by order declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.

135. Qualification for Membership- Every person whose name is in the list of voters of any Panchayat constituency shall, unless disqualified under this Act or under any other law for the time being in force, be qualified to be elected as a member or office bearer of the Panchayat :

Provided that in the case of seats reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Backward Classes or Women, no person who is not a member of any of the Schedule Castes or Scheduled Tribes or

Backward Classes or is not a woman, as the case may be, shall be qualified to be elected to such seat.

136. Disqualification for Membership - (1) Notwithstanding anything contained in this Act, a person shall be disqualified for election or after election for holding the post as Mukhiya, member of the Gram Panchayat, Sarpanch, Panch of the Gram Katchahri, member of the Panchayat Samiti and member of Zila Parishad, if such person—

- (a) is not a citizen of India ;
- (b) is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the Legislature of the State :

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty five years of age, if he has attained the age of twenty one years;

- (c) is in the service of Central or State Government or any local authority ;
- (d) is in service of any such institution receiving aid from Central or State Government or any local authority;
- (e) has been adjudged by a competent court to be of unsound mind;
- (f) has been dismissed from the service of Central or State Government or any local authority for misconduct and has been declared to be disqualified for employment in the public service;
- (g) has been sentenced by a criminal court whether within or out of India to imprisonment for an offence, other than a political offence, for a term exceeding six months or has been ordered to furnish security for good behavior under section 109 or section 110 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2, 1974) and such sentence or order not having subsequently been reversed;
- (h) has under any law for the time being in force become ineligible to be a member of any local authority;
- (i) holds any salaried office or office of profit under the Panchayat;

(j) has been found guilty of corrupt practices,

Provided that on being found guilty of corrupt practices, the disqualification shall cease after six years of general election.

(2) If any question arises as to whether a Member of a Panchayat at any level or Mukhiya of Gram Panchayat or Sarpanch of Gram Katchahri was before election or has become after election subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1), the question shall be referred for the decision of State Election Commissioner. The matter of disqualification may be brought to the notice of State Election Commission in the form of a complaint, application or information by any person or authority. The State Election Commission may also take suo-motu cognizance of such matters and decide such matters expeditiously after allowing sufficient opportunity to the affected parties of being heard.

(3) If a person, who is chosen as a member of Panchayat, a Mukhiya, a Sarpanch is or becomes member of the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly or State Legislative Council, or is or becomes a Municipal Councillor or a Councillor of a Municipal Corporation or a Member of a Sanitary Board, or a member of a Nagar Panchayat or a member of any other Panchayat or Mukhiya, Sarpanch, then within fifteen days from the date of commencement of the term of office of a member of Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly or State Legislative Council, or of a Councillor of Municipality or Municipal Corporation or a Member of Sanitary Board or Nagar Panchayat or a Member of other Panchayat or Mukhiya or Sarpanch, his seat in the Panchayat shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly or State Legislative Council, Municipality

or the Municipal Corporation, Sanitary Board or the Nagar Panchayat or of any such Panchayat as the case may be.

- (4) **Oath and affirmation** - Immediately after election a member of a Panchayat, Sarpanch or Panch of a Gram Katchahry and Mukhiya of Gram Panchayat shall make and subscribe before such person as the State Election Commission may appoint in this behalf, an oath or affirmation and if such member of a Panchayat, Sarpanch or Panch of a Gram Katchahry or Mukhiya declines or otherwise refuses to make and subscribe such oath or affirmation as aforesaid shall be deemed to have vacated his office forthwith. If such member of a Panchayat, Sarpanch or Panch of a Gram Katchahry or Mukhiya fails to make and subscribe an oath/affirmation after election and within three months of the date on which his term of office commences, his seat on the expiry of the said period shall be deemed to have become vacant.

137. Election Petition- (1) The election to any office of a Panchayat or a Gram Katchahry shall not be called in question except by an election petition as prescribed :

Provided that if an election to any office of a Gram Panchayat or Gram Katchahry is under dispute, the election petition shall lie before such Munsif within whose jurisdiction such Gram Panchayat or Gram Katchahry is situated and if the election to any office of Panchayat Samiti or to a Zila Parishad is under dispute, the election petition shall lie before such sub-Judge within whose jurisdiction such Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, is situated.

- (2) **“Parties to the petition—A petitioner shall join as a respondent to his petition—**

(a) Where the petitioner, in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claims a

further declaration that he himself or any other candidates has been duly elected, all the contesting candidates other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed, all the returned candidates; and

(b) any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petition.

138. Bar to interference by Courts in electoral matters- Notwithstanding anything contained in this Act-

(a) The validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under Article 243 K of the Constitution of India shall not be called in question in any Court;

(b) no election to any Panchayat shall be called in question except by an election petition presented to the prescribed authority under this Act.

139. Grounds for declaring election to be void - (1) Subject to the provisions of sub section (2) if the prescribed authority is of opinion -

(a) that on the date of his election, a returned candidate was not qualified or was disqualified, to be chosen as a member under this Act; or

(b) that any corrupt practice has been committed by a returned candidate or his agent or by any other person with the consent of a returned candidate or his agent; or

(c) that any nomination paper has been improperly rejected; or

(d) that the result of the election, in so far as it concerns a returned candidate, has been materially affected-

(i) by the improper acceptance of any nomination; or

(ii) by any corrupt practice committed in the interests of the returned candidate by an agent; or

(iii) by the improper reception, refusal or rejection of any vote or reception of any vote which is void; or

(iv) by any non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders made thereunder; the prescribed authority shall declare the election of the returned candidate to be void.

(2) If in the opinion of the Prescribed Authority, any agent of a returned candidate has been guilty of any corrupt practice, but the prescribed authority is satisfied-

(a) that no such corrupt practice was committed at the election by the candidate and every such corrupt practice was committed contrary to the orders and without the consent of the candidate;

(b) that the candidate took all reasonable measures for preventing the commission of corrupt practices at the election; and

(c) that in all other respects the election was free from any corrupt practice on the part of the candidate or any of his agent; then the Prescribed Authority may decide that the election of the returned candidate is not void.

(d)

140. Grounds on which a candidate other than the returned candidate may be declared to have been elected -

(1) If any person who has filed an election petition has, in addition to calling in question the election of the returned candidate, claims a declaration that he himself or any other candidate has been duly elected and the Prescribed Authority is of opinion-

(a) that in fact the petitioner or such other candidate received a majority of the valid votes; or

(b) that but for the votes obtained by the returned candidate by corrupt practices the petitioner or such other candidate would have

obtained a majority of the valid votes, the Prescribed Authority shall after declaring the election of the returned candidate to be void declare the petitioner or such other candidate, as the case may be, to have been duly elected.

(2) The decision of the Prescribed Authority shall be final.

141. Corrupt Practices - The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act-

- (i) bribery as defined in clause (1) of section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (Central Act 48 of 1951), for the time being in force;
- (ii) undue influences as defined in clause (2) of the said section for the time being in force;
- (iii) that appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language or the use of, or appeal to religious symbols or the use of, or appeal to national symbols such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate;
- (iv) the promotion of or attempt to promote feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community or language by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the election of that candidate to or for prejudicially affecting the election of any candidate;
- (v) the publication by a candidate or his agent or by any other person with the consent of candidate or his agent of any statement of

- fact which is false and which he either believes to be false or does not believe to be true in relation to the personal character or conduct of any candidate or in relation to the candidature or withdrawal of any candidature being statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate's election;
- (vi) the hiring or procuring whether on payment or otherwise, any vehicle or vessel by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his agent, or the use of such vehicle or vessel for the free conveyance of any voter (other than the candidate himself, the member of his family or his agent) to or from any polling station provided in accordance with the rules made under this Act :

Provided that the use of any public transport vehicle or vessel or railway carriage by any voter at his own cost for the purpose of going to or coming from any such polling station or place fixed for the poll shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause.

Explanation- In this clause, the word "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise whether used for the drawing of other vehicles or otherwise.

- (vii) the holding of any meeting at which intoxicating liquors are served;
- (viii) the issuing of any circular, placard or poster having reference to the election which does not bear the name and address of the printer and publisher thereof;
- (ix) any other practice which the Government may by rule specify to be a corrupt practice.

142. Order as to corrupt practices - The corrupt practices referred to under this Act shall entail disqualification for membership of any local authority

for a period of five years counting from the date on which the finding of the prescribed authority as to such practices takes effect under this Act.

143. *Communication of orders* - The prescribed authority under section 142 of this Act shall after announcing the orders made under this Act send a copy thereof to the District Magistrate.

144 *Fresh election, if a seat becomes vacant* - If the seat of any member has become vacant or is deemed to have become vacant under this Act, a fresh election for the vacancy so caused shall be held in accordance with provisions of this Act.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

145. Revision of decisions of the Committee - Every Panchayat shall have the power to revise or modify any decision taken by any of its Committee.

146. Power of Government to make rules - (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid before each House of the State Legislature.

(3) A rule under this Act may be made with retrospective effect and when such a rule is made the reasons for making the rule shall be specified in a statement and laid before both Houses of the State Legislature. Subject to any modification made under this Act, every rule made under this Act shall have effect as if enacted in this Act.

(4) In making a rule under this section the Government may provide that a person guilty of breach thereof shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five hundred rupees and where the breach is a continuing one with further fine which may extend to a maximum of twenty-five rupees for every day on and after the first day on which the breach continues.

147. Power of Gram Panchayats to make bye-laws-(1) A Gram Panchayat may, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and with the previous sanction of the Zila Parishad, make bye-laws

to carry out the purposes of this Act in so far as it relates to its powers and duties.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, a Gram Panchayat with the previous sanction of Zila Parishad may make such bye-laws as may be required to discharge the functions and duties entrusted to it under this Act.

(3) In making any bye-laws under sub-sections (1) and (2) the Gram Panchayat may provide that a contravention thereof shall be punishable with such fine as may be prescribed.

(4) Any such bye-law may also provide that a person contravening the same shall be required to remedy so far as it lies in his power, the mischief, if any, caused by such contravention.

(5) All bye-laws made under this section shall be subject to the condition of previous publication and such publication shall be in such manner as may be prescribed.

148. Power of Panchayat Samiti to make regulations- (1) A Panchayat Samiti may, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and with the previous sanction of the Government, by notification, make regulations to carry out the purposes of this Act, in so far as it relates to its powers and duties.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall be subject to the condition of previous publication and such publication shall be in such manner as may be prescribed.

149. Power of Zila Parishad to make regulations- (1) A Zila Parishad may, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and with the previous sanction of the Government, by notification, make

regulations to carry out the purposes of this Act in so far as it relates to its powers and duties.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall be subject to the condition of previous publication and such publication shall be in such manner as may be prescribed.

150. Power of Government to make model regulations- (1) The Government may, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and after previous publication of the draft for a period it deems proper, make model regulations and bye-laws for Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads.

(2) A Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad may, by resolution, adopt the model bye-laws or regulations, as the case may be, made under sub-section (1) and such bye-laws and regulations shall come into force within the jurisdiction of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad from such date as the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, may specify in a notice published in the prescribed manner.

151. Power of Government to dissolve and reconstitute Panchayats when the limits of Panchayat areas are altered - (1) When on account of the reason that the limits of a Panchayat area are altered, the Government may by order published in the Official Gazette dissolve such Panchayat, from a date specified in the order, and direct that the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad concerned -

(i) be reconstituted for the Panchayat area of which the Gram Panchayat or Block of which Panchayat Samiti or the District of which Zila Parishad has been dissolved ; or

- (ii) be established for a Panchayat area, Block or District which has been newly constituted.
- (2) The Members of that Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad, which has been dissolved under sub-section(1) shall vacate their offices from the date specified in the order of the Government.
- (3) The Gram Panchayat, Panchayat samiti or Zila Parishad reconstituted or established under the provisions of sub-section(1) shall consist of members nominated by the Government and such members shall, as far as practicable, be persons who were members of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad which has been dissolved under sub-section (1).
- (4) The Pramukh of Panchayat Samiti or Adhayaksha of Zila Parishad shall be elected in the manner provided in this Act. The Mukhiya of such Gram Panchayat shall be elected from amongst the members of Gram Panchayat nominated by the Government under provision of sub-section (3)
- (5) The term of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad so reconstituted or established shall be for such period not exceeding six months as the Government may by order specify.
- (6) Before the expiry of the term of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad constituted under sub-section (5), every Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad shall be constituted in the manner as provided by this Act :

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad would have continued is less than six months it shall not be necessary to

hold an election under this section for constituting a Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad for such period.

- (7) A Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad constituted under sub-section (6) shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad would have continued had it not been so dissolved.
- (8) When a Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad has been dissolved and reconstituted or established under this section, such of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad fund and other property vested in the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad which has been dissolved shall vest in and such portion of the debts and obligations shall be transferred to the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad reconstituted or established under this section as the Government may, by order in writing, direct.
- (9) The rights and liabilities of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad which has been dissolved in respect of civil and criminal proceedings, contracts, agreements and other matters or things arising in and relating to any part of the area subject to the authority of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad reconstituted or established shall vest in such Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad.
- (10) Any appointment, notification, notice, tax, order, scheme, license, permission, rule, regulation or form made, issued, imposed or granted by the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad which has been dissolved in respect of any part of area subject to the authority of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad will

continue unless and until it is suspended by any appointment, notification, notice, form, order, scheme, license, permission, rule, regulation or form, made, issued, imposed or granted by such reconstituted Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad.

(11) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the preceding sub-sections, the Government may by order published in the Official Gazette, as the occasion may require, do anything which appears to be necessary to remove the difficulty.

152. Inquiry into the affairs of the Panchayats - (1) The Government may, at any time, by a general or special order, cause an inquiry to be made by Government officers in regard to any matters with respect to which the sanction, approval, consent or orders of the Government or the Commissioner is required under this Act.

(2) The Officer holding such inquiry shall have the powers of the Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 to take evidence and to compel attendance of witnesses and production of documents for the purpose of the inquiry.

(3) The Government or the Commissioner may make orders as to the cost of inquiries made under sub-section (1) and as to the parties by whom and the funds out of which they shall be paid and such order may, on the application of the Commissioner or of any person named therein, be executed as if it were a decree of a Civil Court.

153. Inspection of the offices of Panchayats and records and accounts thereof - The Government may prescribe appropriate officials to inspect the offices of different levels of Panchayats including their records and accounts at regular intervals. A copy of the inspection note shall be forwarded to the concerned Panchayat which who shall either remedy the

defects or irregularities which may be have been pointed out in the inspection note within two months of its receipt or supply such explanation to the prescribed authority in regard to such defects or irregularities as it may wish to give. Copies of such inspection note shall also be forwarded to such other authorities as may be prescribed.

154. Power of revision and review by Government - (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the records of a Panchayat or of a Standing Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision(s) or order(s) passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass the order accordingly :

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has had a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order(s) prejudicial to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety days of the passing of an order/orders under sub-section (1) review any such order(s) if it was passed by it by mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to sub-section (1) and in sub-section (2) shall also apply to a proceeding under this sub-section.

155. Inspection of development schemes - (1) For the purpose of efficient and economical execution of any works or development schemes undertaken by a Panchayat, if an Officer or person authorized by or under any general or special order of the Government considers it necessary for that purpose to give technical guidance or assistance to any officer of or under the Panchayat who is charged with the execution or maintenance of any such works or development scheme, then the officer or person so authorized may inspect such works or development schemes and give such guidance, assistance or advice as he thinks necessary in relation to such works or development schemes and shall forward to the Panchayat a report on the inspection made pointing out therein any irregularities noticed and his suggestions for improvement.

(2) In implementing the plans or schemes the rules of implementation applicable to Government departments such as for purchase, tender, quality control, technical sanctions, accounts and audit and supervision shall mutatis mutandis be applicable to the extent and till such time as separate rules are not made for Panchayats in this regard.

156. Directions from Government - (1) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for the Government to issue directions to any Panchayat in matters relating to state and national policies, government programmes and any other matter of public importance and such directions shall be binding on the Panchayat.

(2) The Government may-

(a) call for any record or register or other document in possession or under the control of any Panchayat;

- (b) require any Panchayat to furnish any return, plan, estimate, statement, account or statistics, and,
- (c) require any Panchayat to furnish any information or report on any matter related/connected with such Panchayat.

157. *Power of the District Magistrate with regard to conduct of special meetings called to consider no confidence motion* — If the District Magistrate suo motu or upon information being received from any source, is of the opinion that any irregularity or mistake is being committed so far as provisions related to conduct of any special meeting of a Panchayat to consider a no confidence motion is concerned, he shall have the power to issue such directions as considered necessary for complying with the provisions of the Act in that regard. He may also depute any officer to be present in such a meeting and to call for a report from such officer.

158. *Withdrawal of powers and functions from the Panchayats* - (1) Notwithstanding the transfer of any power, functions and duties in respect of any matter to a Panchayat under this Act, the Government on a proposal from the Panchayat in that behalf or where it is satisfied that by reason of a change in the nature of the matter, such as the conversion of a primary health center into a secondary health center or hospital or the conversion of a seed multiplication farm into an agricultural research farm or a road becoming a part of a highway, the matter would cease to be a matter on the relevant Panchayat Functions List and if it is deemed to be necessary to withdraw from the Panchayat the powers, functions or duties in respect of such matter, may, by notification in the Official Gazette, withdraw such powers, functions and duties with effect from the date specified in the notification and make such incidental and consequential orders as may be necessary to

provide for matters including the taking over of the property, rights and liabilities, if any, vesting in the Panchayat and of the staff, if any, which may have been transferred to the Panchayat as the case may be.

(2) The Government may, by notification in the Official Gazette amend or add any activity, programme or scheme assigned to a Panchayat under this Act. On the issue of such notification, the relevant Panchayat Functions List shall be deemed to have been amended accordingly.

159. Power of Zila Parishad to suspend the execution of order(s) etc. of

Gram Panchayat - (1) If in the opinion of the Zila Parishad, the execution of any order or resolution of a Gram Panchayat or any order of any authority or officer of a Gram Panchayat or any thing which is about to be done, or is being done, by or on behalf of a Gram Panchayat is unjust, unlawful or improper or is likely to cause injury or annoyance to the public or lead to a breach of peace, it may, by order suspend the execution or prohibit the doing thereof.

(2) When the Zila Parishad makes an order under sub-section(1) it shall forthwith forward to the Government and to the Gram Panchayat affected thereby, a copy of the order with a statement of the reasons for making it, and it shall be the discretion of the Government to confirm or rescind the order or to direct that that the same shall continue to be in force with or without modification, permanently or for such period as the Government thinks fit :

Provided that no order of the Zila Parishad passed under this section shall be confirmed, revised or modified by the Government without giving the Gram Panchayat reasonable opportunity of showing cause against the said order.

160. Dissolution of Panchayats – (1) If, in the opinion of the Zila Parishad or the Government, a Gram Panchayat exceeds or abuses its powers or is not competent to perform or makes persistent default in the performance of the duties imposed on it under this Act or by any other law for the time being in force, the Zila Parishad or the Government as the case be, may by order published in the Official Gazette dissolve such Gram Panchayat.

(2) If in the opinion of the Government, a Panchayat Samiti or a Zila Parishad exceeds or abuses its powers or is not competent to perform or makes persistent default in the performance of the duties imposed on it under this Act or by any other law for the time being in force, the Government may, by an order published in the Official Gazette, dissolve such Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be.

(3) Before publishing an order under sub-section (1) or sub-section(2), the Zila Parishad or the Government shall communicate to the Gram Panchayat or the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, the grounds on which it proposes to do so, fix a reasonable period for the Panchayat concerned to show-cause against the proposal and consider its explanations and objections, if any.

(4) When a Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad is dissolved all the members of the Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad shall, from the date specified in the order, vacate their offices as its members.

(5) If a Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad is dissolved-

- (a) all the powers and duties of the Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad shall, during the period of its dissolution be exercised and performed by such person or persons as the Zila Parishad or the Government, as the case may be, may from time to time, appoint in this behalf;
- (b) all property vested in the Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad shall during the period of dissolution vest in the Zila Parishad or the Government, as the case may be; and
- (c) the persons vacating office on dissolution shall be eligible for re-election or re-nomination.

161. *Creation of District Panchayat Service Cadre -*

The Zila Parishad may constitute such cadre of employees on such terms and conditions as may be prescribed by the State Government. The members of such cadre may be transferable within the Panchayats of that district.

162. *Power of Panchayat over the employees -* (1) The Mukhiya of Gram Panchayat, Executive Officers of the Panchayat Samiti and the Chief Executive Officer of the Zila Parishad shall exercise general control over all officers and employees appointed / engaged by the respective Panchayats.

(2) The officers mentioned in sub section (1) may award any punishment, other than dismissal, removal or reduction in rank to such officer or employee of the Panchayat.

(3) The officer mentioned in sub section (1) may recommend the dismissal, removal or reduction in rank of such officer or employee of the Panchayat and submit recommendation to the concerned Panchayat and the Panchayat may dismiss, remove or demote such

officer or employee in accordance with the rules made in this behalf.

(4) No officer or employee of the Panchayat shall be punished by the Panchayat without giving an opportunity of being heard.

163. Appeal - (1) In respect to orders passed under sub-section (2) of section 162, the appeal shall lie with the respective Panchayat .

(2) In respect to orders passed under sub-section (3) of section 162 the appeal against the orders of the Gram Panchayat and the Panchayat Samiti shall lie with the District Magistrate or such other authority as may be prescribed and the appeal against the orders of Zila Parishad shall lie with the concerned Commissioner or such other authorities as may be prescribed.

(3) Such appeal may be filed in the prescribed manner in within ninety days of the order.

164. Powers and functions of the employees of Panchayat - Subject to the provisions of the Act, the rules framed thereunder and to any general or special direction given by the State Government in that respect, the officers and employees employed by the Panchayat and the officer and employees whose services have been placed at the disposal of the Panchayat by the State Government shall exercise such powers, perform such functions and discharge such duties, as the Panchayat may determine.

165. Administrative control of Panchayat over projects, schemes etc. -

(1) Subject to any general or special order of the State Government notified in the Official Gazette the function and administrative control of

all State Government institutions, projects, schemes and offices located within the Gram Panchayat shall vest in the Gram Panchayat.

(2) When such institutions, projects, schemes and offices serve the jurisdiction beyond one Gram Panchayat, the function and administrative control over that institution shall vest with the concerned Panchayat Samiti.

(3) Where the institution, projects, schemes and offices serve the area beyond that of a Panchayat Samiti, the function and administrative control over that institution shall vest in the Zila Parishad.

Illustration-(i) Functional and administrative control over Primary, Middle and Secondary Schools, Health Sub Centres, Charwaha Vidyalyayas, Hand Pumps, Irrigation, Tube wells etc. serving the people of the Gram Panchayat shall vest in the Gram Panchayat.

(ii) The functional and administrative control over the Primary Health Centre, which serves more than one Gram Panchayat shall vest in the concerned Panchayat Samiti.

(iii) The functional and administrative control over Referral Hospital which serves more than one block shall vest in the Zila Parishad.

(iv) Disciplinary and administrative control over officers and employees of the State Government working in such institutions, projects, schemes and offices, other than dismissal, removal or reduction in rank, shall vest in the respective Panchayat including the power of suspension.

166. Preparation of Development Plans - (1) Every Gram Panchayat shall prepare every year a development plan and submit it to the Panchayat Samiti before such date and in such form as may be prescribed.

- (2) Every Panchayat Samiti shall prepare every year a development plan for its area after including the development plans, of the concerned Gram Panchayats and submit it to the Zila Parishad before such date and in such form as may be prescribed.
- (3) Every Zila Parishad shall prepare every year a development plan of the district after including the development plans of the concerned Panchayat Samitis and submit it to the District Planning Committee constituted under this Act.

167. District Planning Committee - (1) The Government shall constitute in every district a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.

- (2) The District Planning Committee shall consist of:
 - (a) Adhyaksha of the Zila Parishad;
 - (b) Mayor or President of the Municipality having jurisdiction over the headquarters of the District;
 - (c) Such number of persons not less than four-fifth of the total number of members of the Committee as may be specified by the Government, elected in the prescribed manner from amongst the members of the Panchayats and Municipalities in the district, in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district under the direction, control and supervision of the State Election Commission :

Provided that as nearly as practicable, fifty percent of such elected members shall be women;

Provided further that if there is no elected member from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Backward Classes categories, the Government may nominate such number of members from Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Backward Classes categories as it deems fit from amongst the members of the Panchayats and Municipalities in the district.

- (3) Members of the Lok Sabha who represent the whole or part of the district, the members of the Rajya Sabha who are registered as electors in the district, all the members of the State Legislative Assembly whose constituencies lie within the district, the members of the State Legislative Council who are registered as electors in the district and the District Magistrate and the Chairman of the District Co-operative Bank/Land Development Bank shall be permanent invitees of the Committee.
- (4) The Chief Executive Officer shall be the Secretary of the Committee.
- (5) The Adhyaksha of the Zila Parishad shall be the Chairman of the District Planning Committee.
- (6) The District Planning Committee shall consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district and prepare a draft development plan for the district as a whole.
- (7) Every District Planning Committee shall in preparing the draft development plan-

- (a) have regard to,
 - (i) the matters of common interest between the Zila Parishad, Panchayat Samitis, Gram Panchayats, Nagar Panchayats, Municipal Councils and the Municipal Corporations in the district including local planning, sharing of water and other physical and natural resource, the integrated development of infrastructure and environmental conservation.
 - (ii) the extent and type of available resources whether financial or otherwise.
 - (b) consult such institutions and organizations as the Government may by order specify.
- (8) The Chairman of every District Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee to the Government.

168. Finance Commission for Panchayats - (1)The Government shall as soon as may be from the commencement of this Act and thereafter on the expiration of every fifth year constitute a Finance Commission to review the financial position of the Zila Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats and to make recommendations to the Government with regard to-

- (a) the principles which should govern
 - (i) the distribution between the State and the Zila Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats of the net proceeds of the taxes, duties and fees livable by the Government which may be divided between them and allocation between the Zila Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats of their respective shares of such proceeds;

- (ii) the determination of the taxes, duties and fees which may be assigned to or appropriated by the Zila Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats;
 - (iii) the grants-in-aid to Zila Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats from the Consolidated Fund of the State;
 - (b) the measures needed to improve the financial position of the Zila Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats;
 - (c) any other matter referred to the Finance Commission by the Governor in the interest of sound finance of the Zila Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats.
- (2) The Finance Commission shall consist of a Chairman and two other members.
 - (3) The Chairman and members of the Finance Commission shall possess such qualification and shall be appointed in such manner as may be prescribed.
 - (4) The Finance Commission shall determine its own procedure.
 - (5) The Chairman or a member of the Finance Commission may resign his office by writing under his hand and addressed to the Finance Secretary to the Government, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the Government.
 - (6) The casual vacancy created by the resignation of the member or Chairman under sub-section(5) or for any other reason may be filled by fresh appointment and a member or Chairman so appointed shall hold office for the remaining period for which the member or Chairman in whose place he was appointed, would have held his office.

- (7) The Commission shall have the following powers in the performance of its functions namely:-
- (a) to call for any record from any officer or authority;
 - (b) to summon any person to give evidence or to produce records, and
 - (c) such other powers as may be prescribed.
- (8) The Government shall cause every recommendation made by the Finance Commission under this section, together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before both the Houses of the State Legislature.

169. Annual Administrative Report - (1) As soon as may be after the first day of April in every year and not later than such date as may be fixed by the Government, the Panchayat Secretary shall place before the Gram Panchayat a report of the administration of the Gram Panchayat during the preceding year in such form and with such details as the Government may direct and shall forward the report with the resolution of the Gram Panchayat thereon to the Zila Parishad.

(2) As soon as may be after the first day of April in every year and not later than such date as may be fixed by the Government, the Executive Officer shall place before the Panchayat Samiti a report of the administration of the Panchayat Samiti during the preceding year in such form and with such details as the Government may direct and shall forward the report with the resolution of the Panchayat Samiti thereon to the Zila Parishad.

(3) Zila Parishad shall on receipt of the reports under sub-section (1) and (2) review the working of the Gram Panchayats and Panchayat

Samitis and shall submit a consolidated report in this behalf to the Government.

- (4) As soon as may be after the first day of April in every year and not later than such date as may be fixed by the Government, the Chief Executive Officer of the Zila Parishad shall prepare a report on the administration of the Zila Parishad during the preceding year in such form and with such details as the Government may direct and submit the report to the Zila Parishad. After approval by the Zila Parishad the report shall be submitted to the Government.
- (5) The report submitted to the Government under sub-sections (3) and (4) shall together with a memorandum by the Government reviewing the working of the Gram Panchayats, Panchyat Samiti and Zila Parishad be laid before both Houses of the State Legislature.

170. Public Servant—All members, officers and employees of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of the discharge of their duties, or in the exercise of their powers under this Act or under the rules or bye-laws made thereunder, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act, 45 of 1860)

171. Repeal and savings - The Bihar Panchayat Raj Act, 1993 (Bihar Act 19, 1993) as amended from time to time is hereby repealed,

Provided that such repeal shall not affect-

- a. the previous operations of the said enactments or anything duly done or suffered thereunder; or
- b. any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said enactments; or

- c. any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said enactments; or
- d. any investigation, legal proceeding or remedy in respect of such right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy that have been instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment that might have been imposed, as if this Act has not been promulgated.
- (e) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said Act shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the day on which such things or action was done or taken.
- (f) Notwithstanding such repeal the Gram Panchayats, Panchayat Samiti and Zila Parishads, which were validly constituted under the repealed Act, shall continue to function till the constitution and the first meeting of Gram Panchayats, Panchayat Samiti and Zila Parishads under this Act.
- (g) Notwithstanding such repeal all rules made under the repealed Bihar Panchayat Raj Act, 1993 shall continue to be operative till replaced by fresh rules made under this Act.

172. Removal of difficulties – If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government, may by order, published in the Official Gazette, as the occasion may require, do anything which appears to it to be necessary to remove the difficulty.

173. Repeal and Saving - (1) The Bihar Panchayat Raj Ordinance, 2006 (Bihar Ordinance no. 1, 2006) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any thing done or any action taken in exercise of any power conferred by, or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act inforce on the day on which such thing was done or action taken.